

**राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) जलौसगढ की ७७वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) जलौसगढ की ७७वीं बैठक दिनांक १०/०७/२०२० को ०७:३० बजे को बोरी जल सभ, जयपुर, राज्या स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण, जलौसगढ की अध्यक्षता में विविध सदस्यसभ के माध्यम से संघन हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे—

१. श्री. समीर बालोयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण
२. सुमी समीता पी. सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण

बैठक की प्रारम्भ में राज्याधीन जलौसगढ, प्राधिकरण, राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यो को स्वागत किया गया।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-१**                      दिनांक २७/०७/२०२० की कार्यवाही विवरण का अनुमीदन।

राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण, जलौसगढ की ७७वीं बैठक दिनांक २७/०७/२०२० को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की कार्यवाही विवरण का अनुमीदन किया गया।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-२**                      मेसर्स की निगराना (पी- बी कमलेश कुमार सिंह),  
घान-पडरानटोल, राजौसल-सुरिया, जिला-  
राजसुंदरगांव में नवीं उपरोक्त निर्माण किया जाना।

जल सचिव, जलौस गढ प्राधिकरण, जलौसगढ जल सभ द्वारा पत्र दिनांक १२/०७/२०२० के माध्यम से मेसर्स की निगराना (पी-बी) कमलेश कुमार सिंह, घान-पडरानटोल, राजौसल-सुरिया, जिला-राजसुंदरगांव की जिला स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण, राजसुंदरगांव द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक १७/०७/२०१७ की केषा के संकेत से मार्गदर्शन कराया गया। जिसकी परिणत में जल सचिव, अध्यक्ष एवं पर्यटन विभाग, जलौसगढ जल सभ द्वारा जारी पत्र दिनांक ०१/०७/२०१७ के द्वारा राज्य स्तर पर्यटन समयावधि निर्धारण प्राधिकरण से प्राप्त करवा अनुमीत किया गया है।

प्राधिकरण की दिनांक २७/०७/२०२० को संघन ७७वीं बैठक में विचार कर परामर्श प्राप्त निर्णय किया गया जो कि प्रकरण पर नतीची एवं समस्त दस्तावेजो का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। समस्त प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। जल प्रकरण की समस्त सुनिगत जानकारी / दस्तावेजो के साथ आगामी बैठक में प्रकल्प प्रस्तुत किया जाए। जलसुधार प्राधिकरण की दिनांक १०/०७/२०२० को संघन ७७वीं बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण की दिनांक १०/०७/२०२० को संघन ७७वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि—

नेपाली बी विंगल्स (इंटरनेट) - बी कनलेन कुमार सिंह) का दाम- पञ्चसालीय, गडरील- धुमिया, जिला- राजमोहनपुर के समस्त वन 273 का वन सफा 500 हेक्टर में सीमा अन्तिम अर्थात के अधिकात्मक प्रत्यक्ष अभाव - 12000 वन परीक्षा हेतु जिला राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन राजमोहनपुर द्वारा दिनांक 19/08/2018 को 09 र्वे की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, जिसकी प्रता जारी दिनांक से 05 वर्ष तक है।

माननीय नेपाल बी विंगल्स द्वारा प्रकल्प क्रमांक बी.ए. नं 173/2018 सुदार्शन दाम विंगल्स केन्द्र बंगलूर भारत में दिनांक 13/08/2018 को जारी आवेदन में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को अधिसूचना दिनांक 18/01/2018 को संशोधित करने हेतु तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही जिला अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन / जिला राष्ट्रीय विशेष अंकन समिति के समक्ष पर राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन / राज्य सरकार विशेष अंकन समिति द्वारा करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12/12/2018 को अधिसूचना जारी कर राज्य को माननीय नेपाल बी विंगल्स द्वारा दिये गये उक्त निदेश का पालन करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

उक्त के पालनार्थ राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन, अलीगढ़ को पत्र दिनांक 21/12/2018 द्वारा जिला जिला राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन को नई अधिसूचना जारी होने तक पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया गया।

संशोधन, संशोधनार्थ, अधिसूचना एवं अधिसूचना हेतु करने पर दिनांक 08/07/2019 के माध्यम से माननीय नेपाल बी विंगल्स के आवेदन दिनांक 13/08/2018 एवं 11/12/2018 तथा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 21/12/2018 में चर्चाकृत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का अभाव स्पष्ट करने अनुरोध किया गया। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन अलीगढ़ को पत्र दिनांक 08/07/2019 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उक्त आवेदन एवं पत्र में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का अभाव नहीं दिखानेवाला दिखाना है। ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (एन.एस.डी.ए.) के अनुच्छेदों के अनुसार अधिसूचना में चर्चाकृत कार्यवाही के कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही का रोक का अभाव तत्काल माननीय नेपाल बी विंगल्स के आवेदन के अधिसूचना जिला जिला राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन एवं जिला राष्ट्रीय विशेष अंकन समिति में उचित प्रकल्प एवं नवी प्रता आवेदन पर कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से बंद करने से है।

माननीय राज्य न्यायालय, बिलासपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.आई.एन. 30/2019 दिनांक बिलासपुर विशेष अलीगढ़ भारत में दिनांक 28/08/2018 को प्रारंभ आवेदन को प्रस्तुत प्रता द्वारा उक्त कार्यवाही के राज्य पुनर्विचार अधिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त प्रविशकन के सुनवाई उपरान्त माननीय राज्य न्यायालय, बिलासपुर द्वारा अधिकाधिकारी को राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन, अलीगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने तथा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्रविशकन, अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बिलासपुर कार्यवाही पर निर्णय लिये जाने बाबत दिनांक 23/08/2019 को आवेदन दिया गया।

जिला स्तरीय पारिपाल समन्वय निर्देशक प्राधिकरण, राजमन्दागंज द्वारा जिला स्तरीय स्वीकृति प्राप्त शक्यतः पर्यायण, पन एव जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या सं. 12/12/2018 एवं राज्य स्तर पर पर्यायण सभायता निर्धारण प्राधिकरण, जलतीलागढ़ की पत्र दिनांक 21/12/2018 को द्वारा जारी निर्देश की पूर्ण दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई है। साथ ही जलवायु सहाय प्राधिकारी अर्थात् जिला स्तरीय पर्यायण समन्वय निर्देशक प्राधिकरण, राजमन्दागंज द्वारा दिनांक 08/09/2018 को पर्यायणीय स्वीकृति जारी करने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के अन्तर्गत पर विचार विमर्श उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा पर्यायणों से निर्देश दिया गया कि जिला स्तरीय पारिपाल समन्वय निर्देशक प्राधिकरण, राजमन्दागंज द्वारा जारी की गिनतता (प्रोत्साहन - की अन्तर्गत कुल 500) को पान- पठरगतोला, लहरील- सुपिया, किला- राजमन्दागंज को जारी पर्यायणीय स्वीकृति की केवल पर्यायणीय स्वीकृति में उल्लेख अनुसार कान्य होगी।

उपरोक्त अन्त, सभिय आवास एव पर्यायण विभाग को सूचित किया जाय।

**एनेन्डा आकटन क्रमांक-3**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, जलतीलागढ़ की 323वीं, 324वीं एव 325वीं बैठक अन्तः दिनांक 27/06/2020, 28/06/2020 एवं 29/06/2020 की अनुमति के अन्तर्गत पर गीण खनिजी एवं आर्थिक परिवर्तनाओं संबंधी प्रकल्पों में निर्देश दिया जाना।

**1. गिला की आर आइयु मनीलाय (गोपखोदी लेण्ड बाईन, पान-पठरगतोली, लहरील व जिला-दुर्ग), एच.एच.सी.एल. कोलेजी, कोकटा-8, मिलाई, जिला-दुर्ग (सविनालय का नसी क्रमांक 1021)**

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजन नम्बर - एसआइए/ गोपी/ एमआइएन/ 12/131/2019, दिनांक 24/11/2019। परियायण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कनिष्ठी होने से ज्ञान दिनांक 08/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियायण प्रस्तावक द्वारा सविनालय दिनांक 20/12/2019 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।


प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गीण खनिज) है। यह खदान पान-गोपखोदी, लहरील व जिला-दुर्ग जिला पार्ट जोक खोला क्रमांक 502, कुल लीज क्षेत्र 4.858 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। राजमन्दागंज नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित राजमन्दागंज अन्तः-80.000 घन्टोला प्रतिया है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 18/01/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मसी एव प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा जलवायु सर्वेसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिया गया था-

1. रेत खदानन हेतु प्रस्तावित जल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्टोली का गिल करारक ज्ञानम में रेत सहा के उपर्युक्त 1.8585 घन्टोला, निम्न गिल रीप में पर्यायण कर प्रस्तुत



दिये जाये। उक्त लेवेल (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पली बेंच मार्ग (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पली बेंच मार्ग (TBM) में फोर-एज, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जाये। सिंग बेंच से टेम्पली बेंच मार्ग (TBM) को भी इन्वॉल्व्ड एन्ड सुनिश्च डिजाइन से प्रमाणिकरण प्राप्त होना चाहिए। उचित जमानकरी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. वेद उत्खनन हेतु प्रस्तावित खात पर सर्वेक्षण से उपलब्ध वेद को सीलई जानने के लिए, यदि होस्टेयर्स में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, उचित डिजाइन से प्रमाणित जमानकरी प्रस्तुत की जाए। वेद की वास्तविक गहराई हेतु पत्रनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र को जंगल एवं घास-पौधों तथा नदी से याद की चौड़ाई को जमानकरी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आवेदित खात पर खनन हेतु राज्य सरकार या परिवहन विभाग द्वारा अधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) जारी किया गया हो तो संबंधित अधिकरण समाप्त निर्धारण प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), एन.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय सीकुयिटी से पर्यटन से पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीकुयिटी की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों को ध्यान में रखी गई कारीगरी की जानकारी कोटाहासल सहित प्रस्तुत की जाए। उक्त ही प्रमाणिकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटाहासल सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से समाप्तित हो तो विना पूर्ण से किए गए उत्खनन की वास्तविक मापन की जानकारी उचित डिजाइन से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, परिवहन, एवं और जलवायु परिवर्तन विभाग नई दिल्ली को एन.ई.आई.ए.ए. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निर्देशक एवं परिवर्तन प्रशासक को एन.ई.आई.ए.ए. एन.ई.आई.ए.ए. के साथ जमानकरी माप की आवेदित वेदक से सम्बंधित समस्त सूचना जमानकरी / दस्तावेज (अद्यतन कोटाहासल) सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

उत्तमखर खनि निर्देशक एवं परिवर्तन प्रशासक को एन.ई.आई.ए.ए. एन.ई.आई.ए.ए. के द्वारा दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 310वीं बैठक दिनांक 05/02/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु सीईई भी अधिनियमित कार्रवाई नहीं हुए। परिवर्तन प्रशासक के पत्र दिनांक 05/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति की 310वीं बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अब जमानकरी माप की आवेदित वेदक से सम्बंधित प्रमाणिकरण हेतु उपलब्ध किये जाये हेतु उपलब्ध किया गया है।

समिति द्वारा उत्तमखर सर्वेक्षणों से निर्भव किया गया था कि परिवर्तन प्रशासक को जमानकरी माप की आवेदित वेदक से पूर्व में जारी गई उचित जमानकरी एवं उचित सूचना जमानकरी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

उत्तमखर खनि निर्देशक एवं परिवर्तन प्रशासक को एन.ई.आई.ए.ए. एन.ई.आई.ए.ए. के द्वारा दिनांक 01/01/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 214वीं बैठक दिनांक 28/02/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु भी प्रदीप नरिण, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनमें द्वारा बताया गया कि अप्रत्याशित रैलू बंदान में रेल सतह के जवाब का समे नहीं होने के कारण से समिति के सन्ध प्रस्तुतिकरण दिनांक ज्ञाना समय नहीं है। अतः अगामी माह के अप्रत्याशित बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु समय उपान करने हेतु अनुप्रेष किया गया।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिषद एवं परिषद प्रस्तावक को अगामी माह के अप्रत्याशित बैठक में पूर्व में जारी नई प्रतिनिधि जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / पन्नापत्र सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

समानुसार समिति निर्देशक एवं परिषद प्रस्तावक को एम.डि.ए.सी., प्रतीक के द्वारा दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

(द) समिति की 219वीं बैठक दिनांक 13/05/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषद प्रस्तावक की पत्र दिनांक 12/05/2020 द्वारा सूचना दी गई है कि अप्रत्याशित कारणों से समिति के सन्ध बैठक में प्रस्तुतिकरण हेतु अप्रत्याशित होने संभव नहीं है। अतः अगामी माह के अप्रत्याशित बैठक में समय उपान करने हेतु अनुप्रेष किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परिषद प्रस्तावक को अगामी माह के अप्रत्याशित बैठक में पूर्व में जारी नई प्रतिनिधि जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / पन्नापत्र सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाय।

समानुसार परिषद प्रस्तावक को एम.डि.ए.सी., प्रतीक के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सुचित किया गया।

(इ) समिति की 223वीं बैठक दिनांक 27/05/2020

प्रस्तुतिकरण हेतु भी प्रदीप कुमार नरिण, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न बिन्दु पर्ये-  
नई-

1. ग्राम पंचायत का अन्वयित बगल पत्र - रेल प्रशासन के सन्ध में ग्राम पंचायत प्रतीक के दिनांक 29/07/2015 का अन्वयित बगल पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनियम/सीनियरिटी - सहायक कलेक्टर, समिति प्रस्ताव से ग्राम पंचायत पर अनुप्रेष एवं अन्वयित विनियम/सीनियरिटी का निर्दिष्ट संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. उत्समय योजना - सांख्यिक पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उप सन्ध (प्र.ए.) सन्ध, सीनियरिटी तथा सीनियरिटी, प्रतीक के द्वारा अगामी समिति 02/02/2019/सन्ध/रेल (सन्ध)/एम.डि.ए.सी./2019 का सन्ध अन्वयित पत्र दिनांक 13/11/2019 द्वारा अन्वयित है।
4. 500 मीटर की परिसर में स्थित बंदान - सहायक कलेक्टर (समिति प्रस्ताव), प्रतीक-दुर्ग के द्वारा अगामी 10/02/सन्ध/रेल सन्ध/2019 दुर्ग।

...

दिनांक 25/10/2018 से अनुसूचित आवेदित खदान से 300 मीटर की नीचे अवस्थित अन्य दो खदानों की सीमा निर्दिष्ट है।

6. 300 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सौख्यार्थ - कार्योन्मुख कलेक्टर (स्थानिक कार्यालय) जिला-राजपुर के द्वारा क्रमांक 1071/राशि.02/स्थानिक/सेठ खदान/2018 एवं दिनांक 25/10/2018 द्वारा जारी प्रत्यक्ष एवं अनुसूचित खदान से 300 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे भीड़, मण्डप, मन्दिर एवं अन्य स्मारक, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल संचयनी आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्योन्मुख कलेक्टर (स्थानिक कार्यालय) जिला-राजपुर के द्वारा क्रमांक 815/स्थानिक/सेठ (खाना विभाग)/2018 एवं दिनांक 03/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिनकी आवृत्ति 02 वर्ष हेतु की गई है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पारोडल, वन और जलवायु परिवर्तन संकाय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रावधान में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की आवृत्ति प्रस्तुत की गई है।
9. पहाड़पूर्व संवेदनशील क्षेत्र की दूरी - मिश्रित खाना-वीरगढ़ी 5.18 कि.मी. खाना-वीरगढ़ी 5.3 कि.मी. एवं अजलाख खाना-वीरगढ़ी 5.38 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.75 कि.मी. दूर है। कुल खदान से 750 मीटर की दूरी पर आउटलाइन में स्थित है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितिक प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराष्ट्रीय सीमा राष्ट्रीय स्तर, अन्तरराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख निवास क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट गैन्गुटेज परिधि, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र में स्थित नहीं है।
11. खाना खान पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट से दूरी - आवेदन अनुसार खाना खान पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 270 मीटर, न्यूनतम 250 मीटर तथा खाना खान की लंबाई - 576 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 100 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट से दूरी 30 मीटर है।
12. खदान खान पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खाना खान की मोटाई - 4 मीटर तथा रेत खान की अवस्थित मोटाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित कर्मियों के खाना खान अनुसार खदान में गैरनिश्चित रेत की मात्रा - 87,120 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खाना खान क्षेत्र में उपलब्ध रेत सहाई की मोटाई जमाने की लिए प्रस्तावित खाना खान पर 4 मीटर (4m) खोदकर जलवायु सार्वजनिक महत्वादी एवं सामान्य एवं स्थानिक विभाग से प्रस्तावित जलवायु प्रस्ताव की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध मोटाई 1.8 मीटर है। रेत की सार्वजनिक महत्वादी हेतु पर्याप्त नहीं प्रस्तुत किया गया है।

#### 12. दूर में जारी पारिस्थितिक सटीकता संबंधी विवरण-

1. दूर में सड़क, खाना खाना-वीरगढ़ी के नाम से रेत खदान पर 0.5 कि.मी. दूरी पर क्रमांक 302, क्षेत्रफल 4.856 हेक्टेयर, क्रमांक-50,000 घनमीटर प्रमाण हेतु जिला स्तरीय पारिस्थितिक सहायता निर्धारण अधिनियम,



जिला-दुर्ग द्वारा सर्वोच्चतम स्वीकृति दिनांक 27/05/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी सर्वोच्चतम स्वीकृति को जारी के पालन में की गई कार्रवाही की आवश्यकता प्रमाण की गई है। यह आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. सर्वोच्चतम स्वीकृति (अनियत माथा), जिला-दुर्ग के द्वारा वर्षान्त 2020/अनियत/अनियत/2020 पूर्व दिनांक 29/02/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 3,000 घनमीटर एवं 2019-20 में 6,732 घनमीटर उपखनन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रशासक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपखनन नहीं किया गया है।
  - iv. निर्धारित मार्गानुसार कुआरक्षण नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत पत्थर के लेवलिंग - रेत उपखनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के फास्टट्रैक तथा आउटस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुना 25 मीटर के विंड टिचुमी का दिनांक 14/02/2020 को रेत खनन के वर्तमान लेवलिंग (Levels) लेवल, उन्हें अनियत विभाग में प्रस्तुतीकरण उपरान्त अपेक्षापत्र सहित आन्वयनी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गये है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय जवाबदारी (C.E.R.) - सहाय सल्लाह, पर्यावरण, वन और पालतू पशु परिशोधन मन्त्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समस्त विस्तार से जारी उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
63.5	2%	1.27	Following activities at Government Primary & Model School Village-Piperchhed	
			Rain Water Harvesting System	1.00
			Potable Drinking Water Facility	0.27
			Total	1.27

समिति द्वारा परिशोधना प्रशासक को निर्दिष्ट किया गया कि सहाय निर्देशन के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उपखनन मैनुअल विधि से पूर्व नवाई का कार्य खोदक द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. परिशोधना प्रशासक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उपखनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उपखनन योजना में उपखनन किए जाने वाले क्षेत्र की सर्वाधिक रेत पुनर्गणन संबंधी आवश्यक कार्य एवं वास्तविकी जांचकी का समर्थन नहीं किया

AS

गया है। विशेषतः नदी खड़ी नहीं है तथा इसमें सर्वाधिक से 'समानता' 1.5 मीटर गहराई से अधिक है। इन गुणवत्ता होने की संभावना है, लेकिन विशेष से कम से कम है कि गहराई गहराई 1.5 मीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोपरि से निम्नानुसार किया गया—

1. आगरेत बांधन (गल-पीपलहोरी) का लम्बा 4.500 हेक्टर है। बांधन की चौड़ाई से 500 मीटर की परिधि में खरीद/समाहित बांधनों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का इससे कम होने के कारण यह बांधन की-2 शर्तों की नहीं भरी।

2. कुलसंग्रह कार्य - व्यवस्थापक के अनुसार यह नदी पर कुल 2,500 नम पीछे - 1,250 नम बांधन के पीछे तथा एक 1,250 नम (जलपुर, बनीर, बंसी, आम बांध) पीछे समार्र जलम। इसके अतिरिक्त कुल कार्य पर 1,200 नम पीछे समार्र जलम।

3. परिशोधन प्रस्तावक से बांधन क्षेत्र में जलम 1.5 वर्ष में विस्तृत गहरा अध्ययन (Situation Study) करायेगा। तब से कुलसंग्रह (Regulation) समार्र नहीं करेगा, सेत उपकरण का नदी, मशीन, स्थानीय व्यवस्था, जल एवं कुल जलम पर प्रभाव तथा नदी के चोरी की गुणवत्ता का सेत उपकरण के प्रभाव की नदी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. जल संचयन की सहायता के निम्नानुसार -

- i. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा उपकरण के पूर्व समग्र जल संचयन / नदी पर (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के सहाय (Levels) का नदी नदी किया जायेगा। उपरोक्त नदी नदी सहायता के सहाय (Levels) का सहाय 25 गुना 25 मीटर के समार्र (Unit) में किया जायेगा।
- ii. सेत समग्र के समार्र-मानसून के पूर्व समग्र गहरा की अंतिम समार्र / जलम में बांधनित सहाय सहाय तथा जल संचयन की व्यवस्था एवं समार्र में 100 मीटर तक एक समग्र जल संचयन के सहाय / नदी पर (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के सहाय (Levels) का सहाय पूर्व निर्धारित सहाय बिन्दुओं पर किया जायेगा।
- iii. इसी समार्र पीछे-मानसून से (सेत उपकरण जलम करने के पूर्व गहरा व्यवस्था) इसी सहाय बिन्दुओं पर सेत सहायता के सहाय (Levels) का सहाय किया जायेगा।
- iv. सेत सहायता के पूर्व निर्धारित सहाय बिन्दुओं पर सेत सहायता के सहाय (Levels) के सहाय का कार्य जलम 3 वर्ष तक निराल किया जायेगा। पीछे-मानसून के अंतिम दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं सेत-मानसून के अंतिम जलम 2020, 2021, 2022 तक अंतिम रूप से सहाय/अंतिम/एत. उत्तीरन/एत. जलम सिद्ध जलम।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोपरि से की जाए। अतः नदीबांध, पीपलहोरी सहाय बांधन, बंध आदि समग्र समार्र 502 घाम-पीपलहोरी, तासील व सहाय-दूर, कुल जल संचयन 4.500 हेक्टर क्षेत्र में, सेत उपकरण व्यवस्थापक 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 48,500 घाम/हेक्टर अंतिम सेत उपकरण सेत सहाय/सहाय नदी, जल संचयन से 12 वर्ष तक की सहाय सेत सिद्ध करने की व्यवस्था की गई। सेत की सहाय समिति द्वारा (Ministry) की जायेगी। सहाय संचयन (Water Study) में सहाय जलम का प्रयोग अंतिम सहाय। जल





2. रेल वास्तव्य हेतु प्रस्तावित खण्ड पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की भीटाई खानने के लिए छवि कैम्पेस में कम से कम एक गड्ढा (कुएँ) खोदकर सरकारी वास्तविक गड्ढाई का मापन कर, उचित विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गड्ढाई हेतु संयोजन की प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा गठी के चोट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में आरेखित खण्ड पर खनन हेतु राज्य स्तर परदेसरा समायाल निर्माण अधिकरण (एसईआईएए), प्रतीसगड अथवा जिला स्तरेस परदेसरा समायाल निर्माण अधिकरण (डीईआईएए), प्रतीसगड द्वारा मार्गसलीस स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी परावसलीस स्वीकृति की छवि एवं अधिकरित छवि के मातन में की गई कारीवासी की जानकारी फोटोसाल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलसल की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोसाल सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संसलित है, तो किरास वही में किरास मरु ससमन की वास्तविक मात की जानकारी उचित विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार परदेसरा, पर जीस परसराड परदेसरा नीडसल, गई दिल्ली के किरास, किरास 01/03/2018 के अनुसार नीडसल (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. छवि निर्देशक एवं परीसलसल प्रस्तावक का सद्यस में रेल के संपरस (Levels) लेने वाले सरीस (Surveyor) के साथ आगसी करा की आरंभित सैसक में आगसीस ससल सुसंगत जानकारी / परसलीस (अद्यतन फोटोसालस) सहित प्रस्तुतीकरण दिसे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुखर छवि निर्देशक एवं परीसलसल प्रस्तावक को एसईएसी, प्रतीसगड के ससल किरास 31/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) ससलति की 310वीं सैसक किरास 06/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु जोई की परीसलति अस्थित नहीं हुए। परीसलसल प्रस्तावक की परस किरास 06/02/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आरंभित सैसक में ससलति के ससल सैसक में प्रस्तुतीकरण हेतु अस्थित ससल ससल नहीं है। अतः आगसी मात की आरंभित सैसक में ससल सद्यस करने हेतु अनुसल किया गया है।

ससलति द्वारा ससलसल सरीससलति के निर्भर किया गया था कि परीसलसल प्रस्तावक को आगसी करा के आरंभित सैसक में पूर्व में जारी गई किरास जानकारी एवं ससल सुसंगत जानकारी / परसलीस सहित प्रस्तुतीकरण दिसे जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुखर छवि निर्देशक एवं परीसलसल प्रस्तावक को एसईएसी, प्रतीसगड के ससल किरास 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) ससलति की 314वीं सैसक किरास 26/03/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की ससल अद्यतन अधिकृत ससलति अस्थित हुए। उनके द्वारा सद्यस गया कि प्रस्तुतित रेल सद्यस में रेल ससल के ससलसल का नहीं होने की ससल से ससलति के ससल प्रस्तुतीकरण दिसा जाना ससल नहीं है। अतः आगसी करा के आरंभित सैसक में प्रस्तुतीकरण हेतु ससल सद्यस करने हेतु अनुसल किया गया।

समिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषदीय प्रस्तावक एवं परिषदीय प्रस्तावक को जमागी माह के आवेदित वेतक में पूर्ण में जारी गई वरिष्ठ ज्ञानकारी एवं समस्त सुसंगत ज्ञानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपानुसार समिति निर्देशक एवं परिषदीय प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 08/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 318वीं बैठक दिनांक 13/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिषदीय प्रस्तावक को पत्र दिनांक 12/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित वेतक में समिति को समस्त वेतक में प्रस्तुतीकरण हेतु आवेदित होना संभव नहीं है; अतः जमागी माह के आवेदित वेतक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा उत्सव्य सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिषदीय प्रस्तावक को जमागी माह के आवेदित वेतक में पूर्ण में जारी गई वरिष्ठ ज्ञानकारी एवं समस्त सुसंगत ज्ञानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपानुसार परिषदीय प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी., छातीसगढ़ के द्वारा दिनांक 20/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(घ) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की समस्त अपवाद, अधिपुत्र प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. ग्राम पंचायत का जमागी माह — दो उत्सव्य के संबंध में ग्राम पंचायत जमागी का दिनांक 23/04/2018 का जमागील प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. चिन्दाकिर/सीमाकिर — कार्यलय कलेक्टर, स्थित गाछा से ग्राम प्रमाण पत्र अनुसार यह ग्राम चिन्दाकिर/सीमाकिर का घोषित संबंधी जमागील प्रस्तुत की गई है।
3. उत्सव्य योजना — राष्ट्रीय पंचम प्रस्तुत किया गया है, जो एक संवत्सक (एच.ए.ए.) संवत्सकलय, सीमाकी लक स्थित, छातीसगढ़ के द्वारा जमागील समिति 0283/समि 02/रा (खजाना)/म.स.319/2019 पर प्रस्तुत अटल मंत्र, दिनांक 16/11/2019 द्वारा अनुसंधित है।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (स्थित खान), जिला-दुर्ग के द्वारा जमागील 1080/समि/समि.02/रा/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 300 मीटर की सीमा अधिसूचित अन्य वेत खदानों की संख्या निकल है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक हो-3/संयन्त्र — कार्यलय कलेक्टर (स्थित खान), जिला-रायपुर के द्वारा जमागील 1080/समि/समि.02/रा/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक हो-3 जेबे सीटर, गलत, एकल, मूल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय संयन्त्र एवं वेत राष्ट्रीय अदि प्रविष्टित हो-3 निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई का विवरण - एल.ओ.आई कार्यालय बसवटार (अग्निज वाहन), जिला-पुर्व के अग्रम अक्षांक/814/अग्निज/90 (जिला विभाग),/2018 पुर्व दिनांक 03/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु है।
7. सिविलीय सर्वे रिपोर्ट - सहाय सलवार, पार्किंग, वन और जलवायु परिवर्तन महालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में सिविलीय सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति अलग की गई है।
8. सड़कपूर्ण बांधकामों की दूरी - निकटतम आकाशी घास-खसारी 1.5 कि.मी., गल्लू घास-खसारी 1.7 कि.मी. एवं अखिलार घास-खसारी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वायुमयन 1.55 कि.मी. दूर है। एपीआई सड़क से 100 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है।
9. पर्यावरण/सामाजिक संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग अखिलार, केंद्रीय प्रमुख नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिस्टलीय ग्रेनोटाई एरिया, पर्यावरण/सामाजिक संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं संगत प्रमाणित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खनन की गदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 300 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 300 मीटर, न्यूनतम 70 मीटर दर्शाई गई है। खनन की गदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 60 मीटर, न्यूनतम 45 मीटर है।
11. खनन स्थल पर रेत की चौड़ाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की चौड़ाई - 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित चौड़ाई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित सड़क/रेल पराम अनुसार खनन में सड़क/रेल की चौड़ाई - 12,500 घनमीटर है। रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की चौड़ाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 1 मीटर (1m) चौड़ाई वाली कार्यात्मक गहराई का बाधक बन, अग्निज विभाग से उपस्थित जानकारी अनुसार की गई है। इसका अनुसार रेत की उपलब्ध औसत चौड़ाई 1.5 मीटर है। रेत की कार्यात्मक गहराई हेतु पर्याप्त की प्रस्ताव किया गया है।
12. पृष्ठ में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खनन की पृष्ठ में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खनन क्षेत्र में रेत सतह की संख्या - रेत खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित सतह के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गुण 25 मीटर के लिए विन्दुओं पर दिनांक 14/08/2020 की रेत सतह को वाणिज्य लेवल (Level) लेकर, सर्वे अग्निज विभाग से पर्याप्तता संगत फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - सहाय सलवार, पार्किंग, वन और जलवायु परिवर्तन महालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के संस्था विस्तार से सर्वे उपरोक्त विवरणों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(In Lakh Rupees)	Allocation (in Lakh Rupees)	
40	3%	5.80	Following activities at Nearby Government School Village-Piparchhad	
			Rain Water Harvesting System	0.30
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation with fencing	0.10
<b>Total</b>	<b>0.80</b>			

15. समिति को संज्ञान में यह राय प्राप्त कि -

I. नए Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में अनुसार-

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (s) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

II. जांचक में तीन एरीकट से 180 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। नए गाइडलाइन अनुसार स्वीकृत क्षेत्र संज्ञान के उपस्ट्रीम में एरीकट से कम ही कम 500 मीटर क्षेत्र छोड़ा जाना आवश्यक है। जब जांच में स्वीकृत 320 मीटर लंबाई को पार माइनिंग क्षेत्र घोषित कर पथना बंद करने की जानी होगी। स्वीकृत एरिया/आई क्षेत्र में पथ बंद करने के लंबाई 300 मीटर है। पथ बंद करने हेतु स्वीकृत 320 मीटर लंबाई को पार माइनिंग क्षेत्र घोषित किया जान पर स्वीकृत एरिया/आई क्षेत्र में पथ बंद करने के लिए क्षेत्र छोड़ नहीं होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-

1. नए Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 अनुसार पथ बंद करने हेतु स्वीकृत 320 मीटर लंबाई को पार माइनिंग क्षेत्र घोषित किया जाना पर स्वीकृत एरिया/आई क्षेत्र में पथ बंद करने के लिए क्षेत्र छोड़ नहीं होगा। जब स्वीकृत एरिया/आई क्षेत्र में पथ बंद करने के लिए क्षेत्र छोड़ नहीं होगा।

2. जांचक को डि-लिस्ट/मिलान किए जाने की अनुमति दी गई।

प्रतिक्रिया प्राप्त क्षेत्र में विचार - उपरोक्त प्रकरण से प्रतिक्रिया की दिनांक 10/06/2020 को जांचक को जांचक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद जांचक में विचार किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया प्राप्त सर्वसम्भति से समिति को अनुमति देने स्वीकृत करने हेतु जांचक को डि-लिस्ट/मिलान करने का निर्णय लिया गया।

संशोधन प्रस्तावक को तयानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कुलसी कविता मिश्रा (बखसापुर रोड मईन, ग्राम-बखसापुर, तहसील-नयागढ़, जिला-जाजपुर-बाँदा), ग्राम-खोटा, तहसील-नयागढ़, तहसील व जिला-बिलारापुर (सचिवालय का नक्सी क्रमांक 1183)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एचआईए/ पीपी/ एचआईए/ 145834/2020, दिनांक 15/02/2020। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कनिष्ठा होने से प्राप्ति दिनांक 22/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/02/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पेट खदान (पीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-बखसापुर, तहसील-नयागढ़, जिला- जाजपुर-बाँदा जिला खदान क्रमांक 554, कुल सीमा क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपर्युक्त खानदेय नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित लागत/न राशियाँ-85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकी का विवरण -

(ब) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नक्सी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लक्षण सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पेट खदान हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंजा 25 मीटर का सिद्ध बनावट, बाँधन में पेट साइड के निम्न Level; निम्न सिद्ध क्षेत्र में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खान सीमा के बाहर / नदी तट (घनी तट) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साइड के सतरी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। प्रस्तावित Level; हेतु कम से कम 3 टैपली वेव गार्ड (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टैपली वेव गार्ड (TBM) में कार्बन, को-बीडिनेट्स (Co-carbonates) सहित किये जायें। सिद्ध क्षेत्र में टैपली वेव गार्ड (TBM) का भी कार्यान्वयन करी अतिरिक्त विवरण से प्रमाणीकरण उपरोक्त फीस/व्यय सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीघाट के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इनके अनुसार खदान की नारा क्षेत्र में उपर्युक्त सिद्ध खान सीमा न हो तो उपरोक्त गणना कर, नक्सी पर दर्शाए, इनका उपरोक्त माईनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से अंकित जायें। खदान के खान क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की भी नक्सी पर अतिरिक्त विवरण से निम्नानुसार बनावट प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निम्नानुसार कुल बाँध, एनीकर एवं जल आपूर्ति नदीव की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए। कुल /एनीकर की दूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा खान क्षेत्रफल है। यदि खान क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के बाहर सिद्ध हो, तो उपरोक्त खान पर खान हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्सी पर निम्नित कर, प्रमाण नक्सी पर निम्नानुसार तथा माईनिंग प्लान में इस संबंध उपरोक्त किया जाए।

6. वेतन व्यवधान हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में व्यवस्था हेतु की गई कार्यवाही के लिए प्रति हफ्ता में कम से कम एक मजदूर (मिन्) नियोजित करके वास्तविक मजदारी का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित धानकारी प्रस्तुत की जाए। वेतन की वास्तविक मजदारी हेतु मजदूरों को प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यन्त समाप्त निर्देशन प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) जलेश्वरमड कक्षा जिला कार्यालय पर्यन्त समाप्त निर्देशन प्राधिकरण (पी.ई.आई.ए.ए.) जलेश्वरमड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं आवेदित स्थल के वास्तव में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटास्थल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटास्थल सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन पूर्व ही समाप्त हो, तो विगत वर्षों में किए गए व्यवधान की वास्तविक स्थिति की जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित करके प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसूचि नई.आई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रशासक को खनन से वेतन के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित वेतन के अद्यतन स्थिति सुनिश्चित जानकारी / प्रस्तावण (अद्यतन कोटास्थल) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार यदि निर्देशक एवं परियोजना प्रशासक को एन.ई.आई.आर. जलेश्वरमड के प्राप्ति दिनांक 27/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) खनिज की उद्योगी बैठक दिनांक 27/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की गयी सुधार किता अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। खनिज द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. काम समाप्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र — वेतन व्यवधान के संबंध में काम समाप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत का दिनांक 27/02/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाशिता/समाप्तिका — कार्यालय कलेक्टर, खनिज विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसूचक का अद्यतन विनाशिता/समाप्तिका कर प्रेषित है।
3. व्यवधान योजना — नईनिग प्रदान प्रस्तुत किया गया है, जो जय संघालक (खनिज विभाग), जिला-कोटा के द्वारा क्रमांक 547/खनि-क/2020 तारीख, दिनांक 13/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित अद्यतन — कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग), जिला-जलेश्वर-माया के द्वारा क्रमांक 3064/खनि./वि./2018-20, जलेश्वर, दिनांक 13/02/2020 के अनुसार आवेदित स्थान से 500 मीटर के भीतर उपस्थित अन्य वेतन अद्यतनों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित अत्यधिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग), जिला-जलेश्वर-माया के द्वारा क्रमांक 3064/खनि./वि./2018-20, जलेश्वर, दिनांक 13/02/2020 के द्वारा जारी अद्यतन पत्र

*(Handwritten Signature)*

अनुसार खत खदान की 200 मीटर की परिधि में भूदिल, गलपट, अगलपट, झट्ट, पुल, बंध, एनीकट राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सब आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. एल.सी.आई. का विवरण - एल.सी.आई. कारपोरेशन कार्पोरेट (प्रसिद्ध संख्या) जिला-गंगवाह-खता के अखण क्रमंक 2000/पीएन एनिए/सीएस/न.अ. /2020, जमबीर, दिनांक 25/01/2020 द्वारा जारी की गई जिलाको अर्बाई 2 को हेतु को है।
7. पन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्पोरेट कार्पोरेशन/पिसली, जमबीर-बोरा परमाणुत, खता की अखण क्रमंक 1000/सी/10000 खता, दिनांक 20/11/2019 को जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित पान पत्र क्षेत्र की सीमा में 12.7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, खता, एवं और उपखण्ड परिचालन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्मित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) को जारी अनुमति की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम अर्बाई खान-बलरापुर 0.425 कि.मी., वीरगिक रोसा बरवापुर 0.32 कि.मी. एवं अगलपट बंध 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.8 कि.मी. दूर है। सीढ़त सेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. परिस्थितीय/पैरिस्थितीय सर्वेक्षणकील क्षेत्र - परिषदीयता अखणक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आतांकीय सीमा, राष्ट्रीय राजम, अखणक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रेषित विधिकली फेन्डुटेड एरिया, परिस्थितीय सर्वेक्षणकील क्षेत्र या घोषित पैरिस्थितीय क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिबंधित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की गद्दी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 700 मीटर, अनुमान 700 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - 200 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 188.87 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की गद्दी तट से दूरी अधिकतम 210 मीटर, अनुमान 100 मीटर है।
12. खदान स्थल पर सेत की चौड़ाई - आवेदन अनुसार खदान पर सेत की गहराई - 4.15 मीटर तथा सेत खदान की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमति प्राप्त होने पर अनुमान खदान में सर्वेक्षण सेत की गहराई - 25,000 घनमीटर है। सेत काखानन हेतु प्रस्तावित खदान पर सर्वेक्षण में उपलब्ध सेत खदान की गहराई जानने के लिए प्रस्तावित खदान पर 8 गहराई प्रकाश सर्वेक्षण उपकी कार्वाहीक गहराई का करण कर, खनिज विभाग की प्रस्तावित खदानकी प्रस्ताव की गई है। इसकी अनुमान सेत की उपलब्ध अधिकतम गहराई 4.15 मीटर है। सेत की कार्वाहीक गहराई हेतु संरक्षण की प्रस्ताव किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीकुरिटी संबंधी विवरण - इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय सीकुरिटी जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में सेत सहाय के लेवलस - 70 घनमीटर हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की जारी तलक 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर पुरा 25 मीटर के विड सिन्धुमी पर दिनांक 20/01/2020 को सेत सहाय के परिसर



लेवला (Levelling) लेवल, ऊंचे खनिज विभाग से इमालीकरण जल्दी पर्यावरणक सक्षम ध्यानकारी/इलाजके प्रस्तुत किये गये है।

15. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पंजाब, इन ऑफ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से को.एन. दिनांक 01/08/2018 से अनुसार नी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के द्वारा विभाग से कार्य जल्दी निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.5	2%	1.13	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbaspur	
			Rain Water Harvesting System	1.45
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>1.55</b>

16. रेत जमावना नियुक्त विधि से पूर्व कराई जा कार्य लीजल द्वारा करवा जाय प्रस्तावित है।

17. परिसीजन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक जमावना की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में परखनल किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तालीकरी आकड़ी का समायोजन नहीं किया गया है। इससे नदी बड़ी नदी है तथा इलाके परिसीजन में समान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त संबंधितों से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कोर्पोरेट लेवल (घाट-बरबासपुर) का इलाका 8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 100 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समायोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का जमाने का होने से कारण यह खदान सी-2 बंदी की गयी गयी।
2. पुनर्भरण कार्य – प्रस्तावितता के आधार पर नदी घाट पर कुल 1,500 म³ पानी – 750 म³ खदान के पीछे तथा क्षेत्र 750 म³ (खदान, खदान, खंड, खान आदि) पीछे जमाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पट्टे कार्य पर 750 म³ पीछे जमाए जायेंगे।
3. परिसीजन प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आधारी 1.5 वर्ष में विस्तृत कार्य अध्ययन (Detailed Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) कार्य सही ढंगसे रेत जमावना का नदी, नदीताल, खान-खान बनावधि, खोद एवं खुद नीचे पर प्रस्तावित नदी की तारी की पुनर्भरण पर रेत जमावना के प्रमाण की सही ध्यानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीजल क्षेत्र की सख्त का बनावधि कार्य -

- i. वेत क्षरण के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईमिा लीज डीज तथा लीज डीज के अणुसीम एवं डाइनामिीम में 100 मीटर तक तथा खनर डीज के खनर / नदी तट (बॉन्ड डीज) में 100 मीटर तक के डीज में नदी खाह के साथ (Levee) का बांध पूर्व निर्धारित विड विन्दुओं पर किया जाएगा।
- ii. इसी प्रकार पीस-मानसून में वेत खाननन धारण करने के पूर्व माह अवधुन) इनके विड विन्दुओं पर वेत खाह के लेवलन Levee का माणन किया जाएगा।
- iii. वेत खाह के पूर्व निर्धारित विड विन्दुओं पर वेत खाह के लेवलन (Levee) के माणन का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निरतन किया जाएगा। पीस-मानसून के अवधुन दिग्मन 2020, 2021, 2022 एवं पी. मानसून के अवधुन अगला 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एसाई/आईएए, कलकतागड के प्रस्तुत किए जाने।
- 4. समिति द्वारा विचार विगत उपरान्त सर्वसम्मति से सुपारी बरिड विड, बरबसपुर रोड माईन, खनर अणक 554, धाम-बरबसपुर, लहसील-बडोवा, जिला-जांजगीर-बांघा कुल लीज डीज अणक 2 हेक्टर क्षेत्र में वेत खाननन अधिखनन 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिलर वेत खाननन हेतु गवर्नरणीय स्वीकृति, जारी दिग्मन से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु दिग् जाने की अनुमति की गई। वेत की सुराई अधिवां द्वारा (Mekhachak) की जाएगी। विड वेत (Water level) में जारी बरबस के प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। लीज डीज में विड वेत सुराई गडुं (Excavation zone) में अधिखनन आईर तक वेत का परीखनन ट्रेकर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकरण द्वारा वेतक में विडर - लखीखनन प्रखणन पर अधिखनन की दिग्मन 10/08/2020 को खनन अगरी वेडर में विडर किया गया। प्रतिकरण द्वारा नरबी का अधिखनन किया गया। विडर विगरी उपरान्त प्रतिकरण द्वारा सर्वसम्मति से स्मिडि की अनुमति की स्वीकार अगरी सुने सुपारी बरिड विड, बरबसपुर रोड माईन, खनर अणक 554, धाम-बरबसपुर, लहसील-बडोवा, जिला-जांजगीर-बांघा कुल लीज डीज अणक 2 हेक्टर क्षेत्र में वेत खाननन अधिखनन 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिलर वेत खाननन हेतु गवर्नरणीय स्वीकृति, जारी दिग्मन से 22 वर्ष तक की अवधि हेतु दिग् जाने का निर्णय किया गया।

परिखेखनन प्रखणनक के गवर्नरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

- 4. वेतक की शरिखणन उपखणन (दिसरी रोड माईन, धाम-वेडरी, लहसील-बडोवा, जिला-जांजगीर-बांघा), धाम-वेडरी, लहसील-जांजगीर, जिला-जांजगीर-बांघा (अधिखनन का नरबी अणक 1214)

अधिखनन अधिखनन -परिखनन नरब - एमखडुंए / सीडी / एमखडुंएन / 100-100 / 2020 दिग्मन 28/02/2020।

प्रखणन का विडरन - वेत खाननन वेत खानन (लीज अणक) है। वेत खानन धाम-वेडरी, लहसील-बडोवा, जिला-जांजगीर-बांघा जिला-जांजगीर अणक 750, कुल लीज डीज 3.5 हेक्टर में प्रखणनित है। खाननन अणक नदी की विडर जारी प्रखणनित है। खानन की अधिखनन अणक-32,725 घनमीटर प्रतिलर है।

वेतक का विडरन -

(अ) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 08/06/2020

समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लम्बाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत प्रखण्ड में प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के जलस्रोत तथा जलमापन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंजा 25 मीटर का सिंचन बन्दबन्द स्थिति में वेत जहाँ के जलस्तर Levels/वेत सिंचन में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र की बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी घाट की सारी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। जहाँ जलस्तर Levels/वेत कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में खरदू, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। सिंचन में 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी खनन क्षेत्र अतिरिक्त जिनके प्रयोग के लिए खनन क्षेत्र अतिरिक्त निर्धारित प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट की खदान की चौड़ाई की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (10% अधिक ही) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की खुद क्षेत्र में उत्खनन किया जाना सम्भव न हो तो खनन क्षेत्र का, लम्बाई पर दलीकरण, इसका दलीकरण नदीतट पर अतिरिक्त रूप से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र का प्रतिशतित क्षेत्र को नदी पर अतिरिक्त जिनके प्रयोग के लिए खनन क्षेत्र अतिरिक्त निर्धारित प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल संपूर्ण स्थल की पूरी समझ जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के जलस्रोत में न्यूनतम 200 मीटर तथा जलमापन में न्यूनतम 200 मीटर तथा जहाँ जलमापन है। यदि क्षेत्र अतिरिक्त जहाँ दूरी के अंतर किया हो, तो अतिरिक्त खदान पर खनन हेतु प्रतिशतित क्षेत्र को जलस्रोतानुसार नदी पर निर्धारित कर, जहाँ नदी के प्रयोग तथा नदीतट पर अतिरिक्त निर्धारित प्रस्तुत किया जाए।
5. वेत प्रखण्ड में प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपरोक्त क्षेत्र की चौड़ाई खनन के लिए प्रतिशतित क्षेत्र में कम से कम एक मटर (1m) अतिरिक्त खननी नदीतट क्षेत्र चौड़ाई का खनन कर, अतिरिक्त जिनके प्रयोग के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की नदीतट चौड़ाई हेतु खनन की प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अतिरिक्त स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण अनुसंधान निदेशन प्रतिक्रिया (एन.ई.आर.ए.ए.), अतिरिक्त जिनके जिला स्तर पर्यावरण अनुसंधान निदेशन प्रतिक्रिया (एन.ई.आर.ए.ए.), अतिरिक्त जिनके द्वारा पर्यावरणीय अतिक्रमण की गई हो, तो पूर्व में अतिरिक्त पर्यावरणीय अतिक्रमण की प्रति एवं अतिरिक्त जहाँ के खनन में ही पूर्व कार्यवाही की जानकारी अतिरिक्त जिनके प्रस्तुत की जाए। जहाँ ही पर्यावरण की खनन स्थिति की जानकारी अतिरिक्त जिनके प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व में अतिरिक्त है, तो वेत जहाँ में लिए गए उत्खनन की पर्यावरण जहाँ की जानकारी अतिरिक्त जिनके प्रयोग के लिए खनन की जाए।

8. माया सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार ग्रीड एअर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

9. सभी निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को कचरा में रेत को जमावट (Leach) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की अपेक्षित डेटा में उपयोगिता नाममात्र सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जान हेतु निर्देशित किया जाए।

सदामुताए सभी निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एगडेंडरसी, धर्मपुराड के ज्ञापन दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/08/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु की शकिकतुए तथाकथान, डीपनाइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जानकारी का आलोचना एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धी पाई गई-

1. ज्ञापन प्रस्ताव का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत जमावट के संबंध में ज्ञापन प्रस्तावक केरत के दिनांक 20/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सिन्हावित/सीमांकित - आर्वालय कलेक्टर, धर्मपुराड से ज्ञापन प्रमाण पत्र अनुसार पत्र कचरा सिन्हावित/सीमांकित कर पांति है।
3. उखानन क्षेत्र - गाईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जल संग्रालन, जिला-जलक के ज्ञापन क्रमांक 087/समि-4/2020 कोरत दिनांक 24/02/2020 द्वारा अनुपस्थित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित कचरा - आर्वालय कलेक्टर (धर्मपुराड), जिला-जलक-जल के ज्ञापन क्रमांक 2148/समि./रेड/2018-20, जलक, दिनांक 20/02/2020 के अनुसार अपेक्षित कचरा से 500 मीटर की सीमा अस्थित अन्य रेत कचरा की सीमा निर्दि है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संगणक - आर्वालय कलेक्टर (धर्मपुराड), जिला-जलक-जल के ज्ञापन क्रमांक 2148/समि./रेड/2018-20, जलक, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जल कचरा के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पार्क, मरुत, आरवालय, स्कूल, दुकान, कौ, एमकड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपुति कले अपेक्षित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.सी.आई. का निरक्षण - एल.सी.आई. कलेक्टर (धर्मपुराड), जिला-जलक-जल के ज्ञापन क्रमांक 2909/मीन धर्मपुराड/रेड/न.क. 2020 जलक, दिनांक 21/01/2020 द्वारा जारी की गई सिमती कथि 2 एवं हेतु है।
7. जल विनाय का अनापत्ति प्रमाण पत्र - आर्वालय कलमजलकिकारी, जलक-जलक जलक, जल के ज्ञापन क्रमांक एक.समि/10878 जलक, दिनांक 20/11/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अपेक्षित भूमि जल क्षेत्र की सीमा से 0.25 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **बिस्ट्रोस्ट रुई रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचयन विभाग द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन, नई दिल्ली की अविशुद्धता दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रकृत में बिस्ट्रोस्ट रुई रिपोर्ट (Bistrost Rupee Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. **महानदी सार्वजनिक की दूरी** - निम्नलिखित सार्वजनिक काम-देखी 0.5 कि.मी., सार्वजनिक स्कुल काम-देखी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल काम 12.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़क मार्ग 11.80 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.2 कि.मी. दूर है। स्थितिगत से सड़क की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एविएट स्थित नहीं है।
11. **पर्यावरणीय/जीववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र** - पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय प्रमुख नगरों की दूरी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय पॉन्टिक एरिया, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जीववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं है।
12. **समान स्तर पर नदी से घाट की चौड़ाई एवं सड़क की नदी से दूरी** - अधिनियम अनुसार समान स्तर पर नदी से घाट की चौड़ाई - अधिनियम 400 मीटर, न्यूनतम 240 मीटर तथा समान स्तर की सड़क - 300 मीटर, अधिनियम चौड़ाई - 118.47 मीटर दर्शाई गई है। सड़क की नदी से दूरी अधिनियम 70 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।
13. **सड़क स्तर पर सेत की चौड़ाई** - अधिनियम अनुसार सेत पर सेत की चौड़ाई - 2.1 मीटर से अधिक तथा सेत स्तर की प्रस्तावित चौड़ाई - 1.1 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित राष्ट्रीय प्लान अनुसार सड़क में माईनेबल सेत की चौड़ाई - 22.725 मीटर है। सेत अधिनियम सेत प्रस्तावित स्तर पर अधिनियम में उपलब्ध सेत स्तर की चौड़ाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्तर पर 4 मीटर (13.50 मीटर) तक की चौड़ाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्तर पर 4 मीटर (13.50 मीटर) तक की चौड़ाई जमाने की गई है। इसके अनुसार सेत की उपलब्ध चौड़ाई 2.1 मीटर है। सेत की आभाषित चौड़ाई सेत अधिनियम में प्रस्तुत किया गया है।
14. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**
- पूर्व में सड़क, काम संवर्धन देखी के नाम से या सड़क सार्वजनिक सड़क 758 संवर्धन 2.625 डेबोपर, कामा-20,000 मीटर चौड़ाई सेत परिल सार्वजनिक पर्यावरण संवर्धन निर्माण प्राधिकरण, जिना-जोडपूर-जोड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/10/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि सेत जारी की गयी थी।
  - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के कारण में सेत नई सड़क की चौड़ाई प्रस्तुत की गई है। सड़क अधिनियम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - अधिनियम अधिनियम (अधिनियम सार्वजनिक जिना-जोडपूर-जोड) के अधिनियम दिनांक 21/05/2020 प्राधिकरण दिनांक 22/05/2020 के अनुसार वर्ष 2018-17 में 800 मीटर, 2017-18 में 800 मीटर एवं 2018-19 में 800 मीटर अधिनियम किया गया है।
  - निर्धारित सार्वजनिक सड़क नहीं किया गया है।
15. **अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेत सार्वजनिक सेत स्तर** - सेत अधिनियम सेत प्रस्तावित स्तर एवं प्रस्तावित स्तर के अधिनियम तथा अधिनियम में 100 मीटर की दूरी तक, 25



रीडर गुण 28 मीटर के डिब्ब सिन्दुरी पर दिनांक 18/02/2020 को 68 लाख की दरमान लेवलिंग (Levelling) केबल चर्चे सम्बन्धित विचार से प्रभावीकरण उपरोक्त बायोडिग्रैबल बायो-जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **सीसीई पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आ.एन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से सम्बन्धित के समस्त विवरण से चर्चे उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28.53	2%	0.57	Following activities at Neerby Government Primary School Village-Deon	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Running Water Facility for Toilets.	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment.	0.05
<b>Total</b>			<b>1.26</b>	

16. वेत प्रत्येक मैन्युअल सिटि से एवं गैरार्थ का कार्य लोक द्वारा किया जाय प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक प्रत्येक की अनुमति मांगी है। अनुमोदित प्रत्येक बायो-जल से प्रत्येक सिटि जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक वेत पुनर्माण सुनिश्चित आवाहन कर्ता एवं प्रत्येक बायो-जल का समावेश नहीं किया गया है। इससे नदी बड़ी नदी है तथा इससे प्रत्येक में सम्मिलित 1.5 मीटर गहराई से अधिक वेत का पुनर्माण होने की सम्भावना है।

सम्बन्धित द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आवेदित खदान (हाल-देवी) का रस्ता 3.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संसाधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का समान बन होने के कारण यह खदान को-2 मीटर की गहरी करी।
2. **पुनर्माण कार्य** – प्रत्येक बायो-जल पर नदी वेत पर कुल 2,000 मग पीछे = 1,000 मग अर्जुन की पीछे तथा शेष 1,000 मग (सामान्य, कठोर, बांस, काल आदि) पीछे लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त पट्टन मार्ग पर 1,000 मग पीछे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेल वाहन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्षों में विस्तृत गलत अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि रेल के सुरक्षात्मक (Safety-enhancing) कामों की आवश्यकता का ज्ञान हो सके। नदी, नहर, स्थानीय समुदायों, जीव एवं मनुष्य क्षेत्रों पर प्रभाव तथा नदी के तटों की सुरक्षा पर रेल परियोजना के प्रभाव को नदी प्राधिकारी ज्ञान हो सके।

4. जीव क्षेत्र की सुरक्षा का बेसलाइन डेटा -

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के पूर्ण स्थल क्षेत्र के बाहर / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी तटों के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
- ii. रेल स्लान्डर के अग्रभाग मानचूरा के पूर्ण (सर्व) भाग के अंतिम मानचूरा / मुना में भारतीय जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अक्सट्रीम एवं अक्सट्रीम में 100 मीटर तक तथा स्लान्डर क्षेत्र की बाहर / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के स्तरों (Levels) का पूर्ण सर्वे निर्धारित विधि विनियमों में किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानचूरा में रेल परियोजना प्रारंभ करने के पूर्ण भाग अक्सट्रीम/ इन्टीरियर विनियमों पर रेल तटों के जीवाश्म (Levels) का सर्वे किया जाएगा।
- iv. रेल तटों के पूर्ण निर्धारित विधि विनियमों पर रेल तटों के जीवाश्म (Levels) के सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानचूरा के आगामी वित्तवर्ष 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानचूरा के आगामी वित्तवर्ष 2020, 2021, 2022 तक अतिरिक्त रूप से एल.ई.आई.ए.ए. परियोजना को प्रस्ताव दिए जाएंगे।

5. निर्माण द्वारा विचार विमर्श अथवा सर्वेक्षण से भी संबंधित पर्याप्त, देशी रोमा गार्डन, चरवाहा अथवा 750, घास-देवरी, तटरील-कलेदा, विरा-जायसीर-बाँस, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेल परियोजना अंतर्गत 1 मीटर की गहराई तक सीमित सभी हुए कुल 32,725 घनमीटर अंतर्गत रेल परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति की गई। रेल की सुरक्षा अधिकारी द्वारा (Manually) की जाएगी। रिल बेड (River Bed) में नदी तटों का प्रभाव परीक्षण होगा। जीव क्षेत्र में विधि का सुधार कार्य (Excavation pit) से अतिरिक्त कोई भी रेल परियोजना हेतु रेल द्वारा किया जाएगा।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को अथवा 09वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा सभी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श अथवा सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण से सुरक्षा की अनुमति की स्वीकार करते हुए भी संबंधित पर्याप्त, देशी रोमा गार्डन, चरवाहा अथवा 750, घास-देवरी, तटरील-कलेदा, विरा-जायसीर-बाँस, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेल परियोजना अंतर्गत 1 मीटर की गहराई तक सीमित सभी हुए कुल 32,725 घनमीटर अंतर्गत रेल परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने का निर्णय किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. वेदना सीपली सारणा नदी (एम-1 केराधार रोड बाईंए बाय-हेटककर, लहरील-बलीदा, जिला-जाजगीर-बाया), निवा दुर्गा बीड, हावलिग बीड सदर, रामपुर, जिला-रामपुर (लविबलन का नदी क्रमांक 1300)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोपोजल नंबर - एमआरईए /सीबी /एमआरईए / 144811/2020, दिनांक 21/02/2020। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में क्विरी होने से कारण दिनांक 28/02/2020 प्राप्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचोजना प्रस्तावक द्वारा तामिल जानकारी दिनांक 07/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित 50 सघान (पीप कनिज) है। यह सघान बाय-हेटककर, लहरील-बलीदा, जिला-जाजगीर-बाया जिला दुर्गा जिला बाय, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। सघान नहर नदी से किया जाता प्रस्तावित है। सघान की आवेदित लागत राशियाँ-1,00,000 पन्नीला अधिभार है।

बिन्दों का विवरण -

(अ) समिति की 222वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नदी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तलाक सारसम्पत्ती से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित सघान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. यह प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित कुल 50 प्रस्तावित सघान को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर घुमा 25 मीटर का रिज बनाकर वर्तमान में यह सघान के लेवल (Levee) लेवल रिज में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसकी अधिभार सघान लीज के सघान / नदी तट (पीपी बाय) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सघान के नदी (Levee) का भी चर्चा किया जाये। कुल लेवल (Levee) हेतु कम से कम 2 टेनारी पैर मार्ग (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेनारी पैर मार्ग (TBM) में आरएन, पी-ऑर्गैनिज (Co-organizer) लिये किया जाये। रिज पैर में टेनारी पैर मार्ग (TBM) की भी दर्शाकर, उन्हें अधिभार विभाग से प्रमाणीकरण समिति कोटेशन सारसम्पत्ती/परमाणु प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट से सघान की चौड़ाई की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसकी अनुसार सघान की कुछ क्षेत्र में अधिभार किया जाना संभव न हो तो उसकी संख्या कम, नती में दर्शाकर, इसका अधिभार सघान में अधिभार कम से कमता जाये। सघान के सघान क्षेत्र एवं अधिभार क्षेत्र को चर्चा का अधिभार विभाग से अधिभार सघान, जिला पंच द्वारा किया जाए।
4. प्रस्तावित सघान में मिचटकन कुल क्षेत्र, एकीकृत एवं जल आवृत्ति समिति की दूरी सारसम्पत्ती प्रस्तुत की जाए। कुल /एकीकृत की दूरी सघान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर एका जिला अधिभार है। यदि लीज क्षेत्र अधिभारनुसार दूरी के अंतर किया हो, तो अधिभार सघान पर सघान हेतु अधिभार क्षेत्र को अधिभारनुसार नदी पर अधिभार कर, समिति की 50 मीटर सघान मार्गित सघान में इस सघान अधिभार किया जाये।

6. वेतन वारंटेशन हेतु प्रस्तावित खाता पर वारंटेशन में उपलब्ध रकम की गैरवापसी जाचने के लिए प्रति डिविजन में कम से कम एक सदस्य (मि.) को नियुक्त करवायी जास्तदिक सदस्यो का भागन कर, खनिज विभाग को प्रस्तावित खलनकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की जास्तदिक सदस्यो हेतु वचननाम भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आदेशित भाग पर खलन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण अध्यायन निरीक्षण अधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), जलसिमागत अथवा विभागत सरतीय पर्यावरण सन्ध्यागत निरीक्षण अधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.), जलसिमागत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती पूर्व अधिविधित शर्तों के खलन में की गई कार्यावली की जास्तदिक कोटेशननाम सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की कुसासेवा की अखलन स्थिति की जास्तदिक कोटेशननाम सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व में अधिविधित है, तो विभाग वहीं से किए गए जास्तदिक की जास्तदिक भाग की जास्तदिकी खनिज विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और खलनसु परिवर्तन सन्ध्यागत, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/06/2018 के अनुसार कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. खनिज निरीक्षक एवं परिसीखना प्रस्तावक को खदान में वेत के लेखनाम (Lease) लेने वाली सरिया (Surveyor) से सलम खानामी खात की अधिविधित वेतक में उपरीखा सलम सुसंगत जास्तदिकी / दस्तखीब (खदान कोटेशननाम) सहित प्रस्तुतीकरण दिने खले हेतु निर्दिधित किया जाए।

सदामुखर खनिज निरीक्षक एवं परिसीखना प्रस्तावक को एच.ई.आई.ए.ए., जलसिमागत के खलन दिनांक 23/08/2020 द्वारा परस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

(4) खनिज की 223वीं वेतक दिनांक 27/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की सलम खले, अधिविधित प्रतिनिधि अधिविधित हुए। खनिजो द्वारा सलम, प्रस्तुत जास्तदिकी का अधिविधित एवं खलन करने पर विभन स्थिति पूर्व गई—

1. खान पर्यावरण का अधिविधित प्रस्ताव पर - वेत वारंटेशन की खलन में खान पर्यावरण कोसलनाम का दिनांक 08/03/2020 का अधिविधित प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाधिकृत/सीखानिक - कासलनाम कोसलनाम, खनिज सलम में खलन प्रस्ताव पर अनुसार यह खदान विनाधिकृत/सीखानिक का अधिविधित है।
3. खलन खलन - सासुनिध खलन प्रस्तुत किया गया है, जो खलन सीखानिक (खनिज प्रस्ताव), विनाम-कोसलनाम के खलन अधिविधित 08/03/2020 अधिविधित, दिनांक 17/02/2020 द्वारा अधिविधित है।
4. 500 मीटर की परिसि में स्थित खदान - कासलनाम कोसलनाम (खनिज सलम), विनाम-कोसलनाम-खलन के खलन अधिविधित 08/03/2020 अधिविधित, दिनांक 14/02/2020 के अनुसार अधिविधित खदान की 500 मीटर के सीखान अधिविधित अन्य वेत खदानों की सीखान दिनांक है।
5. 200 मीटर की परिसि में स्थित सासुनिधिक खलन/सुरसलनाम - कासलनाम कोसलनाम (खनिज सलम), विनाम-कोसलनाम-खलन के खलन अधिविधित 08/03/2020 अधिविधित, दिनांक 14/02/2020 द्वारा खली प्रस्ताव पर

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

अनुसार खस खदान में 200 फीट की दूरी में गरिद, मरुह, अण्डाण, लुण्ण, गुन, बर, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं खस अण्डुनि कवि प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.डी.आई का विवरण - एल.डी.आई कार्यालय अलेक्टर (दक्षिण प्रांत), विना-भाजपुर बांध के अग्रिम अंक 2007/वीन/एनिए/वीडी/ए.ए./2020 आदेश दिनांक 21/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अंतिम 8 मरु है।
7. खस विभाग का अनापति प्रमाण पत्र - कार्यालय कर्मचारी/विभागीय-पत्र कर्मचारी, खस के अग्रिम अंक 2007/10277 बांध, दिनांक 20/11/2019 को जारी अनापति प्रमाण पत्र अनुसार अतिरिक्त घुमि खस क्षेत्र की सीमा में 2.48 कि.मी. की दूरी पर है।
8. सिस्टीम सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अतिरिक्त दिनांक 25/07/2016 द्वारा जारी प्रमाण में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की धरि जलपत्र की गई है।
9. महापूर्य संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित खस-संरचनाएं 1.53 कि.मी. लुण्ण अंतिम 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खस क्षेत्र का अंतिम 1 कि.मी. की दूरी तक गुन/एनीकट किया नहीं है।
10. परिमित/जीवित/संरचनाओं की दूरी - परिमित/जीवित/संरचनाओं द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राज्यीय-राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग, अण्डाण, राष्ट्रीय राजमार्ग, निम्नलिखित खस द्वारा अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट सिस्टीम एनिए, अतिरिक्त/जीवित/संरचनाओं की दूरी पर अतिरिक्त/जीवित/संरचनाओं की दूरी नहीं अंतिम/प्रतिक्रिया किया है।
11. खस खस पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट से दूरी - अंतिम अनुसार खस खस पर नदी के घाट की चौड़ाई - अतिरिक्त 1500 मीटर, लुण्ण 1000 मीटर तथा खस खस की चौड़ाई - 815 मीटर, अतिरिक्त चौड़ाई - 118 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी घाट से दूरी अतिरिक्त 280 मीटर, लुण्ण 208 मीटर है।
12. खदान खस पर रेत की चौड़ाई - अंतिम अनुसार खस पर रेत की चौड़ाई - 8 मीटर तथा रेत खस की अंतिम चौड़ाई - 4 मीटर चौड़ाई गई है। अतिरिक्त चौड़ाई पर अंतिम अनुसार खदान में अंतिम रेत की मात्रा - 1,00,000 घनमीटर है। रेत अंतिम रेत अंतिम खस पर अंतिम में अंतिम रेत खस की चौड़ाई अंतिम के लिए, अंतिम खस पर 3 मीटर अंतिम, अंतिम खस की अंतिम चौड़ाई एवं अंतिम कर, अंतिम अंतिम से अंतिम अंतिम पर अंतिम की गई है। अंतिम अनुसार रेत की अंतिम अंतिम चौड़ाई 4.15 मीटर है। रेत की अंतिम चौड़ाई अंतिम अंतिम की अंतिम किया गया है।
13. दूर में जारी पर्यावरणीय अंतिम अंतिम अंतिम - खस खदान की दूर में पर्यावरणीय अंतिम जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत खस के अंतिम - रेत अंतिम अंतिम अंतिम खस एवं अंतिम खस के अंतिम खस अंतिम में 100 मीटर की दूरी तक, 40 मीटर गुन 40 मीटर के लिए अंतिम का दिनांक 28/02/2020 को रेत खस

क. पर्यावरण प्रभाव (Lands) सेवाएं, उन्हें खनिज विभाग से प्रभावीकरण पर्यावरण प्रभाव (Lands) सेवाएं/संयोजित प्रस्तुत किया गया है।

15. सीमित ब्यापकता पर्यावरण (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के सी.एन. दिनांक 01/08/2016 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विस्तार से चर्चा करवाते दिनांक अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37.5	2%	0.75	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Karakachhar	
			Rain Water Harvesting System	1.50
			Potable Drinking water Facility	
			Running water facility for Toilets	
Plantation				
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

समिति द्वारा पर्यावरण प्रभावों को निर्दिष्ट किए गए हैं। अलग विभाग से पर्यावरण सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत खाने के नियंत्रण विधि से पूर्व भराई का कार्य सीजन द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. पर्यावरण प्रभावों को 4 मीटर की गहराई तक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अनुसूचित पर्यावरण क्षेत्रों में खाने के लिए जाने वाले क्षेत्र की अधिक रेत पुनर्स्थापन से संबंधित कार्य एक सप्ताह में पूरे करने का समर्थन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए नदी के तटों के साथ इतने पर्यावरण में समन्वय 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्स्थापन होने की आवश्यकता है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पर्यावरण सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. आर्कडित खदान (घास-कटाव) का रुकना 5 मिनट है। खदान की सीमा से 100 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संयोजित खदानों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के अलावा यह खदान की-2 मीटर की गहरी गहरी।
2. नुकसानपूर्व कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1500 नग बीघे - 150 नग अर्जुन के बीघे तथा 200 नग (जामुन, करंज, बंस, जाम अदि) बीघे लगाए जाएंगे। इनके अतिरिक्त धतूरा वगैरे पर 250 नग बीघे लगाए जाएंगे।
3. पर्यावरण प्रभावों का खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विस्तृत रूप में अध्ययन (Investigation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्स्थापन (Rehabilitation) कार्य सही

आंकड़े, सेत व्यवस्था का नदी, नदीतट, स्थायी अवस्था, लीज एवं कुल लीज पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की सुव्यवस्था पर सेत व्यवस्था के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

**4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन कार्य -**

- i. परिधीयता प्रस्तावक द्वारा व्यवस्था के पूर्व स्थल लीज के बहाव / नदी तट (दोनों ओर) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के सतह (Levels) का भी सही किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी तटों के सतह (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के जालबंद (Grid) में किया जाएगा।
- ii. सेत व्यवस्था के उपरान्त मानसून के पूर्व (सर्वे कार्य के अंतिम अन्वय / पूर्ण) में निर्धारित लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अन्वय एवं अन्वय में 100 मीटर तक तथा स्थल लीज के बहाव / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के सतह (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिशा विन्दुओं पर किया जायेगा।
- iii. इसी प्रकार लीज-मानसून में सेत व्यवस्था प्रारंभ करने की पूर्व भूत (अन्वय) इसी दिशा विन्दुओं पर सेत कार्य के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. सेत कार्य के पूर्व निर्धारित दिशा विन्दुओं पर सेत कार्य के लेवल्स (Levels) का मापन का सर्वे आधारी 3 वर्ष तक निरन्तर किया जाएगा। लीज-मानसून के आंकड़े विसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं लीज-मानसून के आंकड़े जनवरी 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए. उपविभाग को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसूची से बीमारी बाधना कार्य, एन-1 केंद्राधार संपद मार्ग, सारना कनाक बांध, धाम-टीलाबाजार, सहरीत-बलीदा, जिला-बांजगीर-बांध, कुल लीज क्षेत्रफल 8 हेक्टर क्षेत्र में सेत व्यवस्था अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाएे, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत व्यवस्था हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। सेत की खुरादें भूमिके द्वारा (Mechanically) की जाएगी। सिल बेड (River Bed) में भारी पत्थरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में निचले सेत खुदाई कार्य (Excavation jobs) में लोडिंग आईट तक सेत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा हीली द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकल्पन द्वारा बेडक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकल्पन की दिनांक 10/08/2020 को संयुक्त कमी बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा नदी का अन्वयकल्पन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्पन द्वारा कार्यसूची से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए बीमारी बाधना कार्य, एन-1 केंद्राधार संपद मार्ग, सारना कनाक बांध, धाम-टीलाबाजार, सहरीत-बलीदा, जिला-बांजगीर-बांध, कुल लीज क्षेत्रफल 8 हेक्टर क्षेत्र में सेत व्यवस्था अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाएे, कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत व्यवस्था हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय किया गया।

परिधीयता प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाएे।

8. मैसूर की सुनील कुमार बच्चा (डी-2 नंजलसुरी रोड नई, ग्राम-नाजलसुरी, तहसील-अमरा, जिला-जांजगीर-बाघ, तहसील-अमरा, जिला-जांजगीर-बाघ (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1287)

जी-एमडीए संवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एमआरडी / सीडी / एमआरडीए / एमआरडी / एमआर, दिनांक 17/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नैल खदान (मोल खनिज) है। यह खदान ग्राम-नाजलसुरी, तहसील-अमरा, जिला-जांजगीर-बाघ जिला अंतर्गत क्रमांक 01, कुल क्षेत्र क्षेत्र 8 हेक्टर में प्रस्तावित है। पर्यावरण मामलों से संबंधित प्रस्तावित है। खदान की आवधिक उत्पादन क्षमता-1,01,290 मैनट्रीटर प्रतिवर्ष है।

शैक्षणिक का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी एवं प्रस्तुत जानकारी का भीक्षण तथा विचार परामर्श सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. उक्त प्रस्ताव द्वारा जारी अनाधिकार प्रस्ताव पत्र (अनधिकारी बैठक संहिता) को स्वतः/ परस्पर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी को घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. यह पर्यावरण हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अवसूत्रण तथा अवसूत्रण में यह नदी की दूरी कम 25 मीटर तथा 25 मीटर का विश्व बंधन, अंतर्गत में इन स्थल के लेआउट (Layout) लेआउट ग्राहक में अवस्थित कर प्रस्तुत किया जाये। इनके अधिस्थित खनन क्षेत्र की बाधा / नदी तट (खोली क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट को बचाये (Lease) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेआउट (Layout) हेतु कम से कम 2 टैंगली बैच मार्क (Concrete TBM structure) निर्वाहित किये जाए। टैंगली बैच मार्क (TBM) में आरएन को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) संचित किये जाये। जिस से 1 टैंगली बैच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्ही खनिज विभाग से प्रमाणीकरण प्राप्त होना आवश्यक मंजूर जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या कटे के बाद की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (10) भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसमें अनुसंधान खदान के कुछ क्षेत्र में खनन किया जाना स्थल न हो तो प्रस्तावी प्रस्ताव कर नहीं पर दर्शाकर इसमें नतीजा माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से करवाया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं अधिस्थित क्षेत्र को भी पर खनिज विभाग से भीक्षण करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुनः बंध, एनीकट एवं जल अनुसूची स्थल की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुनः / एनीकट की दूरी खदान की अवसूत्रण में न्यूनतम 500 मीटर तथा अवसूत्रण में न्यूनतम 250 मीटर बसा जाना आवश्यक है। यदि नदी क्षेत्र उपरीकानानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो उपरोक्त प्रस्ताव पर खनन हेतु अधिस्थित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नहीं पर विनियत कर करवाकर सीके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाधा उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सौभाग में उपलब्ध रेत की सीटवाई जानने के लिए, यदि ईस्टवार्ड में कम से कम एक पदक (पिच) सीटवार्ड प्रभावी प्रास्ताविक पदसाई का मापन कर, समित्व विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाय। रेत की प्रास्ताविक पदसाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में इन्टीरिड स्थल पर संपन्न हेतु राज्य सरकार पर्यावरण प्रभावों का निवारण प्रतिकल्प (एनईआईएए), इन्टीरिड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावों का निवारण प्रतिकल्प (जेईआईएए), इन्टीरिड द्वारा पर्यावरणीय सीटवार्ड की नई सीटवार्ड की पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीटवार्ड की प्रति एक इन्टीरिड जारी के पालन में की नई सीटवार्ड की जानकारी प्रोटीक्शन समित्व प्रस्तुत की जाय। साथ ही प्रोटीक्शन की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रोटीक्शन समित्व प्रस्तुत की जाय।
8. यदि संचालन पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किन्तु नए उत्खनन की प्रास्ताविक माता की जानकारी समित्व विभाग से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत की जाय।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन संचालन, नई दिल्ली के सी.एन. विभाग 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
10. समित्व निर्देशक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को संचालन में रेत की सीटवार्ड (Levels) होने वाले संचालन (Surveys) के साथ आगामी पद की प्रास्ताविक सीटवार्ड में उपलब्ध संपन्न सुसंगत जानकारी / प्रास्ताविक (अद्यतन प्रास्ताविक) समित्व प्रस्तुतकरना दिष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाय।

संचालन एवं पर्यावरण प्रस्तावक को एनईआईए, इन्टीरिड के द्वारा दिनांक 20/05/2020 द्वारा प्रस्तुतकरना हेतु सूचित किया गया।

(र) समित्व की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020

प्रस्तुतकरना हेतु की सूचित सुचारु संचालन, अतिरिक्त समित्व समित्व हेतु। समित्व द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का संचालन एवं पर्यावरण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. संचालन प्रस्ताव का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन की सीटवार्ड में संचालन प्रस्ताव दिनांक 15/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्दाकिता/सीटवार्ड — कार्यलय संचालन, समित्व संचालन से साथ प्रमाण पत्र अनुसार पद संचालन किन्दाकिता/सीटवार्ड कर पोषित है।
3. उत्खनन सीटवार्ड — संचालन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो नए संचालन (संचालन प्रमाण पत्र), जिला-अर्थिक के द्वारा अनापत्ति 20/05/2020 को जारी, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालन — कार्यलय संचालन (संचालन प्रमाण पत्र), जिला-संचालन-संचालन के द्वारा अनापत्ति 20/05/2020-20 जिला-संचालन, दिनांक 07/03/2020 के अनुसार प्रास्ताविक संचालन से 500 मीटर के सीटवार्ड अतिरिक्त अन्य रेत संचालनों की सीटवार्ड निर्दिष्ट है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित संचालन/संचालन — कार्यलय संचालन (संचालन प्रमाण पत्र), जिला-संचालन-संचालन के द्वारा अनापत्ति 20/05/2020-20 जिला-संचालन, दिनांक 07/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र



के मासिक लेनदार Levels लेवट, उन्हें जमिन विभाग से प्राथमिकता प्रस्ताव कोटाहाला सड़क जलकमी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

16. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (C.E.R.) – बाबा साहेब शशीराम, एन और जलवायु परिवर्तन संशोधन, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 03/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विवरण के साथे अपना विनियुक्त निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
91.93	2%	1.23	Following activities at nearby Government Middle School Village- Manjarkhurda	
			Rain Water Harvesting System	0.82
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.00
<b>Total</b>			<b>1.27</b>	

16. इस प्रस्ताव में उल्लेख किये गये सभी कार्य जल्द ही पूरा किये जाने का प्रस्तावित है।

17. परिवहन/संचालन द्वारा 228 मीटर की गहराई तक जल-मूल की अनुपेक्षा मानी है। अनुपेक्षित संचालन योजना में प्रस्तावित किए जाने वाले क्षेत्र की अधिकांश क्षेत्र पूर्वोक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्य एवं प्रस्तावित योजनाओं का सम्बन्ध नहीं किया गया है। प्रस्तावित नहीं किया है तथा इसी पर्यावरण में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक क्षेत्र का पूर्वोक्त क्षेत्रों की समाप्ति है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यप्रणाली से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. उपरोक्त अध्याय (गाम-बांजकपुर) का क्षेत्र 5 हेक्टेयर है। अध्याय की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्थित/संबन्धित अध्यायों का क्षेत्र क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह अध्याय सी-2 क्षेत्रों की मानी नहीं।
2. वृक्षादीय कार्य – प्राथमिकता के अध्याय का क्षेत्र 500 मीटर तक कुल 1,800 मीटर क्षेत्र - 500 मीटर अध्याय के क्षेत्र तथा क्षेत्र 500 मीटर (अध्याय, अध्याय, अध्याय, अध्याय, अध्याय) क्षेत्रों का कार्य प्रदर्शित। इसमें अतिरिक्त कार्य क्षेत्र 500 मीटर क्षेत्रों का कार्य प्रदर्शित।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह्य अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, जहाँ रेत को पुनर्भरण (Replenishment) कराया नहीं जायेगा, रेत उत्खनन का नहीं, बरतिल, स्थानीय जनशक्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की भूबनाव पर रेत उत्खनन के प्रभाव की गती अनुसंधान कराया जा सके।

4. जीव क्षेत्र की सहायक कार्यवाही काटा -

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्ण खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय की सारी (Levelling) का कार्य कराया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सहाय की सारी (Levelling) का कार्य 25 फुट 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
- ii. रेत खनन के उपरोक्त मापदूर के पूर्ण (सर्ई माह के अंतिम सप्ताह / जुलै) में प्राथमिक जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के आसपास एवं आसपास में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय की सारी (Levelling) का कार्य पूर्ण निर्धारित दिनांक किन्तुओं पर किया जायेगा।
- iii. इसी प्रकार पीछे-मानदूर में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्ण बाद (अक्टूबर) इसी दिनांक किन्तुओं पर रेत सहाय की सहाय (Levelling) का मापन किया जाएगा।
- iv. रेत सहाय की पूर्ण निर्धारित दिनांक किन्तुओं पर रेत सहाय की सहाय (Levelling) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पीछे-मानदूर के अंतिम दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानदूर के अंतिम दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अंतिमार्थ रूप से कराई जाईए, अंततः अंततः को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार किन्तु अन्ततः सर्वसम्मति से की सुनील कुमार शर्मा, पी-2 भाजपासुर संसद साईन, जयपुर जनांक 01, राम-भाजपासुर, तटवील-जयपुर, जिला-बाजपुर-बांग, कुल जीव क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 टनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति भी गई। रेत को सुदाई समिति द्वारा (Machinery) को जाएगा। शिल बस (Shilva Bus) में सारी सारी का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। जीव क्षेत्र में मिथल रेत सुदाई मशीन (Excavator) द्वारा में अंतिम मशीन तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को सम्पन्न 14वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नदी का अध्ययन किया गया। विचार किन्तु उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की सुझावों को अंतिम करने हेतु की सुनील कुमार शर्मा, पी-2 भाजपासुर संसद साईन, जयपुर जनांक 01, राम-भाजपासुर, तटवील-जयपुर, जिला-बाजपुर-बांग, कुल जीव क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 टनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. वेस्टर्न वी सुनील कुमार शर्मा (बी-1) सुरघट्टी रोड भाईपुर, राम-सुरघट्टी, तहसील-अमरा, जिला-बाजपुर-बांग, तहसील-अमरा, जिला- बाजपुर-बांग (सचिवालय का नक्शे क्रमांक 1268)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एमआईए /सीपी /एमआईए / 144488/2020, दिनांक 17/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल कटान (लीन कनिज) है। यह कटान राम-सुरघट्टी, तहसील-अमरा, जिला-बाजपुर-बांग जिला सरकार क्रमांक 147, ब्लूट लीन डीज 3 इस्टेशन में प्रस्तावित है। उल्लेखित गहानदी से किया जाय प्रस्तावित है। कटान की कार्यविधि अनुमान लागत-1,01,250 फ्लॉरीडर इतिवर्ष है।

देखी का विवरण -

(अ) समिति की उद्घटी बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्पत्ति के निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित सन्त क्षेत्र की नदी एवं बीटाई तथा नदी के काट की बीटाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल कटान के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर का विड बनाकर, बांधन में रेल साइट से लेवल (Level) लेवन विड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त सन्त क्षेत्र के बाट / नदी का (पीनो क्षेत्र) में 50 मीटर तक के क्षेत्र में नदी काट के बांध (Level) का भी नदी किया जाये। प्रस्तावित लेवल हेतु कम से कम 3 टैगरी रेल गार्ड (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टैगरी रेल गार्ड (TBM) में बाट/काट, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अतिरिक्त किया जाये। विड क्षेत्र में टैगरी रेल गार्ड (TBM) को भी दर्शाकर, सभी अतिरिक्त विवरण से प्रस्तावित सन्त क्षेत्र कोर्टेशनल सचिवालय/उपशासन प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीका से कटान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के बाट की बीटाई कर 10 परिसरा (तो भी अधिक हो) लगी जानी है। यदि इसकी अनुमान कटान के कुछ क्षेत्र में कटानन किया जाना संभव न हो तो रासकी गणना कर, गवत का दर्शाकर, इसका परलेख नईनिम स्थल में अतिरिक्त रूप से कटान लगी। कटान के सन्त क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को भीके पर अतिरिक्त विवरण से सीमांकन दर्शाकर, प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एन्डवैट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी पक्का जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एन्डवैट की दूरी कटान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक बना आवश्यक है। यदि लीन डीज उपलेखानुसार दूरी में अंतर स्थल को, तो उपलेखन अन्वय पर कटान हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को उपलेखनानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, संसाधन भीके पर सीमांकन तथा नईनिम स्थल में इस बांध परलेख किया जाए।
5. रेल कटानन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेल की बीटाई जलन के लिए, प्रति किस्टोर में कम से कम एक गहारा (पुन) कोटकर, तहसील वास्तविक नदीका का सन्त कर, अतिरिक्त विवरण से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक सहाई हेतु परलेखन की प्रस्तुत किया जाये।

- 6. यदि पूर्व में आवेदित काल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण विभाग अधिनियम (एन.ई.आई.ए.ए.) अधिनियम 1986 द्वारा जारी पर्यावरण संरक्षण विभाग प्राधिकरण (सी.ई.आई.ए.ए.) अधिनियम द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की प्रति एवं आवेदित कार्य के खनन में की गई कार्रवाही को जानकारी प्रयोगकर्ता सहित प्रस्तुत की जाए। अन्य ही स्थानों पर भी अद्यतन स्थिति की जानकारी प्रयोगकर्ता सहित प्रस्तुत की जाए।
- 7. यदि खदान खुले हो संरक्षित है, तो विमात खड़ी में किए गए खनन की पर्याप्त मात्रा की जानकारी सहित विमात से प्रयोगकर्ता को कर प्रस्तुत की जाए।
- 8. भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग अधिनियम संशोधन बिल दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- 9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेक्षक (Surveyor) से सख्त जागगी रखनी आवेदित क्षेत्र में जारीया गया सुरक्षा जानकारी / सुरक्षापत्र (अथवा कोटिंगपत्र) सहित प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए. अधिनियम के खनन दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

(ब) सविधि की 523वीं बैठक दिनांक 27/08/2020

प्रस्तुत करने हेतु की सुरक्षा सुरक्षा वगैरह अधिसूचित प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी को अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

- 1. धान संरक्षण का अनुरोध प्रमाण पत्र - रेत खनन की संख्या में धान संरक्षण सुरक्षा का दिनांक 25/08/2018 का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2. विभागीय/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, सविधि शाखा से धान प्रमाण पत्र अनुसार यह प्रमाण विभागीय/सीमांकित कर योग्य है।
- 3. खनन योजना - सार्वजनिक धान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संरक्षण (खनि पत्र), विमात-सोला का प्रमाण क्रमांक 500/खनि-8/2020 क्रमांक दिनांक 09/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
- 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) विमात-जवाहर-काका के प्रमाण क्रमांक 3491/खनि./रेत/2018-20 जवाहर, दिनांक 07/08/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अतिरिक्त अन्य रेत खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
- 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा) विमात-जवाहर-काका के प्रमाण क्रमांक 3488/खनि./रेत/2018-20 जवाहर, दिनांक 07/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में सड़क, मरवाट, जलवाहन, पक्का पुल, बांध, एन.ई.आई.ए.ए. अधिनियम के अंतर्गत आवेदित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।

6. एलबीआई का विवरण - एलबीआई, कार्पोरल कलेक्टर (अग्निज साधक), जिला-बाँसगिरा बाँस के इलाक़ा क्रमांक 2882/बीए अग्निज/सिलानी/एक./2020 बाँसगिरा, दिनांक 26/01/2020 द्वारा जारी की गई, विषयकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्पोरल कलेक्टर/अग्निज/बाँसगिरा-बाँस कलेक्टर/बाँस के इलाक़ा क्रमांक एक/बी/10888 बाँस, दिनांक 20/11/2019 को जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार अधिदेश पूर्ण वन क्षेत्र की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महापूरण संरक्षणपत्रों की दूरी - निकटतम आबादी क्षेत्र-सुल्तानपुरी 0.21 कि.मी., राजकीय स्कूल सुल्तानपुरी 0.88 कि.मी एवं अस्पताल कला 4.4 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी एवं राजमार्ग 245 कि.मी की दूरी पर है। स्टीकृत वन अंचल की 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनिकट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता स्वीकृतरीक क्षेत्र - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में आबादी/बीए सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, स्कूलों, प्रमुख निर्माण कार्य द्वारा घेरित विभिन्न जीववैज्ञानिक एरिया पारिस्थितिकीय स्वीकृतरीक क्षेत्र या घेरित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा अधिदेश विभाजित है।
11. खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - अधिदेश अनुसार खदान स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिलेखन 400 मीटर, न्यूनतम 220 मीटर तथा खदान स्थल की चौड़ाई - 380 मीटर, अधिलेखन चौड़ाई - 131.88 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से अधिदेशी किनारे से दूरी अधिलेखन 60 मीटर, न्यूनतम 32 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - अधिदेश अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 4.43 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 2.28 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 1,51,250 टन/मीटर है। रेत उपखनन हेतु अनाधिकृत खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खदान की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित खदान पर 2 मीटर (2m) सीमांकन इसकी वार्षिक माइनिंग का प्रमाण कर, अग्निज विभाग से प्रस्तावित खान/बाँस प्रस्तुत की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्धता अधिलेखन मोटाई 4.43 मीटर है। रेत की वार्षिक माइनिंग हेतु पत्राचार भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी कार्पोरलीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
  1. पूर्व में अग्निज बाँस कलेक्टर सुल्तानपुरी के नाम से रेत खदान खाना क्रमांक 147, क्षेत्रफल 10 हेक्टर, अंश-1,00,000 टन/मीटर अधिलेखन हेतु राज्य सरकार अधिदेश लगाया निर्देश अधिदेश, कार्पोरलीय द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 08/10/2015 को द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन में जो नई कार्यवाही की जायजगी प्रस्तुत की गई है। यदि अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
14. कार्यालय कार्यालय (स्थानिक कार्यालय), जिला-जोधपुर-राज के अद्यतन अर्थोप 218/वा.वि./प.क./2020 जोड़णी, दिनांक 22/05/2020 के अनुसार वर्ष 2015-16 में 20,000 घनमीटर एवं 2016-17 में 21,300 घनमीटर अद्यतन किया गया है।
15. निर्धारित कार्यवाही पूर्णतया नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत संचयन की योजना - रेत अद्यतन रेत प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान की उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर रुम्हा 25 मीटर के गिरा बिन्दु पर दिनांक 14/02/2020 को रेत संचयन के पर्याप्त योजना (Levelling, लेवल, एवं स्थानिक रिपोर्ट में प्रस्तावित खानों को संतुष्टि सहित जायजगी/पदाधिकार प्रस्तुत किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एन दिनांक 01/05/2014 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) रित्तु रिपोर्ट के तहत विस्तार से जारी अद्यतन रिपोर्टनुसार विस्तृत अद्यतन प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.13	2%	1.29	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Marghaddara (Khurghatta)	
			Rain Water Harvesting System	1.12
			Plantation with fencing	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
Total			1.33	

16. रेत अद्यतन रेत संचयन रिपोर्ट में एवं साराई का जारी नोटिस द्वारा अद्यतन जायज प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की साराई एक अद्यतन की अनुमति नहीं है। अनुमति अद्यतन क्षेत्र में अद्यतन विद्यमान होने वाले क्षेत्र की वारिष्ठ रेत अद्यतन सभी अद्यतन कार्य एवं साराई अद्यतन का, अद्यतन



गर्ही किया गया है। महानदी घड़ी नदी है जहां इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेल का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. उपरोक्त खदान (घाम-सुराघाटी) का संचय 5 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में उपरोक्त/संबन्धित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर पर या उससे कम होने की आशंका का अंदाज है—2 हेक्टे की गनी गयी।
2. सूक्ष्मोद्यम कार्ड — प्राथमिकता की आधार पर नदी तट पर कुल 3,000 नग पीछे — 1,500 नग ऊर्ध्व की पीछे तथा शेष 1,500 नग (खतुन, कर्जल, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पट्टन मार्ग पर 700 नग पीछे लगाए जाएंगे।
3. परिशोधना प्रस्तावक रेल खदान क्षेत्र में आसानी 1.5 वर्ष में विलुप्त पाद अल्पान (Inhabited Areas) करायेगा, ताकि रेल के पुनर्स्थापन (Replenishment) काल में कोई बाधा न हो। रेल अल्पान का नदी, नदीतट, स्थानीय जनजाति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की सुसमाह का रेल अल्पान की प्रभाव की सभी सम्बन्धी बातें ही सके।
4. सीमा क्षेत्र की सतह का बेसलाइन कट —
  - i. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा अल्पान की पूर्व खनन सीमा के साथ / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 नुमा 25 मीटर की अंतराल (Gaug) में किया जाएगा।
  - ii. रेल खनन के उपरोक्त खनन की पूर्व (पूर्व सतह की अतिरिक्त सतह/खनन) में सर्वेक्षण सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र की अल्पान एवं अल्पानस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन सीमा के साथ / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर किया जायेगा।
  - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेल अल्पान द्वारा काल के पूर्व सतह (अल्पान) इन्हीं स्थित बिन्दुओं पर रेल सतह के स्तर (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iv. रेल सतह के पूर्व निर्धारित स्थित बिन्दुओं पर रेल सतह के स्तर (Levels) का मापन का कार्य आसानी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतर्गत विसंक्र 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानसून के अंतर्गत अल्पान 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से कराई जाई जाए, प्रतीक्षा का प्रस्ताव किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भी सुनील कुमर शर्मा, पी-1 सुराघाटी सीमा सर्वे, अल्पान अंतर्गत 147, घाम-सुराघाटी, तहसील-अल्पान जिला-जाबलपुर-बांस, कुल सीमा क्षेत्रफल 5 हेक्टर क्षेत्र में, रेल अल्पान अल्पान 1.5 मीटर की गहराई तक खोदना स्वयं हुए, कुल 25,000 पानीत अल्पान रेल अल्पान हेतु पर्याप्तस्वीम स्वीकृति, जारी विनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु धिये जाने की अनुमति की गई। रेल की सुराई अल्पान द्वारा (Ministry) की जाएगी। विवर के अल्पान सेवा में भारी गादों का प्रवेश अल्पान में होगा। सीमा क्षेत्र में स्थित रेल सुराई गद्दे (Excavation pits) में अल्पान भाईट तक रेल का परिवहन हेक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 18/05/2020 को वापस लंबी बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा वाली का अनावरण किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वोत्तमता से संबंधित जो अनुशासनात्मक सुविधाएं करती होंगी की सुचीत सुधार लंबा, पी-1, कुल्हाड़ी रोड भाई, बंगला क्रमांक 147, ग्राम-कुल्हाड़ी, तहसील-बनारस, जिला-अमराठी, विस्था-जंजली-बांध, कुल लंबा संभवतः 2 इन्स्टेशन रोड में, 100 वर्गमीटर अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं हों, कुल 75,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष के उपकरण हेतु पर्याप्तता की सुविधा, जारी दिनांक से 12 वर्ष तक की अवधि हेतु दिवे जाने का निर्णय लिया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्याप्तता की सुविधा जारी किया जाए।

2. मेसर्स की सुचीत सुधार सर्वोत्तमता (ग्राम-1, कुल्हाड़ी रोड भाई, ग्राम-कुल्हाड़ी, तहसील-बनारस, जिला-अमराठी, विस्था-जंजली-बांध, कुल लंबा संभवतः 2 इन्स्टेशन रोड में, 100 वर्गमीटर अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं हों, कुल 75,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष के उपकरण हेतु पर्याप्तता की सुविधा, जारी दिनांक से 12 वर्ष तक की अवधि हेतु दिवे जाने का निर्णय लिया गया।

सुचीत सुधार प्रकल्प - प्रकल्प नम्बर - कुल्हाड़ी / सीजी / एमआइएम / 148218 / 2020, दिनांक 28 / 02 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित केत सड़क (पीएम अर्जित) है। यह सड़क ग्राम-कुल्हाड़ी, तहसील-बनारस, जिला-अमराठी विस्था-जंजली-बांध कुल लंबा संभवतः 400, कुल लंबा संभवतः 4.5 इन्स्टेशन में प्रस्तावित है। उपकरण गहराई से किया जाना प्रस्तावित है। सड़क की अवधि उपकरण संख्या-88,200 वर्गमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा प्रकल्प की वाली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरोक्त सर्वोत्तमता से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित सड़क रोड की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पास की लंबाई की उपकरण प्रस्तुत की जाए।
2. केत उपकरण हेतु प्रस्तावित सड़क एवं प्रस्तावित सड़क के अवधि तथा उपकरण में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर का सिंक बनाकर, सड़क में केत सड़क के उपकरण (Leakage) सेकुर सिंक केत में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त सड़क सीप के बाहर / नदी तट (सीप बाहर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी बांध की बांध (Leakage) को भी सर्वोत्तमता किया जाये। उपरोक्त उपकरण (Leakage) हेतु काम से कम 2 टेम्पलेरी बैच मार्क (Concrete-TIM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेरी बैच मार्क (TBM) में बांध, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। सिंक केत में टेम्पलेरी बैच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें समिति विभाग से उपकरण उपकरण कोर्टीकरण सहित जानकारी/उपकरण प्रस्तुत किया जाये।
3. सड़क से सड़क की सीप की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पास की लंबाई का 10 प्रतिशत (दो से अधिक से) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार सड़क के सड़क क्षेत्र में उपकरण किया जाना संभव न हो तो उपरोक्त सड़क केत पर बांध, उपकरण उपकरण सुविधा प्लान में अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत जाये। सड़क के सड़क क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र को भी केत सड़क विभाग से उपकरण उपकरण, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

4. प्रस्तावित स्वतः नियंत्रण पुल, बस, एपीकॉट एवं जल आपूर्ति स्लैब की दूरी बायपास जगजगदी प्रस्तुत की जाए। पुल / एपीकॉट की दूरी स्वयं के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा कलकट्टीम में न्यूनतम 250 मीटर एवं स्वयं बायपास है। यदि तीव्र ढील उपरीकानालुयल दूरी के अवर विधात हो, तो जगजगदी अलाव पर स्वयं हेतु प्रतिबंधित ढील की आवाकजलानुयल मंजरी पर विनिधात जगजगदी बायपास पर सीमांकन तथा गट्टेयिग मंजरी में इस बायपास उपलब्ध किया जाए।
5. वेत जलकनन हेतु प्रस्तावित स्वतः पर बायपास में उपलब्ध वेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (अथ) खोदका जगदी वास्तविक गड्ढाई का नमून कर, अधिगत विभाग से प्रस्तावित जगजगदी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गड्ढाई हेतु परमनाम की प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि पूर्व में अधिगत स्वतः पर स्वयं हेतु बायपास बायपास बायपास विनिधात प्रतिकल्प (एमई.आई.ए.ए.) जगदीबाध जगदी विधात बायपास पर्यावरण सन्ध्याय विनिधात प्रतिकल्प (एमई.आई.ए.ए.) अधिगत स्वतः पर्यावरणीय सीधुति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीधुति की प्रति एवं अधिगतित बायपास के धालन में की गई कार्यवाही की जगजगदी पर्यावरण सन्धुति प्रस्तुत की जाए। बायपास की पर्यावरण की अधालन विधि की जगजगदी पर्यावरण सन्धुति प्रस्तुत की जाए।
7. यदि स्वयं पूर्व की संघालित है, तो विगत वर्ष में किए गए स्वयं की वास्तविक गड्ढा की जगजगदी अधिगत विभाग से अधिगत कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. बायपास सन्धुत, पर्यावरण, वन और जलवायु अधिगत सन्धुत, नई दिल्ली में को.एन. दिनांक 01/05/2018 को अनुयल की गई जगजगदी (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. अधिगत निरीक्षण एवं पर्यावरण प्रस्तावक को स्वयं में वेत की सन्धुत (Levels) लेने मात्र सन्धुत (Shelved) के साथ जगदी बायपास की अधिगत वेत में सन्धुत सन्धुत सन्धुत जगजगदी / अधिगत (अधालन अधिगत) अधिगत प्रस्तुतितक विधि जानने हेतु निरीक्षण किया जाए।

जगजगदी अधिगत निरीक्षण एवं पर्यावरण प्रस्तावक को एमई.ए.ए. अधिगत के अधालन दिनांक 21/05/2020 द्वारा अनुयलकलन हेतु सुधुत किया गया।

**(8) समिति की 323डी बायपास दिनांक 27/05/2020**

अनुयलकलन हेतु की पराम नवे, अधिगत अधिगत अधिगत हुए। समिति द्वारा जगदी, जगजगदी जगजगदी का अधालन एवं पर्यावरण करने पर विधि विधि गई गई—

1. बायपास बायपास का अधालन प्रस्ताव नवे — वेत अधालन की सन्धुत में बायपास अधिगत (अधिगत) का दिनांक 28/05/2018 का अधालन अधालन नवे प्रस्तुत किया गया है।
2. किन्हासिल/सीमांकन — अधिगत अधिगत अधिगत बायपास में बायपास अधालन पर अनुयलन पर अधालन किन्हासिल/सीमांकन कर अधिगत है।
3. अधिगत अधिगत — अधिगत अधालन प्रस्तुत किया गया है, जो अधिगत अधिगत (अधिगत बायपास), दिनांक 28/05/2018 का अधालन अधालन 1/23/अधिगत/अधिगत, 29/05/2018-20 बायपास दिनांक 27/05/2020 द्वारा अनुयलकलन है।

L  
Lab

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्गोलर ब्लेकडर (खनिज साधन), जिला-धनबाई के प्रमाण क्रमांक 305 धनबाई, दिनांक 19/02/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य को खदानों की संख्या गिना है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्गोलर ब्लेकडर (खनिज साधन), जिला-धनबाई के प्रमाण क्रमांक 304 धनबाई, दिनांक 19/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में आई की सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एम.एच.डी. राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रभावित क्षेत्र गिना नहीं है।
6. एम.ओ.आई. का विवरण - एम.ओ.आई. कार्गोलर ब्लेकडर (खनिज साधन), जिला-धनबाई के प्रमाण क्रमांक 123/खनिज/निविदा/2020 धनबाई, दिनांक 28/01/2020 द्वारा जारी की गई, विभागीय अपरि 6 पत्र हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29/07/2018 द्वारा जारी प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय धन-संग्रहण 0.6 कि.मी., प्राथमिक स्कूल एवं मातृशाला जलताल धन-संग्रहण 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी दूर है। स्थित या खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एम.ओ.आई. स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में जैववैविध्यता सीमा, राष्ट्रीय खदान, जलताल, कन्दील प्रमुख निर्माण कार्य द्वारा प्रभावित डिस्ट्रीक्ट, केंद्रीय एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जैववैविध्यता क्षेत्र गिना नहीं गया प्रभावित किया है।
10. खान खान पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खान खान पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1070 मीटर, न्यूनतम 895 मीटर तथा खान खान की लंबाई - 285 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 190 मीटर दर्शाई गई है। खान की नदी तट से जलवायु विभागे से दूरी अधिकतम 220 मीटर एवं पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 145 मीटर है।
11. खान खान पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खान पर रेत की मोटाई - 5 मीटर तथा रेत खान की अवस्थित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई नहीं है। अनुमोदित राष्ट्रीय मान अनुसार खदान में सर्वोच्च रेत की मात्रा - 88,200 टन/मिटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साठ की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित खान पर 5 गड्ढे (Pit) खोकर पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित मोटाई का प्रमाण पत्र, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध सीमा की मोटाई 5 मीटर है। रेत की आवधिक मोटाई हेतु परमाणु की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण संबंधी विवरण-
  1. पूर्व में सर्वेक्षण, धान संरचना पर (ओ.आई.सी.) के नाम से रेत खदान पर्यावरणीय प्रमाण क्रमांक 410, क्षेत्रफल 6 हेक्टर, प्रमाण-30,000 टन/मिटर प्रमाण हेतु खान पर पर्यावरण संरचना निर्देशन प्रविष्टि, प्रविष्टि

द्वारा पर्यावरणीय सौकरिता दिनांक 28/11/2018 के द्वारा जारी दिनांक में 2 लक्ष रुपय की आवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरिता को जारी के चलन में की गई कार्रवाई की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह आवधान लिमिटेड प्रस्ता नहीं की गई।
- iii. कार्यालय कार्यालय (अग्निज संरक्षण) विला-धारावी के उपरान्त बजट 2018/अग्निज/वि/2020 संख्या, दिनांक 18/08/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 13.842 करोड़ों एवं 2019-20 में 22.788 करोड़ों आवधान किया गया है।
- iv. निर्धारित कार्यालय आवधान नहीं किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स – रेत परखन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित सतह के खोई सतह में 100 मीटर की घूरी सतह, 25 मीटर गुण 25 मीटर के छिद्र विन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकन, वनई अग्निज विभाग से प्रस्तावित खनन प्रस्तावित सतह सतह जानकारी/वर्तमान प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – कलकत्ता सरकार, पर्यावरण एवं जल सतह पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एच. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सतह विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
41.3	2%	82.6	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kareli chhali	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.18
			Running water facility for Toilets	0.17
			Plantation with seeding	0.25
<b>Total</b>			<b>1.00</b>	

समिति द्वारा परीक्षण प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि कलकत्ता निर्माण के कार्यालय सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाय।

15. रेत परखन हेतु सतह विनि से एवं सतह का कार्य लेकन द्वारा सतह का प्रस्तावित है।

10. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्मापन सकीरे अवधि का भी एवं तालाबकी चोकियों का समायोजन नहीं किया गया है। मध्यमकी बड़ी नदी के तहत इनमें सर्वाधान में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई में अधिक रेत का पुनर्मापन होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. उपरोक्त खदान (शाम-करोलीकोटी) का क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा के 500 मीटर की परंपरे में संकेतित/संज्ञकित खदानों का कुल क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर का उसके कम होने के कारण यह खदान की-2 क्षेत्रों की गयी गयी।
2. वृक्षादीयक कार्य - प्राथमिकता के अन्तर्गत 14 नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे - 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा 1,250 नग (जामुन, कज्जल, बरग, आम आदि) पौधे लगाए जाएंगे। इससे अधिकतम प्रत्येक वर्ष पर 500 नग पौधे लगाए जाएंगे।
3. परिचोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत स्तर उत्खनन (Detailed Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्मापन (Replenishment) काका सही आंकड़े प्राप्त उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के धनी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. सीज क्षेत्र की सतह पर बेसल्टाईन झंटा -
  - i. रेत उत्खन की उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व सतह के अधिक सतह/धनु) में गार्डनिंग सीज क्षेत्र तथा सीज क्षेत्र के आसटीम एवं उपनसटीम में 100 मीटर तक तथा सतह सीज के बाहर / नदी तट (पौधे क्षेत्र) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की स्तरों (Levels) का सवे पूर्व निर्धारित चिह्न चिन्तुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन करने करने के पूर्व सतह (अवसून) इसी चिह्न चिन्तुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन किया जायेगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न चिन्तुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं की-मानसून के आंकड़े जनवरी 2020, 2021, 2022 तक अधिकतम रूप से एस्टीमेटेड/कालीकाल की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्पत्ति से भी सुगौल कुमर सार्वजनिक, साम-1 करोलीकोटी क्षेत्र गढ़ी, सतह क्षेत्र 408, शाम-करोलीकोटी, तदुपरी-मणसलीव, बिल-कमली, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित करने हुए, कुल 12,500 पौधोंके प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु सर्वाधिकार प्रवीणता जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की गहराई अधिक द्वारा (Manually) की जाएगी। सित रेत (Silted Rets) में मापी गइनी तदा प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सीज क्षेत्र में स्थित रेत गहराई सतह (Elevation) पर) में अधिकतम फाईट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर द्वारा द्वारा किया जाएगा।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रधिकरण की दिनांक 10/08/2020 की सभ्यन 32वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मन्त्री का कार्यालय जिम्मा लिया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमोदा को परीक्षण लक्ष्य दूरी की सुनिश्च सुचारु कार्यविधि, वाक-5 फर्नेसीकरी रोड भाईन्, जिला जम्माक 809, ग्राम-करेडीबडी, तहसील-मगरसोड, जिला-धमारी, कुल लीज क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर क्षेत्र में 900 वर्गमीटर अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित लक्ष्य दूरी कुल 33.800 वर्गमीटर परीक्षण 900 वर्गमीटर क्षेत्र पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 12 वर्ष तक की जाती है। जिसे जारी कर निर्णय लिया गया।

परिपोषण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मन्त्री की सीनक विंग राजपुरा (फर्नेसीकरी रोड भाईन्, ग्राम-करेडीबडी, तहसील-मगरसोड, जिला-धमारी) सेक्टर-5, सिविक सेंटर, मिलाई, जिला-दुर्ग (सविवालय का नम्बरी जम्माक 1220)

सीनकाईन आवेदन - प्रस्तावक नम्बर - एमकाईए / सीपी / एमकाईएन / 140/28/2020, दिनांक 02/03/2020।

प्रस्तावक का विवरण - यह प्रस्तावित जल संचयन (सीनक स्वीकृति) है। यह संचयन ग्राम-करेडीबडी, तहसील-मगरसोड, जिला-धमारी जिला जम्माक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.38 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रस्तावक मन्त्री से किताब जाता प्रस्तावित है। संचयन की आवेदित वर्तमान जम्माक-84,800 वर्गमीटर परीक्षण है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रस्तावक को मन्त्री एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा वर्तमान सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित संचयन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई एक मीटर के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. जल संचयन क्षेत्र प्रस्तावित स्थल पर प्रस्तावित स्थल के आसपास जहाँ आसपास में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का विंग संचयन, वर्तमान में जल संचयन की जेडिंग Level जेडिंग विंग में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त संचयन क्षेत्र के बाहर / नदी घाट (सीनक क्षेत्र) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी संचयन की स्टाई (Level) का भी सीनक किया जाये। जम्माक जेडिंग (Level) क्षेत्र जम्माक से कम 2 टेम्परी क्षेत्र मार्क (Contourline विंग Contourline) निर्धारित किया जाये। टेम्परी क्षेत्र मार्क (TBM) में संचयन, को-ऑर्डिनेटर (Co-ordinate) अंकित किया जाये। विंग क्षेत्र में टेम्परी क्षेत्र मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, जहाँ स्थिति विंग में प्रस्तावित जम्माक कोर्टीफिकेट सचिव जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीघाट से संचयन की सीनक की दूरी अनुमान 50 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) जारी जानी है। यदि इसके अनुसार संचयन क्षेत्र क्षेत्र में संचयन किताब जम्माक क्षेत्र न हो तो जम्माक संचयन कर, नम्बरी पर दर्शाकर, इसका प्रस्ताव सुनिश्चित संचयन में अतिरिक्त जम्माक की जानकारी जाये। संचयन क्षेत्र संचयन क्षेत्र पर प्रस्तावित क्षेत्र को सीनक पर स्थिति विंग में सीनकन करवाकर, जम्माक प्रस्ताव किताब जाये।

4. प्रस्तावित स्वतः से निकटतम पुल, बस, एलिवेट एवं जल आपूर्ति लाईन की दूरी बायां जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एलिवेट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा ड्रमगट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जलना आवागमन है। यदि नीचे बीच उपरोक्तानुसार दूरी के अंतर लिया हो, तो अपस्ट्रीम खदान पर लागू हेतु प्रतिनिधि बीच को आवश्यकतानुसार सबसे जरूरी विहित कर, एसओ नो.के पर वीर्यविल तथा सड़कियां प्लान में इस बाबत चर्चा किया जाए।
5. रेल उपखनन हेतु प्रस्तावित स्वतः पर खाना में उपलब्ध रेल की मीटरों जमाने के लिए प्रति क्वार्टर में कम से कम एक पट्टा (प्लॉट) खोदकर उसकी आवागमन बाहरी का समय कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की वास्तविक गहराई हेतु नभलाग की प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में प्रादेशिक स्वतः पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यटन समाधान विभागात् प्राधिकरण (एम.डी.आई.ए.ए.) कर्तव्यगत अथवा विद्या सारणी पर्यटन समाधान विभागात् प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) कर्तव्यगत द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिचित कर्तव्य के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावना की अख्यान स्थिति की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उपखनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बना कर प्रस्तुत की जाए।
8. राज्य सरकार, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय परिवारिण संसलप, नई दिल्ली के आ.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसल सौ.ई.अ.ए. (Corporate Environment Responsibility) (ए.ए. प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल के लेवल (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyer) के साथ जानकारी प्राप्त की जागीकित बेराज में उपस्ट्रीम समल नुसंगत जानकारी / प्रस्तावित (अख्यान प्रोटोकॉल) सहित अनुसूचीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. कर्तव्यगत के आएम दिनांक 23/08/2020 द्वारा अनुसूचीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 223वीं बैठक दिनांक 27/08/2020:

अनुसूचीकरण हेतु की अनगदीप लिट. अतिरिक्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा गरीबी, प्रस्तुत जानकारी का सवजांकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. खान प्रस्ताव का अपवाति प्रमाण पत्र - रेल उपखनन की सखे में खान प्रस्तावक स्वीकृति का दिनांक 28/03/2012 का अपवाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - उपरोक्त कन्सेप्ट खनिज सखे से खान प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्यासित/सीमांकित नन खनिज है।
3. उपखनन योजना - सड़कियां प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अतिरिक्त (खनिज 30000) विन्यास-खंड, वाकिर के आएम कर्तव्यगत 1112/खनिज/एस.ई.ए. अ.नु./रेल/2018-20 कन्सेप्ट, दिनांक 27/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।



4. 500 मीटर की परिधि में निम्न खदान - कार्यलय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 285 धमारी, दिनांक 28/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य गैर खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थानएं - कार्यलय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 287 धमारी, दिनांक 28/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नगरपाल, स्थूल पुत्र, सोम एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि अधिविध संघ निर्मित नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई, कार्यलय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-धमारी के द्वारा क्रमांक 142/अग्नि/विधि/2018 धमारी, दिनांक 20/01/2020 एना जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, मन और जलसंधु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रणय में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जमा प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संस्थाओं की दूरी - निम्नलिखित आवेदी राम-अग्नीशक्ती 08 कि.मी, स्थूल राम-अग्नीशक्ती 026 कि.मी, एवं अस्पताल कुकट 12 कि.मी, की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी, एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी, दूर है। स्थीकृत गैर खदान के 1 कि.मी, की दूरी तक पुन/एनीकट स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितीकीय/जैवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रभावक द्वारा 10 कि.मी, की परिधि में अंतर्गत-देशीय वीणा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित सिटीकरण पीरियुटल एरिया, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिरण क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतीकृत किया है।
10. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की गहराई तक की दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - अधिकतम 900 मीटर, न्यूनतम 570 मीटर, एवं खनन स्थल की लंबाई - 260 मीटर, चौड़ाई चौड़ाई - 178.21 मीटर दर्शाई गई है। खदान की गहराई के दूरी सिन्धरे से दूरी अधिकतम 128 मीटर, न्यूनतम 87 मीटर है।
11. खदान स्थल पर गैर की चौड़ाई - आवेदन अनुसार स्थल पर गैर की गहराई - 4.1 मीटर तथा गैर खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान से माइनिंग गैर की चौड़ाई - 84.830 घनमीटर है। यह खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध गैर खदान की चौड़ाई खनन के लिए पर्याप्त स्थल पर 2 मीटर (2m) अधिकतम नगरीय कालनिक गहराई का खनन धन अग्निज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार गैर की उपलब्ध चौड़ाई चौड़ाई 4.3 मीटर है। गैर की कालनिक गहराई हेतु संरचना की प्रस्तुत किया गया है।
12. दूर में जारी पारिस्थितीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

L दूर में प्रस्ताव, राम नगरपाल अग्नीशक्ती के नम स गैर खदान स्थल क्रमांक 01, क्षेत्रफल 6 हेक्टर, क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य गैर पर्यावरण संरक्षण विभाग प्राधिकरण, अग्नीशक्ती द्वारा

पर्यावरणीय सौकरिता विभाग 08/04/2018 को द्वारा जारी दिनांक को 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सौकरिता के कार्य के प्रारंभ में की गई पर्यावरणी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ अवकल रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. सर्वोच्च कलेक्टर (खनिज मामले, विद्या-संपत्ती के द्वारा अगस्त 1997/संविन/अख.मंज./2020 संमती, दिनांक 20/08/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 18.638 करोड़, 2017-18 एवं 2018-19 में निरंक प्रमाण किया गया है।
  - iv. निर्धारित कार्यनुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित स्थल के पास सतह में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर के विंड सिमुली पर दिनांक 12/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेवल, जारी खनिज विभाग में प्रमाणीकरण उपरोक्त भीषीकरण खनिज जानकारी/प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय सौकरिता (C.E.R.) - नारा सचकार, पर्यावरण, वन और जलसतु परिसरों में प्रमाण, नई दिल्ली के अधिन, दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारित की सतह विभाग में जारी उपरोक्त निर्माण विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75.85	2%	1.58	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Kareli Badi	
			Rain Water Harvesting System	1.10
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Running water facility for Toilets	0.10
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
Total			1.58	

15. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में पूर्व जारी की गई सतह द्वारा कन्या खाना प्रस्तावित है।

98. परिचालन प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उखलान की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उखलान योजना में उखलान किए जाने वाले क्षेत्र की परिधि से अनुमत्त सीमाई उखलान कार्य एवं जनसंघी आक्रांती का समावेश नहीं किया गया है। गहाराई खड़ी नदी से एक इंचोमे जर्कोकाल में साधारणतः 1.5 मीटर गहराई में अधिक से का पुनर्स्थाप होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. आदेशित खण्ड (ग्राम-कैलीपडी) का खण्ड 4.99 हेक्टेयर है। खण्ड की सीमा में 500 मीटर की परिधि में स्थित/संरक्षित खण्डों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उसी काम होने के कारण यह खण्ड भी-2 क्षेत्रों की गयी।
2. कुलक्षेत्रण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर मशीन पर कुल 3,000 म<sup>3</sup> क्षेत्र - 1,500 म<sup>3</sup> क्षेत्रों के पीछे तथा शेष 1,500 म<sup>3</sup> (अनुत्पन्न कचरा, बाल, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पथ क्षेत्र पर 500 म<sup>3</sup> क्षेत्रों लगाए जायेंगे।
3. परिचालन प्रस्तावक से खण्ड क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गार्ड अभ्यास (Detailed Study) करावना, ताकि सेा की पुनर्स्थापना (Replenishment) बाबाई गली आकर, सेा उखलान पर नदी नदीगत स्थानीय जनसंघी, जीव एवं वृक्ष जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्स्थापना पर सेा उखलान के प्रभाव की गती जानकारों द्वारा हो सके।
4. सीमा क्षेत्र की सतह का बेसलाईन खण्ड -
  - i. सेा खण्ड के अंतर्गत मानसून की पूर्व (पूर्व) पक्ष के अतिरिक्त सतह/क्षेत्र में निर्धारित सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एवं आसन्नक्षेत्र में 500 मीटर तक तथा खण्ड सीमा क्षेत्र / नदी तट (सीमा क्षेत्र) से 300 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित किए सिन्धुओं पर किया जायेगा।
  - ii. इसी प्रकार सतह-मानसून में सेा उखलान कार्य करने के पूर्व गार्ड अंतर्गत इसी सिद्ध सिन्धुओं पर सेा सतह के स्तर (Levels) का मापन किया जायेगा।
  - iii. सेा सतह के पूर्व निर्धारित सिद्ध सिन्धुओं पर सेा सतह के स्तर (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायेगा। सतह-मानसून के आक्रांती विस्तार 2020, 2021, 2022 एवं सी-मानसून के आक्रांती अंतर्गत 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एमई-आईएए, कर्तव्यकार्य की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यसमिति से की क्षेत्र सिद्ध उपर्युक्त, कर्तव्यकार्य सतह गार्डिंग, खण्ड अंतर्गत 01 ग्राम-कैलीपडी, गहरी-मगराज, सिद्ध-खण्ड, कुल सीमा क्षेत्रफल 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में सेा उखलान अतिरिक्त 1.5 मीटर की गहराई तक सीमा क्षेत्र एवं कुल 75,000 वर्गमीटर परिधि सेा उखलान सेा पर्याप्तता की सुनिश्चिता, गार्ड विस्तार से 02 वर्ष तक की अवधि सेा दिए जाने की अनुमति की गई। सेा की सुनिश्चिता (Manually) की जायेगी। सिद्ध बेस (River Bed) में गती गहरी का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सीमा क्षेत्र में सिद्ध सेा सुनिश्चिता (Excavation pit) से निर्धारित गार्डिंग तक सेा का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में दिखाने - उपरोक्त प्रकल्प पर प्राधिकरण को दिनांक 18/08/2020 को अपना 322वीं बैठक में दिखाने किया गया। प्राधिकरण द्वारा नतीजा जहाँ प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित जगहों पर प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से सन्धि की अनुमति को स्वीकार करने हुए भी बैठक सिद्ध राजपुर, कनेक्टिविटी रोड माईन्, बाराक बसरोड पर, घास-कनेक्टिविटी तलसील-मागलाड, जिला-बनारसी, कुल लीन क्षेत्रफल 4.25 हेक्टर क्षेत्र में, क्षेत्रफल अधिकतम 1.8 बीटर को माईन्ड तक सीमित रखने हुए कुल 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष की उत्पादन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 12 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय लिया गया।

जीसीएमयू प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स श्री असीम सुखर (श्रीमा रोड माईन्, घास-सीमा, तलसील-मागलाड, जिला-बनारसी) सीक्टर-04, गाई नं. 43, मिलाई, जिला-बुन (सर्विहालय का नक्का क्रमांक 1221)

जीनलाईन आवेदन - प्रो.एल.एम - एनआईए / सीसी / एनआईए / 148773/2020, दिनांक 08/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नया खदान (लीन खनिज) है। यह खदान घास-सीमा तलसील-मागलाड, जिला-बनारसी सिद्ध बसरोड बसरोड 04, कुल लीन क्षेत्र 4 हेक्टर में प्रस्तावित है। परमलन बहावों से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन-क्षमता - 25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) सन्धि की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020।

सन्धि द्वारा प्रकल्प की नतीजा एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपलब्ध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र को लंबाई एवं चौड़ाई रख-गयी के घट की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. यह उत्पादन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर तथा 25 मीटर का सिद्ध बन्दार, जमीन में गैर सतह का लेवल (Levels) सिद्ध सिद्ध रूप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त जमीन सील के बाहर / नदी तट (रीफ्ट बैंक) में 100 मीटर तक की सील में गरी बाहर के बायी (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल (Levels) हेतु कम से कम 3 टेन्सरी वेब मार्क (Durable TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेन्सरी वेब मार्क (TBM) में ऑर.एल. को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाये। सिद्ध रूप में टेन्सरी वेब मार्क (TBM) को गैर टर्नोवर, उन्हें सन्धि दिनांक से प्रभावीतक उत्पादित कोटीबास सन्धि जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।
3. सर्वेसाइट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घट की लंबाई का 10 अतिरिक्त (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इनकी अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में उत्पादन किया जाना संभव न हो तो इनकी संख्या कम, नदी पर दर्शाकर, इनका अन्तिम माईनिंग स्थान में अतिरिक्त रूप में अंकित जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिवर्षित क्षेत्र को सीके पर सन्धि दिनांक से निर्धारित करवाकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।

*Lead*

4. प्रस्तावित जगह से निकलता प्रवाह, बाध, एनीकट एवं जल धारणी बंधों की पूरी जांचा जांचकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की पूरी खदान की अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा जलदा बाधबाधक हैं। यदि बीच में डाउनस्ट्रीम प्रवाह की पूर्ण जांच हो तो डाउनस्ट्रीम जांचों पर ध्यान देते हुए अधिस्थित क्षेत्र को डाउनस्ट्रीम प्रवाह वाली पर विहित कर, प्रवाह गौरी पर सीमांकन तथा सड़कियाँ प्लान में इस बाधक प्रत्येक किया जाए।
5. जल प्रवाहान हेतु प्रस्तावित स्थान पर खानान के उपरान्त जल की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गहरा (नद) खोदकर उसकी प्राकृतिक गहराई का माप कर, जलिन विभाग से प्रमाणित जांचकारी प्रस्तुत की जाए। जल की प्राकृतिक गहराई हेतु परिभाषा की प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवंटित जगह पर खाना हेतु खाना का पर्याप्त सामान्य विवेक प्रतिकल्प (एनईआईएए), प्रतीकगत जगह विहा सारी पर्याप्त समयावधि निर्धारण प्रतिकल्प (टीईआईएए), प्रतीकगत द्वारा पर्याप्तता सीमा की गई हो तो पूर्व में जारी पर्याप्तता सीमा की प्रति एवं अधिस्थित सभी के प्लान में ही गई कार्यालय की जांचकारी परीक्षण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रकाशना की अद्यतन स्थिति की जानकारी जोड़ना सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से बाधित है, तो विहा वर्षों में किए गए खदान की प्राकृतिक मात्रा की जांचकारी स्थिति विभाग से प्रमाणित कर का प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के सीएन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. जल निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक की खदान में जल की लेवल (Level) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) से प्राप्त जाचारी गह की आवंटित क्षेत्र में उपरान्त समस्त सुझाव जांचकारी / अभावक (अद्यतन परीक्षण) सहित प्रस्तुतियाँ दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उपरोक्त सभी निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एनईआईएसी, प्रतीकगत के द्वारा दिनांक 25/08/2020 को प्रस्तुतियाँ हेतु सुनिश्चित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/08/2020

प्रस्तुतियाँ हेतु की जातीक सुझाव, प्रोपर्टीट कर प्रमाणित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जांचकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि पाई गई—

1. जल पर्याप्तता का अद्यतन प्रमाण पत्र — जल प्रवाहान की संबंध में जल पर्याप्तता सीमा का दिनांक 01/04/2017 का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विहा/सीमांकन — जांचकारी एनईआईएसी, जलिन विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विहा/सीमांकन कर प्रमाणित है।
3. अद्यतन सीमा — सड़कियाँ प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो जल अधिस्थित (खनिज सखी), जिता-3, कांकेर की द्वारा अंशक 1118/खनिज/सखी, 300/पट/2018-20 कांकेर, दिनांक 27/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परीक्षण में विहा खदान — जांचकारी एनईआईएसी (जल प्रवाह), जिता-3, कांकेर के द्वारा अंशक 398 पत्थरी, दिनांक 25/08/2020 के अनुसार

अधिकतम खदान से 500 मीटर की सीमा अवधिगत अन्य से खदानों की संख्या निरक है।

3. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - वनपरिवार कार्यालय (समिति समिति), जिला-समाज के द्वारा प्रमाणित 138 घनफुट, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं, स्कुल, पुस्तकालय, एन.एल.ए., राष्ट्रीय राजधानी, राजधानी एवं अन्य आधुनिक आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
4. एन.ओ.आई. का विवरण - एन.ओ.आई. वनपरिवार कार्यालय (समिति समिति), जिला-समाज के द्वारा प्रमाणित 138/समिति/निविदा/2018 दिनांक 20/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
5. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, सर्वेक्षण, गण और नगरपाली विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। दिनांक 25/01/2018 द्वारा विहित प्रकथन में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रमाण की गई है।
6. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निकटतम समाज का-समाज 0.77 कि.मी., स्कुल का-समाज 1.25 कि.मी., एन.ओ.आई. का-समाज 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजधानी 3.7 कि.मी. एवं राजधानी 14.5 कि.मी. दूर है। सड़क का खदान से 3 कि.मी. की दूरी एक पुल/एन.एल.ए. स्थित नहीं है।
7. पारिस्थितिक/जैववैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र - परिवारगत प्रमाणित द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अवधिगत क्षेत्र, राष्ट्रीय खदान, वनपरिवार, जैववैज्ञानिक प्रकथन निर्माण बोर्ड द्वारा प्रमाणित निर्माण क्षेत्र/एन.एल.ए. क्षेत्र, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र या प्रमाणित जैववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र प्रतिबंधित किया है।
8. खान खदान पर नदी की घाट की सीमाएं एवं खदान की नदी घाट से दूरी - खदान अनुसार खान खदान पर नदी की घाट की सीमाएं - अधिकतम 1200 मीटर, न्यूनतम 1000 मीटर तथा खान खदान की सीमाएं - 270 मीटर, अधिकतम सीमाएं - 135.14 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट से दूरी अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 475 मीटर है।
9. खदान खान पर रेत की सीमाएं - अधिकतम अनुसार खान पर रेत की सीमाएं - 4.15 मीटर तथा रेत खान की अवधिगत सीमाएं - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित निर्माण खान अनुसार खदान में निर्माण रेत की मात्रा - 85,000 घनमीटर है। रेत खदान से प्रमाणित खान पर निर्माण में उपयोग रेत खान की सीमाएं खान के लिए, प्रमाणित खान पर 5 मीटर (5m) सीमाएं खान की अवधिगत सीमाएं का माध्यम है, जिसके द्वारा से प्रमाणित खान/खान/खान की गई है। इसके अनुसार रेत की अवधिगत सीमाएं 4.15 मीटर है। रेत की अवधिगत सीमाएं हेतु प्रमाणित की प्रमाणित किया गया है।
10. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
  1. पूर्व में खान, खान खदान रेत की मात्रा से रेत खदान खान प्रमाणित 01, सीमाएं 5 इंच, प्रमाणित-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाज निर्माण प्रमाणित, जिला-समाज द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/03/2018 में द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही को संतुष्टी प्रस्तुत की गई है। यदि अद्यतन निर्देश प्रस्तुत नहीं की गई।
- iii. पर्यावरण कलेक्टर (अग्नि शाखा), डिजा-संगठनों के ज्ञान वार्ताक 784/ अग्नि/अद्यतन/2020- अग्नी, दिनांक 26/08/2020 को अनुसूचक एवं 2018-19 में 1,000 पर्यावरण संरक्षण किया गया है।
- iv. निर्धारित कार्यनुसार पूराकरण नहीं किया गया है।

13. स्वयं सेवक में सेवक के लेवलस - सेवक प्रदान हेतु प्रस्तावित स्वयं सेवक प्रदान के शर्तों के तहत में 200 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर युवा 25 मीटर के किंड बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को सेवक के पर्यवेक्षण लेवल (Level) लेवल, उन्हें अग्नि विभाग से प्रमाणीकरण प्रस्ताव प्रोटोकॉल स्वीकृत जानकारी/अद्यतन प्रस्तुत निर्देश गरी है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वातावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिन, दिनांक 01/05/2018 को अनुसूचक सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के कार्य विवरण से शर्तों पर्यावरण विभाग/अग्नि विभाग प्रदान प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.05	2%	1.00	Following activities at Nearby Government Middle School Village- Saunga	
			Rain Water Harvesting System	1.11
			Plantation with fencing	0.10
			<b>Total</b>	<b>1.21</b>

15. सेवक प्रदान में सुदृढ निर्देशों से एवं शर्तों का कार्य लेवल द्वारा करवा जाना प्रस्तावित है।

16. पर्यावरणीय प्रदाताक द्वारा 2 मीटर की शर्तों तक प्रदाताक की अनुमति नहीं है। अनुमतिगत प्रदाताक योजना में प्रदाताक किए जाने वाले क्षेत्र को अग्नि-सेवक प्रदाताक शर्तों प्रदाताक शर्तों एवं शर्तों शर्तों का प्रदाताक नहीं किया गया है। प्रदाताक नहीं नहीं से शर्तों प्रदाताक में शर्तों शर्तों 1.2 मीटर शर्तों से अग्नि सेवक का प्रदाताक होने की शर्तों शर्तों है।

समिति द्वारा विचार निर्देशों शर्तों शर्तों से निर्दानुसार निर्देश दिया गया-

1. कॉर्पोरेट स्वयं सेवक (अग्नि-सेवक) का प्रदाताक 5 हेक्टर है। स्वयं सेवक में 500 मीटर की शर्तों से सी.ई.आर/संघातित स्वयं सेवक का कुल प्रदाताक 5 हेक्टर का प्रदाताक कम होने के कारण प्रदाताक की-2 शर्तों की नहीं गयी।





11. मेसर्स श्री सर्वोदय गुप्ता (असदा सेन्ट राईस, राम-हसादा, तहसील-मण्डलीक, जिला-धनसरी), टिफरापादा, कांकीर, जिला-जगत बल्लभ कांकीर (अभिधायक का नवी क्रमांक 1223)

डीमण्डाईन आवेटन - प्रोजेक्ट नम्बर - एकसाईट / सी-बी /एमसाईट / 14878/2020, दिनांक 05/03/2020।

इसका का विवरण - यह प्रस्तावित रैव सादान (रीव कनिज) है। यह सादान पादा-हसादा, तहसील-मण्डलीक, जिला-धनसरी जिला भाई (अभिधायक क्रमांक 1154, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर) में प्रस्तावित है। जखानन परी नदी से किया ज्ञाना प्रस्तावित है। सादान की आवेदित जखानन क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

देखनी का विवरण -

(अ) समिति की 222वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा जखानन की नवी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से सादान की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रैव जखानन रैव प्रस्तावित खानन एवं प्रस्तावित खानन के अन्तर्गत तथा अन्तर्गत में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर गूना 25 मीटर का सिद्ध जखानन, जखानन में रैव खानन की जखानन (Levelling) जखानन रैव में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खानन जखानन से खानन / नदी तट (दिनांक जखानन) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी खानन के सतही (Levelling) का भी रैव किया जाये। जखानन जखानन (Levelling) रैव, कम से कम 2 टैम्पली रैव मार्क (Concrete 1200 structure) निर्धारित किया जाये। टैम्पली रैव मार्क (1200) से अन्तर्गत, को-कोर्डिनेट्स (Co-ordinates) अतिरिक्त किया जाये। रैव रैव से टैम्पली रैव मार्क (1200) को भी दर्शाकर, रैव अतिरिक्त जखानन से प्रस्तावित खानन खानन खानन सतही जखानन/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट से सादान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी से सादान की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रही जानी है। यदि इसके अनुसार खानन के कुछ क्षेत्र में जखानन किया जाना समभव न हो तो खानन खानन खानन, नदी का दर्शाकर इसका जखानन न्यूनतम खानन में अतिरिक्त का भी खानन जाये। खानन के खानन क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र की चौड़ाई का अतिरिक्त जखानन से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
4. प्रस्तावित खानन से निम्नलिखित गूना, बंध, एनीकर एवं जखानन आगुनी खानन की दूरी खानन जानकारी प्रस्तुत की जाए। गूना / एनीकर की दूरी खानन के अन्तर्गत में न्यूनतम 500 मीटर तथा अन्तर्गत में न्यूनतम 250 मीटर तथा खानन अन्तर्गत है। यदि लीज क्षेत्र जखानन-नुसार दूरी के अन्तर्गत किया हो, तो खानन खानन पर खानन रैव अतिरिक्त क्षेत्र की जखानन-नुसार नवी पर निर्धारित कर, खानन रैव का सीमांकन तथा नदीतट खानन में इस खानन अन्तर्गत किया जाये।
5. रैव जखानन रैव प्रस्तावित खानन पर खानन में खानन रैव की चौड़ाई खानन के सिद्ध, जखानन रैव में कम से कम एक खानन (1200) अतिरिक्त खानन खानन खानन खानन का मापन कर, अतिरिक्त जखानन से प्रस्तावित खानन-नदी प्रस्तुत की जाए। रैव की जखानन-नदी रैव रैव खानन की प्रस्तुत किया जाये।

*(Handwritten signature)*

- 6. यदि पूर्व में आवंटित काल का समय हेतु राज्य सरकार पर्यावरण सहायता निधिगत आवंटन (सी.ई.आई.एच.), कर्मीसमूह अथवा जिला स्तरीय आवंटन सहायता निधिगत आवंटन (सी.ई.आई.एच.), कर्मीसमूह द्वारा पर्यावरणीय सीमांकन दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन को जारी एवं अधिसूचित जारी की जाय। यहाँ पर नई कर्मियों की जानकारी पर्यावरण संरक्षित प्रकृत की जाए। यहाँ ही पर्यावरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी पर्यावरण सहायता निधिगत प्रकृत की जाए।
- 7. यदि खदान पूर्व में अधिसूचित हो, तो जिला स्तर पर जारी एवं आवंटन की पर्यावरण सहायता निधिगत जानकारी जिला स्तर पर अधिसूचित कर प्रकृत की जाए।
- 8. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की आ.एच. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार सी.ई.आई.एच. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रकृत किया जाए।
- 9. यदि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रशासक को खदान में वेद की लेक्चर (Leaves) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जायगी यहाँ की अधिसूचित वेदक में पर्यावरण सहायता निधिगत जानकारी / पर्यावरण (अद्यतन पर्यावरण) सहायता प्रकृतिकरण दिने जाने हेतु अधिसूचित किया जाए।

सहायता निधि निरीक्षक एवं पर्यावरण प्रशासक को एच.ई.एच. कर्मीसमूह के ज्ञापन दिनांक 20/06/2020 द्वारा प्रकृतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(बि) समिति की 223वीं बैठक दिनांक 27/06/2020:

प्रकृतिकरण हेतु की राष्ट्रीय पुस्तक, कोरपोरेट पर्यावरण रूप। समिति द्वारा सभी प्रकृत पर्यावरण की अधिसूचना एवं पर्यावरण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

- 1. धान पैदावार का अधिसूचित प्रमाण पत्र – यह खदान के क्षेत्र में धान पैदावार प्रमाण पत्र का दिनांक 21/06/2017 का अधिसूचित प्रमाण पत्र प्रकृत किया गया है।
- 2. पिकांकित/सीमांकित – कार्यालय कोरपोरेट, सहायता निधिगत प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान पिकांकित/सीमांकित रूप अधिसूचित है।
- 3. खदान सीमांकन – अधिसूचित प्रमाण प्रकृत किया गया है, जो यदि अधिसूचित (स्थिति सहायता, जिला-उत्तर, कर्मिण के ज्ञापन क्रमांक 1421/सहायता/सहायता, 02/06/2019-20 कर्मिण, दिनांक 27/06/2020 द्वारा अधिसूचित है।
- 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कोरपोरेट (सहायता निधिगत, जिला-उत्तर) के ज्ञापन क्रमांक 260-0/सहायता/सहायता/2020 कर्मिण, दिनांक 14/06/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर की सीमा अधिसूचित क्षेत्र से खदानों की संख्या निम्न है।
- 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संस्थागत – कार्यालय कोरपोरेट (सहायता निधिगत, जिला-उत्तर) के ज्ञापन क्रमांक 260-0/सहायता/सहायता/2020 कर्मिण, दिनांक 14/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.एच., राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल सप्लाई आदि अधिसूचित क्षेत्र अधिसूचित नहीं है।

6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. कार्यालय बल्लभपुर (रिजिज बालक), जिला-बल्लारी के ज्ञापन क्रमांक 212/रिजिज/निविदा/2019 बल्लारी, दिनांक 06/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, परीक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/02/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. पक्षधर पूर्व खेतगाड़ी की दूरी - निकटतम जलवाही धारा-इलाहा 2 कि.मी. (खुल एवं अक्षयधारा धारा-इलाहा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है) राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 14 कि.मी. दूर है। नवीकृत नैल खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेक्षणशील क्षेत्र - परिचोपना उपखण्ड द्वारा 10 कि.मी. की सीमा में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अखण्डाखण्ड, केंद्रीय प्रमुख निवहन बोर्ड द्वारा घोषित क्रिडिकली पीनलुटेज एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा परिशिष्टित किया है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट से दूरी - आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 640 मीटर तथा खदान स्थल की नदी - अधिकतम 288 मीटर, न्यूनतम 192 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 214 मीटर, न्यूनतम 128 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट से नदी किनारे से दूरी अधिकतम 208 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर एवं नदी किनारे से दूरी अधिकतम 388 मीटर, न्यूनतम 288 मीटर है, चूंकि इसकी नदी घाट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 2 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित सर्टिफिकेशन प्लान अनुसार खदान में सर्टिफिकेशन रेत की मात्रा - 06,800 घनमीटर है। रेत काखनन हेतु प्रस्तावित खदान पर खनिजन में उपलब्ध रेत स्रोत की मोटाई प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित खदान पर 3 महीने (90) खोदकर खदान की वास्तविक मोटाई का मापन कर रिजिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु परामर्श भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
  - i. पूर्व में सतर्क धारा पंचायत इलाहा के न्यून से रेत खदान खसरा क्रमांक 1154, बीअरकल 3 हेक्टर, क्षमता-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सनायत विभाग अधिक्ता, जिला-बल्लारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। सार अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

10. बायोलायब फास्टेडर (घणित कचरा), डिजा-कपाती के कृष्ण कसाई 28/अगिठ/असमाज/2020 कसाई दिनांक 28/08/2020 के अनुसार सौं 2017-18 में 2,000 घनमीटर चालनन किया गया है।

11. निर्धारित चालनुसार पुनर्चयन नहीं किया गया है।

12. अदान क्षेत्र में गैर सार्वक के सेक्टर – गैर प्रसन्न हेतु असाधित सार्वक एवं प्रसाधित सार्वक के असाधित सार्वक असाधित में 100 मीटर की दूरी एवं 25 मीटर गुना 25 मीटर के गैर सिन्ड्रो के दिनांक 08/08/2020 के गैर सार्वक के परिधान सेक्टर (Lower) क्षेत्र, सौं असाधित सिन्ड्रो के असाधित सार्वक असाधित सार्वक सार्वक असाधित/असाधित प्रसन्न किया गया है।

13. असाधित असाधित असाधित (C.E.R.) – गैर सार्वक सार्वक, इन सौं असाधित असाधित असाधित, सौं दिनांक के असाधित दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सौं असाधित (Corporate Environment Responsibility) हेतु निर्धारित के सार्वक सार्वक के सौं असाधित असाधित प्रसन्न प्रसन्न किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.2	2%	1.18	Following activities at Neel Government Middle School Village-Haada	
			Rain Water Harvesting System	1.05
			Potable Drinking water Facility	0.10
			Plantation	0.15
			<b>Total</b>	<b>1.50</b>

असाधित द्वारा असाधित असाधित के निर्धारित किया गया कि असाधित निर्धारित के असाधित सौं असाधित (Corporate Environment Responsibility) का असाधित प्रसन्न एक सार्वक में प्रसन्न किया जाए।

14. गैर असाधित क्षेत्र – गैर के सार्वक की असाधित असाधित 800 मीटर एवं असाधित – 840 मीटर है, असाधित असाधित की गैर सार्वक से दूरी असाधित 83 मीटर है। असाधित की गैर सार्वक से दूरी, गैर के सार्वक की असाधित एवं असाधित 10 असाधित सौं असाधित। असाधित असाधित में गैर सार्वक के असाधित 82 मीटर से 84 मीटर असाधित असाधित किया जाता असाधित है, जिसमें 1,000 घनमीटर गैर असाधित क्षेत्र सार्वक गया है। इस असाधित गैर असाधित का असाधित असाधित 8.54 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता असाधित है।

15. गैर असाधित असाधित असाधित में एक सार्वक का असाधित सार्वक द्वारा असाधित असाधित असाधित है।

16. असाधित असाधित असाधित द्वारा 2 मीटर की असाधित असाधित असाधित की असाधित सौं है। असाधित असाधित असाधित में असाधित किया जाने वाले क्षेत्र की असाधित गैर असाधित सार्वक असाधित सार्वक एवं असाधित असाधित का असाधित गैर किया गया

है। वेत नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सम्भवतः 1 मीटर गहराई से अधिक वेत का पुनःप्राप होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. अधिष्ठित बाधन (घाट-दरवाजा) का लम्बा 3 मीटर होगा। बाधन की चौड़ाई 100 मीटर की परिधि में स्वीकृत/अनुमोदित बाधनों का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह बाधन को-2 लेवल की गयीगी।
2. कुयरीयका काई - अधिष्ठित बाधन के अगल पर नदी तट पर कुल 2-300 नम पीछे - 1.250 नम अर्जुन के पीछे तथा बीच 1.250 नम (जामुन, कपूर, बांस, आम आदि) पीछे जगह आवेगी। इनको अधिष्ठित बाधन से 500 नम पीछे जगह आवेगी।
3. परिभाषित प्रस्तावक वेत बाधन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में निम्नतः पांच अनुसंधान (Situation Study) करायेगा, ताकि वेत के पुनःप्राप (Replenishment) बाधन गयी अनुसंधान वेत अनुसंधान का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जल एवं सूख जमीन पर जमाव तथा नदी के गली की गुणवत्ता पर वेत अनुसंधान के प्रभाव की गयी जायकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का रेकार्डिंग कार्य -
  - i. परिभाषित प्रस्तावक द्वारा अनुसंधान से पूर्व समस्त लीज की बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) की 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी गयी किया जायेगा। बाधनका सभी गयी सतह के स्तर (Levels) का गयी 20 नम 20 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जायेगा।
  - ii. वेत बाधन के उपरोक्त मानसून के पूर्व (गयी) गयी के अंतिम सतह/गयी में माइनिम लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा समस्त लीज के बाहर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) की 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का गयी पूर्व निर्धारित दिश निम्नगयी या किया जायेगा।
  - iii. इसी प्रकार पीछे-मानसून में गिय प्रस्तावक प्रारंभ करने के पूर्व गये अनुसंधान इसी दिश निम्नगयी पर वेत सतह के लीजिंग Levels का मापन किया जायेगा।
  - iv. वेत सतह के पूर्व निर्धारित दिश निम्नगयी पर वेत सतह के लीजिंग Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। वेत-मानसून के अंतिम दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं गयी-मानसून के अंतिम उपरोक्त 2020, 2021, 2022 तक अंतिमगयी रूप से एर.ई.अ.ई.ए.ए. कारीयगयी को प्रस्तुत किया जायेगी।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से गयी नदीतट गुरदा, हबलट गीय गयी, गयी क्षेत्र प्रस्ताव अंशक 1154 शम-दरवाजा, गयीत-गयीत दिश-मगयी, कुल लीज क्षेत्रफल 6 हेक्टेयर में से गयी गयीत क्षेत्र 1.800 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.84 हेक्टेयर क्षेत्र में, वेत अनुसंधान अधिष्ठान 1 मीटर की गहराई तक सीमित सतह हुए कुल 48,000 वर्गमीटर परिधि वेत अनुसंधान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, गयी दिशक की 10 वर्ष तक की गयी हेतु दिश जाने की अनुमति गयी गयी। वेत की गुरदा अधिकांश द्वारा (Manually) की जायेगी। गिय वेत (River Bed) में नदी गहराई का प्रवेश अधिष्ठित होगा। लीज

क्षेत्र में विचार दत्त खुदाई गडदे (Excavation Gade) से जमीन सर्वेक्षण तथा क्षेत्र का परिचयन टैबल ड्राईंग द्वारा किया जाएगा।

4. क्षेत्र सर्वेक्षण क्षेत्र एवं अवलोकन सर्वेक्षण क्षेत्र का सीधे पर स्थिति विवरण से संबंध स्वीकृत करने के उपरान्त ही जमीन विवरण द्वारा उत्तरदायक की अनुमति दी जाएगी।

**प्रतिफलन द्वारा बैठक में विवरण -** उत्तरदायक उत्तरदायक पर प्रतिफलन की दिनांक 18/08/2020 की संख्या 322वीं बैठक में विवरण किया गया। प्रतिफलन द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। विवरण विवरण उत्तरदायक प्रतिफलन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करने एवं की सर्वांगीण मुख्य, इसका क्षेत्र सर्वेक्षण, पार्सल क्षेत्र संख्या क्रमांक 1154, ग्राम-इलाहाबाद, तहसील-इलाहाबाद, जिला-इलाहाबाद, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से क्षेत्र सर्वेक्षण क्षेत्र 1.000 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर 4.84 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षेत्र उत्तरदायक प्रतिफलन 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 वर्गमीटर प्रतिफलन से उत्तरदायक क्षेत्र सर्वेक्षण, जमीन विवरण से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवरण जाने का निर्णय किया गया।

सर्वेक्षण उत्तरदायक एवं उत्तरदायक क्षेत्रों में जारी किया जाए।

12. नसी की सीएम खान (परसुली रोड सर्वेक्षण, ग्राम-परसुली, तहसील व जिला-इलाहाबाद, कुपेड़ा, जिला-दुर्ग (अधिकार क्षेत्र का नसी क्रमांक 1229)

**अनुमति आवेदन -** उत्तरदायक संख्या - एचआईए / सीजी / एमआईएन / 147588 / 2020, दिनांक 08/08/2020।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित क्षेत्र खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-परसुली, तहसील व जिला-इलाहाबाद जिला संख्या क्रमांक 1229, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तरदायक महानदी से किया जाता प्रस्तावित है। खदान की आवेदन उत्तरदायक संख्या - 827113 वर्गमीटर प्रतिफलन है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा उत्तरदायक की नसी एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण एवं उत्तरदायक सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. यह उत्तरदायक हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान की अनुमति तथा अनुमति में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुरु 25 मीटर का पिन स्थापित, जमीन में क्षेत्र साइट के लेवल (Levels) लेवल सिट में उपस्थित का प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (किनारे) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साइट के लेवल (Levels) का भी सर्वेक्षण किया जाये। उत्तरदायक (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Controlled TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में साइट, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) दर्जित किया जाये। सिट क्षेत्र में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी उपस्थित एवं स्थिति विवरण से प्रस्तावित उत्तरदायक फोटोग्राफ सर्वेक्षण जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाये।

3. नदीछाट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की सीमाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) नहीं होगी। यदि इसके अनुसार खदान को कुछ दूरी में खदान किया जाता है तो उसे इसकी गणना कर, नतीजे पर संशोधित द्वारा जलसंधारण काईनिंग प्रदान में अधिभागी रूप से करवाया जाये। खदान को खाना होने पूर्व प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा का सुनिश्चित विभाग से सीमांकन करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

4. प्रस्तावित खदान से निकलता पानी, बालू, एपीकट एवं अन्य अपशिष्ट कचरे की दूरी बांधत खानाकारी प्रस्तुत की जाए। पानी / एपीकट की दूरी खदान से अपशिष्ट से न्यूनतम 500 मीटर तथा खानाकारी से न्यूनतम 250 मीटर रखा गया आवश्यक है। यदि बीच क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी को अंतर स्थित हो, तो पर्याप्त मात्रा पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरोक्तानुसार नतीजे पर परिचित कर, प्रस्ताव पीछे कर सीमांकन तथा काईनिंग प्रदान में इस बांधत संशोधित किया जाये।

5. ता खदानों हेतु प्रस्तावित खदान पर खदान में उपलब्ध हो की सीमाई खाने को सिद्ध प्रति डेवेलपमेंट में कम हो कम एक पट्टा (मैट) सीमांकन इसकी प्रस्तावित बांधतई का गणना कर, सुनिश्चित विभाग से प्रस्तावित खानाकारी प्रस्तुत की जाए। हो की प्रस्तावित बांधतई हेतु प्रमाणपत्र की प्रस्तुत किया जाये।

6. यदि पूर्व में अधिदेित खाना का खनन हेतु खाना बहा पर्याप्तता समाधान निर्धारित प्रतिक्रिया (एन.ई.आई.ए.ए.), प्रतीकनाद अथवा किला राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निधि प्रतिक्रिया (पी.ई.आई.ए.ए.) प्रतीकनाद द्वारा पर्यावरणीय सीमाई की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमाई की प्रति एवं अधिदेित खाने की पर्याप्त में की गई पर्याप्तता की खानाकारी पर्याप्तता प्रतिष्ठ प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावना की अधिदेित विधि की खानाकारी पर्याप्तता प्रतिष्ठ प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से अधिदेित है, तो विगत वर्ष में सिद्ध कर खदान की ताकतिका मात्र की खानाकारी सुनिश्चित विभाग से अधिदेित कर, कर प्रस्तुत की जाए।

8. नतीजा संस्कार पर्यावरण का पीछे खानाकारी पर्याप्तता नतीजा, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01/06/2018 को अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रदान प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निर्देशक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को खदान में हो की खानाकारी (Levels) लेने वाले सर्वेक्षण (Surveyor) के साथ खानाकारी माह की अधिदेित क्षेत्र में उपरोक्त खानाकारी सुनिश्चित खानाकारी / खानाकारी (खदान पर्याप्तता) प्रतिष्ठ प्रस्तुतकरण दिवे जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

उपरोक्तानुसार यदि निर्देशक एवं पर्यावरण प्रस्तावक को एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकनाद के प्रदान दिनांक 29/05/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

(र) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/06/2020

प्रस्तुतकरण हेतु की अधिदेित सुनिश्चित, अधिदेित अधिदेित अधिदेित हेतु। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत खानाकारी का अधिदेित एवं अधिदेित खाने पर निम्न स्थिति गई गई—

1. खाना पर्याप्तता का अधिदेित प्रमाण पत्र - ता खदान को खाने में खाना पर्याप्तता पर्याप्तता का दिनांक 12/06/2018 का अधिदेित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विश्रांति/सौभाग्य** - कार्यलय कलेक्टर, पुलिस हाउस से प्राप्त प्रमाण पर अनुसंधान से अज्ञान विश्रांति/सौभाग्य अब घोषित है।
3. **एल.ओ.आई. का विवरण** - राष्ट्रीय प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो एन.डी.ओ.आई. विभाग-एच.एस. कांस्टेबल के द्वारा प्रमाण क्रमांक 1114/एन.डी.ओ.आई./एच.एस./2019-20 कांस्टेबल, दिनांक 27/02/2020 प्राप्त अनुमोदित है।
4. **300 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यलय कलेक्टर (पुलिस हाउस), विभाग-एच.एस. के द्वारा प्रमाण क्रमांक 401 कांस्टेबल, दिनांक 25/02/2020 से अनुसंधान अधिसूचित खदान से 300 मीटर की सीमा अवधिगत रूप से खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सर्वकार** - कार्यलय कलेक्टर (पुलिस हाउस), विभाग-एच.एस. के द्वारा प्रमाण क्रमांक 299 कांस्टेबल, दिनांक 28/02/2020 प्राप्त जारी प्रमाण पर अनुसंधान परसे खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पूजा, बस एरीका, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (पुलिस हाउस), विभाग-एच.एस. के द्वारा प्रमाण क्रमांक 210/एन.डी.ओ.आई./विभाग/2018 कांस्टेबल, दिनांक 08/02/2020 प्राप्त जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक है।
7. **विश्रांति सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण, मन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 20/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में विश्रांति सर्वे रिपोर्ट (Disposal Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **समाप्त सार्वजनिक क्षेत्रों की दूरी** - निरुद्धात अचलदाता काम-कलाकारों 0.35 कि.मी., सार्वजनिक स्कूल काम-अनुसंधान 0.75 कि.मी. एवं अस्पताल कांस्टेबल 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.15 कि.मी. एवं राजमार्ग 3.5 कि.मी. पर है। सर्वोच्चतम जल संचयन के 1 कि.मी. की दूरी तक पूजा/एरीका स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र** - परिभाषित प्रमाण पर 10 कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय प्रमाण, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय प्रमाण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विश्रांति/सौभाग्य एरीका, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पारिस्थितिकीय क्षेत्र स्थित नहीं क्षेत्र अधिसूचित प्रमाण है।
10. **अज्ञान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं अज्ञान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार अज्ञान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 775 मीटर, न्यूनतम 750 मीटर तथा अज्ञान स्थल की लंबाई - 255 मीटर अधिकतम चौड़ाई - 182.18 मीटर चौड़ाई गई है। अज्ञान की नदी तट के अचल विभाग से दूरी अधिकतम 75 मीटर, न्यूनतम 83 मीटर है, जबकि अज्ञान नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
11. **अज्ञान स्थल पर नदी की चौड़ाई** - आवेदन अनुसार अज्ञान पर नदी की चौड़ाई - 4.17 मीटर तथा नदी अज्ञान की घोषित चौड़ाई - 3 मीटर चौड़ाई गई है। अनुमोदित राष्ट्रीय प्रमाण अनुसार अज्ञान में नदीनियंत्रण सेत की मात्रा - 82.771 घनमीटर है। सेत अज्ञान सेत प्रस्तावित स्थल पर अज्ञान में अज्ञान सेत अज्ञान की चौड़ाई जानने की लिए प्रस्तावित स्थल पर अज्ञान में अज्ञान सेत अज्ञान अज्ञान सेत चौड़ाई का मापन कर, अज्ञान विभाग से घोषित अज्ञान सेत प्रमाण की

गई है। इसके अनुसार पैर की लम्बाई ज़िला-बनारस में 4.17 मीटर है। पैर की कार्यात्मक लम्बाई सेतु परमाणु की प्रस्तुत किया गया है।

**12. पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

- i. पूरे में पर्यावरण सार्वजनिक परस्फुली के नाम से पैर सड़ान सड़ान अर्थात 735, बोरफल 4.4 हेक्टर, संपत्क-75,000 परस्फुली उद्विर्ष सेतु जिला-सारीय पर्यावरण संपत्क निर्वान उद्विर्षण, जिला-बनारस द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/10/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि सेतु जारी की गयी थी।
  - ii. पूरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जो गई कार्यावाही की अनुमति प्रस्तुत की गई है। गार्ड अवयव निर्देश प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. कार्यालय इन्फोर्मेशन (ऑनलाइन साइट), जिला-बनारस के ज्ञान अर्थात 781/ऑनलाइन/पारक.मास/2020 बनारस, दिनांक 28/05/2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में 2.588 परस्फुली उल्लेख किया गया है।
  - iv. निर्धारित कार्यानुसार कृषादीपन नहीं किया गया है।
13. सड़ान क्षेत्र में पैर सड़ान की लेवलस - पैर उल्लेख सेतु परस्फुली स्वतः एवं सड़ानिय सड़ान के शर्तों उल्लेख में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर नुशा 20 मीटर की मिला किन्दुली पर दिनांक 13/02/2020 के पैर सड़ान के शर्तान लेवलस (Levels) लेवल, उन्हें शर्तान विभाग से परस्फुली उल्लेख उल्लेख शर्तान शर्तान शर्तान/उल्लेख प्रस्तुत किया गया है।
14. सीरिस्ट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - गार्ड सड़ान पर्यावरण पर और उल्लेख शर्तान सड़ान सड़ान, नई जिला-बनारस के ज्ञान, दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) सेतु शर्तान के सड़ान शर्तान से शर्तान शर्तान शर्तान शर्तान उल्लेख प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Parsaul	
			Rain Water Harvesting System	1.22
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.08
			<b>Total</b>	<b>1.57</b>

15. गैर माइनिंग क्षेत्र - नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 77.5 मीटर एवं गूहात्मक - 750 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी गूहात्मक 80 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का गूहात्मक 10 गुणितफल होता है। इस माइनिंग क्षेत्र में नदी तट से गूहात्मक 77 मीटर से 75 मीटर चौड़ाकर अत्यन्त किंचित खाना प्रस्तावित है, जिससे 311 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र बचाया गया है। इस प्रकार गैर खदानों का कर्षण अवधि 4.66 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. गैर खदानों में गूहात्मक विधि से एवं भूदाई का कार्य सीधर द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खदानों की अनुमति नहीं है। अनुमोदित खदानों योजना में खदानों किन्हीं खाने वाले क्षेत्र की बाह्य किनारे पुनर्स्थापना संबंधी आवश्यक कार्य एवं तत्संबंधी अतिक्रमों का समावेश नहीं किया गया है। अतः नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सावन्दातः 1.5 मीटर गहराई से अधिक गैर का पुनर्स्थापना करने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श समितियों संबंधी के निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. आवेदित खदान (ग्राम-पन्नुली) का क्षेत्र 4.6 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संलग्न खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर एवं इसमें कम होने के कारण 750 खदान की-2 श्रेणी की खानी नदी।

2. कुलक्षेत्रफल कार्य - आवेदित खदानों के अन्तर्गत नदी तट पर कुल 3,500 नम बीघे - 1,500 नम अर्जुन के बीघे तथा शेष 1,500 नम (जामुन, कांज बारा, आम आदि) बीघे लगाए जायेंगे। इसमें अतिरिक्त पर्वत मार्ग पर 500 नम बीघे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक गैर खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गैर खदानों (Detailed Study) करायेगा, ताकि गैर के पुनर्स्थापना (Replenishment) कार्य गरीबों को करवाये। गैर खदानों का नदी, नदीतट, स्थायीय समरथी, बीघ एवं रुग्ण बीघों का समावेश तथा नदी के किनारे की गुणवत्ता पर गैर खदानों के प्रभाव की गरीबों को जानकारी देना हो सके।

4. बीघ क्षेत्र की सतह का रेसलाईन खटा -

I. गैर खदानों के उपरान्त गामबुन के पूर्व (आई माह के अंतिम सतह/प्लान) में माइनिंग क्षेत्र क्षेत्र तथा बीघ क्षेत्र के अन्तर्गत एवं खदानों में 100 मीटर तक तथा खदानों क्षेत्र के अन्तर्गत / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट की सतह (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिद्ध विन्दुओं पर किया जाएगा।

II. इसी प्रकार पीस्ट-गामबुन में गैर खदानों प्राप्त करने के पूर्व गैर खदानों इसी सिद्ध विन्दुओं पर गैर सतह के लेवल (Levels) का सर्वे किया जाएगा।

III. गैर सतह के पूर्व निर्धारित सिद्ध विन्दुओं पर गैर सतह के लेवल (Levels) का सर्वे एवं कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तृत किया जाएगा। पीस्ट-गामबुन के अंतर्गत विस्तृत 2000, 2001, 2002 एवं पी-गामबुन के अंतर्गत अगस्त 2000, 2001, 2002 तक अनिवार्य रूप से एसईआईएए, अतिरिक्त को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विधान विमर्श उपरोक्त आवेदनपत्रों से श्री सोहन खान, परसुली रोड गाईन, बंगला क्रमांक 725, ग्राम-जगदारी, तहसील व जिला-बलराम, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर गाईनिंग क्षेत्र 311 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैत उखरण अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित करने हुए कुल 73,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जैत उखरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। जैत की खुदाई शर्तिका इन्टर (Manually) की जाएगी। रिफ बोट (Ribbon Boat) में जारी गहराई का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित जैत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लीजिंग स्टार्ट तक जैत का परिवहन ट्रैक्टर टीली द्वारा किया जाएगा।
6. गैर गाईनिंग क्षेत्र एवं उपरोक्त गाईनिंग क्षेत्र का नोडो गैर सफ़ियत विधान से समस्त सीमांकन करारों की उपरोक्त ही समिति विभाग द्वारा उपरोक्त की अनुमति दी जाएगी।

**प्रतिक्रिया प्राप्त बैठक में विवर -** उपरोक्त उपरोक्त एवं प्रतिक्रिया की दिनांक 08/08/2020 की सम्मन अवधि केन्द्र में विधान किया गया। प्रतिक्रिया प्राप्त कर उपरोक्त विवर तथा विधान विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया प्राप्त शर्तिका से समिति की अनुमति की शर्तिका करारी दुरी की सोहन खान, परसुली रोड गाईन, बंगला क्रमांक 725, ग्राम-जगदारी, तहसील व जिला-बलराम, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर गाईनिंग क्षेत्र 311 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.8 हेक्टेयर क्षेत्र में, जैत उखरण अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित करने हुए कुल 73,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जैत उखरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 62 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय किया गया।

प्रतिक्रिया प्राप्त कर उपरोक्त की शर्तिका जारी किया जाए।

13. बंगला की राष्ट्रीय मंडल (खोडरी रोड गाईन, ग्राम-खोडरी, तहसील-पेम्डुपेट, जिला-बिलासपुर), कार्ड नंबर 5, सिलिगुटी, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय का कार्ड क्रमांक 1217)

**खोडरी रोड आवेदन -** आवेदन नंबर - एलआईए /सीडी /एलआईए/ 14883/2020 दिनांक 02/09/2020।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित जैत खदान (लीज समिति) है। यह खदान ग्राम-खोडरी, तहसील-पेम्डुपेट, जिला-बिलासपुर स्थित बंगला क्रमांक 52 कुल लीज क्षेत्र 1.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपरोक्त सतहिया करी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदन उपरोक्त समता-8833.76 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा उपरोक्त की सती एवं उपरोक्त उपरोक्त का प्रतिक्रिया तथा उपरोक्त शर्तिका से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की खोडरी एवं खोडरी तथा नदी के पार की खोडरी की उपरोक्त अनुमति की जाए।

2. वेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित खाने के अगस्टीम तथा डाइगमस्टीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का विंग स्लाब्स स्वीथम में वेत खाने की जेवला (Levelling) होकर विंग वेत में इवॉल्व कर प्रस्तुत किये जाये। प्रस्ताव जेवला (Levelling) हेतु कम से कम 2 टेम्पलरी वेत सार्स (Concrete TBM structure) निर्मित किये जाये। टेम्पलरी वेत सार्स (TBM) में डॉरएल, को-जोडिनेटस (Co-ordinates) उल्लिखित किये जाये। विंग वेत में टेम्पलरी वेत सार्स (TBM) को भी उल्लिखित, उन्ही उल्लिखित विभाग से इमार्गीकरण उपसाह कोटीकरण सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. मदीयाह से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर का नदी के घाट की भीटाई का 10 प्रतिशत (जी पी अधिक से) नदी जामी है। यदि इसका अनुकार खदान की कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाया संभव न हो तो पराधी रचना कर सार्स पर इवॉल्व, इसका उल्लिखित माईनिंग प्लान में उल्लिखित रूप से उल्लिखित जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रभावित क्षेत्र को सीमा पर उल्लिखित विभाग से सीमांकन करवाकर, उल्लिखित पाठ प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खाने से निकलने वाला पुरा, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी प्राप्त जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुरा / एनीकट की दूरी खदान की अगस्टीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाइगमस्टीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जला अगस्टीम में 100 मीटर होना उचित माना जायेगा। यदि खाने क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो तो उपरोक्त अंतर पर खनन हेतु उचित क्षेत्र को उल्लिखितानुसार सार्स पर विनियत कर, उल्लिखित सीमा पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लिखित किया जाए।
5. वेत उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थान पर उपखनन में उपलब्ध वेत की भीटाई खानने के लिए प्रति उपखनन में कम से कम एक गड्ढा (पेड) खोदकर उसकी वास्तविक भीटाई का मापन कर, उल्लिखित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गड्ढाई हेतु रचनांक से प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में उल्लिखित स्थान पर खनन हेतु राज्य स्तर पर उपखनन समाधान निर्धारण प्रमाणिक (एन.ई.आई.ए.ए.) जालीकरण अथवा जिला स्तरीय परीक्षण समाधान निर्धारण प्रमाणिक (जी.ई.आई.ए.ए.) जालीकरण द्वारा परीक्षण स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में उल्लिखित परीक्षण स्वीकृति की प्रति एवं उल्लिखित सार्स के पालन में ही नई खानेवाली की खानेवाली कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। बांध की उपखनन की उल्लिखित स्थिति की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व में उल्लिखित है, तो विंग सार्स में किए गए उपखनन की वास्तविक पाठ की जानकारी उल्लिखित विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।
8. प्रस्ताव सार्वजनिक परीक्षण, पत्र और उल्लिखित परीक्षण संसाधन, नई दिल्ली के सी.एन. विंगल हा./08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. खाने निर्धारण एवं परिष्कारण प्रस्तावक की सफलता में वेत की जेवला (Levelling) होने वाले सार्स (Surveyor) के साथ उल्लिखित माप की उल्लिखित वेत में उपरोक्त संसाधन सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (खदान कोटीकरण) सहित प्रस्तुतकाल दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

*Leads*

सदस्यता एवं निर्देशक एवं अधीक्षण प्रशासक को एम.ई.ए.सी., इन्फोसिस को  
शासन दिनांक 21/08/2020 द्वारा प्रस्तुतिकात्मक हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 27/08/2020

प्रस्तुतिकात्मक हेतु की गुरुवारी दिनांक 27/08/2020 अधिसूचित अधिनियम कार्यालय दूर। समिति द्वारा  
नली, प्रस्तुत कागजपत्रों का अंगीकार एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पारित हुए हैं—

1. काम संशोधन का अंगीकार प्रमाण पत्र — 300 मीटर के तटबंध में काम संशोधन  
कार्य का दिनांक 15/08/2018 का अंगीकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया  
है।
2. विस्तारित/सीमांकित — कार्यलय कलेक्टर, जिला शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र  
अनुसार यह खदान विस्तारित/सीमांकित कर घोषित है।
3. खदान योजना — राष्ट्रीय आंग प्रस्तुत किया गया है जो काम संशोधन (वि.  
प्रदा.) जिला-बिलासपुर के शासन क्रमांक 1068/अनि./वि/अन्य  
पत्र/2020 बिलासपुर, दिनांक 24/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (जिला शाखा),  
जिला-बिलासपुर के शासन क्रमांक 1068/अनि./वि/2020 बिलासपुर, दिनांक  
27/08/2020 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के तटबंध अंतर्गत  
अन्य 20 खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यलय कलेक्टर  
(जिला शाखा), जिला-बिलासपुर के शासन क्रमांक 1068/अनि./वि/2020  
बिलासपुर, दिनांक 27/08/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार नकाशे खदान  
से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, बांध,  
एनिका, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अन्य आसूरी जगह प्रभावित क्षेत्र निर्दिष्ट  
नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (जिला शाखा),  
जिला-बिलासपुर के शासन क्रमांक 1072/अनि./वि/सी.सी./2018 बिलासपुर,  
दिनांक 23/11/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अतिरिक्त 2 नवीं हेतु कि है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पंचोत्तर, एन और जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28/08/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण में  
डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवसी काम-विकास 0.6 कि.मी.,  
सार्वजनिक स्कूल काम-विकास 0.25 कि.मी. एवं अस्पताल स्थित 1.2 कि.मी.  
की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7.5 कि.मी. दूर  
है। पूरा खदान से 100 मीटर की दूरी पर अंगीकार में स्थित है।
9. पारिस्थितिकीय/जैववैज्ञानिक संवेदनशील क्षेत्र — परिभाषित प्रमाणक द्वारा 10  
कि.मी. की परिधि में अंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्त्यास्य, सैन्य  
अनुभव विकास बोर्ड द्वारा घोषित क्रिस्टोफोरी पीपुल्स एनिका पारिस्थितिकीय  
संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैववैज्ञानिक क्षेत्र स्थित नहीं होता अधिसूचित किया  
है।
10. खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी —  
आवदन अनुसार खानन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई — अधिसूचना 80

सीटिंग न्यूनतम 50 मीटर तथा खनन स्तर की गहराई - 545 मीटर अधिकतम गौराई - 2750 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से बनी हुई है, जबकि ड्रमाही नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अधिकतम नदी के घाट की गौराई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

11. खदान स्तर पर रेत की गौराई - आवेदन अनुसार खनन पर रेत की गहराई - 3.2 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1.2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 6,835 घनमीटर है। रेत पतनमान हेतु प्रास्तावित खनन पर खनन में उपलब्ध रेत साठ के गौराई बनाने के लिए, प्रास्तावित खनन पर 2 महीने (210) अधिकतम उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गौराई 3.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फसलाता भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य सरकार (राज्य) के नाम से रेत खदान खनन प्रमाणिक का आवेदन 15 दिसंबर, 2016-17 में 21,275 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निदेशन अधिकरण, जिला-दिल्लीपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/02/2017 के द्वारा जारी किया गया था। इस तथ्य की जांच हेतु जारी की गयी थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत के मापन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह आवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- कार्यालय असेक्टर (खनिज संसाधन), जिला-दिल्लीपुर को द्वारा आदेश 138/असि/न.क/16/2020 दिल्लीपुर दिनांक 22/05/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 5,100 घनमीटर, 2017-18 में 3,000 घनमीटर, 2018-19 में निराल एवं 2019-20 में 1,200 घनमीटर खनन किया गया है।
- निर्दिष्ट सारंगुल्लर प्लानिंग नदी किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत साठ की गौराई - रेत पतनमान हेतु प्रास्तावित खनन एवं प्रास्तावित खनन के उपस्टीम तथा बाउन्डरी में 100 मीटर की दूरी तक 10 मीटर तथा 10 मीटर के बीच किनारे पर दिनांक 05/02/2020 को रेत साठ के परमाणु लेवल (Level) तय कर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिक रूप प्रस्तावित स्वीकृति सहित जानकारी/प्रास्ताविक प्रस्तुत किया गया है।

14. सीपीई पर्यावरणीय दायित्व (CER) - भारत सरकार, पर्यावरण, जन जीव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सीईएमए (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संस्था विवरण से संबंधित जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

Signature

14.80	2%	8.28	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Khodri	
			Rain Water harvesting System	0.78
			Plantation	0.10
			Total	0.88

15. गैर माइनिंग क्षेत्र -

1. खदान में खदान मरीजट से लगी हुई है। गैर विना निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 7.5 मीटर हाइलैंड पर खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिससे 2.968 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र बचा गया है।
2. कुल खदान में 100 मीटर की दूरी पर खानखोदों में किया है। गैर माइनिंग के अनुसार कुल के अपार्टमेंट में कम से कम 280 मीटर पीछा जाना आवश्यक है। अतिरिक्त 150 मीटर अथवा गैर माइनिंग क्षेत्र 2.481 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र बचा गया है।
3. पर्यावरण माइनिंग के अनुसार पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा कुल में अतिरिक्त 150 मीटर अथवा गैर नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के तट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत लंबी दूरी गैर माइनिंग क्षेत्र रखे जाने में कुल गैर माइनिंग क्षेत्र 7.211 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। इससे कुल अथवा गैर माइनिंग क्षेत्र 2.788 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. गैर खनन नियंत्रण विधि से पूर्व गवाई का कार्य सीकर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा 1.2 मीटर की गहराई तक खनन की अनुमति मांगी है। अनुमति प्राप्त खनन क्षेत्र में खनन किए जाने वाले क्षेत्र की परिधि पर पुनर्स्थापन कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। पर्यावरण नदी छोटी नदी है तथा इससे खनन में खनन 1 मीटर गहराई से अधिक गैर का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. अनुमति स्थान (प्लान-खोदों) का लंबा 1.5 किमी है। खदान की चौड़ाई 500 मीटर की समिति में प्रस्तावित/प्रस्तावित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 किमी है या इससे कम होने के कारण यह खदान की-2 बेगी की गयी गयी।
2. पुनर्स्थापन कार्य - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नदी तट पूर्व पुनर्स्थापन पर 500 मीटर पीछे खनन किया है।
3. पर्यावरण प्रस्तावक ने खदान क्षेत्र में अथवा 1.5 वर्ष में प्रस्तावित गैर खनन (Disturbance Study) का प्रस्ताव, ताकि गैर के पुनर्स्थापन (Rehabilitation) के लिए गैर अथवा गैर खनन का नदी नदी, स्थानीय समिति, जीव एवं सतह गैर पर प्रभाव तथा नदी के पानी की सुरक्षा पर गैर खनन के प्रभाव को गैर खननकारी किया है।

#### 4. लीज क्षेत्र की सफाई का रेगुलेशन आटा -

- i. परिशिष्टकृत प्रस्तावक द्वारा पालखन की पूर्ण छानव लीज के चार / नदी छट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सफाई के कार्य (Levelling) का भी सर्वे किया जाएगा। जयदेवता नदी सफाई के स्तर (Levelling) से सर्वे 02 गुण 10 मीटर के आसपास (Grid) में किया जाएगा।
  - ii. रेत छानव के उपरोक्त मानसून के पूर्व सफाई सफाई के अंतिम सफाई/छट में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपार्टमेंट एंड डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा छानव लीज के चार / नदी छट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सफाई के कार्य (Levelling) का सर्वे पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर किया जाएगा।
  - iii. इसी प्रकार सफाई-मानसून में रेत पालखन बरत करने के पूर्व सफाई उपकरणों इसी सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सफाई के लेवलिंग (Levelling) का मापन किया जाएगा।
  - iv. रेत सफाई के पूर्व निर्धारित सिद्ध बिन्दुओं पर रेत सफाई की लेवलिंग (Levelling) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फेब्रु-मानसून के आंकड़े विस्तार 2020, 2021, 2022 एवं मई-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिश्चित रूप से एल.ई.आई.ए.ए., उपरोक्त की प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. समिति द्वारा विचार किये गए प्रस्ताव सर्वसम्मति से श्री राजीव मेहन, सादली सफाई माइनिंग, सजरा प्रमाणिक 82, धाम-खोसरी, तहसील-केन्द्रापीड़, जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर में से रेत माइनिंग क्षेत्र 7,211 वर्गमीटर क्षेत्र जम करने पर 0.77 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 7,700 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति की गई। रेत की सफाई बसियों द्वारा (Machinery) की जाएगी। रिफिल वेज (Filler Bed) में भारी बाइन्डिंग का प्रयोग प्रतिक्रिया रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत सफाई गार्ड (Excavation pit) से लीजिंग पार्ट टक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।
6. रेत माइनिंग क्षेत्र एवं आसपास माइनिंग क्षेत्र का सीक्रेट पर स्थित विभाग से सफाई सीमेंटन करने एवं माइनिंग प्लान में इस संबंध में सीमेंटन करने के उपरांत ही स्थिति विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

**प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रस्ताव का प्रतिक्रिया की दिनांक 10/06/2020 को माला प्रहरी बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा सभी का अनुमोदन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रिया द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमोदन की सीमेंटन करते हुए श्री राजीव मेहन, सादली सफाई माइनिंग, सजरा प्रमाणिक 82, धाम-खोसरी, तहसील-केन्द्रापीड़, जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर में से रेत माइनिंग क्षेत्र 7,211 वर्गमीटर क्षेत्र जम करने पर 0.77 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 7,700 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने का निर्णय किया गया।

परिशिष्टकृत प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

14. मेसर्स श्री नन्दवीर सिंह (ई-3 बरौली रोड मॉडर्न, राम-बंसीपुर, ताड़नील-अतापुर, जिला-सुरजपुर), लाहौर व जिला-अतापी (सविवालय का मरती इन्फॉर्मेशन)

अनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नाम - एमआईए / सीपी / एमआईएम / 148289 / 2020, दिनांक 12/03/2020

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत खदान (मौल खनिज) है। यह खदान राम-बंसीपुर, ताड़नील-अतापुर, जिला-सुरजपुर जिला अन्तर्गत इन्फॉर्मेशन 1482, कुल क्षेत्रफल 4.38 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। कुलखन खदान नदी से सिंचाई द्वारा प्रस्तावित है। खदान की आवेदित आकलन धनता-42,312.5 घनमीटर बरौली है।

इसकी का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मरती एवं अनुसूचित जानकारी का परीक्षण तथा जानकारी हाईकमान्टी से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत खदान में वेत प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अनुमानित तथा आकलन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का सिंचाई बनाए, वर्तमान में वेत खदान के लक्षण (Levee) सिंचाई सिंच क्षेत्र में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के घाट / नदी तट (सीपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के मार्ग (Levee) का भी सर्वे किया जाये। खनन क्षेत्र (Levee) सेतु बन से कम 3 टैन्करों के वेत मार्ग (Concrete TBM structure) निर्माता सिंचाई जाये। टैन्करों के वेत मार्ग (TBM) में आइएन, 80-सीडिंग (Co-seedings) अंकित किया जाये। सिंच क्षेत्र में टैन्करों के वेत मार्ग (TBM) को भी टैन्कर, ऊर्ध्व खनिज सिंचाई से प्रभावीकरण प्रस्ताव को संस्थापना अंकित जानकारी/परमाणु प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीघाट के खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (दो से अधिक हो) छोटी जाती है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में खदान सिंचाई जाये तब न ही तो खननी मरती कर, मरती पर टैन्कर इसके खननी मरती जाये में अतिरिक्त का से कसता जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिशत क्षेत्र की सीमा पर खनिज सिंचाई से सीमांकन करना कर, प्रस्ताव एवं प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकटतम पुल, बांध, एन्डिंग एवं अन्य अनुमानित क्षेत्र की दूरी बांध जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एन्डिंग की दूरी खदान के अनुमानित में न्यूनतम 500 मीटर तथा आकलन में न्यूनतम 250 मीटर तथा बांध जानकारी आवश्यक है। यदि क्षेत्र क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी से अंतर सिंचाई हो, तो उपरोक्त क्षेत्र पर खनन सेतु प्रतिशत क्षेत्र की उपरोक्तानुसार नदी पर खनिज कर, प्रस्ताव की से सीमांकन तथा मरती निचल में इस बांध खननी सिंचाई कर।
5. वेत खदान में वेत प्रस्तावित खनन पर खननी में खननी वेत की चौड़ाई खननी के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक नदी (10) सीमांकन खननी जानकारी

महसूद का बचान कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जम्मावारी प्रस्तुत की जाए।  
हालांकि वास्तविक महसूद हेतु विनियम की प्रस्तुत किया जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित जाल पर बचान हेतु राज्य मंत्र पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रविष्टान्त (एम.ई.आई.ए.ए.) जलविभाग अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रविष्टान्त (सी.ई.आई.ए.ए.) जलविभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित कर्तों के बचान के तब गई जम्मावारी को जम्मावारी फोटोडायग्नोसिस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावना की जम्मावारी विधि की जम्मावारी फोटोडायग्नोसिस सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि बचान पूर्व से संपादित है, तो विगत वर्ष में किए गए जम्मावारी की वास्तविक मात्रा को जम्मावारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार अधिनियम, 1986 और राजस्थान परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु जम्मावारी प्रस्तुत किया जाए।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रसाधक को बचान में लागू की विनियम (Laws) देने वाले विनियम (Regulations) को राज्य जम्मावारी मंत्र की अधिसूचित वेबसाइट पर जम्मावारी सहायता जम्मावारी / पर्यावरण (खनिज फोटोडायग्नोसिस) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानान्त खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रसाधक को एम.ई.आई.ए.ए. जलविभाग से जम्मावारी दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की नवनीत विधि, प्रमाणित अधिसूचित हुए। समिति द्वारा जारी प्रस्तुत जम्मावारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि गई गई:-

1. जाल पर्यावरण का अनुमति प्रमाण पत्र - जाल पर्यावरण के संरक्षण में जाल पर्यावरण कमीशन का दिनांक 20/08/2019 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनियमित/सीमांकित - जम्मावारी जम्मावारी खनिज सहायता से जम्मावारी प्रमाण पत्र अनुसार या बचान विनियमित/सीमांकित कर निर्मित है।
3. जम्मावारी प्रमाण - नवनीत प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिसूचित (खनिज सहायता), जिला-सीमांकित के जम्मावारी जम्मावारी 2341/खनिज/2020 पुरानपुर, दिनांक 08/03/2020 द्वारा अनुमति है।
4. 300 मीटर की परिधि में स्थित बचान - जम्मावारी जम्मावारी (खनिज सहायता), जिला-पुरानपुर के जम्मावारी जम्मावारी 2341/खनिज/2020 पुरानपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार अधिसूचित जम्मावारी से 300 मीटर के भीतर अधिसूचित जम्मावारी से बचानों की संख्या शून्य है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरक्षण - जम्मावारी जम्मावारी (खनिज सहायता), जिला-पुरानपुर के जम्मावारी जम्मावारी 2341/खनिज/2020 पुरानपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार जम्मावारी बचान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, आदि नहीं है।



बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, एनोबल्ट पुल जल अड्डे की आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **पुल/बीकड़ाई का विवरण** - पुल/बीकड़ाई कार्यालय बरोबरट (खनिज बांध), जिला-सुरजपुर के जमान क्रमांक 3476/बी.एन./दि.बी./पत्र.09/2018 सुरजपुर, दिनांक 18/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष है।
7. **डिस्ट्रिक्ट लैंड रिपोर्ट** - जल संचयन, पानीकरण वन क्षेत्र जमानानु परिवर्तन संवर्धन, नई जिले की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित जमान में डिस्ट्रिक्ट लैंड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **सबलपूर्व क्षेत्र/नाली की दूरी** - निम्नलिखित जमानों राम-दुलरोवा 1 कि.मी., सलुन राम-भरीपुर 1.5 कि.मी. एवं जमानाक जली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 224 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 74 कि.मी. दूर है। नवीकृत या खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/पानीकट किया नहीं है।
9. **वन विभाग का अनाधिक प्रमाण पत्र** - जमानोत्पन्न वनसंरक्षणविभाग, सुरजपुर जमानाक दिनांक सुरजपुर के जमान क्रमांक /ग.वि./1930 सुरजपुर दिनांक 27/05/2020 को जारी अनाधिक प्रमाण पत्र अनुसार अधिधिक वृक्ष वन क्षेत्र की सीमा में 200 मीटर की दूरी पर है।
10. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेक्षणरील क्षेत्र** - परिष्कार प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जमानोत्पन्न वन, राष्ट्रीय जमान, अनाधिक, जमानोत्पन्न प्रमाण निम्नलिखित क्षेत्रों द्वारा परिष्कार विधिकली पोल्युटेड एरिया, परिस्थितिकीय सर्वेक्षणरील क्षेत्र का परिष्कार जमानोत्पन्न क्षेत्र किया नहीं क्षेत्र प्रतिबंधित किया है।
11. **खान स्थल पर नदी के पार की बीकड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - खदान अनुसार खान स्थल पर नदी के पार की बीकड़ाई - अधिधिक 120 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खान स्थल की जमानाई - अधिधिकतम 400 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर, बीकड़ाई - अधिधिकतम 3000 मीटर, न्यूनतम 2000 मीटर जमानाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिधिकतम 14 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के पार की बीकड़ाई का 10 प्रतिशत क्षेत्र शामिल।
12. **खदान स्थल पर रेत की बीकड़ाई** - खदान अनुसार खदान पर रेत की बीकड़ाई - 3.14 मीटर तथा रेत खान की अनाधिक गहराई - 1.1 मीटर जमानाई गई है। अनुमोदित बाईनिंग खान अनुसार खदान में नदीतट क्षेत्र की मात्रा - 43.312 घनमीटर है। रेत खदाननु अनुमोदित स्थल पर खाननु में उपलब्ध रेत मात्रा की बीकड़ाई जानने के लिए अनाधिक खदान पर 5 गड्ढे प्रमाण खदाननु इसकी अनाधिक गहराई का अध्ययन कर, खनिज विभाग से अनाधिक जमानाक प्रमाण की गई है। इसके अनुसार रेत की अनाधिक अनाधिक बीकड़ाई 3.14 मीटर है। रेत की अनाधिक गहराई अनुमोदित खान की अनाधिक किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय नवीकृत संस्था विवरण** - इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय नवीकृत जली नहीं की गई है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत मात्रा के संवर्धन** - रेत खदाननु अनुमोदित खदान एवं अनाधिक खदान के अधिधिकतम तथा अनाधिकतम में 100 मीटर की दूरी तक 25

नदी पर कुल 25 सीटर के चिब सिन्ड्रोमी पर दिनांक 20/02/2020 को एक साथ के वर्तमान समय तक (Lenses) लगे, सभी क्षतिग्रस्त विमान से अपरिचितता सुधार करके/सुधार लक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने पर है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अधीन, दिनांक 01/05/2018 से अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) से निति के अन्तर्गत विमान से सभी उपरोक्त विभागनुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41.2	2%	0.82	Following activities at Nearby Government Adarsh Navash Mathura Shala Villages-Banshipur	
			Rain Water Harvesting System	1.01
			Plantation with fencing	0.10
			Total	1.11

16. नदी माइनिंग सेड – नदी के घाट की चौड़ाई अतिरिक्त 130 मीटर एवं गहराई – 120 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी गहराई 8 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का गहराई 10 अतिरिक्त होना चाहिए। अतः माइनिंग प्लान से नदी तट की गहराई 12 मीटर होकर अत्यन्त विषय जाना प्रभावित है, जिसमें 8,000 वर्गमीटर पर माइनिंग सेड लगा गया है। इस प्रकार से अत्यन्त का कार्य अत्यन्त 4.37 इन्टरनेट सेड से विषय जाना प्रभावित है।

17. सेड अत्यन्त सेटुअप विधि से एवं मलाई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रभावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक अत्यन्त की अनुमति मांगी है। अनुसंधित अत्यन्त योजना में प्रस्तावक किए जाने वाले सेड की वार्षिक सेड प्रस्तावक सबसे अत्यन्त कार्य एवं वार्षिकी कार्यवाही का सापेक्ष नहीं किया गया है। यद्यपि नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक सेड का प्रस्तावक होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वोत्तमों से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. वर्तमान खदान (ग्राम-बंशीपुर) का गहराई 4.38 इन्टरनेट है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में लीडर/सापेक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 2 इन्टरनेट का इससे कम होने के कारण यह खदान सी-2 होती नदी नहीं बनी।

2. प्रस्तावक कार्य – अत्यन्त सेड अत्यन्त पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पैके – 800 नग अत्यन्त के कार्य तथा सेड 800 नग (जामुन, कसर, बंशी, अत्यन्त अत्यन्त)

पीछे जमाए जायेंगे। इनके अतिरिक्त खुद भूमि पर 800 नम पीछे जमाए जायेंगे।

3. परिचालन प्रस्तावक को जमान क्षेत्र में आवसी 1.5 वर्ष में विस्तृत बजट प्रस्ताव (Detailed Budget) जमायेंगे, ताकि वह जो पुनर्माण (Replenishment) करते सभी आवसी क्षेत्र जलजनन जो नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघों जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की सुव्यवस्था पर जो जलजनन को प्रभाव की सभी जानकारी प्राप्त हो सके।

4. तीव्र क्षेत्र की सहाय का बेसलाइन डेटा -

- I. परिचालन प्रस्तावक द्वारा जलजनन के पूर्व जमान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टीपी जेए) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायेंगे। उपरोक्त सभी नदी सहाय के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुण 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
  - II. जो जमान के उपरोक्त मानसून के पूर्व (जुई मास के अंतिम सप्ताह / जुलै) में सर्वे किए तीव्र क्षेत्र तथा तीव्र क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा जमान क्षेत्र के बाहर / नदी तट (टीपी जेए) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहाय के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेंगा।
  - III. इसी प्रकार पीछ-मानसून में (जो जलजनन करने करने के पूर्व बजट प्रस्तावक इसी बिंदु बिन्दुओं पर जो सहाय के स्तर (Levels) का सर्वे किया जाएगा।
  - IV. जो सहाय के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं का जो सहाय की स्तर (Levels) का सर्वे का सर्वे जायेंगी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीछ-मानसून के अंतिम दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानसून के अंतिम अंतिम 2020, 2021, 2022 तक अतिरिक्त रूप से एआईआईएए, कालीसंग्रह की प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्त करवाते आयोगों से भी जलजनन बिंदु 1-2 बड़ीपुर रोड भाईपुर, बसरा जमाके 1165, प्रान-बड़ीपुर, जलजील-प्रतापपुर, जिला-बुलडापुर, कुल तीव्र क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से जो सर्वे सर्वे क्षेत्र 6.050 वर्गमीटर क्षेत्र काम करने पर 4.32 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो जलजनन अतिरिक्त 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 42,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष जो जलजनन हेतु पर्यावरणीय क्षीयता, जो दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु किए जाने की अनुमति की गई। जो की खुदाई अधिभार द्वारा (Subsidy) की जाएगी। बिंदु क्षेत्र (Pit Area) में भारी जलनी का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। तीव्र क्षेत्र में बिंधा जो खुदाई गड्ढे (Excavation Area) में लॉसिंग लाईट तथा जो जलजनन ट्रेक्टर ट्रेसी द्वारा किया जाएगा।
6. जो सर्वे क्षेत्र एवं जलजनन क्षेत्र का सर्वे एवं खनिज विभाग से सहाय सर्वेक्षण करने के अतिरिक्त ही खनिज विभाग द्वारा जलजनन की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिक्रिया द्वारा बंधन में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया की दिनांक 10/08/2020 को जलजनन क्षेत्रों के क्षेत्र में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा प्रस्ताव का प्रस्तावक किया गया। दिनांक सिद्धी जलजनन प्रतिक्रिया द्वारा सर्वेक्षणों से समिति की

अनुसूचा की स्वीकार करती हुई की नकलीत विद्य. 1-2 नवीयुग संग्रह माईन, खसरा क्रमांक 1188, ग्राम-बोलीपुर, तहसील-मलापुर, जिला-बिलासपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से 1.4 माईनिंग क्षेत्र 6.22 हेक्टेयर क्षेत्र ग्राम कर्म पर 4.37 हेक्टेयर क्षेत्र में, इस प्रायश्चित्त अधिकांशतः 1 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं है, कुल 43,000 घनमीटर प्रतिवर्ष की उपलब्ध हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी विभाग से यह वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक ज्ञाने कर निर्णय लिया गया।

परिष्कारण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

15. नहरों की अधिष्ठाता मातृ (हरथोका संग्रह माईन, ग्राम-हरथोका, तहसील-मलापुर, जिला-बोलीपुर), सारकण्ड, बंदाजीघारा, तहसील व जिला-बिलासपुर (सचिवालय का पत्ता क्रमांक 1218)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नंबर - एसआईए / सीडी / एमआईएम / 148817 / 2020 दिनांक 02 / 03 / 2020।

प्रस्तावक का विवरण - यह प्रस्तावित एक खदान (सींग खनिज) है। यह खदान ग्राम-हरथोका, तहसील-मलापुर, जिला-बोलीपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 136, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपलब्ध माईन नदी से किया गया प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपलब्ध खसरा-80,822 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 08 / 2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की पत्ती एवं इसका जानकारी का परीक्षण तथा प्रस्तावक सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई जल नदी से पार की गोदाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. यह उपलब्ध हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खदान के आग्नेय तथा उत्तरपश्चिम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का सिंग बन्धक, परमाणु में इस खदान के लेआउट (Layout) सिंग सिंग में प्रदर्शित कर प्रस्तुत करने ज्ञाने। इसकी अधिष्ठाता खाल क्षेत्र के बाएं / नदी तट (सींग) ओर में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी खदान की नदी (Layout) का भी लक्ष्य किया जाये। जहां खसरा 8,822 हेतु कम से कम 2 टेम्परी डैम मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी डैम मार्क (TBM) में खदान, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अधिष्ठाता किया जाये। सिंग में से टेम्परी डैम मार्क (TBM) को भी स्वीकार, चर्चा सचिवालय से प्रशासकीय प्रस्ताव फोटोवाकल सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने ज्ञाने।

3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी की पार की गोदाई का 10 प्रतिशत (10) भी अधिक हो, नहीं जानी है। यदि इसकी अनुमान खदान के कुछ क्षेत्र में उपलब्ध सिंग प्राप्त संभव न हो तो इसकी संपन्न कर, स्थल पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्रस्ताव में अधिष्ठाता कर हो सनाया जाये। खदान की खसरा क्षेत्र पूर्व प्रतिशोधित क्षेत्र को सीमा पर सचिवालय से सीमांकन करवाकर, प्रस्ताव पत्र प्राप्त किया जाए।

*Handwritten signature*

- 4. प्रस्तावित स्थल से निकलना पुल, बांध, एन्टीकट एवं अन्य बाधुती नहीं। ही पूर्ण बाधु आनवानी प्रस्तुत की जाए। पुल / एन्टीकट की दूरी खदान के अगस्टीम में अनुमान 500 मीटर तथा बांध/अगस्टीम में अनुमान 250 मीटर रखे जाना आवश्यक है। यदि लीक ड्रेज उपरीकनानुसार दूरी में अंतर किया हो, तो उपरोक्त अंतर पर ध्यान देते प्रतिक्रिया ड्रेज को आनवानीकानुसार वाली पर विचार कर, प्रस्ताव सौके पर सीमांकन एवं माईनिंग प्लान में इस बाधु कारकीय किया जाए।
- 5. गैर प्रचलन हेतु प्रस्तावित स्थल पर बांधिलन में उपखन गैर की सौदर्य प्लानने की लिए प्रति डेक्रेस में कम से कम एक मसदा (मस) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का पता कर, सुनिश्चित किया हो प्रयत्नित आनवानी प्रस्तुत की जाए। गैर ही वास्तविक गहराई हेतु गंधवाधु भी प्रस्तुत किया जावे।
- 6. यदि पूर्व में आवेडित स्थल पर अखन हेतु राज्य सरकार परचालन सन्वाधु निर्वाह अधिक्ता (एस.ई.आई.ए.ए.), अलीकनड अथवा डिआ अरुमि परचालन सन्वाधु निर्वाह अधिक्ता (सी.ई.आई.ए.ए.), अलीकनड द्वारा परचालनीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी परचालनीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्ता राउट के चलन में की गई कारकीयों की आनवानी कोठेपामा सहित प्रस्तुत की जाए। खन ही कुअरेशन की अणवण सिधुति भी आनवानी कोठेपामा सहित प्रस्तुत की जाए।
- 7. यदि खदान पूर्व ही सन्वाधुत हो, तो विचार करी में किए गए खदान की वास्तविक गंधु की आनवानी सन्निधु विचार में प्रस्तावित खन वन प्रस्तुत की जाए।
- 8. भारत सरकार परचालन, कम जीए अखनधु परचालन सन्वाधु, गई विजली के अधिगम, दिनांक 05/05/2018 के अनुसर सी.ई.आई.ए.ए. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- 9. सन्निधु निरीक्षा एवं परिचोखन अखनधु का खदान में गैर की लेगनर (Levels) लेने वाले सन्निधु (Surveyor) की साथ अणवणी गैर की आवेडित गैरक में सन्वाधुत सन्वाधु सुनिश्चित आनवानी / सन्वाधुत (अखन कोठेपामास) सहित प्रस्तुतीकरण विधु जाने हेतु निर्दिशत किया जाए।

तदनुसार सन्निधु निरीक्षा एवं परिचोखन अखनधु को एस.ई.आई.ए.ए., अलीकनड के अधिगम दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

**(ख) सन्निधु की अखनवी बैठक दिनांक 28/05/2020**

प्रस्तुतीकरण हेतु ही सुखनधु की सिधु, अधिक्ता प्रतिक्रिया उपनिधुत हुए। सन्निधु द्वारा वाली, प्रस्तुत आनवानी का अणवरीकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधुति कई गई—

1. खन सन्वाधुत का अणवरीकृत प्रमाण पत्र — गैर खदान के सन्धि में खन सन्वाधुत अणवरीकृत का दिनांक 20/11/2017 का अणवरीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सिन्धुकिता/सीन्धुकिता — अणवरीकृत अणवरीकृत, सन्निधुत गंधुत से खन प्रमाण पत्र अनुसारा यह खदान सिन्धुकिता/सीन्धुकिता कर साधित है।
3. अखनधुत कोठेपामा — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो सन्निधु अधिक्ता, डिआ-परिचालन के अधिगम दिनांक 22/05/2020 कोठेपामा, हेतुअनुसारा, दिनांक 20/02/2020 द्वारा अनुकीयत है।



4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञान अंशक 2284 डेडुवापुर, दिनांक 28/02/2020 के अनुसार आवंटित खदान में 500 मीटर के भीतर आवंटित अन्य रेत खदानों की संख्या शून्य है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञान अंशक 2284 डेडुवापुर, दिनांक 28/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एरीकट एवं अन्य आवृत्तों जैसी परिभाषित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.जी.आई. का विवरण - एल.जी.आई कार्यालय कलेक्टर (अग्नि शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञान अंशक 1374/13/विआई/2019 डेडुवापुर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जंगल, परिवहन, नदी निलती की अधिसूचना दिनांक 28/07/2014 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय जल-इस्तेमाल 0.35 कि.मी., स्कूल प्राथम-दरमितीय 0.7 कि.मी. एवं अस्पताल भद्रपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 54 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. दूर है। पर्यटन रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीकट स्थित नहीं है।
9. परिसिद्धिशील/जीवविधियां संवेदनशील क्षेत्र - परिसिद्धिशील परतलक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलपाएलय, राष्ट्रीय प्रमुख निरक्षय क्षेत्र द्वारा घोषित जिरिबली पॉन्डूटिक एरिया, परिसिद्धिशील संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविधियां क्षेत्र स्थित नहीं होने अतिरिक्त किया है।
10. खान स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट की दूरी - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के तट की चौड़ाई - अधिकतम 140 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 1180 मीटर, न्यूनतम 1124 मीटर, चौड़ाई - अधिकतम 54.20 मीटर, न्यूनतम 32.88 मीटर पराई गई है। खदान नदी तट पर नहीं हुई है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 अंशतः होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3.15 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 1.15 मीटर पराई गई है। अनुशंसित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मात्रा - 50,000 टन/वर्ष है। रेत प्राप्ति हेतु प्रस्तावित स्थल पर आवेदन में उल्लेख रेत खान की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर आवेदन में उल्लेख रेत खान की प्रस्तावित मोटाई का संपन्न कर, अग्नि विभाग से इच्छित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उल्लेख औसत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की माइनिंग पराई हेतु परतलका की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सर्वेक्षण संबंधी विवरण -
  1. पूर्व में सार्वजनिक जल पेशावर इन्फोका के नाम से रेत खदान खाना अंशक 2284, अंशक 13 डेडुवापुर, अंशक-30,000 टन/वर्ष अतिरिक्त है।





16. रेत उत्खनन विन्दुगत विधि से पूर्व नहरों का नहर लीज द्वारा कटाया जाना परामर्शित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति प्राप्ति है। अनुमोदित उत्खनन क्षेत्रों में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की दक्षिण वेत पुनर्स्थापन संबंधी अध्यायन कार्य एवं तकनीकी प्रक्रिया का समावेश नहीं किया गया है। नहरों की छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सात-आठ 1 मीटर गहराई से अधिक वेत का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित उत्खनन (प्राथ-उत्खनन) का नहरों 2 हेक्टेयर है। उत्खनन की सीमा से 500 मीटर की दूरी में लीजिंग / संघनित खदानों का कुल संख्या 3 हेक्टेयर या इससे कम होने की कारण यह उत्खनन की-2 मीटर की गहरी नहीं।
2. नहरों के कार्य - संघनितता के कारण पर नदी तट पर कुल 2,000 म<sup>2</sup> क्षेत्र - 1,000 म<sup>2</sup> अर्जुन के पेड़ तथा क्षेत्र 1,000 म<sup>2</sup> (जासुन, कंज, बॉस, आम आदि) पेड़ लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुल नहर पर 1,000 म<sup>2</sup> क्षेत्र लगाए जाएंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत उत्खनन क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्षों में विस्तृत नहर अध्यायन (Excavation Study) करवाकर, ताकि वेत की पुनर्स्थापन (Replenishment) प्रभाव नहीं आए। रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय संसाधन, जीव एवं मृत्यु जैवों पर प्रभाव तथा नदी के तटों की पुनर्स्थापन पर रेत उत्खनन के प्रभाव की गहरी जांचकारी कार्य की गई।
4. लीज क्षेत्र की सहायता का वैकल्पिक हल -
  - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। समीक्षा सभी नदी सहायता के स्तर (Levels) को सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
  - ii. रेत उत्खनन की समस्त खनन की पूर्व (पूर्व) नहर के अतिरिक्त सहायता / कुल में नदीसिद्ध लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अर्जुन एवं जासुन/मूंग में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सहायता के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विधि विन्दुओं पर किया जाएगा।
  - iii. इसी प्रकार पोस्ट-खनन में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व नहर सहायता इसी विधि विन्दुओं पर रेत सहायता के स्तर (Levels) का सर्वे किया जाएगा।
  - iv. रेत सहायता के पूर्व निर्धारित विधि विन्दुओं पर रेत सहायता के स्तर (Levels) के सर्वे का कार्य लगभग 3 वर्षों तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-खनन के अंतिम विवरण 2020, 2021, 2022 एवं प्री-खनन के अंतिम अंतिम अंतिम, 2021, 2022 तक अंतिम रूप से एराईआई.ए. प्रतीकात्मक का प्रस्तुत किए जाएंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से की अंतिम कार्य, परियोजना समूह नदी, पार लीज सहायता करवा 300 म<sup>2</sup> अर्जुन, जासुन, मूंग, लीज-पुनर्स्थापन, विला-अतिरिक्त, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से रेत नदीसिद्ध क्षेत्र 800 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 400 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अंतिम रूप से

L

Handwritten signature

मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिकतम हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। सेत की सुदई खनिजों द्वारा (Manually) भी जाएगी। दिनांक सेत (River Bed) में जारी रखने का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सेत क्षेत्र में किया सेत सुदई गडबडी (Excavation work) से संबंधित माईट तक सेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।

15. सेत माईनिंग क्षेत्र एवं अज्ञात माईनिंग क्षेत्र का सीके का खनिज विभाग से संबंध सीमांकन कराने की समतात ही खनिज विभाग द्वारा अनुमति की अनुमति की जाएगी।

**प्रतिकल्प द्वारा क्षेत्र में विचार -** पर्यावरण प्रस्ताव का प्रतिकल्प की दिनांक 18/06/2020 को समान 32वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नली वर अद्यतन किया गया। विचार दिनांक उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसाध्वी से समिति की अनुमति की सीमांकन कथे हुए की खनिजों साथ इलाका क्षेत्र माईन, पाई खीक खलाक इलाका 320 घान-इलाका, एलासील-महापुर, जिला-बोरिया, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर में से सेत माईनिंग क्षेत्र 320 घनमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.92 हेक्टेयर क्षेत्र में सेत पर्यावरण स्वीकृति। सेत की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 49,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिकतम हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

प्रतिकल्पना पर्यावरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. नेसन की एडोड सिंह ठाकुर (सी-1, एडोडवाण रोड माईन, इला-एलासील, एलासील-प्रधानपुर, जिला-सुरजपुर), विनोदा नगर, एलासील व जिला-बिलासपुर (सर्वसाध्वी का नसीद क्रमांक 1234)

खीनमाईन आवेदन - प्रस्ताव नम्बर - एलासील / सीके / एलासील / 147147 / 2020, दिनांक 08 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेत खदान (सीके स्वीकृति) है। यह खदान इला-एलासील, एलासील-प्रधानपुर, जिला-सुरजपुर स्थित खदान क्रमांक 422 घान क्षेत्र क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अनुमति खदान माईन से किया जाणा प्रस्तावित है। खदान की अनुमति पर्यावरण समता-49000.000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**वेडों का विवरण -**

(अ) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसीद एवं प्रस्ताव अनुमति का परीक्षण तथा सत्यापन सर्वसाध्वी से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सुदई एवं सीदई तथा नदी के बाट की सीदई की खानकारी प्रस्ताव की जाए।
2. सेत पर्यावरण हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अनुमति तथा अनुमति से 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुना 25 मीटर का सिद्ध अक्षांतर, अक्षांतर में सेत खदान के सीदई (Lease) क्षेत्र सिद्ध सेत में प्रस्तावित का प्रस्ताव जारी करे। इसके अतिरिक्त खदान क्षेत्र के खदान / नदी सेत (सीके सीके) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खदान की सीदई (Lease) का भी जारी

किमा जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु काम से काम 2 टमास्की वेव मार्क (Concrete TBM structure) निर्मित किये जाये। टमास्की वेव मार्क (TBM) में आरएन, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विद केर में टमास्की वेव मार्क (TBM) को भी पर्यवेक्ष, उक्त खनिज विभाग से प्रस्तावित/अनुमति प्राप्त करवाये जाये।

3. नदी/खेत से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 1/2 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) होनी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में प्राथमिक सिंचा योजना संभव न हो तो उसको गणना कर, उसको पर पर्यवेक्ष इसका पर्याप्त मापदंड पत्र में अंकित/रखा से कराया जाये। खदान को खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भीक का खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकलना भूज, कोय, एन्रीकड एवं जल आपूर्ति संबंध की दूरी बाधा खननकारी प्रस्तुत की जाय। भूज / एन्रीकड की दूरी खदान के आसपास में न्यूनतम 300 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि सीक क्षेत्र पर्याप्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो पर्याप्त अंतर पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नक्शे पर विनियत कर, प्रस्ताव सीक से सीमांकन तथा मापदंड पत्र में इस बाधा पर्याप्त किया जाए।
5. पत्र उपखनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रहे की गैरवाई जानने के लिए उक्त हेमेटेयर में काम से कम एक गहरा (15) मापदंड उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित खानकारी प्रस्तुत की जाए। पत्र की वास्तविक गहराई हेतु योजनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि भूज में आवेदित खान पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्याप्त कृपाकर निर्धारण अधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए), अतीरणक अथवा जिना राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण निर्धारण अधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए), अतीरणक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो भूज में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उक्त एवं अतिरिक्त गार्ड की पत्र में भी नई गैरवाई की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कृपाकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटीकरण सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान भूज से समाहित है तो विगत वर्षों में किए गए खनन की वास्तविक माफ को जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तावित कर, कर प्रस्तुत की जाए।
8. न्यूनतम सफाई, पर्यावरण, को और अत्यंत पर्यावरण संरक्षण, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाय।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रशासक को खदान से पत्र की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आवेदित माफ की आवेदित क्षेत्र में उपरोक्त संभव सूचना जानकारी / पर्याप्त (खदान कोटीकरण) सहित प्रस्तुतिकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार खनिज विभाग एवं पर्यावरण प्रशासक को एन.ई.ए.सी, अतीरणक के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/05/2020



11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – खनन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 220 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 500 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 27.8 मीटर, न्यूनतम 20.74 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट से किनारे से दूरी अधिकतम 85 मीटर, न्यूनतम 13 मीटर है, जबकि इलाकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – खनन अनुसार खनन पर रेत की मोटाई – 3.3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.15 मीटर बताई गई है। अनुसंधित जलविद्युत पराम अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 48,000 टन/दिनांक है। रेत खननन हेतु प्रस्तावित खनन पर खनन में उपलब्ध रेत खनन की मोटाई खनने के लिए प्रस्तावित खनन पर 5 मीटर (15%) खननन जमाकी कार्यात्मक गहराई का खनन कर, जलविद्युत विभाग से प्राप्ति कार्यात्मक प्रस्ताव की गई है। इससे अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.3 मीटर है। रेत की कार्यात्मक गहराई हेतु खननन भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत खनन के संयोजन – रेत खननन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की उपखनन तथा खनननन में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुना 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं का विभाज 18/02/2020 को रेत खनन का न्यूनतम संयोजन (Lease) लेकर, जहाँ जलविद्युत विभाग से अनुमति/खनन प्रस्ताव खोटी/खनन भविष्य कार्यात्मक/प्रस्तावित प्रस्तुत किये गए हैं।
15. जीपीएन पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – खनन करणन, पर्यावरण, वन और जलवायु विभाग, भारत, नई दिल्ली के जीपीएन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विवरण से जारी उपलब्ध किमानुसार निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए हैं-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation in Lakh Rupees)
40.58	2%	0.91	Following activities at nearby Government Primary School Village- Sattipara	
			Rain Water Harvesting System	0.75
			Running water facility for Toilets	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.85</b>

16. गैर माइनिंग क्षेत्र – नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 220 मीटर एवं न्यूनतम – 180 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूनतम 13 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत

होना चाहिए। जब माईनिंग प्रकल्प में नदी तट से न्यूनतम 22 मीटर से 18 मीटर चौड़ाई पर एकलान्तर किया जाना परमाहित है, जिसमें 2.535 वर्गमीटर में माईनिंग क्षेत्र होना चाहिए है। इस प्रकार सेत परस्पर का जमाई अवधि 4.54 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना परमाहित है।

17. सेत परस्परन निम्नलिखित विधि से पूरा किया जा कार्य जमीन प्राप्त करवाया जाना परमाहित है।
18. परिशोधन प्रसादाक द्वारा 1 से 18 मीटर की गहराई तक परस्परन की अनुमति मांगी है। अनुमतिगत परस्परन कोजवा में परस्परन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्णित सेत पुनर्भवन संबंधी अवधान कार्य सेत लक्ष्यधी अवधि का परस्परन नहीं किया गया है। परस्परन सभी छोटी नदी से तथा इससे अवधिगत में सम्भवतः 1 मीटर गहराई से अधिक सेत का पुनर्भवन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घान-वालीघरा) का क्षेत्र 4.2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/समाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर का उससे कम होने का कारण यह खदान की—2 बीघों की मन्दी मयी।
2. पुनर्भवन कार्य — अवधिगत सेत उपरान्त पर नदी तट पर कुल 1,500 मग बीघों — 750 मग खदान के पीछे तथा क्षेत्र 750 मग (न्याय, कृषि, वन, आदि) पीछे लगाए जायें। इससे अवधिगत खदान कार्य पर 750 मग पीछे लगाए जायें।
3. परिशोधन प्रसादाक सेत खदान क्षेत्र में अवधि 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राह अवधान (Detailed Study) करायेगा, ताकि सेत से पुनर्भवन (Rehabilitation) कार्य सभी अवधि, सेत परस्परन का नदी, नदीगत, सामीय अवधि, पीछे एवं कुल सीमा पर प्रभाव तथा नदी की घाटी की पुनर्भवन पर सेत परस्परन की प्रभाव की सभी अवधिगत प्राप्त की जाये।
4. सीमा क्षेत्र की सतह का रेकॉर्डिंग कार्य —
  1. परिशोधन प्रसादाक द्वारा परस्परन के पूर्ण खनन सीमा की सतह / नदी तट (घोनी जोग) से 100 मीटर तक से क्षेत्र में नदी सतह की सतह (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। अवधिगत सभी नदी सतह की सतह (Levels) का सर्वे 25 फुट 25 मीटर के अंतराल (Interval) में किया जायेगा।
  2. सेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व सर्वे सतह के अतिरिक्त सतह, धरती में माईनिंग सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अवधिगत एवं अवधिगत में 100 मीटर तक तथा खनन सीमा की सतह / नदी तट (घोनी जोग) से 100 मीटर तक से क्षेत्र में नदी सतह की सतह (Levels) का सर्वे पूर्ण निर्धारित सतह विन्दुओं पर किया जायेगा।
  3. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में सतह परस्परन प्रारंभ करने के पूर्व सतह (अवधिगत) इसी सतह विन्दुओं पर सेत सतह के उपरान्त (Levels) का सर्वे किया जायेगा।
  4. सेत सतह के पूर्व निर्धारित सतह विन्दुओं का सेत सतह के उपरान्त (Levels) का सर्वे का कार्य अवधि 3 वर्ष तक सतह किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के अवधि दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के अवधि अवधि

2020, 2021, 2022 तक अनियत रूप से एल.ई.आई.ए.ए. प्रतीसाधन को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मती से श्री राजीव सिंह तापुर सी-1, तल्लीपारा रोड नईन, खसरा क्रमांक 422, ग्राम-तल्लीपारा, तहसील-बालापुर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर मॉडर्निज क्षेत्र 2.535 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 4.84 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर उपखनन अधिसूचना 1 सीटा की महारई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर उपखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक ज्ञान की अनुमति की गई। जल की सुविधा समितियों द्वारा (Municipality) की जाएगी। गिरा बंध (River Bond) में गैर खानों का अंश प्रतिबन्धित होगा। लीज क्षेत्र में सिंचाई के सुविधा मजबूत (Irrigation work) से लीजिंग न्यूटेंट तक का वह परिसरान ट्रेक्टर ट्रेलर द्वारा किया जाएगा।
6. गैर मॉडर्निज क्षेत्र एवं अवशेष मॉडर्निज क्षेत्र का सीमांकन एवं सविनियमित विभाग से लक्ष्य सीमांकन करने के उपरोक्त से समितित विभाग द्वारा उपखनन की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव का प्रतिकल्प की दिनांक 10/08/2020 को संपन्न 33वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी की अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए श्री राजीव सिंह तापुर, सी-1, तल्लीपारा रोड नईन, खसरा क्रमांक 422, ग्राम-तल्लीपारा, तहसील-बालापुर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में से गैर मॉडर्निज क्षेत्र 2.535 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 4.84 हेक्टेयर क्षेत्र में, गैर उपखनन अधिसूचना 1 सीटा की महारई तक सीमित रखते हुए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष गैर उपखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक ज्ञान की निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. नसी की दिशानुसार मुस्ता (इका-1, खोखा रोड नईन, ग्राम-खोखा, तहसील व जिला-सुरजपुर, बार्ड नं. 7, तहसील व जिला-कबीरधाम (सविभाग का नसी क्रमांक 1251)

अनियत आवेदन - प्रमाणित नंबर - एल.ई.आई.ए. / सीटी / एम.आई.ए. / 148503/2020, दिनांक 12/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित गैर उपखनन (गैर अनियत) है। यह खदान ग्राम-खोखा, तहसील व जिला-सुरजपुर विभाग खसरा क्रमांक 1888, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उपखनन घुमावुट्टा नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की स्वीकृत उपखनन क्षमता-37244.74 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नसी एवं प्रस्ताव जनसमिति का परीक्षण तथा सार्वजनिक सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की लंबाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेल जंक्शन हेतु प्रस्तावित स्वतः एवं प्रस्तावित स्वतः की अपार्टमेंट तथा आउटस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का डिग बनाकर, पार्श्व में रेल स्टाक की लेवल्स (Levels) लेवल बिंदु में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किए जायें। इसके अतिरिक्त स्वतः सीज की बाय / गरी रोड (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में गरी रोड की लेवल्स (Levels) का भी सर्वे किया जायें। स्वतः लेवल्स Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी वेद गार्ड (Concrete TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेरी वेद गार्ड (TBM) में आउटलेट, को-ऑर्डिनेशन (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग में 2 टेम्पलेरी वेद गार्ड (TBM) को भी टेम्पलेरी, अन्य खनिज विभाग से प्रामाणिकता प्राप्त फोटोप्लान अंकित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. गरी रोड से स्वतः की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का गरी रोड की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसका अनुपात स्वतः की कुल क्षेत्र में बरकरार किया जाकर संभव न हो तो इसकी पर्याप्त कर, गार्ड का टेम्पलेरी, इसके अलावा खनिज विभाग में अतिरिक्त कर से कटवाया जायें। स्वतः के अन्त क्षेत्र एवं प्रदर्शित क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण गठ बनाया किया जायें।
4. प्रस्तावित स्वतः से निकटतम पूल, घाट, एपीकट एवं अन्य जगहों से गरी रोड की बाय / जानकारी प्रस्तुत की जाए। पूल / एपीकट की दूरी स्वतः की अपार्टमेंट में न्यूनतम 500 मीटर तथा आउटस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जल क्षेत्र उपरीकानुसार दूरी का अंतर कियत हो, तो उपरोक्त अंतर पर स्वतः हेतु प्रदर्शित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार गरी रोड विस्तृत कर इसका भीतर पर सीमांकन एवं मार्गनिर्णय पटल में इस बाय जोड़ना किया जायें।
5. रेल जंक्शन हेतु प्रस्तावित स्वतः एवं पार्श्व में उपलब्ध रेल की चौड़ाई जलमय के लिए प्रति इन्फोर्म में कम से कम एक गड़दा (Pit) कावकन इसकी कार्यात्मक गड़दाई का स्थान कर, खनिज विभाग से प्रदर्शित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेल की कार्यात्मक गड़दाई हेतु परमाणु में प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्वतः पर स्वतः हेतु चालू कर पर्याप्त समाधान निर्धारण कार्यालय (एस.ई.आई.ए.), उपरीकानुसार अथवा जिला सार्वजनिक पर्यावरण संचालन निर्देशन कार्यालय (डी.ई.आई.ए.), उपरीकानुसार द्वारा पर्यावरणीय अडिक्टि की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय अडिक्टि की प्रति एवं अतिरिक्त सर्वे के पालन में की गई कार्यात्मक की जानकारी फोटोप्लान सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्जांच की अवधि निर्धारित की जानकारी फोटोप्लान सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि स्वतः पूर्व से संबंधित है, तो डिग सर्वे में लिए गए जंक्शन की कार्यात्मक गार्ड की उपलब्धी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जायें।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण संचालन को स्वतः में रेल के लेवल्स (Levels) एवं स्वतः सर्वे (Surveyor) के साथ जानकारी सहित प्रदर्शित क्षेत्र में उपलब्ध समाप्त सुरक्षा जानकारी / दस्तावेज (स्वतः फोटोप्लान) सहित प्रस्तुतिकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जायें।

प्रमाणित करने निर्देशक एवं परिपोषण प्रशासक को एच.डी.ए.जी. कार्यालय के द्वारा दिनांक 29/05/2020 द्वारा प्रस्तुतिकायन हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 29/05/2020

प्रस्तुतिकायन हेतु की सुनील कल्याण अधिकृत समितिपर उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अन्वयगत एवं परीक्षण करने का निम्न विवरण चर्चा हुई-

1. राम पंचायत का अन्वयित प्रमाण पत्र - इस प्रमाणपत्र के संबंध में राम पंचायत कीवारा का दिनांक 29/05/2019 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, जिला रायचूर के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह कक्षा विन्यासित/सीमांकित बन प्रमाणित है।
3. प्रमाणित योजना - सर्वेक्षण प्लान प्रस्तुत किया गया है जो अतिरिक्त अधिकारी, जिला-रायचूर के द्वारा क्रमांक 2544/समिति/2020 मुमुम्पुर दिनांक 05/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (अतिरिक्त रायचूर), जिला-मुमुम्पुर के द्वारा क्रमांक 367/समिति/2020 मुमुम्पुर दिनांक 04/05/2020 के अनुसार अर्पित खदान की 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त अन्य इस खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अतिरिक्त रायचूर), जिला-मुमुम्पुर के द्वारा क्रमांक 2018/समिति/अतिरिक्त/2018 मुमुम्पुर दिनांक 04/05/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.डी.ए.ए. एवं अन्य अग्रणी खासि जमीनगत क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.डी.ए.ए. का विवरण - एन.डी.ए.ए. कार्यालय कलेक्टर (अतिरिक्त रायचूर), जिला-मुमुम्पुर के द्वारा क्रमांक 2532/गोखरे/दि.जी./न.क.02/2018 मुमुम्पुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु किया है।
7. इन विभाग का अन्वयित प्रमाण पत्र - कार्यालय जलसंधारणकारी, मुमुम्पुर जलसंधारण, जिला-मुमुम्पुर के द्वारा क्रमांक / स.पि./1528 मुमुम्पुर दिनांक 27/05/2020 को जारी अन्वयित प्रमाण पत्र अनुसार अर्पित भूमि का क्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. की दूरी पर है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पारिचालन एवं जीव जलसंधारण परिधान मंत्रालय, नई दिल्ली की अधीनस्थ दिनांक 28/07/2018 द्वारा निर्मित प्रारंभ में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महापूरण संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आवासीय राम-मुमुम्पुर 350 मीटर, स्कूल साविका 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल विभागपुर 5.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 20.8 कि.मी. दूर है। सीकृत क्षेत्र खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एन.डी.ए.ए. स्थित नहीं है।
10. पारिचालित/जीवजलसंधारण संरचनाओं की दूरी - परिपोषण प्रशासक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अतिरिक्त/जीव जलसंधारण, जलसंधारण, जलसंधारण

Handwritten signature

अनुदान नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकलरी वॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होने की घोषणा किया है।

11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 200 मीटर, न्यूनतम 180 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई – अधिकतम 800 मीटर, न्यूनतम 800 मीटर, चौड़ाई – अधिकतम 80.12 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर बताई गई है। खदान की नदी तट से दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होगा अधिक।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार खदान पर रेत की मोटाई – 3.13 मीटर तथा इस खदान की प्रस्तावित मोटाई – 1.1 मीटर बताई गई है। अनुमानित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेरल रेत की मात्रा – 37,744 घनमीटर है। इस खदान से अनुमानित खोज कर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जमाने के लिए प्रस्तावित खदान पर 2 मीटर (मिमी) अधिकतम इसकी वास्तविक मोटाई का स्थल पर, स्थिति विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध खोज मोटाई 1.3 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु पर्याप्त भी प्रस्तुत किया गया है।
13. दूरी में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल - रेत उपलब्ध हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपार्टीन तथा कॉन्सट्रीन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर घुमा 25 मीटर के विश्व सिन्दूरों का दिनांक 18/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल (Levels) लेकर, एवं स्थिति विभाग से प्रमाणित उपरोक्त कोर्टीयामस स्थिति जानकारी/वास्तविक प्रस्तुत किये गये है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, जल और पंचसंव्य परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/05/2008 को अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु धरिति के समस्त विभाग से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रमाण प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Amapeta (Korayn)	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Plantation	0.05
			Disbursement of books to students	0.05

*(Handwritten signature)*

			Planning to conservation and protection of environment	
			<b>Total</b>	<b>8.88</b>

16. **नदी न्यूननिम्न क्षेत्र** - नदी के तट की चौड़ाई अनिश्चित 200 मीटर तक न्यूनतम - 100 मीटर है, जबकि छद्मन की नदी तट से दूरी न्यूनतम 10 मीटर है। छद्मन की नदी तट से दूरी नदी के तट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। इस न्यूननिम्न क्षेत्र में नदी तट से न्यूनतम 20 मीटर से 50 मीटर अंतराल रखकर किनासा बनाया प्रस्तावित है, जिसमें 1.504 वर्गमीटर क्षेत्र न्यूननिम्न क्षेत्र रखा गया है। इस प्रकार नदी किनासा का कार्य अक्टूबर 2019 सेक्टर में किया जाना प्रस्तावित है।

17. नदी किनासा न्यूनतम विधि से पूर्व नदी का कार्य खोदकर प्राप्त कराया जाना प्रस्तावित है।

18. परिवहन प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक किनासा की अनुमति नहीं है। अनुमोदित किनासा में किनासा किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक से अधिक सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य एवं तराईयों आदि का सम्बन्ध नहीं किया गया है। पुनर्गठन नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक गहराई का पुनर्गठन होने की संभावना है।

**परिधि तट दिवार विनोद उपसंह संरक्षण विधि से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया-**

1. निर्दिष्ट छद्मन (खाम-बोरेवा) का रकबा 4 हेक्टेयर है। छद्मन की चौड़ाई से 500 मीटर की परिधि में सीमांत/संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक कम होने की कारण यह छद्मन को-2 क्षेत्र की सूची नहीं है।

2. **सुरक्षा कार्य** - अतिरिक्त के अलावा नदी तट का कुल 1,200 मीटर - 500 मीटर लंबाई के बीच तथा क्षेत्र 500 मीटर (खाम, बोर, बोर, खाम आदि) क्षेत्र अलग-अलग। इसके अतिरिक्त मूल कार्य पर 500 मीटर लंबाई कार्य है।

3. परिवहन प्रस्तावक नदी किनासा क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत मात अध्ययन (Situation Study) करवाएगा, ताकि नदी के पुनर्गठन (Replenishment) कार्य नहीं करवाए, कि किनासा का नदी, नदीतट, स्थानीय जनता, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के तटों की पुनर्गठन पर नदी किनासा के प्रभाव की सूची बनवाकर प्राप्त की गई।

**4. सीमा क्षेत्र की गहराई का रेसल्टिंग कार्य -**

1. परिवहन प्रस्तावक द्वारा किनासा के पूर्व खनन सीमा की बाधा / नदी तट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के स्तरों (Levels) का भी नवीन किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी तट के स्तर (Levels) को सर्वे 20 गुण 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

2. नदी किनासा के उपसंह मात क्षेत्र के पूर्व (गई मात के अतिरिक्त क्षेत्र/क्षेत्र) में न्यूननिम्न क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अतिरिक्त एवं अतिरिक्त में 100 मीटर तक तक खनन क्षेत्र के बाधा / नदी तट (दोनों क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्दिष्ट विधि विनोद पर किया जाएगा।

iii. इसी प्रकार पीछा-गानसुन में भी जलखनन कार्य करने के पूर्व यह आसपास इसी तरह विन्दुओं पर जल संचयन के उपकरण (Levelling) का मापन किया जाएगा।

iv. इस कार्य के पूर्व निर्धारित छिद्र विन्दुओं पर जल संचयन के उपकरण (Levelling) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पीछा-गानसुन के आसपास दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-गानसुन के आसपास वर्ष 2021, 2022, 2023 तक अनिवार्य रूप से एनईआईएए, क्वार्टीरगाव को प्रस्ताव किए जाएंगे।

5. शक्ति द्वारा विचार विमर्श जायदात परिसरभूमि में श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एफ-1, कोरेवा रोड मार्टिन, मन्दाय क्रमांक 1838, धान-कोरेवा, लखीम व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर सड़किय क्षेत्र 1.874 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 2.126 हेक्टेयर क्षेत्र में, यह जलखनन अधिकारण। पीछा की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष जल जलखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिखे जाने की अनुमति की गई। यह की खुदाई अभियान द्वारा (Manual) की जाएगी। गिर को (Main Well) में नहीं लक्ष्मी का प्रत्येक अधिकृत होगा। लीज क्षेत्र में स्थित दो खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से जोड़िंग खाई तक जल को परिवहन ट्रेक्टर द्वारा किया जाएगा।

6. गैर सड़किय क्षेत्र एवं क्वार्टीर सड़किय क्षेत्र का सीमा पर स्थित विभाग में सफाई योग्यता करने के उपरांत ही अनिवार्य विभाग द्वारा जलखनन की अनुमति दी जाएगी।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकरण की दिनांक 10/06/2020 को संलग्न 22वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा नसीब का उपरोक्त विचार गया। विचार विमर्श जायदात परिसरभूमि द्वारा परिसरभूमि से स्वीकृति की अनुमति को स्वीकार करते हुए श्री दिलीप कुमार गुप्ता, एफ-1, कोरेवा रोड मार्टिन, मन्दाय क्रमांक 1838, धान-कोरेवा, लखीम व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर में से गैर सड़किय क्षेत्र 1.874 हेक्टेयर क्षेत्र कम करने पर 2.126 हेक्टेयर क्षेत्र में, यह जलखनन अधिकारण। पीछा की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,500 घनमीटर प्रतिवर्ष जल जलखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिखे जाने का निर्णय लिया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. केशव श्री दिलीप कुमार गुप्ता (एफ-2 कोरेवा रोड मार्टिन, धान-कोरेवा, लखीम व जिला-सुरजपुर), लखीम व जिला-कबीरवाह (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1258) जीपसड़किय आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीसी / एसआईए / 148719 / 2020, दिनांक 13/03/2020।

इसका का विवरण - यह परिसरभूमि जल संचयन (लीज अनिवार्य) है। यह संचयन धान-कोरेवा, लखीम व जिला-सुरजपुर स्थित जायदात क्रमांक 2711, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जलखनन पुनःसृष्टि नदी से किया जल्य परिसरभूमि है। संचयन की आवेदित जलखनन क्षमता-41,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(ख) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2009

समिति द्वारा उत्तर प्रदेश की नदी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा आवश्यक सर्वेक्षणों से निम्नानुसार निर्णय किया गया है—

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी से घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुना 25 मीटर का चिह्न बनाकर, वर्षावन में रेत संचय के लेवल्स (Levels) लेकर चिह्न में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त खान क्षेत्र की बाबा / नदी तट (बैंक) क्षेत्रों में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी संचय के लेवल्स (Levels) का भी चर्चा किया जाए। प्रत्येक लेवल पर हेतु तम से कम 2 टेम्पलेट वेथ मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किए जाएं। टेम्पलेट वेथ मार्क (TBM) में जल-एल, डी-ऑक्सीजन (De-oxygenated) स्थिति निर्दिष्ट करें। दिन में 2 टेम्पलेट वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, सभी स्थिति निर्माण से उपरोक्त प्रस्तुत फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाए।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का नदी से घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के द्वारा क्षेत्र में उत्खनन किया जाता समय 9 ही जो उत्खनी नभय कर, नदी पर दर्शाकर, इसका उपरोक्त माइनिंग प्लान में अतिरिक्त रूप से कराए जाये। खदान के खान क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को भीके एवं स्थिति निर्माण से सीमांकन करके, प्रमाण एवं प्रमाण किया जाए।
4. प्रस्तावित खान से निकलने वाला पानी, बाघ, एनीमल एवं जल आधुनिक स्थिति की दूरी कम से कम जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुरु / एनीमल की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर तक जाना आवश्यक है। यदि क्षेत्र बाघ उपरोक्तानुसार दूरी से अलग स्थित हो, तो उपरोक्त अक्षांश पर खान हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को आवश्यकतानुसार चर्चा पर निर्धारित कर, उत्खनी क्षेत्र पर सीमांकन एवं माइनिंग प्लान में इस समय उपरोक्त किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्षावन में उपलब्ध रेत की चौड़ाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (जब) उपरोक्त उत्खनी प्रस्तावित गड्ढाई का मापन कर, स्थिति निर्माण से प्रदर्शित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की उपरोक्त गड्ढाई हेतु प्रमाणों की प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि पूर्व में उपरोक्त खान पर खान हेतु राज्य सरकार परीक्षण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एच.आई.ए.ए.), उत्खनीगत अथवा जिला स्तरीय प्राधिकरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्खनीगत राज्य परीक्षण स्वीकृति की गई हो, तो पूर्व में जहाँ परीक्षण स्वीकृति की गयी एवं अतिरिक्त चर्चा के पत्र में भी गई जानकारी की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही उपरोक्त की अक्षांश स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से प्रस्तावित हो, तो जिला स्तर में किए गए उत्खनन की उपरोक्त मात्र की जानकारी स्थिति निर्माण से प्रदर्शित करा कर प्रस्तुत की जाए।

*Handwritten signature*

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु अंशतः प्रस्तुत किया गया।

9. जर्मि निरीक्षण एवं परियोजना प्रभावक को अद्यतन में पैर की लेवलिंग (Levels) होने वाले सटीक (Detailed) के साथ आपसी सह को समायोजित बैठक में प्रयोक्ता समस्त सुरक्षा जलवायु / पर्यावरण (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण विधि ज्ञान हेतु निर्दिष्ट किया गया।

समानुसार जर्मि निरीक्षण एवं परियोजना प्रभावक को एच.ई.एच.सी., सटीकता के अंशतः दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(8) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 28/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की सुनीत प्रभावक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत आशयों का अन्वेषण एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. धान प्रभावक का अनापत्ति प्रमाण पत्र - नए प्रमाण के संकेत में धान प्रभावक कोना का दिनांक 29/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दुचित्र/सीनचित्र - कार्यालय कलेक्टर, सचिव सादा में धान प्रमाण पत्र अनुसार यह अद्यतन विन्दुचित्र/सीनचित्र बन गीते हैं।
3. प्रमाणित सीनचित्र - सचिव पराम प्रस्तुत किया गया है, जो जर्मि अधिकारी, जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशतः 2347/सचिव/2020 सचिव केसुअपुर दिनांक 05/09/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित अद्यतन - कार्यालय कलेक्टर (सचिव सादा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशतः 2427/सचिव/2020 सुरजपुर दिनांक 04/08/2020 के अनुसार अधिकृत अद्यतन के 500 मीटर के सीटर अर्थव्यापक अंशतः सचिवों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/बाँवबन्ध - कार्यालय कलेक्टर (सचिव सादा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशतः 2419/सचिव/सी.ई.आर./2018 सुरजपुर दिनांक 04/08/2020 द्वारा धान जारी प्रमाण पत्र अनुसार अद्यतन के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अनायास, स्कूल, पुत, बाँव, एनिका एवं अज्ञ आर्गुन अर्थव्यापक क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (सचिव सादा), जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशतः 2480/सी.ई.आर./सी.ई.आर./सुरजपुर/2018 सुरजपुर दिनांक 18/08/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अर्थव्यापक 2 पत्र हेतु पैर है।
7. धान प्रमाण का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय सचिव/सचिव/सचिव, सुरजपुर सचिव/सचिव, जिला-सुरजपुर के द्वारा अंशतः / सचिव / 2020 सुरजपुर दिनांक 27/08/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार अधिकृत सुनि वन वन की सीमा है 8 किमी की दूरी पर है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्रयोग में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति अनुसूत की गई है।
9. सहजपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निम्नलिखित आवासीय घास-जोड़ा 0.50 कि.मी., खुल-घास-जोड़ा 0.50 कि.मी. एवं जलवायु विभाग 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 कि.मी. एवं राज्यस्तर 20 कि.मी. दूर है। सीकृत का खदान की 1 कि.मी. की दूरी तक पूरा/एकीकृत किया गया है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में जैवविविधता सीमा, राष्ट्रीय खदान, जलवायु, जैवविविधता अधिनियम नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधता संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र किता नहीं होना प्रमाणित किया है।
11. खान खान पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खान की नदी घाट से दूरी - अधिनियम अनुसार खान खान पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 100 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर तथा खान खान की खोद - अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 888 मीटर, चौड़ाई - अधिकतम 82.08 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर खोद गई है। खान की नदी घाट के बहिर्मुखी किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है।
12. खान खान पर रेत की खोद - अधिनियम अनुसार खान पर रेत की खोद - 3.15 मीटर तथा रेत खान की प्रस्तावित खोद - 1.15 मीटर खोद गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खान में माइनिंग रेत की मात्रा - 81,400 घनमीटर है। रेत खानन हेतु प्रस्तावित खान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत साठों की खोद खानों के लिए प्रस्तावित खान पर 3 गडदे (115 घनमीटर) खोद कर कार्यात्मक खोद का खान कर, अधिनियम से प्रस्तावित खानखानी अनुसूत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत खोद 3.1 मीटर है। रेत की कार्यात्मक खोद हेतु खानन में अनुसूत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीकृत संबंधी विवरण - इन खान का पूर्व में पर्यावरणीय सीकृत जारी नहीं की गई है।
14. खान क्षेत्र में रेत साठों के खोद - रेत खानन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के उपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर मुला 25 मीटर के दिग्ग सिन्धुओं पर दिनांक 18/02/2020 को रेत साठों के बहिर्मुखी खोद (Leach) क्षेत्र, नई खानित किनारे से प्रभावीकरण उपलब्ध फोटोडॉकमेंट सहित खानखानी/दस्तावेज अनुसूत किया गया है।
15. सीकृत पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01/09/2018 को अनुसार सीकृत (Corporate Environment Responsibility) हेतु सीकृत के साथ विवरण की धर्ती प्रस्तावित निम्नानुसार प्रस्तावित अनुसूत अनुसूत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

*(Handwritten signature)*

		(Rupees)	(in Lakh Rupees)	
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Karaya	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Running water facility for Toilets	0.05
			Plantation	0.05
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
<b>Total</b>			<b>0.74</b>	

28. यह उत्खनन मैनुअल विधि से पूर्ण चलाई जा कार्य सीज द्वारा बनया जाना प्रस्तावित है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमतिगत उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक वार पुनर्भरण शक्यता कायम रख कर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया है। पुनर्भरण नहीं होती है जब इसमें वर्षाकाल में सामान्य 1 मीटर गहराई से अधिक पैसा का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

1. आवेदित खदान (गल-कीला) का खोबा 4 टैपेटेयर है। खदान की लीम 10 500 मीटर की परिधि में सीक्युरिटी/संघर्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 टैपेटेयर का खदानों का होने से कारण यह खदान सी-2 नहीं की गयी।
2. कुलखोबा कार्य - प्राथमिकता के कारण पर नदी पर कुल 1,200 मग पीपी - 600 मग अर्धुन की पीपी तथा 600 मग (ताकुर, कनेक्ट बॉल, आन आदि) पीपी लगाए जायेंगे। इनके अतिरिक्त पट्टन चार्ज पर 300 मग पीपी लचर जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेल खदान क्षेत्र में लगभग 1.5 वर्ग मी विस्तृत रात उत्खनन (excavation activity) करायेगा, ताकि रेल के पुनर्भरण (replenishment) वांछा नहीं जाकर, रेल उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घनी की सुरक्षा का यह उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीम क्षेत्र की सहाय का बेसलाईन सात -
  1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्ण उत्खनन लीम के बाहर / नदी तल (टॉप ऑफ) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सहाय के चारों (Levels) का भी सही किया जायेगा। परियोजना नहीं नदी सहाय के चारों (Levels) पर करी 25 गुण 25 मीटर के अंतराल (Interval) में किया जाएगा।
  2. रेल खदान के उपरोक्त मासकुर के पूर्ण (पूर्ण) सात के अतिरिक्त सहाय/चलन में प्राथमिक लीम क्षेत्र तथा लीम क्षेत्र के अर्धुन एवं अर्धुन में 100

↓  


मीटर तक एवं जलन लीज के साइड / नदी तट (टॉपी जॉय) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साइड के सारी (Levelling) का सर्वे पूर्ण निर्धारित डिग सिन्दुरों पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-बनसुर में (रेल जलनन इन्जिन काले के पूर्व भाग बगदुन) इसी डिग सिन्दुरों पर रेल साइड के लेवलिंग (Levelling) का सर्वे किया जाएगा।

iv. रेल साइड के पूर्ण निर्धारित डिग सिन्दुरों पर रेल साइड के लेवलिंग (Levelling) का सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पोस्ट-बनसुर के आगवें दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं डी-बनसुर के आगवें दिनांक 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एनई-आई.ए.ए., कालीबगदुन को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. राशिति द्वारा विभाग विन्दा उपरोक्त सर्वेक्षणों से की दितीय कुशल नुमा एक-2, कोरेवा रोन्ड बार्डन, बामन कमांक 2711, बाम-बरेण्ड, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेल जलनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेल जलनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेल की सुगई सगिर्षों द्वारा (Manually) की जाएगी। सिंग वेज (Single Bed) में गरी जलनी का प्रयोग इतिरदिश होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेल सुगई गडदे (Interlocking area) में लीविंग पार्सिट तक रेल का पर्यवेक्षण ट्रेक्टर टॉपी द्वारा किया जाएगा।

अधिकतम द्वारा बेटक में विचार - उपरोक्त प्रकार पर अधिकतम की दिनांक 10/08/2020 को सभन 05वीं बेटक में विचार किया गया। अधिकतम द्वारा मल्ली का सपत्तीकरण किया गया। विचार दिमर्त उपरोक्त अधिकतम द्वारा सर्वेक्षणों में राशिति की अनुमति की स्वीकृत करते हुए की दितीय कुशल नुमा एक-2, कोरेवा रोन्ड बार्डन, बरारा कमांक 2711, बाम-बरेण्ड, तहसील व जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेल जलनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेल जलनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया।

परिचालन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

19. मराल की राकीस सिद्ध राकुर (सी-2 कालीबारा-3 रोन्ड बार्डन, बाम-कालीबारा, तहसील-बतापपुर, जिला-सुरजपुर), विन्डक नगर, तहसील व जिला-बिलासपुर (सविदासब का मल्ली कमांक 1258)

कीनलईन आवेदन - प्रवेदान नम्बर - एकसाइड / सीपी / एनई-आई.ए.ए. / 148830 / 2020, दिनांक 13/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल अडान (पीन खनिज) है। यह अडान बाम-कालीबारा, तहसील-बतापपुर, जिला-सुरजपुर स्थित बरारा कमांक 3, कुल लीज क्षेत्र 4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। जलनन महान नदी से किया जाये प्रस्तावित है। अडान की आवेदित जलनन क्षमता-51,238 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बेटकों का विवरण -

(अ) राशिति की 322वीं बेटक दिनांक 13/08/2020



समिति द्वारा प्रकल्प की सभी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसाध्वी से निम्नानुसार विनियमित किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की जम्माई एवं सीमाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. इस उपखण्ड हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के आन्तरीम तथा अन्तर्गत में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथा 25 मीटर का चिह्न बंधक, परीक्षण में इस खनन की लेवल्स (Levels) लेवल सिव में प्रस्तावित खनन प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाहर / नदी घाट (रॉन्ड कोर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तथा के घाटों (Levels) का भी चिह्न किया जाये। खनन लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट बेंच मार्क (Controlled TBM Markers) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आइएन को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न क्षेत्र में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी इन्फोर्म एवं स्थितिज विभाग से प्रस्तावित खनन सम्बंधित फोटोग्राम्स सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
3. खनन से खदान की चौड़ाई की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इनके अनुसार खदान की कुछ क्षेत्र में उपखनन किया जाना संभव न हो तो उसकी पहचान कर, नदी पर परीक्षण, इसका संश्लेषण सर्वेक्षण प्रभाग में अधिष्ठाता कार से कराया जाये। खदान की खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को सीमा पर स्थितिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकटतम दूर, बंग, स्वीकट एवं अन्य आसुरी नदीय की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। गुंथ / एनीकट की दूरी खदान के आन्तरीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा आन्तरीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा खनन आसुरक है। यदि सीमा क्षेत्र उपरीक्षणानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की आवश्यकतानुसार नदी पर स्थितिज कार, खनन क्षेत्र पर सीमांकन तथा सर्वेक्षण प्रभाग में इन बाधा संश्लेषण किया जाए।
5. इस उपखण्ड हेतु प्रस्तावित खनन पर परीक्षण में उपलब्ध क्षेत्र की सीमाई खनन के लिए, यदि लेवल्स में कम से कम एक मटर (अथ) दोपहर उसकी वास्तविक मटराई का मापन कर, स्थितिज विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। क्षेत्र की वास्तविक मटराई हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायें।
6. यदि पूर्व में आवेदित खनन पर खनन हेतु राज्य राज परीक्षण सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरण (एच.ई.आई.ए.ए.), राष्ट्रीय राज अथवा जिला राष्ट्रीय परीक्षण सम्बंधित निर्धारण प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), प्रकीर्णक द्वारा परीक्षणयोग्य स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी परीक्षणयोग्य स्वीकृति की प्रति एवं अधिष्ठाता कार्टी के पासन में जो गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की स्वीकृति की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विभाग कार्य में किए गए उपखनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी स्थितिज विभाग से प्रस्तावित करत कर प्रस्तुत की जाए।

8. नाला परस्पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. जल निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में सेल वी लेवल (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) की साथ आगामी चार वी आर्देजिड रीपोर्ट में उपरोक्त समस्त सुशोचन जानकारी / प्रस्तावित (खदान फोटीड्राइंग) संबंधित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाये।

उपरोक्त जल निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एच.ई.ए.सी. प्रतीपत्र के द्वारा दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 234वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सिंह रावत, डीपार्टमेंटल ज्यूरिस्टिक सुर। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का जांचोचन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धि आई पड़े—

1. खान प्रस्ताव का अन्तर्गत प्रमाण पत्र — सेल लेवल के संबंध में खान प्रस्तावक को दिनांक 25/08/2019 का अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. विभाजित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, जलित खान से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार वह खदान विभाजित/सीमांकित तब प्रेषित है।

3. जलचक्रण योजना — गार्डनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो जल अधिकारी, जिला-सुरजपुर के द्वारा दिनांक 2348/जलित/2020 कोरिया, सुरजपुर दिनांक 05/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (जलित खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा दिनांक 3888/जलित/2020 सुरजपुर दिनांक 04/03/2020 के अनुसार आर्देजिड खदान से 500 मीटर से नीचे आर्देजिड खान से खदानों की संख्या निम्न है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचना — कार्यालय कलेक्टर (जलित खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा दिनांक 2565/जलित/2020 सुरजपुर दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खान खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एन.एच. एवं जल आपूर्ति जलित आर्देजिड क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई का विवरण — एल.ओ.आई, कार्यालय कलेक्टर (जलित खान), जिला-सुरजपुर के द्वारा दिनांक 3472/पी.एच.डी./वि.सी./न.अ.अ.अ./2019 सुरजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी जांचि 2 वर्ष हेतु की है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — नाला परस्पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की परियोजना दिनांक 25/08/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. खदान पूर्ण संरचनाओं की दूरी — निरक्षर आबादी खान-सीमांकित / सार्वजनिक 500 मि.मी. स्कूल सीमांकित 750 मीटर एवं अस्पताल प्रस्तावक 15 मि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 मि.मी, एवं राज्यमार्ग 0.4 मि.मी, दूर है। सीमांकित सेल खदान से 1 मि.मी. की दूरी तक पुल/एन.एच. स्थित नहीं है।

9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - वनविभाग जलानगराधिकारी, सुल्तपुर तालुका, जिला-सुल्तपुर को द्वारा क्रमांक / पत्र/1832 सुल्तपुर, दिनांक 27/05/2020 का जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसंधान आवेदित घुंमि वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदाशील क्षेत्र - परियोजना प्रभावित द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतरराज्य, सेंट्रीफ प्रमुख सिंचन क्षेत्र द्वारा घोषित डिस्टिकली प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदाशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिवेदित किया है।
11. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - अधिवेदन अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 210 मीटर, न्यूनतम 160 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई - अधिकतम 224 मीटर, न्यूनतम 146 मीटर, चौड़ाई - अधिकतम 85.77 मीटर, न्यूनतम 84 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 22 मीटर, न्यूनतम 20 मीटर है।
12. खदान स्थल पर गेज की चौड़ाई - अधिवेदन अनुसार खदान पर गेज की चौड़ाई - 3.17 मीटर तथा गेज खदान की प्रस्तावित लंबाई - 1.15 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में खनिकता गेज की चौड़ाई - 51,300 घनमीटर है। गेज व्यवस्था हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनिकता में उपलब्ध गेज साइज की चौड़ाई जमाने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 3 मटर 5000 लॉन्ग जमाने काव्यविक गेज चौड़ाई पर मापन कर, खनिक विभाग से प्रस्तावित जमानकी प्रस्ताव की गई है। इसके अनुसार गेज की लंबाई अधिकतम चौड़ाई 3.17 मीटर है। गेज की आव्यविक गेज चौड़ाई हेतु जमानका भी प्रस्ताव किया गया है।
13. पूरे में जमीन पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूरे में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में गेज साइज की लेवलिंग - गेज जमानका हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खदान के जमानकी तथा जमानकी में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर की डिग डिग्री पर दिनांक 18/02/2020 को गेज साइज के वर्तमान लेवलिंग Levels लेवल, राष्ट्रीय विभाग से जमानकीकरण उपलब्ध फोटोग्रामा सहित जमानकी/उपलब्ध प्रस्ताव किया गया है।
15. इंडीपेंडेंट चर्चालकीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पारिषद, पर जमानका प्रस्ताव परियोजना संकलन, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु दायित्व के अन्तर्गत विचार के सभी उपलब्ध निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्ताव किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40.94	2%	0.81	Following activities of Nearby Government Primary School Village-Digdigwara	

↓  


			(Battipara)
		Rain Water Harvesting System	0.80
		Planting water facility for Tanks	0.10
		Plantation	0.05
		Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.05
		<b>Total</b>	<b>1.05</b>

16. गैर वास्तव्यम वीजुधत विधि से एवं मच्छी का बाड़े जोड़कर द्वारा अनाथ धामों प्रभावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.15 मीटर की गहराई तक वास्तव्यम की अनुमति कमी है। अनुमोदित वास्तव्यम योजना में वास्तव्यम विद् जाने वाले क्षेत्र की सर्विके से पुनर्भरण संरक्षी अध्ययन करके एवं तमसंबंधी अंकनों का तयारीत गति किया गया है। मान्य नदी घाटी नदी है जहां इन्में वर्षाकाल में वास्तव्यम 1 मीटर गहराई से अधिक से का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिती द्वारा विचार विमर्श उपरंत संवेद्यमति से विन्यायुसार निर्णय किया गया—

1. आरेखित अंशान (घाट-अरेखित) का वास्तव्यम 1.15 मीटर है। वास्तव्यम की सीमा से 500 मीटर की परिधि में तयारीत/संरक्षित अंशानों का कुल वास्तव्यम 5 मीटर का प्रसार काय होने के अंशान यह अंशान से-2 कमी की कमी कमी।

2. पुनर्भरण कार्य - वास्तव्यम के अंशान पर गती गत पर कुल 1500 मम की - 150 मम अंशान के पीछे तथा 150 मम अंशान कमी, काय, काय अंशान, पीछे तथा अंशान। अंशान अंशान पर 150 मम पीछे अंशान अंशान।

3. परियोजना प्रस्तावक से वास्तव्यम क्षेत्र में अंशानों 1.5 वर्ष में विस्तृत वायु अध्ययन (Air Quality Study) करवाये, ताकि से का पुनर्भरण (Recharge) वास्तव्यम गती अंशान, से वास्तव्यम का नदी, नदीकाल अंशानों अंशान, पीछे एवं अंशान पीछे पर अंशान तथा नदी की कमी की अंशानों पर से वास्तव्यम के अंशान की सती अंशानों अंशान हो सके।

4. सीमा क्षेत्र की सतह का वेसलटाईन अंशान -

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वास्तव्यम की पूर्व अंशान सीमा की बाहर / नदी अंशान (घाटों अंशान) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी सतह के अंशान (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। अंशानों कमी गती सतह के अंशान (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंशान (Grid) में किया जायेगा।

2. से अंशान की अंशानों अंशानों के पूर्व (पूर्व) तक के अंशान अंशान/अंशानों में अंशानों सीमा क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्र के अंशानों एवं अंशानों में 500 मीटर तक तथा अंशान सीमा के बाहर / नदी अंशान (घाटों अंशान) के 100



मीटर तक की शैव में नदी काढ़ा की नली (Levee) का लंबे पूरे निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जाएगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (सब अवलोकन प्राप्त करने के पूर्व महा अवलोकन) इसी चिह्न बिन्दुओं पर नदी काढ़ा की लेवेल (Levee) का मापन किया जाएगा।

iv. नदी काढ़ा की पूरे निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी काढ़ा की लेवेल (Levee) की मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े विषयक 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानसून के आंकड़े आगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एनआईआई,ए, (मनीषा) को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से श्री नरेंद्र सिंह तल्लूर, सी-2 बालीबारा-3 ब्लॉक मर्दान, बरसात ब्लॉक 04, ग्राम-बालीबारा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर क्षेत्र में, नदी अवलोकन अधिकरण 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखे हुए, कुल 49,800 घनमीटर प्रतिवर्ष नदी अवलोकन हेतु पर्यावरणीय सीद्दुति, जहाँ दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक करने की अनुमति की गई। 02 की सुधारी भूमिती द्वारा (Mansuab) की जाएगी। निम्न बेट (Mansuab) में मरि जाणों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में निम्न नदी सुधारी पद्धति (Excavation) को प्रतिबंधित माईट तक नदी का परिपट्टन इंचान टूटिती द्वारा किया जाएगा।

प्रतिकल्प द्वारा बेटक में निम्न - उपरोक्त अवलोकन पर प्रतिकल्प की दिनांक 18/08/2020 को लागू 04वीं बेटक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुये श्री नरेंद्र सिंह तल्लूर, सी-2 बालीबारा-3 ब्लॉक मर्दान, बरसात ब्लॉक 04, ग्राम-बालीबारा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.96 हेक्टेयर क्षेत्र में, नदी अवलोकन अधिकरण 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखे हुए, कुल 49,800 घनमीटर प्रतिवर्ष नदी अवलोकन हेतु पर्यावरणीय सीद्दुति, जहाँ दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विवेक करने का निर्णय किया गया।

परिपट्टन पर्यावरण को पर्यावरणीय सीद्दुती जारी किया जाए।

20. नदी श्री नदीगत चिह्न (ii)-1 बलीपुर ब्लॉक मर्दान, ग्राम-बलीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर, टिकनारा, तहसील व जिला-भगतरी (सर्विवालय का नदी कनाक 1264)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोग नम्बर - एनआईए /सीडी /एनआईएन / 148822 / 2020, दिनांक 18/08/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित नदी काढ़ा (पीएन सीडी) है। यह काढ़ा ग्राम-बलीपुर, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सुरजपुर निम्न खसरा क्रमांक 1-85, कुल लीज क्षेत्र 4.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अवलोकन मापन नदी से किया गया प्रस्तावित है। काढ़ा की अवधि अवलोकन क्षमता-48824.08 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बेटकों का विवरण -

(iv) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

संश्लेषित द्वारा प्रस्ताव की जाती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तदनुसार कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था -

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी व घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेद उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 500 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर रुम 25 मीटर का रिक्त बनाकर, परिसर में वेद खनन के दौरान Levels, वेदों रिक्त में उपस्थित कर प्रस्तुत किने जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के बाह्य / नदी तट (दोनों ओर) से 500 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के सतह (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त क्षेत्रों (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट वेद बनाव (Controlled TBM structures) निर्धारित किने जाये। टेम्पलेट वेद बनाव (TBM) में को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किने जाये। रिक्त में 2 टेम्पलेट वेद बनाव (TBM) को भी पर्याप्त बन्द क्षतिग्रस्त विभाग से प्रामाणिकता प्रदान कीटीदायक सशित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किने जाये।
3. सर्वेक्षण से खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 50 मीटर का बची हो जाए की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रहनी जानी है। यदि इसकी अनुसार खनन के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी संभव कर नये पर पर्याप्त, इतना उचित सादृशिक खनन से अतिरिक्त कर हो सकता जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं अतिरिक्त क्षेत्र को सीके पर क्षतिग्रस्त विभाग से सौभाग्य अनुसार, प्रमाण पर प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुन, खन, एन्टीकट एवं जल आपूर्ति क्षेत्र की दूरी खनन जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुन / एन्टीकट की दूरी खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तथा जल उपकरण है। यदि क्षेत्र क्षेत्र उपरीक्षानुसार दूरी के अंतर किया हो, तो उपरीक्षा प्रदान पर खनन हेतु अतिरिक्त क्षेत्र को उपरीक्षानुसार नये पर निर्णित पुन, प्रस्ताव नीके पर सौभाग्य तथा सशित खनन में इस बाबत उचित किने जाये।
5. वेद उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध वेद की मोटाई जानने के लिए, खोई डेप्लेस में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोकर जलनी बाधाविक संभव का संभव कर, क्षतिग्रस्त विभाग से प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। वेद की सार्वभौमिक मोटाई हेतु प्रस्तावित क्षेत्र प्रस्तुत किने जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्था पर खनन हेतु उक्त स्था पर्याप्त संभावित निर्धारित पर्याप्त (एन.डी.आई.ए.ए.), क्षतिग्रस्त स्थला पिता सशित पर्याप्त संभावित निर्धारित पर्याप्त (एन.डी.आई.ए.ए.), क्षतिग्रस्त द्वारा पर्याप्त स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में खोई पर्याप्त स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त बन्दी के खनन से भी नये कार्यवाही की जानकारी कोटीदायक सशित प्रस्तुत की जाए। बाह्य ही कुवटोपण की प्रदान किने की जानकारी कोटीदायक सशित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन पुन से सम्बन्धित हो, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की प्रामाणिकता तथा की जानकारी अतिरिक्त विभाग से प्रामाणिकता कर प्रस्तुत की जाए।

- 8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के और.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया गया।
- 9. छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को छदान में रेत के स्तरण (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ अल्पसे मूल की उपस्थित वेतक में उपरोक्त कम्पन्य सुरक्षित जानकारी / प्रमाणपत्र (अवगत फोटोकॉपी) सहित प्रस्तुतीकरण हेतु जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

अनुसार छानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रबंधक को एम.ई.टी.सी, सर्वेक्षण के छापन दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(iv) समिति की 324वीं बैठक दिनांक 26/08/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की उपरोक्त विवरण घोषणापत्र उपलब्ध हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अन्वेषण एवं परीक्षण करने का निम्न विधि कई कई-

- 1. छानि प्रमाणपत्र का अनाधिकृत प्रमाण पत्र - रेत प्रमाणपत्र के संबंध में छानि प्रमाणपत्र नसीपुर का दिनांक 20/08/2018 का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2. विनियमित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारंग) के द्वारा प्रमाण पत्र अनुसार यह प्रमाण विनियमित/सीमांकित का अधिनियम है।
- 3. प्रमाणपत्र योजना - माहौलिक प्रमाण प्रमाण किया गया है, जो खनिज अधिनियम, (खनिज सारंग) विनियम-परिधि के द्वारा प्रमाणपत्र 2020/खनिज/2020 खनिज, सुनपुर, दिनांक 03/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
- 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित छदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारंग), विनियम-परिधि के द्वारा प्रमाणपत्र 2018/खनिज/2020 सुनपुर, दिनांक 04/03/2020 के अनुसार अधिनियम छदान से 500 मीटर के भीतर अधिनियम अन्वय रेत छदानों की संख्या निम्न है।
- 5. 200 मीटर की परिधि में निम्न सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारंग), विनियम-सुनपुर के द्वारा प्रमाणपत्र 2018/खनिज/2020 सुनपुर, दिनांक 04/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त छदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं, स्कूल, पुस्तकालय, एन.टी.सी एवं अन्य आधुनिक ऋषि अधिनियमित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- 6. एम.ई.टी.सी का विवरण - एम.ई.टी.सी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज सारंग), विनियम-सुनपुर के द्वारा प्रमाणपत्र 2018/खनिज/2020 सुनपुर, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, विनियम अधिनियम 02 वर्ष हेतु है।
- 7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 28/07/2018 द्वारा विहित करने में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की भी प्रस्तुत की गई है।
- 8. सार्वजनिक संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय छानि-नसीपुर 0.44 कि.मी. मीटर, स्कूल नसीपुर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल धाती 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.8 कि.मी. एवं राज्य मार्ग 2.0 कि.मी. दूर है। अधिनियम रेत छदान के 1 कि.मी. की दूरी एक पुस्तक/एन.टी.सी स्थित नहीं है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय परमपक्षलक्ष्मीबाई, गुरुदास एमएलए, जिला-सुरदासपुर के द्वारा अनापत्ति / म.प.वि./1533 सुरदासपुर दिनांक 27/06/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदिता भूमि वन क्षेत्र की सीमा से 0.28 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **परिस्थितिकीय/जैवविविधता सर्वेक्षणरील क्षेत्र** - परिधीयता प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अनापत्ति, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृत्य निर्धारण क्षेत्र द्वारा शामिल जैवविविधता संरक्षित क्षेत्र, परिस्थितिकीय सर्वेक्षणरील क्षेत्र का भीतर जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना घोषित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 130 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 412 मीटर, न्यूनतम 410 मीटर चौड़ाई - अधिकतम 12880 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 125 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 28 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर है, जबकि इससे नदी तट से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार खान पर रेत की मोटाई - 3.15 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित मोटाई - 1.1 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान माईनेल खान अनुसार खदान में माईनेल रेत की मात्रा - 40,000 टन/दिनांक है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर अखनन से प्राप्त रेत खान की मोटाई खान की लिए प्रस्तावित स्थल पर 06 महीने तथा खदान खान की प्रस्तावित मोटाई का खान कर अतिरिक्त विभाग से प्राप्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। इससे अनुसार रेत की उत्खनन कीमत मोटाई 3.15 मीटर है। रेत की प्रस्तावित मोटाई हेतु संख्या भी प्रस्तुत किया गया है।
13. **पूरि में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**- इस खदान को पूरि में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत साहब के लेवल** - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर के बिज विन्दुओं पर दिनांक 20/08/2020 को रेत साहब के खान लेवल 1.5000 मीटर, वही स्थिति विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त फोटोग्राफ सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (C.S.R.)** - भारत सरकार, पारिपाल, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ज.ए.ए. दिनांक 01/08/2018 को अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समिति के संस्था विभाग से सभी उपरोक्त विभागों पर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

*(Handwritten signature)*

41.20	2%	0.824	Following activities at Nearby Government Navam Middle School, Kodwarpara Village-Banshipur		
			Man	Water	0.81
			Harvesting System		
			Plantation		0.10
Total		1.81			

16. गैर माईनिंग क्षेत्र - नदी के तट को लंबाई अवधिकरण 200 मीटर एवं न्यूनतम - 120 मीटर है, जबकि बाढ़ान की नदी तट की ऊपरी किनारे से दूरी अवधिकरण 125 मीटर, न्यूनतम 8 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी अवधिकरण 25 मीटर, न्यूनतम 14 मीटर दूरी है। बाढ़ान की नदी तट से दूरी, नदी के तट की लंबाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होने चाहिए। इस माईनिंग खान में नदी तट ऊपरी किनारे से दूरी न्यूनतम 14 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी न्यूनतम 10 प्रतिशत अवधिकरण किया जाना आवश्यक है, जिसमें 3.808 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र लक्ष्य गया है। इस प्रकार यह अवधिकरण का उत्तम आकर्मण 4.62 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है।

17. इस अवधिकरण में कुल क्षेत्र में एवं नदी का उत्तम आकर्मण द्वारा बनाया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.1 मीटर की गहराई तक अवधिकरण की अनुमति मांगी है। अनुमोदित अवधिकरण योजना में अवधिकरण किए जाने वाले क्षेत्र की स्थिति में पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यक कार्य एवं आवश्यक अवधिकरण का समावेश नहीं किया गया है। नदी नदी छोटी नदी है तथा इसमें अवधिकरण में अवधिकरण 1 मीटर गहराई से अधिक गैर का पुनर्स्थापन होने की आवश्यकता है।

समिति द्वारा विचार किया उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. अवधिकरण बाढ़ान (ग्राम-बंसीपुर) का प्रस्ताव 4.62 हेक्टेयर है। बाढ़ान की लंबाई से 500 मीटर की परिधि में अवधिकरण/समाहित बाढ़ानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर का उत्तम आकर्मण होने के कारण यह बाढ़ान की-2 बंसी की नदी नदी।

2. पुनर्स्थापन कार्य - प्राथमिकता की अवधि पर नदी तट पर कुल 1,200 वर्ग मीटर - 800 वर्ग मीटर के पीछे तथा क्षेत्र 600 वर्ग (जामुद, कर्मज, बाढ़, आम आदि) क्षेत्र उत्तम आकर्मण। इसके अवधिकरण करुण वर्ग पर 800 वर्ग क्षेत्र उत्तम आकर्मण।

3. परियोजना प्रस्तावक को बाढ़ान क्षेत्र में अवधिकरण 1.5 वर्ष में निम्नानुसार अवधिकरण (Interim Study) करवाना, जबकि गैर के पुनर्स्थापन (Rehabilitation) कार्य नहीं करवावे। इस अवधिकरण का नदी नदीतट, आवधिकरण अवधिकरण, उत्तम एवं कुल क्षेत्र पर उत्तम आकर्मण नदी की नदी की पुनर्स्थापन पर इस अवधिकरण के प्रस्ताव की नदी उत्तम आकर्मण द्वारा की गये।

4. क्षेत्र क्षेत्र की अवधि का प्रस्तावक द्वारा -

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवधिकरण के पूर्ण उत्तम आकर्मण के तहत / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी तट के नदी (Levee) का भी कार्य किया जायेगा। नदीतट सभी नदी तट के तट (Levee) का नदी 25 गुना 25 मीटर के अवधिकरण (Grid) में किया जायेगा।

- ii. रेल बन्दन की उपरान्त मानचुन के पूर्व (पूर्व गड्डा की जलिय सपाटा/जुग) में माईनिंग डीप डेप तथा डीप डेप को अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक एक खनन डीप को बचाव / नयी डेप (डिपों डीप) को 100 मीटर तक को डीप में नयी सपाटा को भाटे (Levelling) का नवी पूर्व निर्धारित विड विन्दुओं पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार पीरत-मानचुन में रेल उपखनन बचाने करने के पूर्व गड्डा (जुग) इन्टी विड विन्दुओं पर रेल बचाव को लेवलस (Levelling) का बचान किया जाएगा।
- iv. रेल बचाव को पूर्व निर्धारित विड विन्दुओं पर रेल बचाव को लेवलस (Levelling) की बचान का कार्य अगली 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पीरत-मानचुन के अन्तिम दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानचुन के अन्तिम उपरान्त 2020, 2021, 2022 तक अन्तिमरी रूप से एच.ई.आई.एच. प्रतीसपट को प्रस्तुत किए जायेंगे।
- 5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री नन्दवीर सिन्हा, ई-1 बसीपुर सेक्टर माईनिंग, खनन क्रमांक 1185, धाम-बसीपुर, तारसील-जामपुर, जिला-सुनजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से रेल माईनिंग डेप 3,508 वर्गमीटर डेप बचाने पर 4.82 हेक्टेयर डेप में रेल उपखनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 45,800 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेल उपखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेल की सुपाई सन्निधि द्वारा (Manually) की जाएगी। विरार डेप (River Bed) में भारी जड़नी का प्रवेश प्रतिबन्धित होगा। लीज डेप में विरार रेल सुपाई गहरी (Excavation depth) में निर्धारित ग्राईट तक रेल का परिवहन केवल ट्रेनी द्वारा किया जाएगा।
- 6. रेल माईनिंग डेप एवं खननीय माईनिंग डेप का ग्रीस पर खनिज विभाग से सफाई करवाकर बचाने का उपरान्त की खनिज विभाग द्वारा उपखनन की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिकरन द्वारा डेप में विरार - जलवीर प्रकरण पर प्रतिकरन की दिनांक 10/08/2020 को सपन 0801 पैरक में विरार किया गया। प्रतिकरन द्वारा नली का अपलोडन किया गया। विभाग विमर्श उपरान्त प्रतिकरन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करने हेतु श्री नन्दवीर सिन्हा, ई-1 बसीपुर सेक्टर माईनिंग, खनन क्रमांक 1185, धाम-बसीपुर, तारसील-जामपुर, जिला-सुनजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.98 हेक्टेयर में से रेल माईनिंग डेप 3,508 वर्गमीटर डेप बचाने पर 4.82 हेक्टेयर डेप में रेल उपखनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 45,800 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेल उपखनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रतिकरन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. बिलाई बीपली सीतादेवी अडधान (बंगी सेक्टर माईनिंग, धाम-बंगी, तारसील-बीबी सपरीबा, जिला-बरेली), कटघोरा, जिला-बरेली (अधिकारण का नली क्रमांक 1280) ऑनलाईन आवेदन - प्रतीफल नम्बर - एनआईए / सीडी / एम्बार्डेन्ग / 148518 / 2020 दिनांक 12 / 07 / 2020।



में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटाग्राम सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही न्यायोपत्र की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटाग्राम सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि अद्यतन पूर्व से संबंधित है, तो विवाद वर्षों में किए गए आवेदन की आवधिक मांगों की जानकारी स्थिति विभाग से उपलब्ध करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. असा सरकार, पंचायत, वग आदि अवकाश परिवर्धन संकाल, नई दिल्ली के नॉ.एच. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्देशक एवं परिवर्धन प्रस्तावक के अद्यतन में एन सी लेवल (Level) लेने वाले सीयर (Charity) के साथ अगामी चरण की आवधिक बैठक में अवकाश असा सुरक्षा जानकारी / जानकारी (अद्यतन कोटाग्राम) सहित प्रस्तुतीकरण देने वाले हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार यदि निर्देशक एवं परिवर्धन प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., प्रतीकन के अद्यतन दिनांक 23/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(2) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्ताव जानकारी का अवकाश एवं परिष्कृत करने पर विश्व स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का आवधिक प्रस्ताव पत्र - वेदा उद्योग के अद्यतन में ग्राम पंचायत वर्षों का दिनांक 02/06/2018 का आवधिक अद्यतन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्यासित/सीमांकित - कार्यालय कार्यालय स्थिति द्वारा वेदा उद्योग एवं अनुसार वेदा अद्यतन विन्यासित/सीमांकित का पत्रिका है।
3. अद्यतन पत्रिका - अद्यतन पत्रिका प्रस्तुत किया गया है, जो वेदा अद्यतन, (अद्यतन पत्रिका) विना-कोटा के अद्यतन अद्यतन 201-02/अद्यतन-8/2020 अद्यतन, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अद्यतनित है।
4. 500 बीटर की परिधि में स्थित अद्यतन - कार्यालय कार्यालय (अद्यतन अद्यतन), विना-कोटा के अद्यतन अद्यतन 787/अद्यतन-02/वेदा सी (अद्यतन)/अद्यतन, 15/2019 अद्यतन, दिनांक 08/03/2020 के अनुसार अद्यतन अद्यतन से 500 बीटर के भीतर अद्यतन अद्यतन वेदा अद्यतनों की संख्या निकल है।
5. 200 बीटर की परिधि में स्थित आवधिक क्षेत्र/अद्यतन - कार्यालय कार्यालय (अद्यतन अद्यतन), विना-कोटा के अद्यतन अद्यतन 788/अद्यतन-02/वेदा सी (अद्यतन)/अद्यतन, 15/2019 अद्यतन, दिनांक 06/03/2020 द्वारा जारी अद्यतन पत्र अनुसार वेदा अद्यतन के 200 बीटर की परिधि में वेदा की आवधिक क्षेत्र जैसे अद्यतन, अद्यतन, अद्यतन, वेदा, अद्यतन एवं वेदा अद्यतन आदि अद्यतनित क्षेत्र स्थिति रही है।
6. एन.सी.आर. का स्थिति - एन.सी.आर. कार्यालय कार्यालय (अद्यतन अद्यतन), विना-कोटा के अद्यतन अद्यतन 49/अद्यतन-02/वेदा सी (अद्यतन) अद्यतन, 15/2019 अद्यतन, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी की गई, विन्यास अद्यतन 2 एवं हेतु वेदा है।

1. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, नवी दिल्ली, एन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. महापवर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम जलवायु घात-बांणो 0.52 कि.मी., स्थूल घात-बांणो 0.52 कि.मी. एवं जलवायु घात-बांणो 3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलवायु 2.2 कि.मी. दूर है। सीमांत वेत जलवायु के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/इरीक्ट स्थित नहीं है।
3. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परिचालन प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आस-पास स्थित राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षित प्रकृत्य निर्माण बांड द्वारा शांति जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या शांति जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
10. जलन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं जलवायु की नदी तट से दूरी - जलवायु अनुसार जलन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 530 मीटर तथा जलन स्थल की लंबाई - 175 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 275 मीटर चौड़ाई गई है। जलवायु की नदी तट से दूरी 70 मीटर है।
11. जलवायु स्थल पर रेत की चौड़ाई - जलवायु अनुसार जलन पर रेत की चौड़ाई - 4 मीटर तथा रेत जलन की प्रस्तावित चौड़ाई - 3 मीटर चौड़ाई गई है। अनुमानित चौड़ाई पर जलन अनुसार जलवायु में चौड़ाई पर रेत की मात्रा - 100,000 घनमीटर है। रेत जलवायु में प्रस्तावित जलन पर जलवायु में उपलब्ध रेत मात्रा की चौड़ाई जलन के लिए प्रस्तावित जलन पर 4 मीटर तक चौड़ाई पर जलवायु जलवायु चौड़ाई पर जलन पर प्रस्तावित जलवायु प्रस्तुत की गई है। इससे अनुमानित रेत की उपलब्ध मात्रा चौड़ाई 4 मीटर है। रेत की जलवायु मात्रा रेत जलवायु की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-
  - i. पूर्व में शक्ति घात पर्यावरण बांणो के नाम से रेत जलवायु जलवायु दिनांक 385, बांणो 4.8 हेक्टर, जलवायु-1,38,880 घनमीटर प्रमाणित रेत जलवायु पर्यावरण जलवायु जलवायु प्रमाणित रेत जलवायु जलवायु दिनांक 10/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की जलवायु जारी की गयी थी।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के घटान में जारी गई जलवायु की जलवायु प्रस्तुत की गई है। यह जलवायु रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
  - iii. जलवायु जलवायु (जलवायु बांणो), जलवायु-बांणो के द्वारा जलवायु 200/जलवायु/रेत, जलवायु/न.ज.02/2018 जलवायु, दिनांक 05/03/2020 के अनुसार वर्ष 2017-18 में 38,400 घनमीटर, 2018-19 में 44,800 घनमीटर एवं 2019-20 में 42,300 घनमीटर जलवायु किया गया है।
  - iv. निर्धारित जलवायु जलवायु जारी किया गया है।
13. जलवायु क्षेत्र में रेत जलवायु के जलवायु - रेत जलवायु में प्रस्तावित जलवायु पर प्रस्तावित जलवायु की जारी जलवायु में 100 मीटर की दूरी तथा 75 मीटर तथा 25

सीटर को पिक किया जाये पर दिनांक 13/02/2020 को प्ले बाउंड के अंगत लेवल (Level) सेटन, जहाँ सीटर विभाग से प्रशासनिक अथवा सीटिंग/सही जानकारी/समावेश प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सलाहदाता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामलों, नई दिल्ली के अधीन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) की समिति के समक्ष विवरण से हाथे उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53.40	2%	1.08	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Bango	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Potable Drinking water Facility	0.20
			Plantation	0.18
<b>Total</b>			<b>1.10</b>	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्कूल निर्माण के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. प्ले बाउंडिंग मैनुअल ग्राहक से प्राप्त किया जा चुका है और सीटर द्वारा अंतिम अंश प्रस्तुत है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक अंतिम की अनुमति नहीं है। अनुमोदित अंतिम योजना में अंतिम किन्हीं जगहों वाले क्षेत्र की वार्षिक प्ले बाउंडिंग संबंधी अध्ययन कार्य एवं तकनीकी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इससे नदी घटी नदी है तथा इससे अंतर्गत में सामान्य 1.5 मीटर गहराई के अधिक प्ले का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश अंतिम अंतिमता से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. अंतिम अंतिम (प्ले-बाउंडिंग) का स्तर 2.5 इंच है। अंतिम की सीमा से 500 मीटर की सीमा में स्थित/संयोजित अंतिमों का कुल क्षेत्रफल 5 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. पुनर्स्थापन कार्य – प्रशासनिक के अंतर्गत प्ले बाउंडिंग प्ले बाउंडिंग 2000 नम प्ले बाउंडिंग – 1,000 नम अंतिमों के सीमा से 1,000 नम अंतिमों, अंतिमों, अंतिमों, अंतिमों (अंतिमों) को अंतिमों अंतिमों। इससे अंतिमों अंतिमों प्ले बाउंडिंग 200 नम प्ले बाउंडिंग अंतिमों।
3. परियोजना प्रस्तावक प्ले बाउंडिंग क्षेत्र में अंतिमों 1.5 वर्ष में विस्तृत प्ले बाउंडिंग (Mitigation Study) कराना, अंतिमों प्ले बाउंडिंग के पुनर्स्थापन (Replenishment) कराना नहीं।

आवश्यकता है। यह प्रकल्पन पर नदी नदीपाल स्थानीय जनसमिति, जीव एवं मनुष्य जीव पर प्रभाव तथा नदी के जलो को सुरक्षा पर यह प्रकल्पन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

**4. जीव क्षेत्र की सुरक्षा का बेसलाइन खाता -**

- i. यह खाता के उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जुन) में माइक्रोमि जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र के अल्फाटोम एवं बेटाफाटोम में 200 मीटर तक तथा जंगल क्षेत्र के बाह्य / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सुरक्षा के कार्य (Levelling) का कार्य पूर्ण निर्धारित विड विन्दुओं पर किया जाएगा।
- ii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में यह प्रकल्पन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी विड विन्दुओं पर यह खाता के लेवलिंग (Levelling) का कार्य किया जाएगा।
- iii. यह खाता के पूर्ण निर्धारित विड विन्दुओं पर यह खाता के लेवलिंग (Levelling) का कार्य का कार्य अगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतिम दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के अंतिम अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- iv. समिति द्वारा विचार विमर्श प्रकल्पन सर्वेसमिति से श्रीमती श्रीमती अश्वती, बांगी रोड मॉडर्न, पार्ट जीव खसरा क्रमांक 383, ग्राम-संगी, तहसील-पोली उपखंड, जिला-कोरवा, कुल जीव क्षेत्रफल 4.9 हेक्टर क्षेत्र में, यह प्रकल्पन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाए, कुल 71,500 घनमीटर प्रतिवर्ष यह प्रकल्पन हेतु प्राथमिकी स्वीकृति, जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने की अनुमति की गई। यह की सुझाई समिति द्वारा (Manually) की जाएगी। रिक्त बेड (River Bed) में भारी पत्थरों का प्रयोग प्रतिषेधित रहेगा। जीव क्षेत्र में स्थित यह खुदाई पट्टे (Excavation pits) में लोडिंग प्लॉट तक यह का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

**प्रतिकल्पन खाता बैठक में विचार -** उपरोक्त प्रकल्पन का प्रतिकल्पन की दिनांक 10/08/2020 को सायन 83वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्पन खाता नदी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्पन खाता सर्वेसमिति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती एवं श्रीमती श्रीमती अश्वती, बांगी रोड मॉडर्न, पार्ट जीव खसरा क्रमांक 383, ग्राम-संगी, तहसील-पोली उपखंड, जिला-कोरवा, कुल जीव क्षेत्रफल 4.9 हेक्टर क्षेत्र में, यह प्रकल्पन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाए, कुल 71,500 घनमीटर प्रतिवर्ष यह प्रकल्पन हेतु प्राथमिकी स्वीकृति, जारी दिनांक से 60 वर्ष तक की अवधि हेतु दिए जाने का निर्णय लिया गया।

प्राथमिकी प्रकल्पन को प्राथमिकी स्वीकृति जारी किया जाए।

**22. मेसर्स श्री मनीष कुमार सिन्हा (तटवर्ती रोड मॉडर्न, ग्राम-संगी, तहसील-कोरवा, जिला-कोरवा), महादारी गांव, तहसील व जिला-महासमुंद (अधिकतम का नदी क्रमांक 1282)**

**ऑनलाईन आवेदन -** प्रकल्पन नंबर - एसआईए / सीपी / एम्बोईल / 148806/2020, दिनांक 12/08/2020।

**प्रस्ताव का विवरण -** मनीष रोड खदान (मौज खनिज) है। यह खदान ग्राम-संगी, तहसील-कोरवा, जिला-कोरवा जिला पार्ट जीव खसरा क्रमांक 1282, कुल जीव



- 7. यदि खदान पूर्ण से अज्ञात है, तो डिगल ब्लॉक में बिन्दु नए उत्खनन की कार्यात्मक माक की जानकारी अधिज विभाग से प्रमाणित बना का प्रस्ताव की जाए।
- 8. माकत करवाक, मरौकलण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार टी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
- 9. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान से वेत के लेवल (Levels) होने वाले खनिज (Minerals) के साथ आवासीय खान की आरक्षित क्षेत्र में वास्तविक माकत सुनिश्चित जानकारी / प्रमाणित (अवगत प्रमाणित) सहित प्रस्तुतकरण विवेक करने हेतु निर्देशित किया जाए।

समाप्तुत खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एनईएवी, लखीमपुर के ज्ञान दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतकरण हेतु सुविधा किया गया।

**(ख) खनिज की 324वीं क्षेत्र दिनांक 26/05/2020**

प्रस्तुतकरण हेतु की शीघ्र सुचारु विचार, बीमआईएर उपस्थित हुए। खनिज द्वारा लगी, प्रस्ताव जानकारी का अज्ञातकरण एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि कई गई-

- 1. छान प्रमाणित का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वेत उत्खनन के संकेत में छान प्रमाणित द्वारा का दिनांक 29/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- 2. विन्दकित/सीमकित - कार्यलय कलेक्टर, अधिज माकत से प्रथम प्रमाण पत्र अनुसार पर खदान विन्दकित/सीमकित कर प्रेषित है।
- 3. खनन योजना - मरौकलण प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संकायक, (खनिज प्रमाण), विज्ञा-कोषक के ज्ञान क्रमांक 622/खनि-4/2020 क्रमांक, दिनांक 09/03/2020 द्वारा अनुमति है।
- 4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (अधिज माकत), विज्ञा-कोषक के ज्ञान क्रमांक 620/खनि-03/वेत मी. (अवगत)/माक. 15/2019 क्रमांक, दिनांक 09/03/2020 के अनुसार अर्पित खदान में 500 मीटर के भीतर अज्ञात अन्य वेत खदानों की संख्या निरंक है।
- 5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सामंजसिक क्षेत्र/संभन्ध - कार्यलय कलेक्टर (अधिज माकत), विज्ञा-कोषक के ज्ञान क्रमांक 618/खनि-03/वेत मी. (अवगत)/माक. 15/2019 क्रमांक, दिनांक 09/03/2020 द्वारा ज्ञान प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सामंजसिक क्षेत्र जैसे अज्ञात, मरौक, गुन, बसा, एनीकट एवं जल आपूर्ति अर्धे प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- 6. एन.ओ.आर. का विवरण - एन.ओ.आर., कार्यलय कलेक्टर (अधिज माकत), विज्ञा-कोषक के ज्ञान क्रमांक 51/खनि-03/वेत मी. (अवगत)/माक. 17/2019 क्रमांक, दिनांक 20/02/2020 द्वारा जारी की गई, निम्नकी अर्थात् 2 वर्ष हेतु किया है।
- 7. डिस्ट्रीक्ट नई रिपोर्ट - माकत करवाक, मरौकलण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित करण में डिस्ट्रीक्ट नई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- 8. **अव्ययपूर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम जम्मादी धाम-तला 0.8 कि.मी. एवं धाम-तला 0.8 कि.मी. एवं अंत्यतम धाम-तला 0.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्थित दूरी से अधिक के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एरीकट स्थित नहीं है।
- 9. **पारिस्थितिकीय/जीवविकिरण परिवर्तनीय क्षेत्र** - परिसरगत प्रस्तावित धारा 10 कि.मी. की परिसर के अंतर्गत स्थित राष्ट्रीय उद्यान अन्वयनार्थ राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित विविधतायुक्त पौधों के पुष्प, पारिस्थितिकीय परिवर्तनीय क्षेत्र का घोषित क्षेत्रविकिरण क्षेत्र किया नहीं होने अधिसूचित किया है।
- 10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - अतिरिक्त अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 000 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 325 मीटर, अधिकतम चौड़ाई - 125 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 100 मीटर है।
- 11. **खदान स्थल पर सेत की चौड़ाई** - अतिरिक्त अनुसार खनन पर सेत की चौड़ाई - 3 मीटर तथा सेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधान कार्ययोजना धारा अनुसार खदान से संचालित सेत की गहराई - 1,380,000 घनमीटर है। सेत प्रस्तावित सेत प्रस्तावित खनन पर खनन में प्रस्तावित सेत गहराई की चौड़ाई खनन के लिए प्रस्तावित खनन पर 4 मीटर (F100) खनन पर खनन प्रस्तावित गहराई का मानक एवं खनन विभाग से प्रस्तावित खननकारी प्रस्ताव की गई है। इससे अनुसार सेत की प्रस्तावित चौड़ाई चौड़ाई 3 मीटर है। सेत की प्रस्तावित गहराई सेत प्रस्तावित सेत प्रस्तावित किया गया है।
- 12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय मीट्रिक संबंधी विवरण-**
  - a. पूर्व में अधिसूचित धारा प्रस्तावित धारा के मुताबिक सेत खदान खनन प्रस्तावित 1200 घनमीटर 4 एम्पीयर, प्रस्तावित-04,000 घनमीटर प्रस्तावित सेत, खनन प्रस्तावित पर्यावरण सहायता प्रस्तावित प्रस्तावित, खनन-खनन द्वारा पर्यावरणीय मीट्रिक दिनांक 22/08/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की प्रस्तावित सेत जारी की गयी थी।
  - b. पूर्व में जारी पर्यावरणीय मीट्रिक के जारी के प्रस्तावित सेत की गहराई खननकारी की प्रस्तावित प्रस्तावित की गई है। गहराई खनन प्रस्तावित प्रस्तावित नहीं की गई।
  - c. राष्ट्रीय अन्वयन (खनन धारा), खनन-खनन के प्रस्तावित प्रस्तावित 147/खनन/सेत मीटर(000)/खनन 15/2018 खनन, दिनांक 08/08/2020 के अनुसार वर्ष 2018-17 में 34,000 घनमीटर, 2017-18 में 42,500 घनमीटर, 2018-19 में 54,000 घनमीटर एवं 2019-20 में प्रस्तावित खनन दिनांक गया है।
  - d. प्रस्तावित खननकारियों का प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- 13. **खदान क्षेत्र में सेत गहराई की प्रस्तावित** - सेत प्रस्तावित सेत प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन की प्रस्तावित खनन खननकारियों में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी खननकारियों पर दिनांक 05/03/2020 से सेत गहराई के प्रस्तावित खननकारियों के प्रस्तावित खननकारियों से प्रस्तावित खननकारियों प्रस्तावित खननकारियों प्रस्तावित खननकारियों/प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया है।

V

Leads

14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/08/2019 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विचार से सभी उपरोक्त गिनतानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.52	2%	0.89	Following activities at Nearby Government School Village- Tarda	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.19
			<b>Total</b>	<b>0.89</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्थल नियंत्रण के अन्तर्गत को.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक महीने में प्रस्तुत किया जाए।

- 15. वेतन प्रस्तावक नियुक्त विधि के एवं नहरों का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
- 16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमतिगत उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक वेतन पुनर्स्थापन संबंधी व्यवस्था नहरों एवं टांकियों आदि का स्थापित नहीं किया गया है। इससे वेतन नहीं बढ़ी जाती है तथा इसकी न्यूनतम में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई की अधिक वेतन का पुनर्स्थापन होने की व्यवस्था है।

समिति द्वारा निम्नलिखित विचारों पर कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- 1. आवेदित खदान (खोल-खान) का गहरा 4 इन्चोटर है। खदान की गीगा से 850 मीटर की दूरी में स्थित/संघर्षित खदानों का कुल संयोजन 5 इन्चोटर का करना कम होने के कारण यह खदान को-2 मीटर की नहीं करी।
- 2. नुस्खारीपत्र खर्च - प्राथमिकता के अन्तर्गत पर नदी छूट पर कुल 2,000 मम पीछे - 1,000 मम अर्जुन के पीछे तथा पीछे 1,000 मम (जामुन, बरगज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त कुल नहरों का 500 मम पीछे लगाए जायेंगे।
- 3. परियोजना प्रस्तावक वेतन खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद व्यवस्थापन (Disturbance Study) करावेगा, ताकि वेतन के पुनर्स्थापन (Replenishment) कायदा सभी क्षेत्रों में वेतन उत्खनन का नदी नदीगत, कृषिगत, जनसक्ति, जीवन एवं सुख पीछे का प्रभाव तथा नदी के नदी की पुनर्स्थापन पर वेतन उत्खनन के अन्तर्गत की नदी उत्खनन से उत्पन्न हो सकती है।
- 4. लीज क्षेत्र की बाह्य का वेतनलाईन खदान -

- i. परिवहन प्रशासन द्वारा पालखन के पूर्व नमन सौज के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के डोंड में नदी सतह के सारी (Leveals) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के सतह (Leveals) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के जालखत (Grid) में किया जाएगा।
- ii. वेत खसम के उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व नमन के अंतिम शवाह/खुद) में माइनिंग (सौज डोंड तथा सौज डोंड के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खसम सौज के बाहर / नदी तट (टोपी ओर) से 100 मीटर तक के डोंड में नदी सतह के सारी (Leveals) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिश दिन्दुओं पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (वेत पालखन द्वारा नमने के पूर्व तथा समदुन्दु) इसी दिश दिन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Leveals) का मापन किया जाएगा।
- iv. वेत सतह के पूर्व निर्धारित दिश दिन्दुओं पर वेत सतह के लेवलस (Leveals) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े वित्तमान 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अधिसूचित रूप से एम.ई.आई.ए. प्रकटीकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसाध्वि से भी नदीब तुलार सिन्हा, तखटा सतह माईन, पार्ट ऑफ खसम इन्फोक 1268, राम-तखटा, तहसील-कटासा, जिला-कोयंबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में वेत पालखन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत पालखन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। वेत की सुटाई अनिवार्य रूप (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में नदी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। सौज डोंड में स्थित वेत सुटाई यार्ड (Dredging yard) से लीफिंग प्लॉट तक वेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

**प्रतिक्रमण द्वारा बैरक में विचार -** उपरोक्त प्रकल्प का प्रतिक्रमण की दिनांक 10/08/2020 को मापन 08वीं बैरक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा तस्ती का अवरोधन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमण द्वारा सर्वसाध्वि से समिति की अनुमति की सीकरर करते हुए भी नदीब तुलार सिन्हा, तखटा सतह माईन, पार्ट ऑफ खसम इन्फोक 1268, राम-तखटा तहसील-कटासा, जिला-कोयंबा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में वेत पालखन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत पालखन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिवहन प्रशासन को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. मेसर्स श्री आशीष सलुजा (सविनसुर्त रोड माईन, राम-सविनसुर्त तहसील 3 जिला-महाराष्ट्र), सीमा रोड सखंडा, जिला-बिलासपुर (सविनसुर्त का नक्शा इन्फोक 1268)

अभिप्रेत आवेदन - पतेवरक नमर - एलआईए / सीटी / एमआईएन / 148411 / 2020, दिनांक 17 / 03 / 2020।



7. यदि खदान पूर्व से सम्बन्धित है, तो विवाद नहीं में किए गए उत्खनन की कार्यात्मक बाधा की जानकारी क्षेत्रीय विभाग से प्रदायित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के सी.एम. दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सीईआईआर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रभाव प्रस्तुत किया जाए।

9. यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रदाताक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जानकारी प्राप्त की जायगी बसक में फोटो तथा सम्पूर्ण सुरक्षात्मक व्यवस्था / प्रस्ताव (प्रस्ताव फोटोप्रास्त) सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

उदाहरण यदि निरीक्षक एवं परियोजना प्रदाताक को एसईएसी, फतहीनगर के जलम दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(iv) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 28/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अतिरिक्त पाठ्य, अतिरिक्त परियोजना सम्बन्धित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. खान मंचावर का अनुपस्थित प्रमाण पत्र - इस उत्खनन के संबंध में खान मंचावर अतिरिक्त के दिनांक 11/05/2017 का अनुपस्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. विन्दनित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, जमिनी खासा से खान प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दनित/सीमांकित कर सीमित है।

3. उत्खनन क्षेत्र - सीमित खान प्रस्तुत किया गया है जो एक सार्वजनिक (क.प.) हाजिराखान, मौजिदी तथा अतिरिक्त, फतहीनगर के जलम क्रमांक 1579/खाने 02/01/म.प्र.अनुमोदन/म.क. 10/2020 तथा राजपुर, दिनांक 07/08/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (जमिनी खासा), जिला-महासमुंद के जलम क्रमांक 253/क/रेत/म.क./2018 महासमुंद, दिनांक 22/02/2020 के अनुसार अनुमोदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवलोकित अन्य रेत खानों की सूची मिले है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सेखनाए - कार्यालय कलेक्टर (जमिनी खासा), जिला-महासमुंद के जलम क्रमांक 253/क/रेत/म.क./2018 महासमुंद, दिनांक 22/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार खान खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पूजा घर, हॉटेल एवं जल आपूर्ति आदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एस.सी.आई का विवरण - एस.सी.आई कार्यालय कलेक्टर (जमिनी खासा), जिला-महासमुंद के जलम क्रमांक 121/ख.सि./रेत नीलासी/म.क./19 महासमुंद, दिनांक 22/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिकृत दिनांक 29/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- 8. महात्मा पूर्ण संगमनाथों की दूरी - निम्नलिखित आवादी राज-पर्वत 0.575 कि.मी., सख्त राम-आशिनखुर्द 1.25 कि.मी. एवं अन्यत्राल महासमुद्र 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 825 कि.मी. एवं राजमार्ग 805 कि.मी. दूर है। सीकृत 100 अद्यतन की 1 कि.मी. की दूरी राज गुरु/एनिकट स्थित नहीं है।
- 9. पर्यावरण/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र - पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की सीमा में अंतरराष्ट्रीय लेना, राष्ट्रीय उद्यान, अन्तराष्ट्रीय, अंतराष्ट्रीय प्रमुख निरक्षण क्षेत्रों द्वारा प्रभावित जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्रों, पर्यावरण/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्रों या प्रभावित जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
- 10. खनन स्थल पर नदी के घाट की सीमाई एवं खनन की गहराई - अद्यतन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की सीमाई - अधिकतम 600 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई - 314 मीटर चौड़ाई - अधिकतम 166.77 मीटर, न्यूनतम 134.71 मीटर दर्शाई गई है। खनन की गहराई 10 से दूरी अधिकतम 20 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।
- 11. खनन स्थल पर रेत की सीमाई - अद्यतन अनुसार खनन पर रेत की गहराई - 4.15 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित वार्षिक खनन अनुसार खनन में सड़क/रेलवे लाई की मात्रा - 85,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन पर वार्षिक में उपलब्ध रेत राशि की सीमाई खनन के लिए प्रस्तावित खनन पर 5 मीटर (750) अधिकतम खनन की वास्तविक गहराई पर मापन कर, खनन विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध खनन सीमाई 4.15 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तावित भी प्रस्ताव किया गया है।
- 12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीकृति संबंधी विवरण- इस अद्यतन की पूर्व में पर्यावरणीय सीकृति जारी नहीं की गई है।
- 13. खनन क्षेत्र में रेत साठ के जेपरेशन - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अन्तराष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर गुण 20 मीटर के लिए विस्तारों पर दिनांक 08/02/2020 को रेत खनन के परिचय लेखक (Letter) लेकर, उन्हें खनन विभाग से प्रमाणिकरण उपरोक्त पर्यावरण/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्रों/दस्तावेज प्राप्त किया गया है।
- 14. कोर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - मला सरकार, पर्यावरण, वन और क्लाइमेट परिभाषित मंत्रालय, नई दिल्ली के को.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) सेट्टु समिति के अन्तर्गत विस्तार से जारी उपरोक्त निम्नलिखित विस्तृत अद्यतन प्रस्तुत किया गया है-

L  
 6/18

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
70.50	2%	1.41	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Lafinkhurd	

			Rain Water Harvesting System	1.58
			Plantation	0.08
			<b>Total</b>	<b>1.58</b>

18. रेत उत्खनन विन्दुगत विधि से पूरा कराई का कार्य जोरदार दृष्टा करना जल्दा प्रस्तावित है।
19. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति प्राप्ति है। अनुमोदित उत्खनन क्षेत्रों में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की अधिक रेत पुनर्स्थापन संबंधी आवश्यक कार्य एवं प्राथमिकी आवश्यकता का समुचित नहीं किया गया है। गहराई गहरा (नदी) छोटी गहरी है तथा इससे कार्यक्षेत्र में सामान्यतः 4 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. अर्थात् सड़ान (ग्राम-आदिवासियों) का एकत्र 5 निवेदन है। सड़ान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में अर्थात्/संघर्षित सड़ानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर पर सड़ानों को होने के कारण यह सड़ान को-2 भेरी की प्राप्ति गयी।
2. पुनर्स्थापन कार्य - प्राथमिकता के अन्तर्गत यह नदी तट पर कुल 1,500 वर्ग मीटर - 700 वर्ग मीटर की सीमा तथा क्षेत्र 250 वर्ग (ग्राम, कस्तूर, बंस, अन्य आदि) छोटी सड़ान आदि। इसके अतिरिक्त मरुतुन मार्ग पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्र प्राप्ति।
3. परिशोधना प्रस्तावक रेत सड़ान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गांव अध्ययन (Detailed Study) कराने का ताकि रेत की पुनर्स्थापन (Replenishment) प्राप्ति गयी जाय, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं मनुष्य जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की पुनर्स्थापन पर रेत उत्खनन की प्रभाव की गयी जानकारी प्राप्त हो सके।
4. जीव क्षेत्र की सतह का रेसल्टाइन कार्य -
  - i. परिशोधना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के पूर्व खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दीना ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 20 वर्ग 20 मीटर के अन्तर्गत (Grids) में किया जायगा।
  - ii. रेत खनन के उपरान्त नगरपाल के पूर्व (पूर्व) सतह के अतिरिक्त नगरपाल/पट्टे में निर्धारित जीव क्षेत्र तथा जीव क्षेत्र की अर्थात् एवं आदिवासियों में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के बाहर / नदी तट (दीना ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित दिश विन्दुओं पर किया जायगा।
  - iii. इसी प्रकार पोस्ट-नगरपाल में रेत उत्खनन कार्य करने के पूर्व सतह अर्थात् इन्हीं दिश विन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का सर्वे किया जायगा।
  - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित दिश विन्दुओं पर रेत सतह के स्तर (Levels) का सर्वे का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जायगा। पोस्ट-नगरपाल के अर्थात् दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं सी-नगरपाल के अर्थात् वर्ष 2020, 2021, 2022 तक अर्थात् वर्ष से एच.ई.आई.ए. आदीवासियों को प्रस्तुत किए जायेंगे।

8. समिति द्वारा विचार निर्माता कार्यालय सर्वसम्मति से श्री आर्यभट्ट राजू, आशिमपुरी रोड मार्ग, बाराक क्रमांक 2480, ग्राम-आशिमपुरी, तहसील ब जिला-महासमुद्र, कुल लीज क्षेत्रफल 5 एकड़ों का क्षेत्र में, रेल उत्खनन अधिकरण 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखने हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेल उत्खनन हेतु पर्यावरणीय लीक्युटि, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदे जाने की अनुमति की गई। रेल की खुदाई यंत्रों द्वारा (Manually) की जाएगी। रेल सेतु (Pillar Bend) में जारी कार्यों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेल खुदाई यंत्र (Excavation plant) से लॉडिंग यार्ड तक रेल का परिवहन ट्रेकर द्वारा द्वारा किया जाएगा।

आधिकारण द्वारा बैठक में विचार - कार्यालय प्रकल्प का प्राधिकरण की दिनांक 10/05/2020 को संकेत 44वीं बैठक में विचार किया गया। आधिकारण द्वारा यहाँ का प्रकल्प प्रस्तावित किया गया। विचार निर्माता कार्यालय आधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए श्री आर्यभट्ट राजू, आशिमपुरी रोड मार्ग, बाराक क्रमांक 2480, ग्राम-आशिमपुरी, तहसील ब जिला-महासमुद्र, कुल लीज क्षेत्रफल 5 एकड़ों का क्षेत्र में, रेल उत्खनन अधिकरण 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखने हुए, कुल 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेल उत्खनन हेतु पर्यावरणीय लीक्युटि, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु विदे जाने का निर्णय किया गया।

सर्वसम्मति प्रस्तावक को पर्यावरणीय लीक्युटि जारी किया जाए।

24. मेसर्स श्री अरुण कुमार जयसवाल (पुरकी रोड मार्ग, ग्राम-पुरकी, तहसील ब जिला-महासमुद्र) कार्य नं. 7, तहसील ब जिला-कोरवा (अभियान का पत्रांक क्रमांक 1272)

लीज/अर्जेंट आवेदन - कार्यालय संख्या - एम्/अर्जेंट / सीटी / एम्/अर्जेंट / 150390 / 2020, दिनांक 23/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (ग्रेन खनिज) है। यह खदान ग्राम-पुरकी, तहसील ब जिला-महासमुद्र जिला बाराक क्रमांक 989, कुल लीज क्षेत्र 4.8 एकड़ों में प्रस्तावित है। उत्खनन बरामद खदान (नदी) से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-51,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 122वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा उत्खनन की पत्रांक एवं प्रस्ताव लागूकारी का परीक्षण तथा उत्खनन सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा गद्दी के छत की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित खान एवं प्रस्तावित खान के आसपास एक आउटस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूण 25 मीटर का विड बनाकर, वर्तमान में रेल राइल के संयोजन (Level) से कम विड क्षेत्र में प्रस्तावित रेल प्रस्तुत होने चाहिए। एकट लेआउट (Layout) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेरी रेल मार्ग (Temporary TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलेरी रेल मार्ग (TBM) में आउटले, को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अधिक किये जायें। विड क्षेत्र में

इसकी रोक खाती (Till) को भी धारा 147, 148 के तहत विभाग से इम्प्लीमेंटेशन एक्टिव फॉलोअप सहित जानकारी/इम्प्लीमेंट प्रस्तुत किया जाए।

3. नदीघाट के खदान की सीमा की वृद्धि न्यूनतम 10 मीटर को बढ़ा कर घाट की चौड़ाई को 10 प्रतिशत (10%) भी अधिक हो) करी जाये है। यदि इसकी अनुमति खदान के कुछ क्षेत्र में लागू करने के लिए जाना जाये तो उसे उसकी मरम्मत कर, कच्ची पर धरातल, इनका प्रत्येक माइनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से बनाया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिक्रिया क्षेत्र को सीके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, इसमें एक प्रारंभ किया जाए।
4. प्रस्तावित खदान से निकलने वाले, बालू, पत्थर एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों की पूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पत्थर /पत्थर की वृद्धि खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा आउटलाइन में न्यूनतम 100 मीटर तक जाना आवश्यक है। यदि सीके क्षेत्र उपरीक्षापुस्तक पूर्ण की जाये किन्तु भी, तो उपरीक्षा अभाव पर खनन हेतु प्रतिक्रिया क्षेत्र को अवरुद्धमानुसार नहीं पर निर्दिष्ट कर, इसका सीके पर सीमांकन तथा माइनिंग प्लान में इस बाधक प्रत्येक किया जाए।
5. वेद का खनन हेतु इलाहाबाद खदान पर खनिज में वास्तविक वेद की भीड़ खनन के लिए प्रति क्षेत्र में कम से कम एक चढ़ाई (मिड) सीके खनन क्षेत्रों के लिए तैयार कर निर्दिष्ट विभाग से इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत की जाए। वेद की वास्तविक चढ़ाई हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्ण में आवेदन खदान पर खनन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निर्धारित प्रतिक्रिया (एल.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड अध्याय विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया (एल.ई.आई.ए.ए.), उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया (एल.ई.आई.ए.ए.) की प्रति एवं अतिरिक्त कर्तों के खनन में की वृद्धि (कार्यवाही) की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। खदान की प्रतिक्रिया की अद्यतन स्थिति की जानकारी फॉलोअप सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्ण से संबंधित है, तो विभाग को भी कि एच एच खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से इम्प्लीमेंटेशन के रूप में प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कोएम दिनांक 04/05/2018 के अनुसार वीडियो (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. यदि निर्दिष्ट एवं प्रतिक्रिया प्रस्ताव को खदान में सेत की लेवल (Level) लेने वाले तरीका (Strategy) से खनन जागानी तरह की कार्यवाही के रूप में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / प्रस्ताव (अद्यतन फॉलोअप) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सहायक खनिज विभाग एवं प्रतिक्रिया प्रस्ताव को एल.ई.आई.ए.सी. उत्तराखण्ड के ऑफिस दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भवण कुमार जायसवाल, प्रोसेसिंग उपनिष्ठा एच। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी को अद्यतन एवं प्रतिक्रिया करने पर किन विधि पर है-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - 100 एकड़ तक की संख्या में ग्राम पंचायत सीमा का विनांक 07/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विनाशित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. खाली स्थान - कार्यालय ग्राम प्रमुख द्वारा बताया गया है, जो एक साल 2000 (एक हजार) साल पहले, सीमांकित तथा सीमांकित, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रमाण प्रमाण 1662/पानि 03/01/ना.प्र.अनुपत्ति/प.क.11/2000 तक प्रमाण, विनांक 17/03/2000 द्वारा अनापत्ति है।
4. 500 मीटर की परिधि में सिंचित खेत - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 294/क/श/प.क./2018 महासमुद्र, विनांक 03/03/2020 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र 500 मीटर की सीमा अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में सिंचित शारीरिक क्षेत्र/संबंधित - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 294/क/श/प.क./2018 महासमुद्र, विनांक 03/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति की 200 मीटर की परिधि में कोई भी शारीरिक क्षेत्र जैसे अनापत्ति, खेत, पुन, बांध एसीकट एवं जल अनापत्ति अनापत्ति अनापत्ति क्षेत्र स्थिति नहीं है।
6. एल.डी.आई. का विवरण - एल.डी.आई. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-महासमुद्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 123/अनापत्ति/श/प.क./18 महासमुद्र, विनांक 20/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अनापत्ति 02 वर्ष है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन-प्रशासकीय, सामान्य प्रशासन, जिला-महासमुद्र के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र 123/अनापत्ति/श/प.क./18 महासमुद्र, विनांक 21/03/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनापत्ति अनापत्ति वन क्षेत्र की सीमा में 2 कि.मी. की दूरी का है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, सर्वेक्षण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली की अनापत्ति प्रमाण पत्र 25/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महासमुद्र सड़क-आधी की दूरी - निकटतम आधी ग्राम-कलेक्टर 0.4 कि.मी. - खेत ग्राम-मुखी 0.75 कि.मी. एवं अनापत्ति नगर-मुखी 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सड़क-आधी 0.5 कि.मी. एवं राजमार्ग 1.3 कि.मी. दूर है। अनापत्ति के अनापत्ति की दूरी तक पुन/एसीकट स्थित नहीं है।
10. परिशिष्ट-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/

ग्रीड, न्यूनतम 100 मीटर (एक सलग स्थल की लंबाई) – अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 30 मीटर चौड़ाई – अधिकतम 50 मीटर, न्यूनतम 41.40 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की गहरी छद से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।

12. खदान स्थल पर रेत की गोदाई – आवेदन अनुसार खदान पर रेत की गोदाई – 3.4 मीटर तथा रेत जलन की प्रस्तावित गहराई – 8.28 मीटर चौड़ाई गई है। अनुसंधित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा – 51,000 घनमीटर है। रेत खदानों हेतु प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में उपलब्ध रेत खदान की चौड़ाई जलनी के लिए प्रस्तावित खदान पर 5 गड़दे (Pits) खोदकर उसकी कार्यात्मक गहराई का खदान पर खनिज विभाग से सम्बंधित जानकारी प्राप्त की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.4 मीटर है। रेत की कार्यात्मक गहराई हेतु संयोजक को प्रस्ताव किया गया है।
13. पुरे में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान के पुरे में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत संचय के लेवल्स – रेत खदानों हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक, 28 मीटर गूथ 25 मीटर के ग्रीड सिन्ड्रोम पर दिनांक 08/02/2020 को रेत संचय के परिधान लेवल्स Levels जेलन, सभी खनिज विभाग से सम्बंधित जानकारी प्रलेटराफ्त सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया गया है।
15. क्वीरीट पर्यावरणीय खण्ड (E.E.R.) – साल 2018 पर्यावरण एवं जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, नई दिल्ली के अंश दिनांक 01/08/2018 से अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु लॉजि की संस्था विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
60.77	2%	0.81	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Murki	
			Rain Water Harvesting System	0.03
			Plantation	0.10
			Distribution of books to students relating to conservation and protection of environment	0.10
<b>Total</b>			<b>0.23</b>	

16. रेत खदानों में नुकसान विधि से एवं भलाई का जारी लेटर प्राप्त कराया जाना प्रस्तावित है।



जाएगी। गिनट ब्रेक (Inlay Bed) में कार्य बाहरी का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित गैर खुदाई खादों (Excavation pits) में लॉडिंग या रूटिंग तक का जो परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

**प्रतिकारण द्वारा ब्रेक के विचार -** उपरोक्त प्रकारण एवं प्रतिकारण की दिनांक 10/06/2020 को संलग्न 33वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकारण द्वारा नली का अस्थायीकरण किया गया। विचार किया गया कि उपरोक्त प्रतिकारण द्वारा सर्वसम्पत्ति से समिति को अनुशासकों को संविचार करने हुए की शर्तों अनुसार आवश्यकताएं, मुख्यतः रोड मरुद्वार, खाल का स्तर 320, धाम-सुरजी, सड़कील व जिला-महानपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 4.3 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर अस्थायी प्रतिकारण। सैलर की मरुद्वारें एक सीमित खालें हुए, कुल 34.750 घनमीटर प्रतिघनित गैर अस्थायी गैर प्रतिकारण की स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 को एक की जाती है। दिनांक 02 को निर्णय किया गया।

सर्वसम्पत्ति प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाय।

**25. मेसर्स की दीवार विभागी (सिमेंट का रोड मरुद्वार, धाम-सुरजी, सड़कील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-साटापारा) धाम-सुरजी, सड़कील व जिला-बिलासपुर (सविवालय का नली क्रमांक 1202)**

**ऑनलाईन आवेदन -** आवेदन नंबर - एमआईए / सीडी / एमआईएन / 144854 / 2020, दिनांक 22/02/2020।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित गैर अस्थायी (पीप खनिज) है। यह अस्थायी धाम-सुरजी, सड़कील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-साटापारा स्थित पार्टी लीज अक्षर क्रमांक 858/1, कुल लीज क्षेत्र 4.3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। अस्थायी मरुद्वारों से गिनट आना प्रस्तावित है। अस्थायी की आवेदित अस्थायी अक्षर - 1.14.750 घनमीटर प्रतिघनित है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 33वीं बैठक दिनांक 10/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकारण की नली एवं प्रस्तावित अस्थायी जो परिवहन तथा अस्थायी सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित अस्थायी क्षेत्र की मरुद्वारें एवं खोदें तथा नदी के गहराई की मरुद्वारें की स्वीकृति प्रस्तावित की जाय।
2. गैर अस्थायी गैर अस्थायी अक्षर एवं प्रस्तावित अस्थायी की अस्थायी अक्षर अस्थायी क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर चौड़ा 25 मीटर का गिनट अस्थायी अस्थायी में गैर अस्थायी की अस्थायी अक्षर, मरुद्वारें गिनट क्षेत्र में प्रस्तावित कर प्रस्तावित किया जाये। इसके अतिरिक्त अस्थायी क्षेत्र के अक्षर / नदी गहराई (पीप क्षेत्र) में 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी गहराई की मरुद्वारें (1.14.750) का भी सर्वे किया जाये। अस्थायी अक्षर 1.14.750 गैर अस्थायी क्षेत्र में कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concrete TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में खोदें, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। गिनट क्षेत्र में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी स्थायी, जहाँ अस्थायी विभाग से स्थायीकरण अस्थायी स्वीकृति अस्थायी अस्थायी/अस्थायी प्रस्तावित किया जाये।



2. **सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड** - कर्णालीय कलेक्टर (सैनिक शाखा), सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड का जमाना 1988/1/सैनिक/सि/काठमान्डू, दिनांक 17/02/2020 द्वारा अनुसूचित है।
3. **एलखनम बोजवा** - भारतीय एलखनम प्रस्ताव विद्या भवा है जो-का संघर्षनाम (वि. प्रवा), सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड का जमाना क्रमांक 1988/1/सैनिक/सि/काठमान्डू, दिनांक 17/02/2020 द्वारा अनुसूचित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कर्णालीय कलेक्टर (सैनिक शाखा), सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड का जमाना क्रमांक 1988/सैनिक/सीमा-1/2020 काठमान्डू, दिनांक 06/02/2020 का अनुमान अनुसूचित खदान की 500 मीटर की सीमा के अंतर्गत अन्य रेत खदानों की संख्या निर्दिष्ट है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कर्णालीय कलेक्टर (सैनिक शाखा), सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड का जमाना क्रमांक 1988/सैनिक/सीमा-1/2020 काठमान्डू, दिनांक 06/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पूजा, मठ, एनोक्ट एवं जल आपूर्ति जति प्रतिक्रिया क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. **एल.बी.आर्जू का विधान** - एल.बी.आर्जू कर्णालीय कलेक्टर (सैनिक शाखा), सिन्हाकिण्ड/सीमाकिण्ड का जमाना क्रमांक 1988/सी. सैनिक/नीलामी/स.क./2019 काठमान्डू, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक है।
7. **सिस्टीम सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/02/2018 द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली में सिस्टीम सर्वे रिपोर्ट (System Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **सर्वेक्षण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय ग्राम-सेन्टीवा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-सेन्टीवा 1.25 कि.मी. एवं अस्पताल सेन्टीवा 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 261 कि.मी. एवं सड़कमार्ग 7.3 कि.मी. दूर है। सीमा का खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पूजा/एनोक्ट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अवलंबनीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अस्पताल, जैवविविध संरक्षण निदेशक बोर्ड द्वारा घोषित प्रोटेक्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का निर्दिष्ट जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होगा प्रतिक्रिया क्षेत्र है।
10. **खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 1280 मीटर, न्यूनतम 1075 मीटर तथा खान स्थल की लंबाई - अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर चौड़ाई - अधिकतम 1467 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार खान पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तक रेत खान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित भारतीय एलखनम अनुसार खदान में भारतीय रेत की मात्रा - 114750 मन्कीटन है। रेत काखनम अनुसूचित स्थल पर खान में उपलब्ध रेत खान





प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को वापस ड्राई बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मस्ती का अपडेटेड किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रधिकरण द्वारा सर्वसाध्वि से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए भी दीवार किनारी, सीमेंटियु रींगड भाईन, पार्टी डीक मुहल्ल इन्फोक 088/1, ग्राम-सीमेंटियु, तहसील-कलीवावाजल, जिला-कलीवावाजल-भाटावाल, कुल सीज संख्या 4.5 हेक्टेयर क्षेत्र में, सेत संरक्षण अधिकतम 1.5 मीटर की खासाई तक सीमित रखी जाए, कुल 67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत संरक्षण हेतु पर्याप्ततया स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने का निर्णय किया गया।

सर्वसाध्वि प्रस्तावक को पर्याप्ततया स्वीकृति जारी किया जाय।

26. मस्ती की सखन खास (सी कोटाई) सेम्ड भाईन, ग्राम-कोटाई, तहसील-कलीवावाजल, जिला-कलीवावाजल-भाटावाल) सुपर सिडर कोलोनी, वैशाही नगर, मिलाई, जिला-दुर्ग (सर्वसाध्वि का मस्ती इन्फोक 1225)

सीनसाईन इन्फोक - इन्फोक रजमा - एकाइड / सीडी / एमसाईएन / 147080/2020, दिनांक 04/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सेत सखन (सीज सखन) है। यह सखन ग्राम-कोटाई, तहसील-कलीवावाजल, जिला-कलीवावाजल-भाटावाल जिला, कलस इन्फोक 1/1, कुल सीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। इसका जोक परी से किया जाना प्रस्तावित है। सखन की अनुमति संख्या -85,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की मस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा उपरोक्त सर्वसाध्वि से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित कुल क्षेत्र को खासाई एवं सीसाई तथा मस्ती के पार की सीसाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सेत संरक्षण हेतु प्रस्तावित सखन एवं प्रस्तावित सखन में उपरोक्त तथा उपरोक्त में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण्ड 25 मीटर का सिडर संरक्षण, परीक्षण में सेत सखन के संयुक्त (Levels) सेकर सिडर सेत में प्रस्तावित कुल प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त सखन सीज के सखन / मस्ती का (सीज) सीज से 100 मीटर तक के क्षेत्र में मस्ती सखन के सखन (Levels) का भी सखी किया जाय। सखन सीज (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलेट वेत मार्क (Consolidated TBM structure) निर्धारित किया जाय। टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किया जाय। सिडर सेत के टेम्पलेट वेत मार्क (TBM) को भी परीक्षण, सर्वे खनिज विभाग से उपरोक्ततया उपरोक्त खेतीपाना सहित जानकारी, पर्याप्ततया प्रस्तुत किया जाय।
3. मस्ती से सखन की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर का मस्ती के पार की सीसाई का 10 प्रतिशत (जो की अधिक की) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार सखन के कुल क्षेत्र में संरक्षण किया जाय तथा सखन न ही तो सखनी परमात्र मस्ती पर इन्फोक, इसका उपरोक्त मस्तीपाना परीक्षण सेत से सखन

जावे। कचरा के कानन क्षेत्र एवं अधिभूत क्षेत्र को भीके एवं खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

4. प्रस्तावित खण्ड से निकटतम पुल, बाँध, एरीकट एवं अन्य आसूरी संचयन की दूरी कमतः आनकाली प्रस्तुत की जाए। पुल / एरीकट की दूरी कचरा के अपस्ट्रीम से न्यूनतम 500 मीटर तथा खण्डस्ट्रीम से न्यूनतम 200 मीटर तथा जल संचयनसहित है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त अंतर पर कानन हेतु अधिभूत क्षेत्र को आउटफोकसनुसार नवीन पर विहित कर, वसाय भीके पर सीमांकन तथा माइनिंग परम में इस संबंध में उल्लेख किया जाए।
5. रेल परमाणु हेतु प्रस्तावित खण्ड पर सर्वेक्षण से उपलब्ध रेल की भेटाई कानन के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक मूछा (मूछा) खोदकर वसाय कासतिका पट्टाई कर सफल कर, खनिज विभाग से प्रस्तावित आनकाली प्रस्तुत की जाए। रेल की आनकाली पट्टाई हेतु परमाणु भी प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि पूर्व में अधिभूत खण्ड पर कानन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संचयन विभाग अधिसूचना (एस.ई.आई.ए.ए.), पर्यावरण संचयन विभाग संचयन पर्यावरण संचयन विभाग अधिसूचना (सी.ई.आई.ए.ए.) अधिसूचना द्वारा पर्यावरणीय सीमांकन की गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय सीमांकन की प्रति एवं अधिभूत क्षेत्रों की कानन में की गई कचरायुक्त की आनकाली अधिभूतसहित प्रस्तुत की जाए। कानन की सुधारण की आनकाली अधिभूतसहित संचयन प्रस्तुत की जाए।
7. यदि कचरा पूर्व में अधिभूत है, तो विभाग वही में लिए यह आनकाली कासतिका भागों की आनकाली खनिज विभाग से प्रस्तावित कर कर प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, रेल और कचरायुक्त संचयन संचयन, पूर्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आई.एस. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. खनिज विभाग एवं पर्यावरण संचयनक को कचरायुक्त में रेल के लेवल (Level) की गले सर्वेक्षण (Survey) के साथ आनकाली भाग की अधिभूत क्षेत्र में उपरोक्त सफल सुधारण आनकाली / अधिसूचना (अधिसूचना अधिभूतसहित) संचयन प्रस्तुतकाल दिने करने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार खनिज विभाग एवं पर्यावरण संचयनक की एस.ई.आई.सी., अधिसूचना की कानन दिनांक 29/08/2020 द्वारा प्रस्तुतकाल हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 29/08/2020

प्रस्तुतकाल हेतु भी माल कानन, अधिभूत अधिसूचना उपलब्ध कर। समिति द्वारा माल, प्रस्तुत आनकाली का अधिसूचना एवं अधिसूचना कानन पर खनिज विभाग की गई गई—

1. काम संचयन का अधिसूचना प्रमाण पत्र — का अधिसूचना के कचरायुक्त में काम संचयन कचरायुक्त का दिनांक 20/03/2020 का अधिसूचना प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. खनिज/सीमांकन — कचरायुक्त कचरायुक्त खनिज कचरा से काम संचयन का अनुमान यह कचरायुक्त/सीमांकन का अधिसूचना है।

3. परचमना योजना - राष्ट्रीय प्लान अंतर्गत किया गया है, जो एक सार्वजनिक (सहजग), जिला-बिलासपुर के प्रमाण प्रमाण 1877/खनि/रीन/उद्योग/प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 27/02/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोलेम कन्सेलर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-भारतपुर के प्रमाण प्रमाण 1808/खनि/रीन-1/2020 बलीदाबाजार, दिनांक 07/02/2020 के अनुसार आवेदनित खदान से 500 मीटर की सीमा अवशिष्ट बना रहे खदानों की संख्या निम्न है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्बोलेम कन्सेलर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-भारतपुर के प्रमाण प्रमाण 1807/खनि/रीन-1/2020 बलीदाबाजार, दिनांक 07/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुल, बाँध, एन्रीकट एवं जल आपूर्ति आदि वितरित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. पुरानीबाई, का विवरण - पुरानीबाई, कार्बोलेम कन्सेलर (खनिज सार्वजनिक), जिला-बलीदाबाजार-भारतपुर के प्रमाण प्रमाण 820/खनि/रीन/सीएनडी/न. 22/2018 बलीदाबाजार दिनांक 17/10/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु देय है।
7. डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट - पुराना सम्पदा, पुरानीबाई, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारण में डिस्ट्रीक्ट लैंड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महासमुद्र संचरणाधीन की दूरी - निकटतम जलवायु सार्वजनिक क्षेत्र 1.75 कि.मी. एवं स्कूल सार्वजनिक क्षेत्र 1 कि.मी. कि.मी. की दूरी पर स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र 0.5 कि.मी. दूर है। सीमा से खदान से 4 कि.मी. की दूरी तक पुल/एन्रीकट स्थित नहीं है।
9. पर्यावरण/संरचना/संरचना/संरचना/संरचना क्षेत्र - पर्यावरण प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर-राज्य सीमा राष्ट्रीय सड़क, अंतरराज्य, अंतरराज्य अंतरराज्य प्रभावक क्षेत्र द्वारा संरक्षित डिस्ट्रीक्ट गैल्यूटेड खनिज, पर्यावरण/संरचना/संरचना/संरचना क्षेत्र का संरक्षित क्षेत्र/संरचना/संरचना/संरचना क्षेत्र स्थित नहीं होगा वितरित किया है।
10. खदान सार्वजनिक पर नदी के पास की सीमा एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खदान सार्वजनिक पर नदी के पास की सीमा - अंतरराज्य 300 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर तथा खदान सार्वजनिक की सीमा - 210 मीटर, अंतरराज्य सीमा - 80 मीटर, वितरित नहीं है। खदान की नदी तट से नदी/सीमा किनारे से दूरी अंतरराज्य 30 मीटर एवं न्यूनतम 20 मीटर है।
11. खदान सार्वजनिक पर रेत की सीमा - आवेदन अनुसार सार्वजनिक पर रेत की सीमा - 4 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित सीमा - 2 मीटर, वितरित नहीं है। अनुमोदित राष्ट्रीय प्लान अनुसार खदान में सार्वजनिक क्षेत्र की सीमा - 80,000 घनमीटर है। रेत सार्वजनिक हेतु प्रस्तावित खदान पर वितरित से अंतरराज्य रेत सार्वजनिक की सीमा जानने के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक पर 4 मीटर (800) अंतरराज्य सार्वजनिक प्रस्तावित सीमा का सार्वजनिक क्षेत्र, खनिज विभाग से अंतरराज्य सार्वजनिक प्रस्तावित की



		Running water facility for Toilets	0.40
		Plantation	0.20
		Total	1.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि एक निर्दिष्ट नदी के अवधि में ईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक पत्र में प्रस्तुत किया जाए।

15. एक पर्यावरण मैनुअल सिद्धि की एक मसौदा का स्वयं लेखक द्वारा कक्षा का प्रस्तुत किया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति नहीं है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की दक्षिण से पूर्व पूर्वतन सभी अवधि कार्य एवं कार्रवाई आसपास का समायोजन नहीं किया गया है। जोकि नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई के अधिक गैर का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्न दिखाने प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्मित किया गया -

1. अवधि का खदान (खान-लोहादा) का खनन 4 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/अनुमोदित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का प्रस्ताव किया होने के कारण यह खदान की-2 क्षेत्रों की नहीं होगी।
2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के अन्तर्गत 99 नदी तट पर कुल 1,800 नम पीछे - 750 नम अर्द्ध के पीछे तथा 750 नम (आयुष्, काल, बंस, आम आदि) पीछे लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पट्टे पर 750 नम पीछे लगाए जाएंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक से खदान क्षेत्र से आसपास 1.5 कि.मी. में विस्तृत माद अध्ययन (Detailed Study) करायेगा ताकि सेा के पुनर्स्थापन (Rehabilitation) कार्य सही प्रकार से प्रस्तावित एवं नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जिन एवं कुल क्षेत्रों पर प्रभाव तथा नदी के किनारे की पुनर्स्थापन का सेा प्रस्तावन की प्रभाव की सही अवधि का प्रस्ताव ही करे।
4. सीध क्षेत्र की सड़क का बेसलाईन खटा -
  - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेा खनन की पूर्व मादुनिग सीध क्षेत्र की अवधि एवं अवधि में 100 मीटर तक के नदी तट के क्षेत्र (Levelling) की सिद्धि जायेगी। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र के खनन / नदी तट (दोनों क्षेत्रों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट की सड़क (Levelling) का भी कार्य किया जायेगा। समायोजन सभी नदी तट के सड़क (Levelling) का कार्य 25 युवा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जायेगा।
  - ii. सेा खनन के उपरांत कनसुन की पूर्व माद सड़क के अंतिम समाप्त/खटा में मादुनिग सीध क्षेत्र तथा सीध क्षेत्र के अवधि एवं अवधि में 100 मीटर तक तथा खनन क्षेत्र के खनन / नदी तट (दोनों क्षेत्रों) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के सड़क (Levelling) का कार्य पूर्ण निर्दिष्ट दिख सिद्धि का किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पीस-बनसुर में (सैल प्रकल्पन प्रत्यक्ष करने के पूर्व सड़क अग्रद्वार) इसी विधि विन्दुओं पर सैल सार के लेआउट (Layout) का गठन किया जाएगा।

iv. सैल सार के पूर्ण निर्धारित विधि विन्दुओं पर सैल सार के लेआउट (Layout) के गठन का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाएगा। पीस-बनसुर के आसपास दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-बनसुर के आसपास अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिश्चित रूप से एन.ई.आई.ए. कार्रवाई का प्रस्ताव किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार किये गए प्रस्ताव सर्वसम्मति से श्री सत्यम सटव, सी कोर्ट(रा) रोड गाईड, लखनऊ क्रमांक 1/1, ग्राम-कोट(रा), राहगील-कलसील, जिला-बलीदासगंज-मटासरा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, सैल प्रकल्पन अधिकतम 9 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सैल प्रकल्पन हेतु पर्याप्तता की सुनिश्चिता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। सैल की गहराई धमिलों द्वारा (Manually) की जाएगी। सैल बेड (River Bed) में सभी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित सैल सुचारु रूप से (Efficiently) से संचालित जाईत तक सैल का पर्याप्त ट्रेक्टर द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

प्रतिकल्पन द्वारा बेडक में स्थित - उपरोक्त प्रकल्पन पर प्रतिकल्पन की दिनांक 10/06/2020 को सत्यम सटव के वरिष्ठ ने विचार किया गया। प्रतिकल्पन द्वारा मशीन का उपयोग किया गया। विचार किये गए प्रस्ताव प्रतिकल्पन द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की सीधे सार के पूर्व ही सत्यम सटव, सी कोर्ट(रा) रोड गाईड, लखनऊ क्रमांक 1/1, ग्राम-कोट(रा), राहगील-कलसील, जिला-बलीदासगंज-मटासरा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, सैल प्रकल्पन अधिकतम 9 मीटर की गहराई तक सीमित रखी जाए, कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सैल प्रकल्पन हेतु पर्याप्तता की सुनिश्चिता, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिशीलन प्रस्तावक को पर्याप्तता की सुनिश्चिता जारी किया जाए।

27. मेसर्स श्री अमित जैन (सी-1 मत्स्युड़ी रोड गाईड, ग्राम-बनसुरी, राहगील-फरारी, जिला-बलीदासगंज-मटासरा), मन्सू चौक, टिकराघाट, मिलासपुर, जिला-मिलासपुर (सविद्यालय का पत्ता क्रमांक 1294)

ऑनलाईन आवेदन - प्रस्तावक क्रमांक - एन.ई.आई. / सीजी / एन.ई.आई.ए. / 132501 / 2020, दिनांक 04/06/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित सैल खदान (सील खनिज) है। यह खदान ग्राम-बनसुरी, राहगील-फरारी, जिला-बलीदासगंज-मटासरा, जिला कोट जिला-बलीदासगंज-मटासरा क्रमांक 502, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रकल्पन पर्याप्तता से विचार करना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रकल्पन क्रमांक-1,30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बेडक का विवरण -

(ख) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020।

समिति द्वारा प्रकल्पन की नतीजा एवं प्रस्ताव प्रस्तावक को परीक्षण तथा सत्यम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित खान क्षेत्र की चौड़ाई एवं गौराई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. इस अवलोकन हेतु प्रस्तावित खेत एवं प्रस्तावित खेत के आसपास तथा आसपास में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गूँघ 25 मीटर का डिग बनाकर, खेत में से खेत की लंबाई (Length) तथा चौड़ाई में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खान क्षेत्र की घाट / नदी तट (बैंक) की दूरी से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तट के चरों (Levels) का भी ज्ञान किया जाये। उक्त लंबाई (Length) हेतु कम से कम 3 टेम्पलेट बेंच मार्क (Coordinate TBM structure) निर्धारित किया जाये। टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किया जाये। डिग क्षेत्र में टेम्पलेट बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उक्त खनिज विभाग से प्रमाणिकता प्राप्त कोर्टीयमन सहित जानकारी/प्रमाणिक प्रस्तुत किया जाये।
3. नदीतट से खान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खान की कुछ क्षेत्र में अवलोकन किया जाना संभव न हो तो उसकी दूरी कर, नदी पर प्रस्तावित, इसका बदलेख भर्तुनिज प्लान में अतिरिक्त रूप से दर्शाया जाये। खान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को भी पर खनिज विभाग से कोर्टीयमन सहित प्रमाणिक प्राप्त किया जाये।
4. प्रस्तावित खेत की निम्नलिखित फुल, बॉट, एरीयल एवं गूँघ आसपास खेत की दूरी तथा जानकारी प्रस्तुत की जाए। फुल / एरीयल की दूरी खान के आसपास में न्यूनतम 500 मीटर तथा आसपास में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि खेत क्षेत्र अपरिष्कारित दूरी के अंदर स्थित हो, तो खान के आसपास पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को अवलोकनानुसार नदी पर निर्धारित कर, उक्तका सीमा पर कोर्टीयमन तथा भर्तुनिज प्लान में इस संबंध में बदलेख किया जाये।
5. इस अवलोकन हेतु प्रस्तावित खेत पर अवलोकन में अवलोकन क्षेत्र की गौराई खान के लिए प्रति टेम्पलेट में कम से कम एक मटरा (1m) खोदकर उसके तात्कालिक गहराई पर मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की जाए। क्षेत्र की तात्कालिक गहराई हेतु योजना की प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्ण में आवेष्टित खेत पर खान हेतु खान कर पर अवलोकन सुधारित निर्धारित प्रक्रिया (एनईआईएए), एनईआईएए, एनईआईएए द्वारा प्रमाणिकता समाप्त निर्धारित प्रक्रिया (ई.ई.आई.ए.), एनईआईएए द्वारा प्रमाणिकता स्वीकृति की गई हो, तो पूर्ण में जारी प्रमाणिकता स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त कार्य के खान में जो गई कार्यकारी की जानकारी कोर्टीयमन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रमाणिकता की अवलोकन स्थिति की जानकारी कोर्टीयमन सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खान पूर्ण से समाप्त है, तो विगत वर्ष में विद्यमान खान के अवलोकन मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणिकता प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
8. खान के अंदर, पर्यावरण, जन और समाज पर प्रभाव, नई दिल्ली के आई.एम. दिनांक 01/06/2018 के अनुसार गौराई (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाये।



9. परिसिद्धिशील/पौष्टिसिद्धिदा संवेदनाशील क्षेत्र - परिसिद्धिशील इलाका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में औद्योगिकीय सीमा राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रकृत看 नियंत्रण क्षेत्र द्वारा घोषित किरिण्डली वन्यजंतु संरक्षण, परिसिद्धिशील संवेदनाशील क्षेत्र या घोषित पौष्टिसिद्धिदा क्षेत्र स्थित नहीं होने अधिसूचित किया है।
10. खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - अधिसूचित अनुसार खदान पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिसूचित 500 मीटर, न्यूनतम 300 मीटर तथा खदान स्थल की लंबाई - 100 मीटर, चौड़ाई - 200 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी किन्तले से दूरी अधिसूचित 100 मीटर एवं न्यूनतम 50 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - अधिसूचित अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 4 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित मोटाई - 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित स्थिति में खदान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 1,20,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे 1000 चौदचर उसकी वास्तविक मोटाई का मापन कर, संबंधित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक मोटाई हेतु संशोधन की प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-  
 i. पूर्ण में खदान, द्वारा बताया मालपुरी के पास से रेत खदान गार्ड जॉब करारा क्रमांक 002, संख्या 1,000 एकरेयर, समता-79,000 घनमीटर अधिसूचित हेतु राज्य सार पर्यावरण संरक्षण निदेशन प्राधिकरण, जलसंधारण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27/01/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।  
 ii. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के बाद में ही अनु जानकारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। यह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।  
 iii. भारतीय कर्माचार (खनिज सार्वजनिक) विभाग-जलियावाबदार-भाटीयास के द्वारा क्रमांक 1980/सिन-8/सि/2020 जलियावाबदार दिनांक 27/08/2020 के अनुसार वर्ष 2018-17 में 43,400 घनमीटर, वर्ष 2017-18 में मात्रा, वर्ष 2018-19 में 4,000 घनमीटर एवं वर्ष 2019-20 में मात्रा उत्खनन किया गया है।  
 iv. निर्धारित शर्तानुसार पूराकरण नहीं किया गया है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह की मोटाई - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पूर्ण प्रस्तावित स्थल के उत्तरादि तथा उत्तरादि में 100 मीटर की दूरी तक, 20 मीटर तथा 20 मीटर से किंग किन्तली दिनांक 08/01/2020 की रेत सतह की वर्तमान मोटाई (Level) लेकर उन्हें संबंधित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत करके जानकारी/उत्तरादि प्रस्तुत किया गया है।
14. कर्माचार पर्यावरणीय परिषद (C.E.P.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के अधिसूचित दिनांक 01/05/2018 के

अनुमान वी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति को कार्य निष्ठा से कार्य उपलब्ध निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
38.58	2%	0.78	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Gidhpuri	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.15
			Running water facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.10
<b>Total</b>	<b>0.80</b>			

समिति द्वारा परीक्षण प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि उक्त निरीक्षण को कंपनी वी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

18. सेत काखलन नियुक्त विधि से एवं मछई का कार्य जॉइन्ट द्वारा तदर्थ प्राप्त प्रस्तुत है।
19. परीक्षण प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक खखलन की अनुमति नहीं है। अनुसंधान खखलन योजना में खखलन किए जाने वाले क्षेत्र की वर्षिक सेत पुनर्भरण संकेत खखलन कार्य एवं संबंधी व्ययों का समोच नहीं किया गया है। खखलने वाली नदी से तथा इतने परीक्षण में खखलने 1.5 मीटर गहराई में अधिक सेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा निम्नलिखित कार्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्धारित किया गया --

1. आवेदित खखलन (घास-सजमुरी) का खखलन 8 हेक्टर है। खखलन की रीति से 500 मीटर की परिधि में संबंधित/संबंधित खखलनों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर का प्रस्ताव तब होने के कारण यह खखलन भी 8 हेक्टर की नहीं गयी।
2. पृष्ठीय कार्य - आवेदित को खखलन पर नहीं तब पर कुल 2,000 म<sup>2</sup> की - 1,000 म<sup>2</sup> खखलन के क्षेत्र तथा सेत 1,000 म<sup>2</sup> (जिसमें खखलन, खखलन, खखलन) क्षेत्र समग्र कार्य है। इसके अतिरिक्त खखलन कार्य पर 100 म<sup>2</sup> क्षेत्र खखलन कार्य है।
3. परीक्षण प्रस्तावक सेत खखलन क्षेत्र में खखलनी 1.5 वर्ष में विस्तृत माह खखलन (Investigation Study) करायेगा, ताकि सेत का पुनर्भरण (Replenishment) तथा सही खखलनी, सेत खखलन का सही, सहीतल खखलन वसुधायी, जीव एवं कुल क्षेत्र पर खखलन तथा नदी की खखलनी की सुखलन पर सेत खखलन को खखलन की सही खखलनी प्राप्त हो सके।

4. जीव क्षेत्र की खखलन पर वेतखखलनी माह -

- i. परिधीयता प्रस्तावक द्वारा जलसंधारण के पूर्ण खनन सीमा के अंदर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुण 25 मीटर की अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
- ii. रेत सतह के उपरोक्त मानसून के पूर्व (पूर्व पट्ट के अंतिम सतह/खुद) में ग्राउंडिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के उपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन सीमा के अंदर / नदी तट (टोपी क्षेत्र) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के सतरी (Levels) का सर्वे पूर्व निर्दिष्ट ग्रिड सिस्टम पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत जलसंधारण करने के पूर्व पट्ट अखंडतः इसी ग्रिड सिस्टम पर रेत सतह के उपरोक्त Levels का मापन किया जाएगा।
- iv. रेत सतह के पूर्व निर्दिष्ट ग्रिड सिस्टम पर रेत सतह के उपरोक्त Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अंतिम विवरण 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के अंतिम उपरोक्त 2020, 2021, 2022 तक प्रतिवार्षिक रूप में एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीसमष्ट को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5. अतिरिक्त द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वेसाधन से श्री अमित जैन, जी-1 मजपुरी रोड गार्डन पार्क अंधा जल संयंत्र, राम-मजपुरी, तहसील-पलसी, जिला-बलीदाभाजल-भटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टर क्षेत्र में रेत जलसंधारण क्षमिकता 1.5 मीटर की गहराई तक निर्मित करने हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत जलसंधारण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का अनुमति की गई। रेत की खुदाई अग्रिम द्वारा (Manually) की जाएगी। निरंतर बंध (झरका बंध) में भारी पत्थरों का प्रयोग प्राथमिक होगा। लीज क्षेत्र में किल रेत खुदाई गहराई (Excavation pit) में अतिरिक्त पार्किंग तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा किया जाएगा।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमण की दिनांक 10/08/2020 को संयोजक श्री बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिक्रमण द्वारा सर्वेसाधन से अतिरिक्त की अनुमति की स्वीकार करते हुए श्री अमित जैन, जी-1 मजपुरी रोड गार्डन पार्क अंधा जल संयंत्र, राम-मजपुरी, तहसील-पलसी, जिला-बलीदाभाजल-भटापारा कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टर क्षेत्र में रेत जलसंधारण क्षमिकता 1.5 मीटर की गहराई तक निर्मित करने हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत जलसंधारण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परिधीयता प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

28. मेसर्स सी.एस.ए. काशीम राजा (एन-2 विभागीय रोड गार्डन, राम-विद्यपील, राम पंचायत चौकपरा, तहसील-कसबोल, जिला- बलीदाभाजल-भटापारा), नू, राशि गण्ड रोड, पंडरी जिला-रायपुर (सविभाजक का नतीजा अंशक 1300)

ऑनलाइन आवेदन - आवेदन नम्बर - एन.ई.आई.ए. / सीसी / एन.ई.आई.ए. / 112801 / 2020, दिनांक 10/08/2020।



में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटेशन/प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जाए। राक की पुनरावेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन/प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्ण हो संश्लेषित है, तो निम्न वर्षों में किए गए खदानों की वार्षिक राक की जानकारी अनिष्ट विभाग से प्रमाणित अन्य कर प्रस्तुत की जाए।
8. मान्य सचिव, पर्यावरण, वन और जलसंधु परिशिष्ट संजाल, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environmental Management System) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
9. सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान में रेल की लेवलिंग (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) से सख्त अंशगती माह की वर्गीकृत वेदक में पर्यावरण समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटेशन/प्रस्ताव) सहित प्रस्तुत करना दिने जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

सामान्य सभी निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एन.ई.ए.सी. पर्यावरण के आदेश दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुत करना हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 32वीं बैठक दिनांक 26/05/2020:

प्रस्तुत/अन्य हेतु की सेवा अतीवृद्ध, अधिवृत्त प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नई, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्दिष्ट पाठ्य गई—

1. धान मेधागत का अनापति प्रमाण पत्र — केत खदानों की सेवा में धान मेधागत विभागात् का दिनांक 24/10/2018 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमकित — कार्यलय कलेक्टर (अनिष्ट विभाग) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमकित कर घोषित है।
3. खदानों की सेवा — राष्ट्रीय फल प्रस्तुत किया गया है, जो इस खदानों (28 व.) कित-विद्यमानों से प्राप्त प्रमाण 28/अनि/सा/खदानों खान/2020 कितानुसार, दिनांक 04/08/2020 द्वारा अनुसंधित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यलय कलेक्टर (अनिष्ट विभाग) कित-कलीदाबाजार-भाटापल के आदेश क्रमांक /1542/अनि/वीन-1/2018 कलीदाबाजार, दिनांक 01/02/2020 के अनुसार अधिसूचित खदान से 500 मीटर की गीटर अधिसूचित अन्य रेल खदानों की सेवा कित है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचना — कार्यलय कलेक्टर (अनिष्ट विभाग) कित-कलीदाबाजार-भाटापल के आदेश क्रमांक 1541/अनि/वीन-1/2018 कलीदाबाजार, दिनांक 01/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अथावा, कूल, पुल, बांध, इन्फ्रस्ट एवं जल आपूर्ति बांधि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.ई.आर. का विवरण — एन.ई.आर. कलीदाबाजार (अनिष्ट विभाग) कित-कलीदाबाजार-भाटापल के आदेश क्रमांक 1375/वी.अनि/वीन-1/नक/2018 कलीदाबाजार, दिनांक 28/12/2018 द्वारा जारी की गई विभागीय आदेश 2 वर्ष हेतु है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित क्रम में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **सहस्रवर्षीय संरचनाओं की दूरी** – निम्नलिखित आबादी घनत्व-सिमापत्र 0.235 कि.मी. एवं आबादी घनत्व-सिमापत्र 0.235 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है। सड़क का चौड़ाई 7 कि.मी. की दूरी तक पुल/एलिवेट स्थित नहीं है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र** – पारिस्थितिक प्रभावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में आसपास वींग, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रमुख निषेधन क्षेत्र द्वारा घोषित जैववैविध्य संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का भीतर जैववैविध्य क्षेत्र स्थित नहीं होगा घोषित/विहित स्थित है।
10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकांश 1100 मीटर, न्यूनतम 1150 मीटर तक खनन स्थल की चौड़ाई – 383 मीटर, अधिकांश चौड़ाई 108 मीटर एवं न्यूनतम 100 मीटर चौड़ाई गई है। खदान की नदी तट से नजदीकी किनारे से दूरी अधिकांश 232 मीटर एवं न्यूनतम 188 मीटर है।
11. **खदान स्थल पर जल की गहराई** – आवेदन अनुसार स्थल पर जल की गहराई – 4 मीटर तक है। खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर गहराई गई है। अनुमीत गहराई प्राप्त अनुसार खदान में गहराई 90 की मात्रा – 22,000 घनमीटर है। जल उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध जल मात्रा की गहराई खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर 04 महीने (04) खनन उपरवी वास्तविक गहराई पर मापन एवं संचित विभाग से प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार जल की उपलब्ध जैसा गहराई 35 मीटर है। जल की वास्तविक गहराई हेतु योजना भी प्रस्तुत किया गया है।
12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. **खनन क्षेत्र में जल संचयन के लेवल्स** – जल उपखनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल की जमीन सतह में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूँथ 25 मीटर की गिड सिन्ड्रॉम पर दिनांक 11/02/2020 को जल संचयन के अधिनियम (Levelling) लेकर गार्ड फाउंडेशन डिजाइन से प्रस्तावित खनन पर्यावरण प्रभाव पर्यावरण/पर्यावरण प्रस्तुत किया गया है।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु पब्लिक वॉशिंग रिजल्ट से जारी उभरात निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Report	
29	2%	0.50	Following activities at Nearty Government Primary School Village- Chichpol	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking water Facility	0.10
			Plantation	0.20
<b>Total</b>			<b>0.70</b>	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्थल निर्धारण के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत उत्खनन विनियम विधि में दूरे भाई का कार्य लीज द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमति प्राप्त उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत उपभोग समीक्षा अध्ययन मांगे एवं त्रिमासिक जांचों का समावेश नहीं किया गया है। गहानगी बड़ी नदी से तथा इसमें वर्षाकाल में सफाया 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का उपभोग होने की सम्भावना है।

समिति द्वारा किया गया उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्देश दिए गए:-

1. आवेदित खदान (घान-विखनन) का खनन 4 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में कठिनाई/संरक्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर या उससे कम होने से खनन रेत खदान की-2 केपी की मांगी गयी।
2. कुलक्षेत्रफल कार्य - पर्याप्तता के अभाव पर नदी तट पर कुल 1,200 मग पीछे - 800 मग अर्धम को पीछे तथा दोन 400 मग (गाम्बु, कपडे, बांस, आम आदि) पीछे समाए जायेंगे। इससे अतिरिक्त पट्टन मार्ग पर 100 मग पीछे अर्धम जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आवासीय 1.5 वर्ष में विस्तृत गार अध्ययन (Detailed Study) करावेगा, ताकि रेत की पुनर्पूरण (Replenishment) प्राप्त की जा सके। रेत उत्खनन कर नदी नदीतल स्थानीय समसमिति, लीज एवं गुरुन लीज का प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव को सही समझाया जाना हो सके।
4. लीज क्षेत्र की साइट का रेकार्डिंग करवाए -
  1. रेत खनन के उपरोक्त मानक्यों के पूर्व (पूर्व माह) के अतिरिक्त अर्धम/पुनर्ण में माइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तथा तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की क्षेत्र में नदी मुहाने के तारी (Levees) का सही एवं विस्तृत डिटेल्ड सिन्दुर्णों पर किया जावेगा।
  2. इसी प्रकार पोस्ट-मानक्यों में रेत उत्खनन करते तारी के पूर्व माह अर्धम/पुनर्ण इसी डिटेल्ड सिन्दुर्णों पर रेत साइट के तैयारता (Levees) का अध्ययन किया जावेगा।

11. वेत लागू हो पूर्व निर्धारित किंग सि-टुर्बा पर वेत लागू की सीमाएं (Limits) को मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। फंड-मानसून को आगामी दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं पी-मानसून को आगामी आगामी 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एनईआईएए, एनईआईएए का प्रस्तुत किए जायेंगे।

8. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से मौर्यनद काशीन राज, एम-2 विधायक-2 सोनभ मईन, पार्टी जौक कलस क्रमांक 01, धाम-विधायक, पहासील-कलसोल, जिला-बाजीबाजदार-बाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टर में, वेत अनुमान अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रहती हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत उपलब्ध हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। वेत की सुराई अनिवार्य द्वारा (Mandatory) की जाएगी। फिर वेद (River Bed) में भारी कटनों का प्रेश प्रभावित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित वेत सुराई गड्डे (Excavation pit) में सीडिंग फाईट तक वेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रेलरों द्वारा किया जाएगा।

**प्रतिकल्प द्वारा वेत में विचार -** उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प को दिनांक 10/08/2020 को संमन जारी वेतक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मशीन का उपयोग किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मीट किया गया कि खदान की अस्थायी की दूरी 500 मीटर से कम है। अतः अस्थायी के आसपास रात में प्रभावित परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाए। विचार विमर्श उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती दूरी मौर्यनद काशीन राज, एम-2 विधायक-2 सोनभ मईन, पार्टी जौक कलस क्रमांक 01, धाम-विधायक, पहासील-कलसोल, जिला-बाजीबाजदार-बाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4 हेक्टर में, वेत अनुमान अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रहती हुए, कुल 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष वेत उपलब्ध हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया। साथ ही अस्थायी के आसपास रात में प्रभावित परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

29. मंगल की ओनप्रकल्प (एच-1) कोदेली सोनभ मईन, धाम-कोदेली, पहासील-बाटापारा, जिला-बाजीबाजदार, सोनभ-02, जिला-दुर्ग (सर्विदाजय का नली क्रमांक 1288)

अनिलद्वीप आवेदन - प्रस्तावक नंबर - एनईआईएए / सोनभ / एनईआईएए / 131845/2020, दिनांक 17/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित वेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान धाम-कोदेली, पहासील-बाटापारा, जिला-बाजीबाजदार जिला नरसरा क्रमांक 002, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टर में प्रस्तावित है। उपलब्ध मात्राओं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उपलब्ध मात्रा-1,18,812.5 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**वेतों का विवरण -**

(क) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/08/2020

समिति द्वारा प्रकल्प को मशीन एवं प्रस्तुत प्रस्तावों का परीक्षण तथा लक्ष्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन एवं प्रस्तावित खनन के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुंथ 25 मीटर का डिग अंतराल, खनन में वेत खनन के लेवल्स (Levels) सेल डिग गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र की कट्टर / नदी घाट (दाहिनी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी घाट के लेवल्स (Levels) का भी चर्चा किया जाये। जल लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पराटी वेत गार्ड (Continuous TBM structures) निर्दिष्ट किये जाये। टेम्पराटी वेत गार्ड (TEM) में स्वरूप, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उल्लिखित किये जाये। डिग गैप में टेम्पराटी वेत गार्ड (TEM) को भी उल्लिखित चर्चे खनिज विभाग से प्रस्तावित खनन क्षेत्र कोटेशन सहित जानकारी / दरखास्त प्रस्तुत किये जाये।
3. नदीघाट की खनन की सीमा की दूरी न्यूनतम 25 मीटर का नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (यदि भी अधिक हो) नहीं जानी है। यदि इसके अनुसार खनन के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो प्रस्तावी गणना कर, गार्ड पर स्थापित, इसका उल्लेख नदिनिग प्लान में उल्लिखित रूप में किया जाये। खनन के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा पर खनिज विभाग से सीमांकन करवाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित खनन से निकलने वाला पुरा, बाल, एनिकट एवं जल अपवृत्ति रजोत की दूरी कम जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुरा / एनिकट की दूरी खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीक क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त खनन पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र की उपरोक्तानुसार चर्चे पर निर्दिष्ट कर, प्रस्ताव नीचे पर सीमांकन तथा नदिनिग प्लान में इतक बका उल्लेख किया जाए।
5. वेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित खनन पर खनन में उत्खनन से उत्पन्न हो की चौड़ाई जाननी के लिए प्रति सेक्टेयर में कम से कम एक मज्जा (मि) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रस्तावित खननक्षेत्री प्रस्तुत की जाए। वेत की वास्तविक गहराई हेतु परमाणु भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में अतिरिक्त खनन पर खनन हेतु खनन क्षेत्र पराधिकरण समक्ष निर्धारण प्रक्रिया (एनईआइएए), पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण (एनईआइएए), पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण (एनईआइएए), पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण (एनईआइएए) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अतिरिक्त खनन के खनन में की गई कार्रवाही की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनर्स्थापन की अद्यतन स्थिति की जानकारी कोटेशन सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खनन पूर्व से संबंधित है, तो निम्न वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मापन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित रूप में प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिनियम दिनांक 01/08/2016 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में सेतु के लेवल (Levels) देने वाले सर्वेयर (Surveyor) के पास आगामी माह की आयोजित बैठक में परामर्श समझा सुरंगगत जलकमी / इलाकेक (प्रवालम परियोजना) संबंधित प्रस्तुतीकरण विदे जाने हेतु निर्दिशत कियत जाए।

उपरोक्त खनि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी., प्रत्येकक के द्वारा दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुशित कियत गया।

(5) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की उपरोक्त सिट, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिधति गई गई—

1. धाम प्रयागत का अन्वयित प्रमाण पत्र — सेतु अवलोकन के संकेत में धाम प्रयागत सिटीट का दिनांक 06/12/2019 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कियत गया है।
2. सिन्डिकेट/सीमाकित — कार्यालय कलेक्टर, चण्डिगढ़ शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान सिन्डिकेट/सीमाकित कर योग्य है।
3. खानदान योजना — सर्वेयिंग प्रमाण प्रस्तुत कियत गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उत्तर बहाल कारा के द्वारा क्रमांक 1240/खनि/पत्र/2019-20 कांसेर दिनांक 19/03/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 600 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बहाल कारा के द्वारा क्रमांक 127/खनि/पत्र/पत्र/2019-20 कांसेर दिनांक 28/05/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य सेतु खदानों की संख्या निरक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बहाल कारा के द्वारा क्रमांक 1239 (सी)/खनि/पत्र/पत्र/2019-20 कांसेर दिनांक 19/03/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे अस्पताल, स्कूल, पुर्, बाघ, एंकीटर एवं जल संपूर्ति आदि अवस्थित क्षेत्र निर्दिशत नहीं है।
6. एल.सी.आई. का विवरण — एल.सी.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-उत्तर बहाल कारा के द्वारा क्रमांक 676/खनि/पत्र/पत्र/2019 कांसेर दिनांक 06/01/2020 द्वारा जारी की गई विस्ली कांसेर 2 वर्ष हेतु कर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे सिटीट — भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन संरक्षण नई दिल्ली की अधिन्याय दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्दिशत प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे सिटीट (District Survey Map) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. सहायपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आवादी धाम-बंदोली 0.7 कि.मी., स्कूल धाम-बंदोली 0.9 कि.मी. एवं अगताल लखनपुरी 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है। स्वीकृत सेतु खदान से 1 कि.मी. की दूरी तक पुर्/एंकीटर सिधत नहीं है।

9. **परिस्थितीय/जैवविकिरण संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में जलसंधीय क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, जलसंधीय, कंटील प्रायद्वीप विभाजन क्षेत्र द्वारा भीषित किराँतवासी पंचसूत, दूरिध, किराँतवासी संवेदनशील क्षेत्र का परिचित जैवविकिरण क्षेत्र किया नहीं गया प्रमाणित किया है।

10. **खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की गहरी गड से दूरी** - अर्पित अनुसार खदान स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 300 मीटर, न्यूनतम 200 मीटर तथा खदान की अधिकतम गहराई - 470 मीटर, चौड़ाई - 154 मीटर बताई गई है। खदान की गहरी गड से दूरी किनारे से दूरी अधिकतम 30 मीटर एवं न्यूनतम 20 मीटर है। जबकि इसकी नदी गड से दूरी नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होने चाहिए।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - अर्पित अनुसार खदान पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खदान की प्रस्तावित गहराई - 25 मीटर बताई गई है। अनुसूचित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंग रेत की मोटाई - 1.18.312 घनमीटर है। रेत जलखनन हेतु प्रस्तावित खदान पर खोदना में जलसंधीय रेत मोटाई की मोटाई पहचानने के लिए प्रस्तावित खदान पर 2 गडों द्वारा खोदना परसनी कार्यालय गहराई का गणना कर, अर्पित विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की गहराई औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की कार्यालय गहराई हेतु योजना भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**

i. पूर्व में सहायक राज्य संख्यात मिनीस्ट्रि के नाम से रेत खदान खदान अर्थात् 802, संख्यात 08 इंस्टीट्यूट, अर्थात्-1,28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु किया गया पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा दिनांक 21/03/2017 को द्वारा जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यालयी की जानकारी प्रस्तुत की गई है। मात अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

iii. अर्थात् फलेक्टर (अर्पित द्वारा), जिला-उत्तर बंगाल कार्यालय के द्वारा अर्थात् 128/अर्पित/राज्य/2008-21 कार्यालय दिनांक 28/05/2020 को अनुसूचित वर्ष 2017-18 में 12,848 घनमीटर, 2018-19 में 32,818 घनमीटर एवं वर्ष 2019-20 (दिनांक 16/08/2019 वर्ष) 6,021 घनमीटर का अद्यतन किया गया है।

iv. निर्दिष्ट कार्यालय प्रस्तावित नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत संचयन के लेबल** - रेत जलखनन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के जलसंधीय तथा जलसंधीय में 120 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गूथ 25 मीटर के रेत किण्वी पर दिनांक 19/08/2020 को रेत संचयन के लेबल (Labels) लेकर, उन्हें अर्पित विभाग से प्रमाणित अर्थात् फोटोबाल्ड परिसर जानकारी/अद्यतन प्रस्तुत किया गया है।

14. **कीर्षित पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - मात सहायक पर्यावरण, इन और अद्यतन पर्यावरण सहायक, रेत दिल्ली के अर्पित दिनांक 21/08/2018 को

अनुवाद सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति का कार्य निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
52.50	2%	1.05	Following activities at Nearby Government Adm. Jati Kalyan Vinayak Middle School Village-Bodet	
			Rain Water Harvesting System	0.54
			Running water facility for Toilets	0.20
			Plantation	0.30
<b>Total</b>			<b>1.04</b>	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि ऊपर निर्दिष्टन की अवधि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र - गरी के गाट की लंबाई अधिकतम 300 मीटर एवं चौड़ाई 200 मीटर है, जबकि खदान की गरी गाट से दूरी न्यूनतम 25 मीटर है। खदान की नदी गाट से दूरी, गरी के गाट की चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए। अंत माईनिंग खान से नदी गाट से न्यूनतम 30 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 100 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इस उत्खनन से उत्खनन का कार्य अवधि 4.50 हेक्टर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
16. इस उत्खनन से न्यूनतम चिपों से एवं माई का गाटो क्षेत्र का उत्खनन करना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की चर्चित गैर पुनर्स्थापन संबंधी व्यवस्था कार्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रविष्टि का ब्यवस्था नहीं किया गया है। गहनरी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक गैर का पुनर्स्थापन होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार किया उपर्युक्त संबंधितों से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. उपर्युक्त खदान (घान-बोपली) का लंबा 5 हेक्टर है। खदान की गरी से 500 मीटर की चर्चित में नदीखाल/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टर का उपरोक्त कार्य होने की कारण यह खदान पी-2 क्षेत्रों को नहीं पावे।
2. पुनर्स्थापन कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी गाट पर कुल 2,500 नग पीछे - 1,250 नग उत्खनन से पीछे तथा 1,250 नग (जामुन करीब घान-बाव-बादि) पीछे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ग मा 1,000 नग पीछे लगाए जायेंगे।

3. परिचालन प्रस्तावक रेल खदान क्षेत्र में अगामी 1.5 वर्षों में विद्युत पाव उपकरण (Electrification Study) करवायेगा, ताकि रेल के पुनर्गठन (Replenishment) बाधा नहीं आसके। रेल उपकरण का नवी, नवीकर, स्थानीय उपकरण, क्षेत्र एवं स्थल जैसी सब प्रकार का नवी एवं नवी की गुणवत्ता पर रेल उपकरण के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन कटा -

i. परिचालन प्रस्तावक द्वारा खदान के पूर्व खनन लीज के बाहर / नदी तट (घानी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुण 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेल खनन के उपरोक्त मानचुन के पूर्व (नई पाव के अंतिम सप्ताह/पूर्व) में साइनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अगस्ट्रीन एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तक खनन लीज के बाहर / नदी तट (घानी ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्ण निर्धारित बिंदुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-खनन में रेल उपकरण वाले कालों के पूर्व पाव (अनुर) इसी बिंदुओं पर रेल सतह के स्तरों Levels का खनन किया जाएगा।

iv. रेल सतह के पूर्ण निर्धारित बिंदुओं पर रेल सतह के स्तरों Levels के खनन का सर्वे अगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-खनन के अगले विसय 2020, 2021, 2022 एवं प्री-खनन के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. फॉलोअप को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श करवाये जायेगी कि की अधीनस्थान, एच-1 बीवली, सैफ माईनिंग खनन इन्फोक 802, ग्राम-बीवली, तहसील-खनन, जिला-वाकैन कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में से रेल साइनिंग क्षेत्र 100 वर्गमीटर क्षेत्र का कालों पर 400 हेक्टर क्षेत्र में रेल उपकरण अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं हो, कुल 14,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष रेल उपकरण क्षेत्र परीक्षणों में सीवरी, जारी विचार के 12 वर्ष तक की अवधि हेतु दिने जाने की अनुमति की गई। रेल को सुदृढ़ भूमिगत द्वारा (Manholes) की जाएगी। रेल वेड (River Bed) में भारी पानी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में रिला रेल सुदृढ़ गंधे (Elevation Area) में अंतिम पर्वत तक रेल का परिचालन हेक्टर लीज द्वारा किया जाएगा।

6. रेल साइनिंग क्षेत्र एवं अग्रोम साइनिंग क्षेत्र का मौजे पर सनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन करवाने का उपरोक्त की सनिज विभाग द्वारा उपकरण की अनुमति दी जाएगी।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रधिकरण की विनोक 10/08/2020 की सम्मन अगली बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति की सीवरी करवाये हुये की अधीनस्थान, एच-1 बीवली, सैफ माईनिंग खनन इन्फोक 802, ग्राम-बीवली, तहसील-खनन, जिला-वाकैन कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टर में से

*[Handwritten signatures and initials]*

वेब माइनिंग कोष 100 वर्गमीटर क्षेत्र को कवर करने पर 2.500 हेक्टर क्षेत्र में, जो अलग-अलग अधिकांश 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित नहीं है, कुल 74,000 वर्गमीटर प्रतिवर्ष को कवर करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 50 वर्ष तक की अवधि हेतु विधि जारी का निर्णय किया गया।

परिचयना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

38. मेसर्स इस्पात इन्फ्रस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, राम-सखरी, जखील-जखतपुर, जिला-जिलासपुर (अधिकार क्षेत्र का नक्सा क्रमांक 753)

ऑनलाईन आवेदन - एम्पाइर/सीसी/सीएम्पाइर/53282/2018, दिनांक 22/05/2020

प्रस्ताव का विवरण - परिचयना प्रस्तावक द्वारा राम-सखरी जखील-जखतपुर, जिला-जिलासपुर जिला क्षेत्र क्रमांक 753/1, 754/1, 755/2, 756/3, 757/4, 758/1, 759/1, 759/4, 759/7, 760/1, 761/4, 762/3) से 763/1, 764/3, 764/3) से 764, 765, 767, 768/3) से 768, कुल क्षेत्रफल - 7.88 हेक्टर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित कोल कोयला (वेद टाईप कोयला) खनन-उत्खनन मिश्रण का प्रतिवर्ष का पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन ई-आर्डीए सिस्टम के माध्यम से आवेदन किया गया है। परिचयना का दिनांक क्रमांक 22 वर्षों के लिए है।

पूर्व में एम्पाइर/सी. जखीलसखरी के माध्यम से दिनांक 08/05/2018 से द्वारा कोयला खनन से-1 कोयला को खनन करने के अलावा राम-सखरी क्षेत्र के पर्यावरण को पूर्ण जखतपुर पर्यावरण संरक्षण द्वारा अनाधिकार क्षेत्रीय क्षेत्र कोयला खनन से-1 कोयला खनन (कोयला खनन) ई-आर्डीए सिस्टम के माध्यम से आवेदन किया गया था।

कोयला खनन दिनांक 18/02/2020, दिन बुधवार, समय 13:00 बजे जहां राम-सखरी, जखील कोयला खनन, जखतपुर के मुख्य द्वारा कोयला खनन जखील-जखतपुर, जिला-जिलासपुर में प्रस्तावित है। कोयला खनन प्रस्तावक संस्था सचिव, जखीलसखरी पर्यावरण संरक्षण संस्था, जखतपुर के माध्यम से दिनांक 12/05/2020 द्वारा आवेदन किया गया है। पर्यावरण परिचयना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ई-आर्डीए सिस्टम पर दिनांक 22/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त परिचयना प्रस्तावक को एम्पाइर/सी. जखीलसखरी के माध्यम से दिनांक 22/05/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 225वीं बैठक दिनांक 29/05/2020:

पर्यावरणीय स्वीकृति को प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित एच की कोयला खनन, ऑनलाईन पर्यावरणीय स्वीकृति द्वारा जारी, प्रस्तावक कोयला खनन को पर्यावरण को पूर्ण जखतपुर पर किया गया है।

1. यह प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति एक वेद टाईप कोयला खनन क्षेत्र है, जो एच की मिश्रण कोयला खनन कोयला खनन से-1 से है। राम-सखरी, जखील-जखतपुर, जिला-जिलासपुर जिला क्षेत्र क्रमांक 753/1, 754/1, 755/2, 756/3, 757/4, 758/1, 759/5, 759/4, 760/1, 761/1, 762/4, 763/3) से

735/1, 737/3, 738/2) में 734, 735, 737, 738/2) में 734, कुल क्षेत्रफल - 7.88 हेक्टेयर (19.49 एकड़) में प्रस्तावित है।

2. निकटतम सिंचित क्षेत्र/कलापी संबंधी जानकारी -

- निकटतम जलवाही नाल-कलापी 9.5 कि.मी. एवं बिलासपुर काल 11.2 कि.मी. की दूरी पर सिंचित है। निकटतम नदी स्टेशन बिलसपुरा 8.8 कि.मी. की दूरी पर सिंचित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. है। जलाशय क्षेत्र 2.5 कि.मी., घोड़ा नदी 2 कि.मी., अनियाही नदी 8.2 कि.मी., रामा जलन नदी 9.2 कि.मी. की दूरी पर है।
- परिवहन-प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की पहिचान में अंतरराज्यीय राज. राष्ट्रीय राजमार्ग, अरावली, बंदाईय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विंटिलेरी कोरक्यूटेशन योजना, वातावरणविहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र किंचित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

3. जमीन का संबंधी कानून का पालन प्रतिबंधित प्रस्तुत किया गया है।

4. जल संधि स्टैटमेंट - जमीन की विकास योजना, डेवलपमेंट, पेरामी इंसुलान इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोविडेंट लिमिटेड की भाग पर है। जमीनी प्लान 29 एकड़, सी-ब्लॉक, कालीन ब्लॉक, ग्रीनब्लॉक एवं रिजर्वेशन स्टॉक प्लान 42 एकड़, अन्य कंसिडरिटी (अंतराज्यीय मार्ग, कल्लुटी, रोजीय बिल्टर आदि) 2.45 एकड़ एवं सीन बिल्ट 8.54 एकड़ (84.33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। कुल प्रस्ताव कुल क्षेत्रफल 78.73 एकड़ (7.88 हेक्टेयर) है।

5. सी-गट्टरिजल - सी-ब्लॉक 0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष प्रस्तावित किया जाएगा। बाकल ब्लॉक 0.792 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजर्वेशन ब्लॉक 0.108 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपलब्ध होगा। सी-ब्लॉक एचआईसीएल, कोरक्यूटेशन एवं बिल्टरी बिल्टरी, गेवरा, कुलपुत्रा से आपूर्ति किया जाने प्रस्तावित है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - ब्लॉक बिल्टर इन्फ्रस्ट्रक्चर एवं कालीन ब्लॉक में इन्फ्रस्ट्रक्चर विकास की बाकल क्षेत्र डेवलपमेंट की स्थापना किया जाएगा। सभी ब्लॉक डेवलपमेंट बिल्टर को बिल्टर बाकल क्षेत्र डेवलपमेंट ब्लॉक प्रस्तावित है। परिवार के पार्स और 3 मीटर ऊंची पक्की बाकलुटी गीत का निर्माण का बिल्टर बिल्टर 3 मीटर ऊंची किंचित बिल्टर ब्लॉक तथा सेन सेन स्थापित किया जाकर प्रस्तावित है। बाकल से इन्फ्रस्ट्रक्चर / कल्लुटीय इन्फ्रस्ट्रक्चर के निर्माण हेतु जल डेवलपमेंट की व्यवस्था किया जाकर प्रस्तावित है।

7. होस अक्विफर अपवहन व्यवस्था - जमीनी डेवलपमेंट प्रस्ताव 0.98 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपलब्ध होगा। प्रस्तावितकर्ता के बिल्टर बिल्टर बाकल से बाकल बिल्टर से उपलब्ध डेवलपमेंट को बिल्टर गुणवत्ता एचआईसीएल लिमिटेड, राम-गुणवत्ता बिल्टर-बिल्टर, महाराष्ट्र में स्थापित ब्लॉक डेवलपमेंट बिल्टर प्रस्ताव बिल्टर से अपवहन हेतु बिल्टर किया जाएगा। बाकल बिल्टर प्लान में सीएचसीसी, बिल्टर (उपस्था बिल्टर) स्थापित है। बिल्टर में बाकल से एचआईसीएल किया गया है। बाकल बिल्टर के स्थापना बिल्टर एचआईसीएल (बिल्टर) किया जाएगा।

8. जल प्रयोग व्यवस्था -



औद्योगिक कार्य हेतु मू-जल का दौड़ान कम गहराई तकनीक, जलत प्रतिक्रिया की अनुमति को बचाया ही किया जा सकेगा।

8. इन वॉटर हावीस्टिंग व्यवस्था - जमीन परिसर में वर्षा के पानी का कुल दैनिक 35-40 घनमीटर है। इन वॉटर संयंत्रों किसे जल के लिए प्रयोग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इन वॉटर संयंत्र का उपयोग कोल वॉटर के बांधान हेतु किया जाना प्रस्तावित है।
9. विद्युत सप्लाई एवं संचाल - परिधानना हेतु 830 वी.पी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी अनुमति प्रयोगकर्ता राज्य विद्युत निगम कंपनी से की जाएगी।
10. कुलक्षेत्रण कार्य - कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1.5 हेक्टर (44.5 प्रतिशत) से 25 मीटर कोल वॉटर का विकास किया जाना प्रस्तावित है।
11. जल एवं वायु आवि सुगमता संबंधी जानकारी - परिधान कार्य 15 दिनांक 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच किया गया है। 10 कि.मी. के दूरीगत 10 स्थानीय पर परिवर्तीय वायु गुणवत्ता मापन 10 स्थानों पर मू-जल गुणवत्ता मापन 08 स्थानों पर खनि रस मापन 08 स्थानों पर पानी जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के समूह एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
12. परिधान परिधानों के अनुमान पी.एम.<sub>10</sub> 14.2 से 24.8 माइक्रोग्राम / घनमीटर, पी.एम.<sub>2.5</sub> 24.8 से 55.8 माइक्रोग्राम / घनमीटर, एसओ<sub>2</sub> 8.4 से 18.8 माइक्रोग्राम / घनमीटर तथा एनओ<sub>x</sub> 11.8 से 24.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाए गए हैं। परिवर्तीय वायु गुणवत्ता निर्दिष्ट मानकों के अनुक्रम है। परिवर्तना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवर्तीय पानी हाल दिन के समय 20.9 डीपीए से 58.1 डीपीए एवं रात के समय 37 डीपीए से 51.1 डीपीए पाया गया। परिवर्तना स्थल के आसपास खनि गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।
13. आवासीय मार्गों का ड्रेन-इ-ड्रेन व्यवस्थापन किया जाएगा। सार्वजनिक ड्रेन सफाया करेगा।
14. प्रदूषण नियंत्रण के दौरान परिधानना प्रभावक द्वारा बताया गया कि कोल वॉटर का परिधान 20-40 प्रतिशत तक सड़क मार्ग से कर 60-70 प्रतिशत तक रेलमार्ग से कोल वॉटर का परिधान पूर्ण रूप से सड़क मार्ग से किया जाएगा।
15. कोल वॉटर प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.टी. वॉटर सिस्टम का मापन से अवगमन करने वाले वाहनों पर निगम की स्वी. लॉकरी, जिससे वह सुनिश्चित हो सकेगा कि वॉटर वॉटर कोल एवं रिजिस्ट्रार के बने सही वाहन लॉक ड्रम से बंधे हुए हैं। प्रवेश द्वार पर कोल वॉटर सिस्टम की संस्थापना करना प्रस्तावित है, जिससे वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रित हो सके।
16. जनसुनवाई के दौरान कुछ शर्तों के निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-
  - a. प्रस्तावित कोल वॉटर परिधानना द्वारा कुचली की कचरा जमावित होने पर परिधानना प्रभावक द्वारा जमावित कुचली को क्या साधनाय दी जायेगी।
  - b. प्रस्तावित कोल वॉटर परिधानना के कारण सड़क वाहनों के चलने से सड़क परलानेन न हो एवं दुर्घटना नहीं होने हेतु कार्यवाही कराई जाये।
  - c. प्रस्तावित कोल वॉटर परिधानना की आस-पड़स की लोक स्थितियों, मकानों, सड़क, गलियाँ, जल-जन्तु, मंदिर एवं प्रतिकूल प्रभाव सहेगा।

4. प्रस्तावित कोल बोर्डरी परियोजना के लक्ष्य कोल बोर्डरी द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की क्या आवश्यकता की जायेगी? क्या-क्या उपकरण लगाने जायेंगे।
5. प्रस्तावित उद्योग के प्रस्तावित बोर्डरी के नवयुक्तों / विभिन्न वेनेजुएलाई को बोर्डरी में रोजगार उपलब्ध कराया जाये।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में उद्योग प्रबंधन का कथन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

- उद्योग प्रबंधन द्वारा यह आवश्‍यात्मक दिग्‍ग गण है कि कोल बोर्डरी की स्‍थापना से किसी भी वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित नहीं होगी। सुनवाई को कथन को सुनवाया नहीं होगा। यदि सभी आवश्‍यात्मक उपायों के बाद भी सुनवाई की उपाय को सुनसान होकर है तो प्रस्तावित उद्योगों से वायुमय कर इन निकास जायेगा।
  - प्रस्तावित कोल बोर्डरी परियोजना में दो कोल/बोर्डरी कोल/रिजेक्टर को कारखाने में इनके दूर करने के द्वारा परिवर्तन किया जायेगा। वातों के दुर्घटना के रोकथान हेतु वातों की गति को नियंत्रित रखा जायेगा।
  - प्रस्तावित कोल बोर्डरी परियोजना में आस-पास के क्षेत्र पर्यावरण, नदी, सहाय जीव-जन्तु परिवार को परिवर्तन प्रभाव न बढ़े इसलिए कोल कक्ष इकाई, रोटरी डेकर एवं बर्डीम टाकर में इनके एक्‍स्ट्रैक्शन सिस्टम को सख बेन फिल्टर भी स्‍थापना की जायेगी। सभी कोल कक्षों पर वेल्डिंग को इस उपाय बेन फिल्टर जोड़ा जायेगा। सख ही इनके सखिन / अनुचितिक इनके उपायों के निर्वाह हेतु सख सिस्टम की जायेगी। बालक्री उपाय को सखी जोर 15 मीटर की चौड़ाई तक सख सुसज्जित किया जायेगा।
  - उद्योग द्वारा यह आवश्‍यात्मक दिग्‍ग गण है कि आवश्‍यात्मक-दुसार रोजगार को सखार पर स्‍थायीय उद्योगों को रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिन दिनांक 01/08/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उद्योगों के सख विस्तार से सखी उपायों निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2,200	2%	44	Following activities at nearby Government Schools and Hospitals Village-Amsona, Sakarra and Belmundi	
			Run Water Harvesting System	44
			Provide Drinking water Facility	
			Running water	

*(Signature)*

			Facility for Toilets	
			Solar Lighting System	
			Plantation	
			Total	44

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्दिष्ट किया गया कि स्वतः निर्देशक को कंपनी की ई.एस.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से राम-नकर, लखीम-सखीपुर, जिला-बिहारपुर जिला सहित अग्रिम 753/1, 754/2) से 755/1, 756/1, 756/2, 756/3, 756/4, 757/4, 757/3, 758/1, 758/1, 759/4, 759/7, 760/2) से 762, 760/1, 761, कुल क्षेत्रफल - 788 हेक्टेयर (19.44 एकड़) में प्रस्तावित जंगल बीछरी (वेस्ट लाईप जंगल बीछरी) अन्ततः-उत्सव निर्दिष्ट एक प्रतिशत हेतु पर्यावरणीय सौख्यमि हेतु जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा वेदक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक 02/08/2020 को प्रेषण करी वेदक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा मसौदा का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा वेदक किया गया कि-

1. टीम अवधिगत अवकाश व्यवस्था के अंतर्गत जंगल बीछरी में उपरोक्त निर्दिष्ट क्षेत्र में मसौदा प्रस्ताव एनर्जी प्रॉजेंट निर्मित राम-नरुम, जिला-सखीपुर, मसौदा में स्थापित जंगल निर्दिष्ट क्षेत्र अंतर्गत जंगल क्षेत्र में उपरोक्त हेतु विचार किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसके विषय एनर्जी नहीं किया गया है। अतिरिक्त वेदक जंगल इन्वेस्ट जारी किया गया है। जंगल क्षेत्र की औद्योगिक वेदक एवं वास्तवी निर्दिष्ट क्षेत्र की औद्योगिक वेदक में काफी अंतर होना है। मसौदा क्षेत्र में सखीपुर के सीमा कई कोपले की स्थिति स्थापित है। मसौदा प्रस्ताव एनर्जी प्रॉजेंट निर्मित राम-नरुम, जिला-सखीपुर, मसौदा द्वारा कोपले का ईंधन के रूप में उपरोक्त के स्थान पर बीछरी निर्दिष्ट क्षेत्र का काफी दूरी तक परिवहन कर ईंधन के रूप में उपरोक्त जंगल निर्मित क्षेत्र से अवकाश (Economically Viable) होगा होगा जंगल नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही पावर प्लांट की स्थापना जंगल, ईंधन (बीछरी निर्दिष्ट क्षेत्र) उपरोक्त की जंगल (प्रतिदिन एवं वर्षा) एवं विद्युत्-वीन जंगल बीछरी से उपरोक्त जंगल बीछरी निर्दिष्ट क्षेत्र का उपरोक्त द्वारा वेदक में समाप्त होगा जंगल नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। जब उपरोक्त जंगल नहीं एवं निर्दिष्ट क्षेत्र का परिवहन मसौदा प्रस्ताव एनर्जी प्रॉजेंट निर्मित राम-नरुम, जिला-सखीपुर, मसौदा तक निर्मित क्षेत्र से अवकाश (Economically Viable) होगा जंगल नहीं होने के संकेत में जंगल क्षेत्र द्वारा कर परीक्षण किया जाना किया प्रतीत होता है। यदि जंगली निर्दिष्ट क्षेत्र का इन्वेस्ट जंगली दूरी तक परिवहन कर उपरोक्त जंगल निर्मित क्षेत्र से अवकाश (Economically Viable) नहीं होगा ही वास्तवी निर्दिष्ट क्षेत्र के उपरोक्त हेतु जंगल निर्मित क्षेत्र वेदक की जंगली तथा एनर्जी की प्राप्ति किया जंगल होगा।

2. वृक्षा जंगल उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत जंगल क्षेत्र में उपरोक्त हेतु सीमागत इन्वेस्ट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सीमागत इन्वेस्ट प्लांट से निर्मित जंगल की अवकाश की स्थापना की जा सकती नहीं की गई है।



6. यदि खदान पूर्व में संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए कारखानों की कार्यात्मक जांच की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत की जाए।

7. सीज सीमा के निकटतम कम डेप की कार्यात्मक दूरी वाली जानकारी हेतु एक विभाग से जारी अध्यापित प्रमाण पत्र (अवगत) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण एवं जल संचालन विभाग, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 04/06/2018 के अनुसार की ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को खदान के डेप के लेवलिंग (Levels) होने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ जमागी माफ की अध्यापित डेटा में उपरोक्त सभ्यता सुनिश्चित जानकारी / दस्तावेज (अवगत फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रशासक को एच.ई.ए.सी., पर्यावरण के आगम दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 26/03/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री टी.ए. मीरन, अधिकृत इंजिनियर एवं श्री पी.एन. कर्नाट, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नीचे, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिफारिशें की गईं:-

1. ग्राम बंधारों का अध्यापित प्रमाण पत्र - यह कारखानों के संकेत में नगर पंचायत धारणा का दिनांक 06/04/2017 का अध्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. सिन्हाकिट/सीमकिट - कार्यालय कारखाना, खनिज साखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान सिन्हाकिट/सीमकिट कर घोषित है।
3. परखनम चौखण्ड - सर्वेक्षण मान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.प्र. कांकेर से प्राप्त क्रमांक 006/खनिज/उत्तरापी,एम्/2018-20 कांकेर, दिनांक 10/01/2020 द्वारा अनुसंधित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कारखाना (खनिज साखा) जिला-उ.प्र. कांकेर से प्राप्त क्रमांक 0017/खनिज/उत्तरापी/2018-20 कांकेर, दिनांक 10/01/2020 के अनुसार अध्यापित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित अन्य खदानों की सूचना निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सुरक्षा - कार्यालय कारखाना (खनिज साखा) जिला-उ.प्र. कांकेर से प्राप्त क्रमांक 006-सी/खनिज/उत्तरापी/2018-20 कांकेर, दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, माध्यम अस्पताल, स्तूप, पुल, बांध, डीप, एनोड, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं है।
6. एल.ओ.आई का विवरण - एल.ओ.आई कार्यालय कारखाना (खनिज साखा) जिला-उ.प्र. कांकेर से प्राप्त क्रमांक 008/खनिज/उत्तरापी (अवगत)/2018 कांकेर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 3 वर्ष हेतु है।

7. कार्यलय एवं भण्डारखानाएँ, कार्बन प्रयोगशाला, जिला-कार्बन के प्रयोग कार्यालय/नाम/2020/1807 कार्बन दिनांक 24/02/2020 को जारी अनुसंधान प्रयोग एवं अनुभव कार्यदिश बोन एवं युनि की संख्या से दूरी 3 कि.मी., संरक्षणवी अक्षांश 100 से 150 कि.मी एवं वर्गिण घाटी अक्षांश 250 से 300 कि.मी. है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की अधिष्ठाता दिनांक 25/02/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महापर्वत संरचनाओं की दूरी - निकटतम छायाटी घास-घासना 2.5 कि.मी. एवं अस्पष्टत घास-घासना 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी दूर है। शीतकृत वन अक्षांश का अक्षांश 1,300 मीटर की दूरी पर स्थित है।
10. पर्यावरणिक/जीववैविध्यता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी में प्रादेशिकीय सीमा, राष्ट्रीय अक्षांश अक्षांश, राष्ट्रीय प्रमुख मिशन बोर्ड द्वारा घोषित क्लिंटिकली वीरुदुतेव एरिया, पर्यावरणिक संवेदनशील क्षेत्र या घनिष्ठ जीववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रमाणित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट से दूरी - कार्यलय अनुसार खनन स्थल पर नदी की घाट की चौड़ाई - अधिकतम 274 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 155 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट से दूरी 133 मीटर बतायी गयी है। अनुसंधित राष्ट्रीय पत्तन से नदी घाट से दूरी 10 मीटर बतायी गई है, जबकि खदान की चौड़ाई की नदी घाट से न्यूनतम दूरी, नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होने का है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - अक्षांश अनुसार स्थल पर रेत की मोटाई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2.8 मीटर दर्शाई गई है। अनुसंधित राष्ट्रीय पत्तन अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा - 1,29,000 घनमीटर है। रेत खननन हेतु प्रस्तावित स्थल पर खनन में उपलब्ध रेत संख्या की मोटाई खनन से लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मीटर (1m) मोटाई उपलब्ध प्रस्तावित गहराई का खनन एवं, घनिष्ठ विभाग से प्रमाणित जांचकारी प्रस्तुत की गई है। जिससे अनुसार रेत खननन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 मीटर एक मोटाई उपलब्ध खनन रेत संख्या की मोटाई खनन के अक्षांश पर, खनन से रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की जांचकारी प्रमाणित हेतु प्रस्तावना की प्रस्तुत किया गया है।

### 13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में मुख्य नगर परिषद अखिल भारतीय नगर विकास प्राधिकरण की दम से रेत खनन खदान क्रमांक 131, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-15,000 घनमीटर प्रमाणित हेतु जिला नगर विकास समायोजन प्राधिकरण, जिला-दुम, कार्बन द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29/08/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 60 दिनों हेतु जारी की गयी थी।

- ii. नदी में जारी पर्यावरणीय प्रदूषण को हटाने के प्रयत्न में की गई कार्रवाई को पर्यावरण प्रसूत नहीं की गई है। यह अव्ययन रिपोर्ट प्रसूत नहीं की गई।
- iii. विगत वर्ष में बिस्व बैंक पर्यावरण की प्राथमिकता मुद्दा की पर्यावरण संबंधित विभाग से समीक्षा करा फल प्रसूत नहीं की गई है।
- iv. निर्धारित मासिक/वार्षिक रिपोर्टिंग नहीं किया गया है।

14. **अवधि क्षेत्र में रेत संचयन के लेवलस** - रेत पर्यावरण हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्डरोस का डिब्बे बनवाने की योजना में मौसम-मानसून (Pre-Monsoon) अर्थात् दिनांक 01/02/2020 को रेत संचयन के लेवल 0.50% से बढ़ा कर 1.00% तक बढ़ाया गया है। प्रस्तावित अवधि क्षेत्र में पर्यावरण संबंधित कार्रवाई/प्रयत्न प्रसूत किये गये हैं।

15. **सीईआर (C.E.R.)** - भारत सरकार पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी दिनांक 01/05/2018 के अनुसूचि **सीईआर (Corporate Environmental Responsibility)** हेतु निर्देशों के तहत विभाग से जारी उपरोक्त निर्देशानुसार प्रस्ताव प्रसूत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 52.5	2%	Rs. 1.05	Following activities at Nearby Government Girls School Village-Chandna	
			Plant Water Harvesting System	Rs. 0.64
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.20
			<b>Total</b>	<b>Rs. 1.04</b>

समिति द्वारा पर्यावरण प्रयत्न को निर्धारित किया गया कि सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का निम्नलिखित प्रस्ताव एक तरह से प्रसूत किया जाए।

- 16. रेत संचयन के लिए निर्देशों से पूर्व मासिक-वार्षिक रिपोर्टिंग द्वारा कर्मियों को सूचित किया जा रहा है।
- 17. अनुसूचित निर्देशों के तहत नदी किनारे से दूरी 10 मीटर बढ़ा दी गई है। जबकि नदी के किनारे की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को ध्यान में रखकर संचयन क्षेत्र नदी के किनारे की चौड़ाई अनुसूचित 200 मीटर है। अब नदी के किनारे की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को ध्यान में रखकर क्षेत्र चौड़ाई कर बढ़ाया प्रस्ताव की जा रही है। साथ ही संचयन क्षेत्र के अंतर्गत एक निर्देशों के तहत पर्यावरण प्रयत्न को ध्यान में रखा जा रहा है।

समिति द्वारा अद्यतन सर्वेक्षणों से निर्देशानुसार निर्देश दिया गया था-

1. नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर गाईनिंग क्षेत्र घोषित करने हुए गैर गाईनिंग क्षेत्र को सफाई की जाए। गैर गाईनिंग क्षेत्र एवं गाईनिंग क्षेत्र का सीमांकन एवं घोषित विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित गाईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जांचकरी प्रस्तुत की जाए।
3. विभाग लॉर्ड में किए गए उल्लंघन की सार्वजनिक शिकायतों को जानकारी सहित विभाग से प्रस्तुत करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव न प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 323वीं बैठक दिनांक 28/02/2020 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा तारीख जानकारी 15/05/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(ए) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 18/05/2020

समिति द्वारा मसूदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न निष्पत्ती पाई गई:-

1. नगरपालिका इलेक्टर (अधिकांश बसने) जिला-उत्तर बलार बलार बलार के द्वारा असाक/130(बी)/घानिज/रेडियुस/2019 कारक दिनांक 11/05/2020 के अनुसार नदी तट से कम से कम 30 मीटर पर बिना है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस हेतु संशोधित गाईनिंग प्लान की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसमें नदी तट से दूरी 30 मीटर बसाई गई है। एक गैर गाईनिंग क्षेत्र को सफाई किया गया आवश्यक नहीं है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. नगरपालिका इलेक्टर (अधिकांश बलार) जिला-उत्तर बलार बलार के द्वारा असाक/1248/घानिज/रेडियुस/2019-20 कारक दिनांक 08/02/2020 के अनुसार पूर्व में सफाई सफाई कारक के नाम से शा बलार बलार असाक 131, हाथकल 5 इन्टेक्टर, असाक-21,000 बलमीटर प्रतिदिन हेतु जिला सरोज पर्यावरण सफाई विभाग अधिकांश, जिला-उत्तर बलार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 02/06/2018 को जारी दिनांक से 30 मीटर दूरी जारी की गयी है, जिसमें शा बलार बलार की लंबाई 30,000 बलमीटर है।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव न प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जांचकरी प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 325वीं बैठक दिनांक 28/05/2020 के परिणाम में परियोजना प्रस्तावक द्वारा तारीख जानकारी 29/05/2020 को प्रस्तुत किया गया।

(ए) समिति की 325वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

समिति द्वारा नदी, प्रसृत जलधारी का आलोचन एवं परीक्षण करने का निम्न विधि यह है—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय लीनियर के चार्ट की धारण में की गई कार्यवाही की विस्तार प्राप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई है। जिसमें अनुसंध—
  - i. शोध अन्वेषण नहीं किया गया है।
  - ii. निर्धारित शर्तानुसार न्यायव्यय नहीं किया गया है।
2. पर्यावरणीय प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक अन्वेषण की अनुमति नहीं है। अनुसंधित प्रस्तावक को जल में अन्वेषण किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक एक अनुसंधान शर्तों अन्वेषण नहीं एवं तलधारी जलधारी का अन्वेषण नहीं किया गया है। अन्वेषण नहीं की है तथा इसमें अन्वेषण में साधारणतः 1.5 मीटर गहराई में अधिक वेत का अनुसंधान करने की अनुमति है।

समिति द्वारा निम्न विधि उपरोक्त सर्वशर्तों से निम्नानुसार निर्णय लिख गया—

1. आवेदन खदान (धाम-वादा) का प्रस्ताव 2 हेक्टर है। खदान की गीब में 800 मीटर की गीब में अन्वेषण/संशोधित खदानों का कुल अन्वेषण 5 हेक्टर का प्रस्ताव करने होने की कारण यह खदान 2-3 क्षेत्रों की मानी गयी।
2. अन्वेषण चार्ट - प्रथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,500 मग चौड़े - 1,200 मग अन्वेषण के चौड़े तथा 1,200 मग अन्वेषण करने वाले अन्वेषण चार्टों को अन्वेषण जारी है। इसमें अन्वेषण प्रस्तुत चार्ट का 750 मग चौड़े अन्वेषण जारी है।
3. पर्यावरणीय प्रस्तावक वेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत शोध अन्वेषण (Investigation Study) करावेगा, ताकि वेत की प्रस्ताव (Investigation Study) जारी नहीं करावे, वेत अन्वेषण का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंख्या, जीव एवं सूक्ष्म जीवों का प्रस्ताव एवं नदी के तटों की सुरक्षा पर वेत अन्वेषण के प्रस्ताव की सभी आवश्यकताएं प्राप्त हो सकें।

4. जीव क्षेत्र की शोध का रिकार्डिंग चार्ट -

- i. पर्यावरणीय प्रस्तावक द्वारा अन्वेषण के पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के शोध / नदी तट (दोनों क्षेत्रों) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के चार्ट (Levelling) का भी चार्ट किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी तटों के चार्ट (Levelling) का चार्ट 20 मग 20 मीटर के अन्वेषण (Levelling) में किया जाएगा।
- ii. वेत अन्वेषण के अन्वेषण प्रस्तावक के पूर्व (पूर्व) चार्ट के अन्वेषण चार्ट / अन्वेषण में माइनिंग क्षेत्र चार्ट तथा जीव क्षेत्र के अन्वेषण एवं अन्वेषण में 100 मीटर तक तक अन्वेषण क्षेत्र के चार्ट / नदी तट (दोनों क्षेत्रों) के 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी तटों के चार्ट (Levelling) का चार्ट पूर्व निर्धारित विधि विस्तृत पर किया जाएगा।
- iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में वेत अन्वेषण करने करने के पूर्व चार्ट अन्वेषण इसी विधि विस्तृत पर वेत तटों के अन्वेषण (Levelling) का चार्ट किया जाएगा।
- iv. वेत तटों के पूर्व निर्धारित विधि विस्तृत पर वेत तटों के अन्वेषण (Levelling) के चार्ट का चार्ट आगामी 3 वर्ष तक निर्धारित किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के अन्वेषण दिनांक 2020, 2021, 2022 एवं प्रे-मानसून के अन्वेषण अन्वेषण

2020, 2021, 2022 तक अधिकांश काम में एस.आई.आई.ए.ए. प्रकल्पों के अंतर्गत किए जायेंगे।

- समिति द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त सर्वसम्मति से की कार्यवाही कायम बरकरार रखने, अर्थात् क्रमांक 131, धाम-बादना, तहसील व जिला-कोडर, कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टर क्षेत्र में, सेत प्रकल्प अधिकांश 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखने हेतु कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उपकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिवे जाने की अनुमति की गई। सेत की गहराई अधिकांश धारा (Manholes) की जाएगी। सेत सेत (Silted Sand) में भारी पत्थरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा। सीत क्षेत्र में सेत सेत गहराई बढ़ते (Increasingly Deep) से सीटिंग चार्ट तक सेत सेत परिष्कृत ड्रेजिंग टीमी द्वारा किया जाएगा।

अधिकारण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर अधिकारण की दिनांक 10/06/2020 को अपना 48वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकारण द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। विचार दिनांक उपरोक्त अधिकारण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार नहीं होने की कार्यवाही कायम बरकरार रखने हेतु क्रमांक 131, धाम-बादना, तहसील व जिला-कोडर, कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टर क्षेत्र में, सेत प्रकल्प अधिकांश 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखने हेतु कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष सेत उपकरण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिवे जाने का निर्णय लिया गया।

परिष्कारण प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

- वेस्ट महावीर कोल वीसवीज प्राइवेट लिमिटेड, धाम-बादना, तहसील-कोडर, जिला-बिलासपुर (अधिकारण की नशी क्रमांक 1222)

अनुमति आवेदन - धाराक्रम नम्बर - एस.आई.आई.ए.ए. / सी.सी. / एस.आई.आई.ए. / 81-82 / 2020 दिनांक 02/06/2020।

प्रस्ताव का विवरण - पर्यावरण प्रस्तावक द्वारा धाम-बादना, तहसील-कोडर, जिला-बिलासपुर जिला क्षेत्र क्रमांक चार्ट सीक 70/1, 78, 85, 82, 81, चार्ट सीक 82, 84, 85, 87, चार्ट सीक 88, 89, 90/1, 58/1, 58/2 कुल क्षेत्रफल - 14.74 एकड़ में पर्यावरणीय क्षेत्र वीसवी - 0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टीवीआर सभ्य आवेदन किया गया है। पर्यावरण का प्रस्तावित विनिर्देश तब 22 करोड़ होगा।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/06/2020

समिति द्वारा प्रस्ताव की नशी एवं प्रस्ताव उपरोक्त का परीक्षण तथा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया था-

- अन्य वैकल्पिक सभ्य के प्रस्ताव को साथ ही साथ वीस वीसवी उपकरण हेतु प्रस्तावित प्रस्ताव को पर्यावरणीय संस्था की दृष्टि से परीक्षा किए जाने की कार्यवाही प्रस्ताव की।
- सर्वसम्मति से स्थापित प्रस्तावों (गैर अर्द्ध सेत) हेतु प्रकल्प पर्यावरण संस्था प्रस्ताव द्वारा जारी समिति सभ्य को प्रस्ताव की कार्यवाही की निम्नानुसार कार्यवाही प्रस्ताव की जाए।

3. मुझे स्थानित संबंधों दस्तावेज प्रस्तुत की जावे।

4. बाजार बॉर्डर विचारों व्यवस्थाओं एवं इन बाजार कर्तवियों व्यवस्थाओं का विवरण लिख एवं साईज सही प्रस्तुत की जावे।

5. बुधित जल हेतु प्रस्तावित बाजार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपस्थित बुधित जल के उपयोग / पुनःआवेषण की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जावे।

6. बाणु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, पब्लिक हेल्थ एक्ट प्रावधानों का पालन, पी-कोड बाजार कोड, मिनेरल कोड के परिधान कट एवं परिधान व्यवस्था (साइक / पी कोड) का विवरण प्रस्तुत की जावे।

7. पीस अपशिष्टों (रिसेप्ट कोड एवं कोड सफाई) के निपटारे हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

8. प्रास्तावित जल संस्थापन के संचालन की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जावे।

9. से-आउट से प्रस्तावित कृषारोपण को दर्शाते हुए कृषारोपण की सख्त तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जावे। कृषारोपण हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत की जावे।

10. सिटिल बाजार बॉर्डर कर्तवियों द्वारा जारी साईजलाईन अनुसार परिधीयता स्थान कोड, डिस्ट्रिक्ट जलक डिस्ट्रिक्ट जलक कोड एवं जल के संयोजन आने बाधित जानकारी प्रस्तुत की जावे। बाजार बाणु प्रदूषण कानून हेतु सिटिल बाणु बॉर्डर कर्तवियों से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जावे।

समानुसार परिधीयता प्रस्तावक को एसईएसी, जलसंसाधन के उपान विभाग 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(क) समिति की 22वीं बैठक दिनांक 28/05/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री. विद्याल जेठ जीयरेक्टर एवं श्री. राजीव जेठ प्रसिद्ध उपस्थित हुए। समिति के सख्त परिधीयता प्रस्तावक द्वारा अनुमति किया गया कि यह प्रकरण समिति की 22वीं बैठक दिनांक 01/06/2020 में सुपीकृत है। अतीतिपूर्व कालों से उक्त स्थिति को प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। जल प्रस्तुतीकरण हेतु कालत दिये जाने का अनुमति विधा गया। समिति द्वारा परिधीयता प्रस्तावक के अनुमति को मान्य किया गया। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अंशोक्षण एवं परिधान करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. निकटतम सिविल डिवाइजनों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी घाट-घरों 1 कि.मी. स्थूल घाट-घरमाला 3 कि.मी. अन्वयता करारी रोड 5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन कि.मी. 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. है। अरण नदी 5 कि.मी. दूर है।
- परिधीयता प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की दूरी से अंतर्राज्यीय सौर, राष्ट्रीय बाणु, अन्वयता, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिधीय डिस्ट्रिक्ट पीनलुटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का परिधीयता कर्तवियों से स्थित नहीं होने परिधीयता विधा है।

2. लेख एरिया इंटर्नेट - कुल क्षेत्रफल 14.37 एकड़ है जिसमें क्षेत्रीय प्लॉट 2.85 एकड़, पी-कोड, कालीन कोड, पीनलुटेड एवं रिसेप्टन स्टीक गाई 2.85

सही  
✓

एकड़, अन्य बेसिलिटी 1.47 एकड़, गैर भूमि 0.75 एकड़ एवं चीन बेसिल 0.20 एकड़ (50.4 प्रतिशत) में प्रस्तावित है।

3. पर्यटनिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूरे में वीरता वीरता 14.78 एकड़ क्षेत्र में स्थित किया जाना प्रस्तावित था। उक्त क्षेत्रफल में निर्धारित जे-आउट के तर्जिम क्षेत्र में सी-सेल एरिया क्षेत्र तक भूमि की सीमाई अन्य जंग के कारण काल की भूमि 1.83 एकड़ को शामिल कर जे-आउट प्रस्तुत किया गया है।

4. सारवा संशुद्ध जानकारी-

स्वामित्व	खसरा नं.	क्षेत्रफल (एकड़ में)
महावीर काल वीरता वीरता लिमिटेड	22/1/1, 22/2/1, 22/3/1, 22/4/1, 22/5/1, 22/6/1, 22/7/1, 22/8/1, 22/9/1, 22/10/1, 22/11/1, 22/12/1, 22/13/1, 22/14/1, 22/15/1, 22/16/1, 22/17/1, 22/18/1, 22/19/1, 22/20/1, 22/21/1, 22/22/1, 22/23/1, 22/24/1, 22/25/1, 22/26/1, 22/27/1, 22/28/1, 22/29/1, 22/30/1, 22/31/1, 22/32/1, 22/33/1, 22/34/1, 22/35/1, 22/36/1, 22/37/1, 22/38/1, 22/39/1, 22/40/1, 22/41/1, 22/42/1, 22/43/1, 22/44/1, 22/45/1, 22/46/1, 22/47/1, 22/48/1, 22/49/1, 22/50/1, 22/51/1, 22/52/1, 22/53/1, 22/54/1, 22/55/1, 22/56/1, 22/57/1, 22/58/1, 22/59/1, 22/60/1, 22/61/1, 22/62/1, 22/63/1, 22/64/1, 22/65/1, 22/66/1, 22/67/1, 22/68/1, 22/69/1, 22/70/1, 22/71/1, 22/72/1, 22/73/1, 22/74/1, 22/75/1, 22/76/1, 22/77/1, 22/78/1, 22/79/1, 22/80/1, 22/81/1, 22/82/1, 22/83/1, 22/84/1, 22/85/1, 22/86/1, 22/87/1, 22/88/1, 22/89/1, 22/90/1, 22/91/1, 22/92/1, 22/93/1, 22/94/1, 22/95/1, 22/96/1, 22/97/1, 22/98/1, 22/99/1, 22/100/1	10.84
अनुसूचित भूमि	22/1/1, 22/2/1, 22/3/1, 22/4/1, 22/5/1, 22/6/1, 22/7/1, 22/8/1, 22/9/1, 22/10/1, 22/11/1, 22/12/1, 22/13/1, 22/14/1, 22/15/1, 22/16/1, 22/17/1, 22/18/1, 22/19/1, 22/20/1, 22/21/1, 22/22/1, 22/23/1, 22/24/1, 22/25/1, 22/26/1, 22/27/1, 22/28/1, 22/29/1, 22/30/1, 22/31/1, 22/32/1, 22/33/1, 22/34/1, 22/35/1, 22/36/1, 22/37/1, 22/38/1, 22/39/1, 22/40/1, 22/41/1, 22/42/1, 22/43/1, 22/44/1, 22/45/1, 22/46/1, 22/47/1, 22/48/1, 22/49/1, 22/50/1, 22/51/1, 22/52/1, 22/53/1, 22/54/1, 22/55/1, 22/56/1, 22/57/1, 22/58/1, 22/59/1, 22/60/1, 22/61/1, 22/62/1, 22/63/1, 22/64/1, 22/65/1, 22/66/1, 22/67/1, 22/68/1, 22/69/1, 22/70/1, 22/71/1, 22/72/1, 22/73/1, 22/74/1, 22/75/1, 22/76/1, 22/77/1, 22/78/1, 22/79/1, 22/80/1, 22/81/1, 22/82/1, 22/83/1, 22/84/1, 22/85/1, 22/86/1, 22/87/1, 22/88/1, 22/89/1, 22/90/1, 22/91/1, 22/92/1, 22/93/1, 22/94/1, 22/95/1, 22/96/1, 22/97/1, 22/98/1, 22/99/1, 22/100/1	5.73

5. सी-सेल - सी-सेल 0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपभोग किया जाएगा। वार्षिक क्षेत्र 0.75 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजर्वेट क्षेत्र 0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपभोग होगा। सी-सेल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र, क्षेत्र एवं भूमिगत में आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। कठोर से वीरता तक सी-सेल का परिवहन समुद्र मार्ग से इसे ट्रेन बार्नो द्वारा किया जाएगा। वीरता से वार्षिक क्षेत्र एवं रिजर्वेट का परिवहन समुद्र मार्ग से इसे ट्रेन बार्नो द्वारा किया जाएगा।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - सील काल इकाई, सील क्षेत्र एवं सील क्षेत्र में उच्च एकाधिकार सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी सील कन्वेयर बेल्टों को उच्च वायु बेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर फिल्टर से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। उच्च इकाईओं से पार्टिकुलेट मैटर को कालक्रम 30 मिलीग्राम/घण्टा घनमीटर से कम रखा जाएगा। फिल्टर के साथ क्षेत्र 3 मीटर ऊंची शक्ति सील का निर्माण एवं सेन गन के साथ 3 मीटर ऊंची सील स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उच्च सिल्ट / पर्यटन उच्च कालक्रम के नियंत्रण हेतु जल सिल्टेशन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

7. वीरता अपशिष्ट उपचालन व्यवस्था - वीरता रिजर्वेट क्षेत्र 0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपभोग होगा। वीरता वीरता से उपभोग रिजर्वेट की उच्च-वर्ण धावन फ्लोट एवं अन्य उपकरणों को वीरता से क्षेत्र में उपभोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

8. जल प्रयोग व्यवस्था -

- जल आपूर्ति एवं सील - लगभग 200 किलोमीटर प्रतिदिन क्षेत्रों हेतु जल उपलब्ध होगा। जल सील क्षेत्रों में होगा। भूमिगत जल उपभोग हेतु अनुसूचित क्षेत्रों पर 100 मीटर गहराई में आवरण किया जाना प्रस्तावित है।

- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - उच्च क्षेत्र पर उपलब्ध क्षेत्र वीरता स्थापित किया जाएगा। उच्च रूप वीरता सिस्टम व्यवस्था की जाएगी।

प्रक्रिया से उत्पन्न दुर्घित जल को उपचार हेतु विस्फोट केन्द्र में एवं सेंट्रल पीम्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दुर्घित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरान्त पुनः प्रक्रिया में प्राप्त परिवार को पीकर पुनर्स्थापन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। परंतु दुर्घित जल को उपचार हेतु सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। सूच्य निम्नलिखित की शिर्षक रही जाएगी।

- सू-जल उपयोग प्रबंधन - परिशोधन तथा सेंट्रल इन्फ्लुएंट कालर बोर्ड को अनुदान राशि प्राप्ति में कार्य है। निम्नलिखित अनुसार-

(अ) कुल एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत सुनिश्चित जल का पुनर्स्थापन एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) इन्फ्लुएंट कालर रिपोर्टों हेतु आगामी वर्ष तकनीक तथा रेनवाटर हावीस्टिंग / ऑटोमैटिकल जल रिगार्ड का अन्वय पर सू-जल निष्कलने जाने की अनुमति सेंट्रल इन्फ्लुएंट कालर बोर्ड द्वारा देने जाने का प्रयत्न है। जल उपयोग को रेनवाटर हावीस्टिंग ब्याख्या किया जाना आवश्यक है।

9. रीन वॉटर हावीस्टिंग ब्याख्या - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधन प्रभावक द्वारा बताया गया कि रीन वॉटर हावीस्टिंग ब्याख्या का डिजाइन ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. विद्युत सप्लाई एवं स्कीम - परिशोधन हेतु 1,500 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति रेलीकरण द्वारा विद्युत मित्रता कंपनी से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 मंचा 500 के.वी.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एसीस्टिवली इंफ्लुएंट में स्थापित किया जाएगा।

11. वृक्षारोपण की स्थिति - कुल क्षेत्रफल में से 8.25 एकड़ (984 प्रतिशत) में डीन वॉटर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। बाकी एररक 19 मीटर हाई गेटो का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

12. कोल वॉटर की स्थापना हेतु 3 क्वली (गाम-इन्फ्लुएंट, गाम-पीपलरनुर एवं गाम-बेलगान) का अध्यापन किया जाना बताया गया है। कोल वॉटर की स्थापना के लिए गाम-बेलगान में प्वाल का दफन किया अन्वय पर किया गया है, इस संबंध में पुनर्स्थापक जागरूक प्रस्तुत की गई है।

13. बर्सेसन में उका गुमि या बोर्ड उद्योग स्थापित नहीं होना बताया गया है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधन प्रभावक द्वारा बताया गया कि एच.ई.पी.एल. को रीन, डीपला एवं कुम्हलुका स्थान में री-कोल का परिवर्तन पूर्ण रूप से सडक मार्ग से एवं सडक कोल का भी सडक मार्ग से किया जाएगा। सडक मार्ग से सडक कोल एवं डीपला निष्कलन का परिवर्तन असाधारण से उद्योगों को किया जाएगा।

15. परिशोधन प्रभावक द्वारा बताया गया कि ईआईए रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कार्य दिनांक 01/03/2020 से 31/03/2020 तक निर्धारित किया गया था। सेंट्रल-19 के लीकडायन प्रॉब्लम को री-कलन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का कार्य दिनांक 25/03/2020 से 31/03/2020 तक नहीं किया जा सका। कोल वॉटर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिनांक 21/03/2020 तक किया जाएगा।

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

13. समिति द्वारा noted किया गया कि इंजॉइंटे रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु फेस लॉडेज काटा फलेक्शन विचार एक एडवेंस एक किया जाना आवश्यक है। एक्टिविटी-08 के एडवेंसमेंट ड्रॉइंग होने के अलावा नॉनलिटींग का कार्य दिनांक 25/08/2020 से 14/09/2020 तक नहीं किया गया है। उदा. काटा नॉनलिटींग में निरस्तता नहीं होने के अलावा उदा. टोपलन में भी नई नॉनलिटींग को फास किया जाना संभव नहीं है। समिति द्वारा यह एडवेंस में नॉनलिटींग किए जाने के लिए निर्देशित किया गया।

समितियों द्वारा विचार विधायक जलदायक सर्वसम्मति से प्रकल्प की-1, एक्टिविटी का होने के अलावा माका हावाका फासलेशन, एन. एडि. जलवायु परिवर्तन माकाका द्वारा अक्टूबर, 2019 में प्रस्तुतित एंगेजमेंट एन्स और रिक्वेस्ट (टी.ओ.आर.) फॉर इंजॉइंटे/इंटरमी रिपोर्ट फॉर प्रोसेसिंग/एक्टिविटीज लिक्वाफिकेशन इन्वायरीट फासलेशन अफ्टर इंजॉइंटे नॉनलिटींग, 2020 में तैयार नहीं है। एन. एडि. टोपलन (एन. एडि. नुमाई सफिर) द्वारा नौवरी 2020 दिनांक एन. एडि. केट लॉडेज हेतु जारी किए जाने की अनुमति निम्न अतिरिक्त टी.ओ.आर. के माका की गई:-


- i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatnagarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report for new season.
- ii. Project proponent shall submit details of ETP & STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- v. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for use of ground water.
- vi. Project Proponent shall submit NOC mentioning the distance from the boundary of Achanakmar Tiger Reserve to the proposed washery site from Competent Authority of Tiger Reserve.
- vii. Project Proponent shall submit layout earmarking atleast 20m wide green belt all along the periphery of the project area.
- viii. Project Proponent shall submit ownership / possession of land documents and procurement of additional land as proposed during TOR presentation.
- ix. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of low cost, clean coal and reject through rail as maximum as possible.

प्रतिक्रिया द्वारा ई.ओ. में विचार - माकाका प्रकल्प पर प्रतिक्रिया की दिनांक 10/09/2020 को संयोजक एक्टिविटी में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नसी का आलोचना किया गया। विचार विधायक प्रकल्प द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को एडवेंस करने हेतु एंगेजमेंट ड्रॉइंग एन. एडि. रिक्वेस्ट (टी.ओ.आर.) (एन. एडि. नुमाई सफिर) जारी करने का निर्देश दिया गया।

प्रतिक्रिया प्रकल्प को एन. एडि. रिक्वेस्ट (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



1. मेसर्स सेवुरी सीमेंट लिमिटेड, पौ.आ. -बैकुल, जिला-रायपुर (सचिवालय की नशी क्रमांक 27)

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, पौ.आ. -बैकुल, जिला-रायपुर द्वारा मेसर्स सेवुरी सीमेंट लिमिटेड को अपने पौराणिक अर्थात् की अगता दिनांक 29 मेगावॉट से 27 मेगावॉट किए जाने हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पुनित-सेवुरी सीमेंट प्लांट) पौ.आ.-बैकुल, जिला-रायपुर" से "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पुनित-बैकुल सीमेंट प्लांट) पौ.आ.-बैकुल, जिला-रायपुर" नाम परिवर्तन में संशोधन किये जाने का अनुरोध प्रस्तुत किया गया है।

एच.आई.आई.ए.ए. सं.प. के पत्र क्रमांक 1888, दिनांक 07/03/2020 के द्वारा पूर्व में "मेसर्स सेवुरी सीमेंट लिमिटेड, पौ.आ.-बैकुल, जिला-रायपुर" को एच.आई.आई.ए.ए. एन.टी.ए.ए. के पत्र दिनांक 08/12/2008 द्वारा अर्थात् पौराणिक अर्थात् की अगता दिनांक 29 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स सेवुरी सीमेंट लिमिटेड, पौ.आ.-बैकुल, जिला-रायपुर" को अद्यतन पर "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पुनित-सेवुरी सीमेंट प्लांट) पौ.आ.-बैकुल, जिला-रायपुर" किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 10/08/2020 को संलग्न अर्थात् की बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नतीजा का अनावरण किया गया। विचार विमर्श उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नाम परिवर्तन के संबंध में एडिटर ऑफ कॉन्सिल के द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पर्यावरण प्रस्तुत किया जाए।

परिशोधन प्रस्तावक को सूचित किया जाता है।

2. मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड, पौ.आ.-इटावा, जिला-इटावा (सचिवालय की नशी क्रमांक 795)

मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड, पौ.आ.-इटावा, जिला-इटावा द्वारा मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड, पौ.आ.-इटावा, जिला-इटावा को अपने पौराणिक अर्थात् की अगता दिनांक 29 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड (पुनित-इटावा सीमेंट प्लांट) पौ.आ.-इटावा, जिला-इटावा" से "मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड (पुनित-इटावा सीमेंट प्लांट) पौ.आ.-इटावा, जिला-इटावा" किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न बिन्दुओं पर संशोधन किया गया है:-

- 1. "मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड" से "मेसर्स श्री बजरंग चार एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड" किये जायें।

*(Handwritten signature)*

2. पार्षदसभिय स्वीकृती में 12 डेप्युटीय का वसलेस किण्व सथा हे। जखकि कार्यालय कार्यालय (अतिरिक्त सहायक) डिप्लो-एड.प्राध्यापक द्वारा संभवत 15 डेप्युटीय में से 23.87 डेप्युटीय संघ में चु-असेल एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई हे।

3. पार्षदसभिय स्वीकृती में खयात फेल साट्टर - 110 डेप्युटीय प्रतिदिन एवं विभाईकाल साट्टर 280 डेप्युटीय प्रतिदिन का वसलेस किण्व सथा हे। जखकि प्रकल्प में फेल साट्टर - 280 डेप्युटीय प्रतिदिन एवं विभाईकाल साट्टर 110 डेप्युटीय प्रतिदिन हे।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 10/08/2020 को सभान असी बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी का प्रतिकल्प किया गया। विचार किया उपरोक्त प्रतिकल्प द्वारा पार्षदसभिय से निर्णय किया गया कि उपरोक्त के अन्तर्गत पर परीक्षण कर समस्त अनुभव किने जाने हेतु प्रकल्प एन.ई.ए.सी., छातीसगढ के सथा प्रसंगु किने जाने का निर्णय किया गए।

उदामुखर एन.ई.ए.सी., छातीसगढ को सूचित किया जाए।

एकीका सापटन क्रमांक-5

अन्तर्गत स्वीकृति की अनुमति से अन्य विषय

अन्तर्गत एन.ई.ए.सी., छातीसगढ द्वारा प्रतिकल्प के संचालन में पर लधा जाता सथा कि सभ का अतिरिक्त तरीके से सापटन किने जाने की सुचना समानागत सभागत के सभिय से प्राप्त होती रहती हे। सभ सभानों को जारी पार्षदसभिय स्वीकृती में निर्दिष्ट असी का पालन करते हुके सापटन किना जाया कारखानक हे तथा इन पर निर्दिष्ट नियमनो सभिय अवसरत हे।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त पर प्रतिकल्प की दिनांक 10/08/2020 को सभान असी बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा उपरोक्त पर विचार किया उपरोक्त पार्षदसभिय से निर्णय किया गया कि सभ का अतिरिक्त तरीके से सापटन की संभवत की कार्रवाही एवं सभानों को जारी पार्षदसभिय स्वीकृती के जारी का पालन सुनिश्चित करावे जाने सभत सपरिअय सभेकार, अतिरिक्त विभाग को वेदानी असाई को निर्दिष्ट किने जाने हेतु सचित, अतिरिक्त सभान विभाग को अनुमति किया जाए।

उदामुखर सचित, अतिरिक्त सभान विभाग को सूचित किया जाए।

बैठक प्रकल्पत सभान के साथ संचालन हुई।



(समीर श्री)

सदस्य सचित

राज्य सभ पार्षदसभ समाघात निर्वाचन  
प्रतिकल्प, छातीसगढ

(श्रीमती लख सभ)

अध्यक्ष

राज्य सभ पार्षदसभ समाघात निर्वाचन  
प्रतिकल्प, छातीसगढ



(श्री. समीर बाधोयी)

सदस्य

राज्य सभ पार्षदसभ समाघात निर्वाचन प्रतिकल्प, छातीसगढ